खण्ड–525, अंक–04
मंगलवार, 17 माघ, शक संवत् 1945
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2024)

(खण्ड 525 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-160
नेपाली पार्लियामेण्ट्री कमेटी ऑन इण्टरनेशनल रिलेशन्स एण्ड टूरिज्म के आगमन की सूचना एवं स्वागत	160
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	161-178
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा को उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई	178
दिनांक 11 फरवरी, 2024 को अयोध्या धाम के दर्शन हेतु माननीय सदस्यों को आमंत्रण	178
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	179-181
जनपद महोबा में अर्जुन सहायक बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद गाजीपुर के समाज कल्याण अधिकारी के स्थानान्तरण एवं कठोर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	181-182
झांसी नगर के शहरी क्षेत्र में शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	182
जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला नियारियान में नाले का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	182-183
जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में भू-माफियाओं द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	183
जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील को विभाजित करके गौर को नई तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	183
उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग में आधुनिक और मूलभूत सुविधा देने के लिए नए नियम बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत धरहरा से अमावल सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184
जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में चकबन्दी प्रक्रिया में हो रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184-185
जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा में कतिपय मार्ग के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	185
जनपद गाज़ियाबाद के मोदीनगर में कतिपय भवनों के नव निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185-186
जनपद सहारनपुर में जिलापूर्ति अधिकारी की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186
जनपद अयोध्या के रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186-187
जनपद बलरामपुर के सदर में डायट के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187
जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	187
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187-188
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत बूढ़ी यमुना नदी की सिल्ट सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	188
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चोरी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188-189
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत हिलौली-करदहा मुख्य मार्ग से लोहरमऊ होते हुए बाबा कंजेश्वर धाम, सई नदी सेतु तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	189
जनपद उन्नाव के सफीपुर में कतिपय शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	189-190

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड तिराहे से सेवा अस्पताल तक अवैध कब्जे को गिराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	190-191
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	191
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	191
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	191
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बाइसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	192
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेइसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	192
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौबीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	192
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	192
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	192
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	193
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193
उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	193-194
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	194
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (पुरःस्थापित) ...	194

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	194-207
मन्दिर दर्शन के साथ अयोध्या में मस्जिद हेतु आवंटित भूमि के भ्रमण हेतु व्यवस्था की मांग	207-208
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	208
कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सी0पी0ए0) उ0प्र0 ब्रान्च के कार्यकारिणी समिति को गठित करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न ...	208-209
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण ...	209-210
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	210-237
पूर्व मुख्य मंत्री पर विवादित टिप्पणी पर आपत्ति ...	237-245
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	245-281
पूर्व मुख्य मंत्री पर विवादित टिप्पणी पर श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था ...	281-284
याचिकाओं का उपस्थापन	285
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285
डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285
डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285-286
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	286
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	286-287
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	287
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287-288
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	288
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	290
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291
श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	291
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	291
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291
श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291-292

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	292
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	292
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	292
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	292
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	292
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	293
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	293
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	293
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	293
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	293
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	293
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	294
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	295
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295-296
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	296
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	296
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	296
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	296
श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	296
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	297
श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	297
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	297

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	297
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	297
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	297-298
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	298
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	298
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	298
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज मास्टर प्लान से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	298
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	298
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299
याचिकाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निदेश	300
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	300-301
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा ...	301-325
डॉ0 संग्राम यादव द्वारा विधान सभा के कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	325
नत्थियाँ	326-362

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-361

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
3. अजय, श्री — गोण्डा
4. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
5. अजय सिंह, श्री — बस्ती
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अताउर रहमान, श्री — बरेली
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्त कबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
26. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
27. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
28. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
29. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
30. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
31. अरमान खान, श्री — लखनऊ
32. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
40. आकाश सक्सेना, (हनी) श्री — रामपुर
41. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
42. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
43. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
46. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
47. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव

48. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
49. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
52. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
53. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
54. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
55. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
56. एम0 पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
57. ओमकुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
60. ओममणी वर्मा, श्रीमती बाँदा
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
62. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
63. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
64. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
65. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. कैलाश, श्री चन्दौली
69. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
70. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
71. गणेश चन्द्र, श्री सन्त कबीरनगर
72. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
73. गुड़िया कटेरिया, श्रीमती औरैया
74. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
75. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
78. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
79. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
81. चेतराम, श्री शाहजहाँपुर
82. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
84. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महराजगंज
91. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जाहीद, श्री भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
96. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
97. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
98. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
100. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
102. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
104. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
107. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
108. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
110. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
111. दुधराम, श्री बस्ती
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर

114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
115. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
117. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
118. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
119. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
121. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
122. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
123. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
124. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
125. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
126. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
129. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
130. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
131. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
132. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
133. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
134. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
135. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
136. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
137. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
138. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
139. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
140. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
141. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
142. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रकाश द्विवेदी, श्री बाँदा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
147. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
150. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
151. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
152. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
153. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
154. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
155. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
156. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
157. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
161. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
162. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
163. बाबूराम, श्री पीलीभीत
164. बाबूलाल, श्री आगरा
165. बावन सिंह, श्री गोण्डा
166. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
167. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
171. बेदी, श्री गाजीपुर
172. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
173. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
174. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
175. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
176. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
177. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा

178. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
179. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
183. मनीष रावत, श्री सीतापुर
184. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
188. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
189. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
190. महबूब अली, श्री अमरोहा
191. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
192. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
193. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
194. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
195. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
196. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
197. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
198. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
199. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
200. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
201. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
202. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
203. मेघश्याम, श्री मथुरा
204. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
205. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
206. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
207. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
208. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
209. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
210. योगेश धामा, श्री बागपत
211. योगेश वर्मा, श्री खीरी
212. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
215. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
216. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
217. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
218. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
219. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
220. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
221. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
222. रवि शर्मा, श्री झांसी
223. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
224. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
225. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
227. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
228. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
229. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
230. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
231. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
232. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
233. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
234. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
235. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
236. राजमणि, श्री प्रयागराज
237. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
238. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
239. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
240. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
241. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
242. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ

243. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
245. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
246. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
247. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
248. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
249. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
250. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
251. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
252. रामकेश निषाद, श्री बाँदा
253. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
254. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
255. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
259. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
260. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
261. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
262. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
263. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
264. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
265. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
266. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
267. लकी यादव, श्री जौनपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
270. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
271. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
272. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
273. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
274. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
275. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
276. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
277. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
278. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
281. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
282. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
283. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
284. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
285. विपुल दुबे, श्री भदोही
286. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
287. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
288. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
289. विशम्भर सिंह यादव, श्री बाँदा
290. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहाँपुर
291. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
292. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
293. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
294. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
295. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
296. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
297. शशांक वर्मा, श्री खीरी
298. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
299. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
301. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
302. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
303. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
304. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
305. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
306. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा

307. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
308. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
309. संग्राम सिंह, श्री बलिया
310. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
311. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
312. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
313. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
314. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
315. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
316. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
317. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
318. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
319. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
320. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
321. सभाकुंवर, श्री देवरिया
322. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
323. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
324. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
325. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
326. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
327. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहाँपुर
328. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
329. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
330. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
331. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
332. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
333. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
334. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
335. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
336. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
337. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
338. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
339. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
340. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
341. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहाँपुर
342. सुरेश राही, श्री सीतापुर
343. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
344. सुशान्त सिंह, कुँवर बिजनौर
345. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
346. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
347. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
348. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
349. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
350. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
351. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
352. हंसु राम, श्री बलिया
353. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
354. हरिओम, श्री कासगंज
355. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
356. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
357. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
358. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
359. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
360. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
361. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-जलशक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), मत्स्य, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री अनिल प्रधान तथा श्री अजय सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण (बी0एड0/बी0टी0सी0/डी0एल0एड0) डिग्रीधारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेशिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या 1,05,06,379 है एवं कार्यरत् अध्यापक संख्या 3,32,734 है, इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 21:1 है जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 (अद्यतन संशोधित) में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-5068/2023, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 11 अगस्त, 2023 को पारित आदेश में बी0एड0 अभ्यर्थियों को कक्षा-1 से 5 तक में पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बेसिक शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं, छात्र और शिक्षक अनुपात शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए 21:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है। जबकि आपके द्वारा ही विगत द्वितीय सत्र, 2023 में अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं तथा शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित करते

हुए 30:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है। एक ओर आप शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को आनुपातिक भागीदार मानते हैं और उनको मानदेय के रूप में मात्र 7,000 से 10,000 रुपये देते हैं। शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों का मानदेय आपके द्वारा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ? मानदेय बढ़ाने के लिए मा0 न्यायालय द्वारा भी कहा जा रहा है कि लगातार छात्र पंजीयन में बढ़ोत्तरी हो रही है और शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई है फिर भी अनुपात संतुलित है। छात्र, शिक्षक अनुपात आप पूरे प्रदेश का एक साथ लगाते हैं, जबकि चयन प्रक्रिया जनपदीय चयन समिति के द्वारा होती है। कई जनपदों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पर अभी भी नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला अनुपूरक है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगभग 15 लाख टी0ई0टी0 व सी0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेशों यथा बिहार, झारखण्ड, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इन्तजार कर रहे हैं, तो वह शिक्षक भर्ती आप करायेंगे या नहीं करायेंगे, अगर करायेंगे तो कब तक ? मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार 05 जनवरी, 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 चयनित शिक्षकों की चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी थी परन्तु आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गयी। आज लगभग 600 दिनों से वह सभी अभ्यर्थी ईको गार्डेन में धरने पर बैठे हैं। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन 6800 चयनितों को नियुक्ति-पत्र कब तक प्रदान करेंगे ? मेरा तीसरा अनुपूरक यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन शिक्षकों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण एवं पारस्परिक स्थानान्तरण है, उसको करायेंगे या नहीं करायेंगे, अगर करायेंगे तो कब तक करायेंगे ? आपके माध्यम से मेरा एक अन्तिम अनुपूरक है।

श्री अध्यक्ष-

केवल 2 अनुपूक एलाउड होते हैं आप 4 पूछ रहे हैं।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, विगत वर्ष 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, किन्तु अभी तक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गयी है। मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि वह बताने की कृपा करें कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार कराकर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगी ?

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने हमें उत्तर प्रदेश के पढ़े-लिखे शिक्षित बेरोजगारों के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। हमारे प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने जो अनुपात और समानुपात का जवाब बनाकर खेल किया है, उस खेल से सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानों का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय होता चला जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो शिक्षामित्र और अनुदेशक हैं, यह ट्रेंड शिक्षक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जब छात्र एवं शिक्षक का एक रेशियो बनाया जा रहा है, तो उसमें इनको शामिल करके रेशियो बनाकर हम लोगों को अवगत कराया जाता है और उसके बाद लिखा जाता है कि 85,152 पद खाली हैं। उस रेशियो के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ आकांक्षी जनपद भी हैं, आकांक्षी जनपद का अर्थ ऐसे जनपद से है जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उन जनपदों में चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, चन्दौली, सोनभद्र आते हैं। बहुत से एकल विद्यालय हैं, बहुत से और विद्यालय हैं, तो जो अनुपात/समानुपात बनाया गया है, वह इन विद्यालय की तरह न मानकर पूरे प्रदेश को इकट्ठा करके बनाया गया है, जिससे इस सदन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका संरक्षण भी चाहते हैं कि जूनियर विद्यालयों का भी इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, जो आपने समानुपात का दिया है।

मान्यवर, सरकार ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया है कि जो जूनियर के शिक्षक हैं, पिछले सात-आठ वर्षों से उनका कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे इसमें दो अनुपूरक प्रश्न हैं, नम्बर एक है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। पहला प्रश्न यह है कि सरकार बी0एड0 अभ्यर्थियों को, जो कि लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, जो टी0ई0टी0 पास हैं, सुपर टेट पास हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी और दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर शिक्षामित्र, अनुदेशक शिक्षक नहीं माने जाते हैं, तो सरकारी अफसर उस आंकड़े को सही करें कि कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र है। शिक्षक और छात्र का सही अनुपात चिन्हित करते हुए क्या उनके सापेक्ष नयी भर्ती निकालेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो लाखों नौजवान हैं, बी0एड0 करके टैट करके, सुपर टैट करके जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे बेरोजगार नौजवानों को उनकी नियुक्ति मिले, उनको नौकरी मिले। धन्यवाद।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को ले करके प्रश्न उठाया है और वर्तमान में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों की कोई नियुक्ति की गई है क्या उसको ले करके उन्होंने जानकारी मांगी है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिस तरह से मा0 सदस्य भी अभी कह रहे थे, क्योंकि हमारे शिक्षामित्र और अनुदेशक दोनों पठन-पाठन के कार्य में सहयोग करते हैं और विद्यालय में जो भी शैक्षणिक कार्य बच्चों के लिए कराए जाते हैं, उसमें उनका भी योगदान रहता है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अंशकालिक अनुदेशक और शिक्षामित्र और हमारे सहायक अध्यापक सभी लोगों को मिला करके हमारे छह लाख अट्ठाइस हजार नौ सौ पंद्रह शिक्षकों की संख्या अभी वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध है और जो हमारा छात्रों का और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, जो प्राइमरी में एक शिक्षक तीस बच्चों के लिए होना चाहिए और अपर प्राइमरी में पैंतीस बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इस अनुपात को हम सब लोग अभी बरकरार रखे हुए हैं और अनुपात जब पूरा है, तो पठन-पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के अन्तर्गत पिछले 2017 से ले करके अभी तक एक लाख छब्बीस हजार तीन सौ इकहत्तर नयीं शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है जिससे जो शिक्षकों का अनुपात है उसको हम सब लोगों ने बराबर ले करके आने में हम सब लोगों ने प्रयास किया और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां पर उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के बारे में भी मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया,मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि उनहत्तर हजार जो भर्ती की प्रक्रिया है वर्तमान में न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और जो भी निर्णय इसका न्यायालय से होगा, हम सब लोग समय के साथ इसमें जो भी डेट्स पड़ रही है, उस पर हम सब लोग जा करके सरकार का पक्ष रखे जाते हैं, हर एक बात को समय के अनुसार किया जा रहा है, जो भी माननीय न्यायालय से इसमें निर्देश प्राप्त होंगे क्योंकि मा0 न्यायालय में इसकी चर्चा चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर सदन में इसके बारे में हमें कोई प्रश्न उठाना चाहिए।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, हमने जो अनुपूरक पूछा है, उसका अभी उत्तर नहीं आया है। हमने यह पूछा है कि माननीय मंत्री जी सरकार बी0एड0 के अभ्यर्थियों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, जो लाखों बेरोजगार बी0एड0 वाले घूम रहे हैं उसके लिए क्या सरकार कोई रिव्यू पिटिशन करेगी, दूसरी चीज मा0 सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्रों को और अनुदेशकों को टीचर नहीं मानती है, तो क्या उनको इसमें से माइनस करके सही संख्या का अनुपात निकाल करके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, वर्तमान में जिस तरह से मैंने बताया है कि अभी अनुपात बराबर है और पठन-पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, शिक्षामित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है, वह किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन नहीं है अगर आने वाले समय में होगी, तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।

प्रदेश में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षामित्रों के मानदेय को 40 हजार रुपया प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री स्वामी ओउ्मवेश तथा डॉ0 अजय कुमार-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षामित्रों का मानदेय 40 हजार रुपया प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में शासनादेश संख्याः 1928/79-5-2017-282/98 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय रु0 3500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 10,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों के अनुरूप जीवन चलाने वाले यशस्वी, तेजस्वी, लगनशील, कर्मठ ने जो वायदा किया उसको पूरा करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रभु श्रीराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, कल मैंने समर्थन में हाथ उठाया था, वह गलत तरह से छापा गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, गलत तरह से मेरा नाम छापा गया है। मैं रोजाना श्रीराम का हवन करने के बाद नारा लगाता हूै, इसलिए कार्यवाही में जो बात आयी है, उसे निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे ज्वलन्त विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ, आपको

बार-बार बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वेद का एक मंत्र है मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषोवेग वेद कहता है समाज व देश को बनाने वाले तीन गुरू होते हैं। माता, पिता और आचार्य, आचार्य गुरू की श्रेणी में आते हैं। गुरू आज भिक्षुक बन गया है, बुरी हालत हो गयी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपये प्रतिमाह शिक्षामित्रों का वेतन किया था, अब हमारे मा0 मंत्री जी मात्र 10,000 रुपये कह रहे हैं। वर्तमान में शिक्षामित्रों की संख्या लगभग 1 लाख 30 हजार है, जिसमें से लगभग 8 हजार शिक्षामित्र अवसाद, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी जी, आप प्रश्न कर लीजिए, 3 मिनट हो गये हैं।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

ठीक है मान्यवर, सभी शिक्षामित्रों के कार्य अध्यापक के समान हैं। शिक्षामित्र भी सभी अध्यापकों की तरह अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापक जितने घन्टे स्कूलों में पढ़ाते हैं उतने ही घन्टे शिक्षामित्र भी पढ़ाते हैं। यह चुनाव में भी ड्यूटी करते हैं। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समान योग्यता, समान कार्य को आधार मानते हुए अध्यापक के समान शिक्षामित्र को वेतन देने पर विचार किया जाएगा ? दूसरा अनुपूरक प्रश्न मेरा यह है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षामित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर उन्हें पुनः समायोजित कर 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिए जाने व शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर उनका भविष्य सुरक्षित कर मृतक शिक्षामित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेंगे ? यह मेरे दो अनुपूरक प्रश्न हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कल की बात मेरी कार्यवाही से निकाल दी जाए, वह गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने बोल दिया है।

डॉ0 अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, 1 लाख 32 हजार शिक्षामित्रों से जुड़ा हुआ यह बहुत ही गम्भीर मसला है। यह योजना वर्ष 1999 में बनी और मा0 मंत्री जी इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं। उनके दादा जी के समय यह योजना 2001 में शुरू हुई और 2004 में मा0 मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया । 1 लाख 88 हजार शिक्षामित्र उस समय भर्ती किए गये थे। लेकिन आज यह संख्या घटकर 1 लाख 32 हजार रह गयी है। वर्ष 2014 में 60 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था।

दिनांक 08-04-2015 को 77 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षामित्र पुनः शिक्षामित्र बन गये। मान्यवर, 2017 के पहले शिक्षामित्र मात्र 3500 रुपये पाया करते थे और 2017 से मात्र 10 हजार रुपये इनको मिल रहे हैं। यह बहुत ही अमानवीय है। हम सभी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं, इसलिए यह बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन 34 हजार 400 रुपये है और इन शिक्षामित्रों को मात्र 10 हजार रुपये मिल रहे हैं। जबकि वे वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाये और हम सभी जानते है कि घरों में 10 हजार रुपये में तो कोई नौकर भी नहीं रहता, जो झाड़ू-पोंछा करता है। तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ढेरो आश्वासनों के बाद भी और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासनों के बाद भी इन शिक्षामित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न है कि शिक्षामित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जायेगा और कितना बढ़ाया जायेगा ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षामित्रों के मानदेय से सम्बन्धित राज्यमंत्री माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षामित्रों को जब सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित कर लिया गया था। माननीय सदस्य शिक्षामित्रों की सैलेरी के बारे में जिक कर रहे थे कि उस समय उनको 40 हजार या उससे भी अधिक सैलेरी दी जाती थी। वह सैलेरी उनको जब सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया गया था, उस समय दी जाती थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षामित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया और उस समय इनके मानदेय की धनराशि 3500 रुपये थी। उस 3500 रुपये की धनराशि को हम सब लोगों ने लगभग 3 गुना बढ़ाते हुए 10 हजार करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में 10 हजार रुपये का मानदेय सभी शिक्षामित्रों को दिया जाता है। हमारे शिक्षामित्र जो भी हैं इनके द्वारा उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था। जिस पर यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाये। जिसके माध्यम से शिक्षामित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए, जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसको बनाकर रखा जाये। वर्तमान में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 14-11-2023 को शिक्षा निदेशक, बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षामित्रों के साथ बैठक करते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी द्वारा प्रस्ताव रखा जायेगा उस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और जो भी सम्भव होगा, सदन को उससे जानकारी दी जायेगी।

प्रदेश में कुशल खिलाड़ियों की विभागों में नियुक्ति के सम्बन्ध में

***3-श्री सचिन यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुशल खिलाड़ियों की विभागों में नियुक्ति किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि विभागवार कितने पद कुशल खिलाड़ियों के लिये आरक्षित हैं तथा कितने पदों पर भर्ती पूर्ण की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

खेल विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत 24 पद चिन्हित किये गये हैं। विभाग का नाम, पदनाम, चिन्हित पदों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0	विभाग का नाम	पद का नाम	चिन्हित पद संख्या
1	ग्राम्य विकास	खण्ड विकास अधिकारी	04
2	बेसिक शिक्षा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	01
3	माध्यमिक शिक्षा	सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक	02
4	गृह विभाग	पुलिस उप अधीक्षक	07
5	पंचायती राज विभाग	जिला पंचायती राज अधिकारी	02
6	युवा कल्याण	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	02
7	परिवहन विभाग	यात्रीकर/मालकर अधिकारी	02
8	वन विभाग	क्षेत्रीय वन अधिकारी	02
9	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	02
योग :			**24**

उपर्युक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष 05 खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, 01 खिलाड़ी को यात्रीकर/मालकर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।

कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर भर्ती में खिलाड़ियों के लिए रिक्त पदों के सापेक्ष 2 प्रतिशत पदों के क्षैतिज आरक्षण का प्राविधान किया गया है। उक्त के सापेक्ष उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह 'ग' की भर्ती हेतु दिनांक 07 जनवरी, 2022 के पश्चात् किये गये विज्ञापनों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित श्रेणी में 217 पद विज्ञापित किये गये हैं। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उ0प्र0 पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली, 2021 के अन्तर्गत आरक्षी एवं उप निरीक्षक की रिक्तियों का 02% कुशल खिलाड़ियों से भरे जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत 491 कुशल खिलाड़ियों की आरक्षी के पद पर भर्ती की जा चुकी है तथा 546 पद विज्ञापित किये जा चुके हैं। उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस एवं पी0ए0सी0) के 144 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मेरा प्रश्न प्रदेश के कुशल खिलाडियों के लिए है। जो हमारे प्रदेश व देश के खिलाड़ी होते हैं वह हमारा स्वाभिमान होते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए वह मार्गदर्शक होते हैं। उन्हीं को देखकर नयी पीढ़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश करती हैं, जो खिलाड़ी बचपन से ही अपने-अपने स्पोर्ट्स में मेहनत करते हैं। गांव की जमीनों से निकलकर आते है कई बार खिलाड़ी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार उनके माँ-बाप को बलिदान स्वरूप अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। जब वह प्रदेश, जिले व देश का नाम रोशन कर लेते हैं, तो उसके बावजूद जब उनकी उम्र ढलती है, तो अपना पालन-पोषण करने में परिवार चलाने में कई बार दिक्कत आती है, हमारे जसराना में हमने कई बार देखा है कि भारत केशरी जीते हुए छोटे-छोटे दंगलो में गांव में आकर शिरकत करते हैं और थोड़े-थोड़े पैसे के लिए कुश्ती लड़ते हैं यही हकीकत है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ओलम्पिक में भारत ने अभी तक जितने मेडल जीते है उसमें कभी भी उत्तर प्रदेश में एक भी मेडल नहीं जीता है। एशियन गेम्स में जब हमने 107 मेडल पिछली बार जीते तो उसमें से 20 मेडल उत्तर प्रदेश में थे जिसकी आबादी 24 करोड़ है। हरियाणा जैसा प्रदेश जिसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ है, उन्होंने हमसे दो से ढाई गुना मेडल जीतने का काम किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 60 मेडल जीते उसमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही मेडल जीते गये थे।

श्री अध्यक्ष-

आप उनकी नियुक्ति के बारे में बात करिये जो आपने प्रश्न लगाया है।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मणिपुर में हमसे ज्यादा मेडल जीते गये हैं जिसकी आबादी हमारे लखनऊ के बराबर है। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनके मन में डर होता है और परिवार के मन में डर होता है कि यह कहीं खिलाड़ी बनने से रह गये कहीं फेल हो गये तो आगे चलकर कोई सेफ्टी नहीं है कि अपने माँ-बाप का ख्याल नहीं रख पायेंगे, अपने भाई बहन का ख्याल नहीं रख पायेंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पायेंगे। जो मैंने सवाल लगाया है उस पर जबाव आया है कि कुल 24 पद उत्तर प्रदेश में उनके लिए आरक्षित किये गये हैं और कार्मिक विभाग में 217 पदों पर विज्ञप्ति निकली है। पिछले 5-7 वर्षों में और यूपी पुलिस में सिर्फ 500 ही पदों पर भर्ती निकली है। 24 करोड़ की जनता और 24 पद आरक्षित हुए हैं। ऐसी स्थिति में कैसे उत्तर प्रदेश अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा पायेगा। कैसे हम आगे चलकर अपने जिले का प्रदेश का नाम विश्व में रोशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार विभिन्न स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनके जिले, मण्डल, प्रदेश में जिन्होंने मेडल जीते हैं या रिप्रेंजट किया है उनको सरकारी नौकरी देने पर विचार करेगी, अगर सरकार विचार करेगी तो कब तक और नहीं करोगी तो क्यो नहीं करेगी ? दूसरा अगर हमारी सरकार का फर्ज बनता है कि खिलाड़ियों के सपनों व उनके प्रयासों की रक्षा करे तो क्या हमारी सरकार हर साल खिलाड़ियों के लिए रेगुलर बेसिस पर नौकरियां निकालने का काम करेगी अगर करेगी तो कब तक और नहीं करेगी तो क्यो ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य ने चिंता व्यक्त की है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यह काफी योग्य सदस्य हैं लेकिन आलोचना करने से पहले एक बार अगर यह सरकार को बधाई दे देते तो हम और बड़ा धन्यवाद आपको देते। इस सरकार ने दो व्यवस्थाएं की हैं, एक पुलिस विभाग में और एक खेल विभाग में, दोनों का जिक्र हमने प्रश्न के उत्तर में किया है। यह किसने किया है अभी तक क्यों नहीं हुआ है। आप अपने साथियों की आलोचना क्यों करना चाहते हैं।

मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि आप अपने साथियों की आलोचना क्यों करना चाहते हैं। हमारी सरकार में वर्ष 2021-2022 में नौकरियों की व्यवस्था की गई, खिलाड़ियों को सम्मान देने की व्यवस्था की गई, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय खोलने के लिए सभी संसाधनों की भरपूर व्यवस्था की गई, उसमें हर तरह के योग्य प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई, खासतौर से जो योग्य खिलाड़ी होंगे, इस बात का भी ध्यान रखा कि कोच जरूर हो, इसके साथ-साथ जो नौकरियाँ दी गईं वह सब आपके सामने है। हमने 11 विभागों से सूचना मांगी थी कि आप अपने यहां कितनी-कितनी नौकरियाँ देंगे। उन्होंने जितने 24 पद दिये हमने उनको यू0पी0पी0एस0सी0 से बाहर कर दिया और 10 को नौकरी दे

दी। क्या आपको मालूम है कि पारूल चौधरी जो मेरठ की है उसने क्या इण्टरव्यू दिया। उसने इण्टरव्यू यह दिया कि मुझे दौड़ते-दौड़ते जब यह ख्याल आया कि मुझे डी0एस0पी0 की नौकरी मिल जायेगी तो मैंने वहीं से रि-स्टार्ट किया। उसको अभी साढ़े चार करोड़ रुपये मिले और बाकायदा डिप्टी एस0पी0 का पद भी मिला। 24 पदों में से 10 पदों पर खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। आगे के लिए कोई रास्ता बन्द नहीं है। हमारी योगी सरकार ने यह नीति बनाई है। हमने अपने उत्तर में बाकायदा बताया है कि हमने कितने लोगों को नौकरी दी। हमने क्षैतिज आरक्षण देने के बाद 491 नान गजटेड आरक्षी पदों पर नौकरी दी है। सरकार की मंशा के ऊपर आप सवाल मत उठाईये। आप सरकार को धन्यवाद दीजिये कि सरकार ने वर्ष 2021-2022 में नीति बनाई और खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए हर सम्भव प्रयास सरकार कर रही है। जिस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट भी किया है, उसको भी नौकरी देने की बात हमारी सरकार कर रही है।

श्री सचिन यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया है। जब तक आप खिलाड़ियों को नीचे से नहीं बढ़ायेंगे तब तक वह ऊपर कैसे पहुँचेंगे। जो खिलाड़ी मेडल जीत लेगा उसको तो आप 200 पदों पर सेवायोजित कर देंगे, लेकिन जब तक हम खिलाड़ियों को जिले और मण्डल लेवल पर प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक वास्तव में खिलाड़ियों का लाभ होने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में 15 से 29 साल के 06 करोड़ नौजवान हैं और अगर आप 06 करोड़ की जनसंख्या पर 200 पद दे रहे हैं, तो यह संख्या बहुत कम है। आज की डेट में टीम में सलेक्शन के लिए जो कंम्प्टीशन है उससे ज्यादा कम्प्टीशन तो आपने पदों पर कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप बतायें कि जो कुशल खिलाड़ी होगा उसे नौकरी देंगे या जो खाली गुल्ली-डण्डा खेलता हो उसे भी दे दें।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मण्डल लेवल पर जो खिलाड़ी पहुँचता है वह कुशल खिलाड़ी होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने बाकायदा कुशल खिलाड़ी की परिभाषा दी है कि जिन लोगों ने ओलम्पिक खेलों में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड कप में किसी प्रकार से कोई मेडल पाया है, तो हम लोग उसे गजटेड आफिसर की नौकरी देंगे।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मेरा अनुरोध ऐसे खिलाड़ियों के लिए है, जो फेल हो जायेंगे और जो वहां नहीं जा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप सीधे बात मत करिये।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक और सीनियर हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं यहां पर बैठा हूँ। आप मेरे माध्यम से कहिये।

श्री सचिव यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे जो खिलाड़ी ओलम्पिक अथवा एशियन गेम्स में चले गये उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो वहां नहीं जा पाये। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी और जिन्दगी खेल पर लगा दी, लेकिन वह सलेक्ट नहीं हो पाये, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी जीवन शैली कैसे चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कोई पदक जीता हो, उनके लिए अभी व्यवस्था की गई है। समूह ग की नौकरी के अन्तर्गत पुलिस ने सब इन्स्पेक्टर बनाने के लिए खिलाड़ियों के लिए बाकायदा पदों का आरक्षण करके नौकरी देने की व्यवस्था की है। हम यह भी आपको जानकारी दे दें कि हमारे पद अभी प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में कुशल खिलाड़ी भर्ती के अन्तर्गत आरक्षी नागरिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पदों तथा आरक्षी पी0ए0सी0 के 174 पदों पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी कर आवेदन-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

यह 91 पद हैं, यह 372 पद हैं और आरक्षी के 174 पद हैं। यह प्रक्रियाधीन है। इन लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर हम कोई मानक नहीं तय करेंगे कि किस मानक के आधार पर नौकरी देंगे तो इस तरह से तो यह अनलिमिटेड है कि जो भी क्रिकेट का बल्ला पकड़ लेगा वह कहेगा कि उसके आधार पर हमें नौकरी दे दो। कहीं पर अपनी कोई योग्यता प्रदर्शित करेंगे उसी को आगे बढ़ाया जायेगा, उसी को यह सम्मान दिया जायेगा और इस सरकार का खिलाड़ियों के प्रति बजट देख लें। 50 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए रखा है, जो बाकायदा पदक जीतकर आये हैं और पिछले वर्ष से 167 प्रतिशत बजट हमने अधिक दिया है। 195 को हमने उसमें आइडेंटीफाई किया है। सरकार की मंशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की है। उनको प्रोत्साहित करने की है इसी आधार पर मेरठ में ध्यानचन्द जी के नाम से विश्वविद्यालय खोला

जा रहा है। आज तक पिछली सरकारों ने क्या किया, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद मा0 मंत्री जी।

प्रदेश की सरयू नहर परियोजना के अपूर्ण माइनर डिवाई, पुलों एवं जल निकासी के लिए ड्रेनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

***4-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण हो चुका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि सरयू नहर परियोजना में माइनर, डिवाई एवं पुल का निर्माण अपूर्ण है तथा जल निकासी के लिए उसके कमान्ड क्षेत्र में आने वाली ड्रेनों/नालों की खुदाई पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अपूर्ण माइनर, डिवाई, पुलों एवं जल निकासी के लिए ड्रेनों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हाँ।

सरयू नहर परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत पूर्ण करायी गयी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये निर्गत गाइड लाइन्स दिनांक 07-02-2022 के प्रस्तर-5-9 के अनुसार परियोजना के 90 प्रतिशत या अधिक कार्य पूर्ण होने तथा परियोजना लाभों के प्राप्त कर लेने की स्थिति में परियोजना को पूर्ण माना जा सकता है। सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत कतिपय माइनर, डिवाई के कुछ रीचों में भूमि से सम्बन्धित विवाद/मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भूमि प्राप्त/अधिग्रहीत किये जाने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के क्षेत्र में आवश्यक ड्रेनों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी बात रखने का मौका दिया। यह बहराइच से लेकर महराजगंज लगभग 09 जनपदों से किसानों से जुड़ा सरयू नहर परियोजना का मामला है। सरयू नहर परियोजना की संकल्पना

1977-78 में हुयी थी। इसका उद्घाटन 2021 में 45 वर्ष के बाद हुआ। जब इस परियोजना का कान्सेप्ट हुआ था तो सेक्शन, क्रास सेक्शन उस हिसाब से बनाया गया था। लेकिन इन 45 साल में तमाम जगहों पर नये रास्ते बन गये हैं नयी चीजें बनी हैं। उस क्रास सेक्शन के आधार पर नहर बना दी गयी है। तमाम जगहों पर सड़कें नहीं बन पायी है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, साइफन नहीं बन पाया है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने पर उसे पूरा मान लेते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने नहरों के मामले में 90 प्रतिशत कार्य होना स्वीकार किया है। लेकिन मा0 मंत्री जी मैं जिम्मेदारीपूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि आपने लिखा है कि परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक ड्रेनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। लेकिन मान्यवर, जनपद बस्ती में गरया ड्रेन के निर्माण का कार्य अधूरा है, आपने जगह-जगह पर जमीन भी खरीदी और जगह-जगह आपने पुल भी बना दिया, लेकिन आपने एक इंच भी ड्रेन खुदाई का कार्य नहीं किया और वह ड्रेन पूरे खैलाबाद शाखा और बस्ती शाखा के पूरे कमाण्ड क्षेत्र को पूरा कैरियर करती है। जल निकासी के एक्सट्रा पानी को कैरियर करती है और वर्षा काल को भी कैरियर करती है।

मान्यवर, मैं जिम्मेदारीपूर्वक कह रहा हूँ कि जिसने मा0 मंत्री जी को यह उत्तर दिया है कहीं न कहीं उसकी जाँच करा लें। मान्यवर, यह उत्तर सही नहीं है। उस नहर के अन्तर्गत जो गरया ड्रेन है उसके निर्माण का कार्य बिल्कुल अधूरा है। सिर्फ पुलों का काम बाकी है। इस तरह से परासी ड्रेन सिद्धार्थनगर में मा0 अध्यक्ष जी के इलाके में है। यहाँ ड्रेन खुद गयी है, पुल नहीं बना है और जनपद बस्ती में परासी ड्रेन की स्थिति यह है कि बस्ती वाले में गरया ड्रेन में पुल बन गया है, ड्रेन नहीं खुदी है। तो यह विसंगतियाँ हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके से माइनरों में भी दसिया माइनर, डुमरी माइनर, धराव माइनर, मुंगरा माइनर है और बड़े पैमाने पर माइनरों का निर्माण कार्य अधूरा है। टेल पुल की स्थिति तो बड़ी खराब है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों आप सिर्फ सफाई करते हैं। सिल्ट सफाई को बैंकों के बगल में सर्विस रोड पर डाल दिया जाता है। मा0 मंत्री जी, क्या अधूरे अपूर्ण ड्रेनों की खुदाई व पुल निर्माण कराने के लिए कोई उच्च स्तरीय टीम गठित कर जाँच कराकर उस अधूरे कार्य को निश्चित सीमा के अन्तर्गत करायेंगे, दूसरा यह है कि क्या सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जो विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत माइनर डिवाई टेल है इसके लिए कोई टीम बनाकर जो अधूरे कार्य है, उसको निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायेंगे ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी जी ने प्रश्न पूछा था। स्पष्ट है कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत माइनर, डिवाई कुछ रीचों में भूमि से सम्बन्धित विवाद मा0 न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भूमि प्राप्त/अधिग्रहीत किये जाने के उपरान्त कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, इस समय लगभग 98 प्रतिशत काम हो चुका है और हमारे चार पम्प कैनाल है और एक 78 कि0मी0 पूरी हो चुकी है। हमारी दो अदद् लिंक नहर है जो पूर्ण हो चुकी है। मुख्य नहर दो अदद है, 188 कि0मी0 है जो पूर्ण है। 10 अदद् शाखायें हैं जो कम्प्लीट है। आप रजवाहें एवं अल्पकाहें की बात कर रहे हैं वह 5153 कि0मी0 हैं यह भी कम्प्लीट हैं लेकिन वाद-विवाद है। मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि मैं बस्ती के दौरे पर आऊँगा। आपने जो बोला है मैं स्वयं आकर देख लूंगा और यदि इसमें लिखा है कि काम कम्प्लीट नहीं है तो उसको मैं स्वयं देख लूंगा। आपने दूसरी बात यह कही है कि परियोजना के दौरान 09 जनपदों बहराइच, गोण्डा आदि जनपदों में काम किया जा रहा है। आज की तारीख में 12 लाख हेक्टेयर परियोजना के अन्दर सिंचाई हो रही है। वर्ष 2017 में 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। आज 17 लाख 68 हजार 500 किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। हमारे यहां पर रबी की दोनों फसलें हो रही है। लेकिन किसानों के वाद-विवाद के कारण थोड़ा बचा हुआ है, मैं उसको दिखवा लूंगा और उसको भी पूरा करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम स्वयं आकर देख लेंगे। ऐसा उत्तर कभी-भी नहीं आया है।

प्रदेश में साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में

***5-श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2022 से 18-12-2023 तक साइबर अपराध की कितनी घटनाएं घटित हुईं और उक्त में कितने अपराधों की जांच पूर्ण कर कितने अपराधी जेल भेजे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु अब तक कितने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में जनवरी, 2022 से 18-12-2023 तक साइबर अपराध की 21600 घटनाएं घटित हुई और उक्त में 12777 अपराधों की जाँच पूर्ण कर 7094 अपराधी जेल भेजे गये हैं। अब तक विभिन्न माध्यमों से कुल 22484 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नई भर्ती के कुल 167917 पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी साइबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न है कि साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसमें ज्यादातर गरीब लोगों की छोटी रकम खातों से गायब हो जाती है, वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है और उसकी पुलिस जाँच करती है लेकिन उन पैसों को होल्ड कर देती है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार में यह व्यवस्था है कि वहां के लोग मुकदमा नहीं लड़ते है अगर वह रकम 10 हजार एवं 20 हजार रुपये की छोटी रकम है। पुलिस जाँच कराकर पैसा गरीब लोगों को पुनः दिलाने की व्यवस्था करती है। क्या सरकार उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि गरीब लोगों के खातों से छोटी रकम गायब हो जाती है और पुलिस जाँच करके होल्ड कर देती है तो क्या उन पैसों को गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सरकार ने इस समस्या के ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार किया है। पहले दो थाने थे फिर कमिश्नरी स्तर पर थाने खोले गये और उसके बाद इसी दिसम्बर के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक-एक साइबर थाना खोल दिया गया है। कुछ लोगों का सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पर खेल करने का काम ही है और बहुत तरीके से यह खेल खेला जा रहा है। इसका उत्तर प्रदेश मुख्यालय नहीं है, इसका वर्तमान में मुख्यालय झारखण्ड है। जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पर किसी-न-किसी रूप में या धोखे से आधार नम्बर पूछ लेते हैं और उसके आधार नम्बर से पैसा निकाल लेते हैं। यह बिल्कुल सही है कि धोखाधड़ी हो रही है लेकिन इसका उत्तर प्रदेश से कोई भी लिंक नहीं है। हमने इसीलिए रोजमर्रा में अवेयर कैम्प चलाएं हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को जागरूक किया जा सके। हर बुधवार को हर विद्यालय में इस बात की कोशिश की जाती है कि वहां पर विद्यालय के लोगों को बुलाया जाए और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वह लोग इसमें ज्यादा फंसते हैं। किसी-न-किसी रूप में मोबाइल पर फोन किया और आधार नम्बर पूछ लिया और पैसा निकाल लिया। वह कहते हैं कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे लेकिन उनका एक सेकेण्ड में पैसा निकल जाता है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। इस पर सरकार ने पूरा ध्यान भी दिया है। अभी तक जितना पैसा गायब हुआ है, आप कहें तो हम आपके पास उसका रिकार्ड भेज दें या फिर सदन में पढ़कर सुना दें। अभी तक हमने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा रिकवर भी किया है, पैसा होल्ड भी कराया है। हम आपको बता दें कि कितना पैसा होल्ड कराया है। आपके बस्ती जिले में कितने लोगों को सजा दी गयी, कितने लोगों का पैसा होल्ड कराया है और कितने लोगों का पैसा रिकवर कराया है। आप कहें तो मैं आपको बता दूं। आपका बस्ती जनपद गोरखपुर जोन में आता है। इस तरफ सरकार पूरी तरह से सचेत है लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं।

वह धोखा देकर, फरेब करके किसी न किसी रूप में लोगों को बहकाकर उनका नम्बर पूछ लेते हैं और उसके आधार पर पैसा निकाल लेते हैं लेकिन जैसे ही इसका पता चलता है उसमें व्यवस्था भी कर रखी है कि जैसे ही आपको पता चले आप 1930 नम्बर पर कम्प्लेन दर्ज कराएं और उसके बाद थाने जाकर रिपोर्ट लिखाएं। जो हमने पैसा होल्ड कराया है, आपने जो पीरियड पूछा है उसी में 104 करोड़ रुपया लोगों का वापस कराया है। आपने जनवरी, 2022 से 18-12-2023 तक का डिटेल पूछा है उसमें 104 करोड़ रुपया लोगों का रिकवर कराया गया है लेकिन जो आपने पूछा है कि सरकार उनकी भरपाई करेगी तो मान्यवर, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि पुलिस जाँच करती है, तमाम गरीबों के छोटे एमाउण्ट होल्ड करा देती है। गुजरात सरकार में यह व्यवस्था है कि जो पैसा होल्ड करा देती है जब जाँच करने पर पता चल जाता है कि उस पैसे को किसने लिया है, कहीं न कहीं जाँच करके उस पैसे को वापस कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर मा0 मंत्री जी ने दे दिया है कि पैसा होल्ड कराया गया है, वापस दिया गया है। सब कुछ बता दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पैसा होल्ड इसीलिए कराया जाता है कि उस पर पड़ताल करके उसको वापस करा दें और वापस कराने के भी एवीडेन्स भी मेरे पास हैं। हमने उसकी संख्या भी बता दी है कि कितना पैसा वापस कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

हम सभी लोगों को इसमें एवेयरनेस प्रोग्राम जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं उसमें योगदान देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हम सभी लोगों के पास आते हैं, हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। जो सरकार द्वारा उत्तर दिया गया है, मैं उससे सन्तुष्ट हूँ। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

***6-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों को सरकार द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में

***7-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी (परीक्षार्थी) प्राइमरी विद्यालयों में भर्ती नहीं हो सकते, तो ऐसी

स्थिति में बी0टी0सी0 के छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुये जिस विद्यालयों को पूर्व में एन0एस0टी0 से मान्यता प्राप्त हो चुकी है, पर राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता रोके जाने के कारण बन्द है, उनको राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता दिये जाने की कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

शासनादेश संख्या-931/अड़सठ-4-2023-9(22)/20, दिनांक 29 सितम्बर 2023 द्वारा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्बद्धता दिये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश के उन बी0टी0सी0 कॉलेजों के लिए था जिन्होंने आज से चार-पांच वर्ष पूर्व एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त कर लिया लेकिन एन0सी0टी0ई0 से जब मान्यता मिल गयी तब एकाएक राज्य सरकार ने नई सम्बद्धता पर रोक लगा दी। मान्यवर, जिन लोगों ने विद्यालय बनाया, बिल्डिंग खड़ी की, बैंक से लोन लिया, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लिया और उससे विद्यालय का निर्माण कराया, एन0सी0टी0ई0 से मान्यता भी ले लिया लेकिन इसी बीच में, राज्य सरकार ने जो भी कारण रहे हों, ऐसे विद्यालयों की सम्बद्धता पर रोक लगा दी। पूरा सदन जानता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बी0एड0 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको अब बेसिक शिक्षा में टीचर्स के रूप में नहीं लिया जाएगा तो एकाएक बी0टी0सी0 कॉलेजों में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गयी। मैंने जो प्रश्न लगाया था उसमें सरकार की ओर से जवाब आया है कि हम सत्र 2024-25 के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से सम्बद्धता प्रदान करेंगे। मेरा केवल यह जानना है कि जिन्होंने आज से सात-आठ साल पहले बिल्डिंग बना लिया, एन0सी0टी0ई0 ने उनको मान्यता भी दे दी, राज्य सरकार से सम्बद्धता न मिलने के कारण वे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, उन पर किस्तें आ रही हैं, लोगों ने लोन ले रखा है, क्या राज्य सरकार जो पुराने विद्यालय हैं जिनको पूर्व में एन0सी0टी0ई0 ने मान्यता दे दी थी उनको आप प्राथमिकता पर सम्बद्धता देंगे ? दूसरा, नैसर्गिक न्याय की परिभाषा में आता है कि जो 07 साल पहले एन0सी0टी0ई0 से मान्यता ले चुके हैं, जो जब आप खोल रहे हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाये। क्या इसी सत्र में आप उन विद्यालयों को चालू कराकर उन्हें सम्बद्धता दे देंगे ? मान्यवर, ये दो अनुपूरक प्रश्न आपके माध्यम से हमारे हैं।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो डी0एल0एड0 कालेज के बारे में प्रश्न उठाया है, उस सम्बन्ध में जो उत्तर उपलब्ध कराया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि

एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्बद्धता दिये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं और जिन डी0एल0एड0 कालेजेज को एन0ओ0सी0 और एन0सी0टी0ई0 के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वर्तमान में ऐसे सभी कालेजेज को राज्य स्तरीय समिति में प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया वर्तमान में चलायी जा चुकी है और जो भी एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त कालेजेज हैं, जो सभी मानकों को पूर्ण करते हैं, ऐसे सभी कालेजेज को इस वर्ष 2024-25 में मान्यता सरकार के द्वारा दे दी जायेगी। मान्यवर, माननीय सदस्य यह भी जानना चाह रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जितने डी0एल0एड0 कालेजेज को मान्यता दी जा चुकी है, केवल उन्हीं को अभी दिए जाने के लिए सब लोगों ने विचार बनाया है और कोई नए मान्यता को अभी दिए जाने का प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन संस्थानों को पूर्व में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता मिल हुई है, उनकी बिल्डिंग्स बन गयी हैं, लेकिन सम्बद्धता न मिलने के कारण वह 6-7 साल से बन्द पड़े हैं, क्या आप उनको प्राथमिकता देंगे ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि केवल उन्हीं लोगों को जिनको पहले से एन0ओ0सी0 मिल चुकी है, एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं को कन्सीडर किया जायेगा, बाकी अगर कोई नयी मान्यता के लिए आवेदन करता है तो उसे वर्तमान में कन्सीडर नहीं किया जायेगा। इससे यह स्वतः अपने आप में स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों को पहले से मान्यता दी जा चुकी है, केवल उन्हीं लोगों को दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में भू-जल उपलब्धता के नवीनतम् आँकलन के अनुसार अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री विनोद चतुर्वेदी (अनुपस्थित)-**

क्या जल शक्ति नमामि गंगे मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-जल उपलब्धता के नवीनतम आंकलन के अनुसार अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ? यदि हाँ, तो उक्त विकास खण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भू-जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट वर्ष, 2020, 2022 एवं 2023 के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रदर्शित होता है कि अतिदोहित, क्रिटिकल विकास

खण्डों की संख्या में कमी आयी है, यद्यपि कि सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या में वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2022 में 08 विकास खण्डों में कमी आयी है किन्तु वर्ष 2023 में 03 विकास खण्डों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है तथा सुरक्षित श्रेणी में वृद्धि हुई है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

श्रेणी	विकास खण्डों की संख्या		
	वर्ष 2020	वर्ष 2022	वर्ष 2023
अतिदोहित	57	54	53
क्रिटिकल	48	46	42
सेमी क्रिटिकल	177	169	172
सुरक्षित	544	557	559

सरकार द्वारा अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने हेतु निरंतर सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं यथा चेकडैम/तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार, वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण इत्यादि।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों की बसावटों की आबादी सौ से अधिक और ढाई सौ से कम है, उक्त ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों की बसावटों की आबादी सौ से अधिक और ढाई सौ की आबादी से कम है, उन्हे पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III की गाईडलाइन्स के अनुसार 05 किमी0 या उससे अधिक लम्बाई के क्षतिग्रस्त पक्के मार्गों के उच्चीकरण/चौड़ीकरण का कार्य अनुमन्य है तथा योजना के दिशा-निर्देशों में सौ से अधिक और ढ़ाई सौ से कम आबादी के मजरों को जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जनता और जनप्रतिनिधि दोनों से जुड़ा हुआ है। हमने प्रश्न किया था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों की बसावटों की आबादी सौ से अधिक और ढाई सौ से कम है, उन्हें पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना सरकार बनायी है ? मान्यवर, अभी तक की ने जो ग्रामीण अंचल की विधान सभाएँ हैं, वहाँ पर ढाई सौ से अधिक आबादी के मजरे 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग-लगभग संतृप्त हो चुके हैं। लेकिन मान्यवर, जब मैं प्रश्न देख रहा हूँ और प्रश्न का उत्तर देख रहा हूँ तो इसको विषयान्तरित कर दूसरे विभाग से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया है। यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित किया गया था और कायदे से इस पर लोक निर्माण विभाग को जवाब देना चाहिए था। लेकिन इसमें ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा जवाब दिया गया कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 की गाइडलाइन्स के अनुसार 05 कि0मी0 या उससे अधिक लम्बाई के क्षतिग्रस्त पक्के मार्गों के उच्चीकरण/ चौड़ीकरण का कार्य अनुमन्य है, इसके अलावा कोई योजना नहीं है। मान्यवर, हम सभी सदस्य जो ग्रामीण अंचल से आते हैं। यह हमारी समस्या है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता की शिकायत रहती है कि जो 01 कि0मी0 के ऊपर के कच्चे मार्ग हैं, जो बसावटें किसी भी पक्के मार्ग से जुड़ी नहीं हैं, वह सवाल करते हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं, तब भी वह सवाल करते हैं कि साहब, यह सड़क बनवा दीजियेगा। हम सभी सदस्य यह वादा कर लेते हैं कि हाँ, हम आपकी यह सड़क बनवा देंगे। मान्यवर, हमारे पास एक आँकड़ा है, जो नाबार्ड को भेजा गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में 127 सड़कें ऐसी हैं, जिनकी लम्बाई 01 कि0मी0 से अधिक है और वह बस्ती किसी भी पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ी नहीं है। लेकिन अभी नाबार्ड में वह विचाराधीन हैं। तो मेरा आशय यह है कि अगर 01 कि0मी0 से नीचे आयेंगे, 500 मीटर तक आयेंगे तो एक विधान सभा में जो संख्या 127 की है, यह संख्या 200 पार कर जायेगी। मान्यवर, उन बस्तियों में गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, आप प्रश्न पूछ लीजिए, ढाई मिनट तो आपने सिर्फ भूमिका पर ले लिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

अध्यक्ष जी, बहुत थोड़े समय में पूछ लेता हूँ। मान्यवर, उन बस्तियों से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। वहाँ पर अगर शादी हो रही है बेटियों की विदाई होनी है तो चार पहिया वाहन नहीं जा पाते हैं। यह समस्या पूरे प्रदेश में है और हर विधान सभा में ऐसी बस्तियाँ हैं। मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यही है मा0 मंत्री

जी से कि क्या सरकार जो पी0डब्ल्यू0डी0 की एक अनजुड़ी योजना रही है या पण्डित दीन दयाल योजना के अनुसार 250 की आबादी तक की सड़कों को संतृप्त किया गया, क्या उसको शिथिल करके 250 से लेकर 100 की आबादी तक पक्के मार्ग बनाने का काम करेगी यह मेरा पहला अनुपूरक है और दूसरा यदि यह जवाबदेही ग्राम्य विकास लेता है तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना की गाइडलाइन-3 को शिथिल करके 250 से लेकर के 100 की आबादी क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पर 200 की आबादी लिखी गई है, आज की तारीख में वहाँ पर जनसंख्या 400-500 से ज्यादा की है तो क्या उसको शिथिल करके 250 से 100 की आबादी को जोड़ने के लिए योजना सरकार बनाएगी। मान्यवर, मेरे इन दो अनुपूरक प्रश्नों का जवाब सरकार दे दे।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती बिजयलक्ष्मी गौतम)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो जवाब दिया गया है। मुझे कहना है कि फिलहाल यह भारत सरकार की स्कीम है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न ग्राम्य विकास विभाग का था ही नहीं यह तो लोक निर्माण विभाग से प्रश्न पूछा गया था।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न में यही कहा है कि ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी0डब्ल्यू0डी0 के साथ बातचीत करके उसको कराएंगे तो वर्मा जी, वह उसमें आ गया है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था उसको लोक निर्माण विभाग को जाना चाहिए था जबकि सचिवालय ने इसको ग्राम्य विकास विभाग में स्थानान्तरित कर दिया, जहाँ इससे जुड़ी कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी जवाब दे रही हैं पहले आप जवाब तो सुन लीजिए। सरकार का कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। कोई भी मा0 मंत्री किसी भी विभाग का जवाब दे सकता है आप बैठिए।

श्रीमती बिजयलक्ष्मी गौतम-

मा0 अध्यक्ष जी, यह भारत सरकार की स्कीम है जो स्वर्गीय पण्डित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारम्भ किया था। इसमें जो 500 से अधिक आबादी के मजरे हैं उनको जोड़ने के लिए योजना थी। हमारी सरकार ने फेज-1 पी0एम0जी0एस0वाई0 की गाइडलाइन्स में जो दिया था वह उत्तर प्रदेश में काम पूरे हो चुके हैं। सेकेण्ड फेज में भी पूरे हो चुके हैं और थर्ड में इन्होंने पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत सरकार से अभी यह

200-250 की आबादी वाली बसावटों को जोड़ने का हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन्स से हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे तो उनको अवश्य पूरा किया जाएगा।

श्री लालजी वर्मा-

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो प्रश्न है वह सरकार से पूछा गया था कि क्या प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिनमें 100 की आबादी थी ऐसी जितनी भी बसावट हैं उनको पक्के मार्ग से जोड़ने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उसका उन्होंने उत्तर दे दिया है कि उसमें अभी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। क्या मा0 मंत्री जी, आप उत्तर देंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि चालू वित्तीय वर्ष में 3900 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत किया था। हम लोगों ने 75 प्रतिशत पैसा खर्चा करके 75 प्रतिशत से अधिक सड़कें बना दीं। इसके बाद 700 सौ करोड़ रुपये का अलॉटमेंट भारत सरकार ने हमारा बढ़ा दिया जिसमें 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने भी अपना मिलाकर पहले जो 3900 करोड़ का अलॉटमेंट था वह अब 5100 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट हो गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको दोबारा लगा दीजिए पी0डब्ल्यू0डी0 से इस पर जवाब दिलवा देंगे।

(सदस्य श्री पंकज कुमार मलिक का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के जनपदों में जहाँ सिंचाई हेतु नहर आदि नहीं है, उन जनपदों में किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री पंकज कुमार मलिक (अनुपस्थित)-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में जहां सिंचाई हेतु नहर आदि नहीं है, किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

वर्तमान में सम्प्रति सिंचाई विभाग यांत्रिक संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 34263 राजकीय नलकूप संचालित हैं। उक्त राजकीय नलकूपों द्वारा कृषकों की मांग के अनुरूप निःशुल्क सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश के जनपदों में जहाँ सिंचाई हेतु नहर आदि की सुविधा नहीं है, उन जनपदों में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथावश्यकता नवीन राजकीय नलकूपों की स्थापना के साथ ही सब्सिडी आधारित योजनाओं के अन्तर्गत निजी नलकूपों की स्थापना भी करायी जाती है।

उल्लेखनीय है कि तकनीकी रूप से साध्य पाये गये स्थलों पर 'जिला नलकूप स्थल चयन समिति' के अनुमोदनोपरान्त सुरक्षित विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों की स्थापना की जाती है। सुरक्षित विकास खण्डों में ''2100 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित)'' प्रचलित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण हेतु ''569 असफल राजकीय नलकूप पुनःनिर्माण परियोजना'' प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत पाँच वर्ष के अन्दर कितने हिन्दी माध्यम के परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है एवं उक्त विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने हेतु योग्य अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में

***11-श्रीमती पिंकी सिंह तथा श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश के कितने हिंदी माध्यम के परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त में कितने विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने हेतु योग्य अध्यापकों की तैनाती की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

विगत पांच वर्षों में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन हिन्दी माध्यम के 12279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है।

उक्त समस्त 12279 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने हेतु योग्य 6870 प्रधानाध्यापक एवं 40271 सहायक अध्यापक तैनात हैं।

जी हाँ।

(विवरण संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे जो बेसिक शिक्षा पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है, उसमें मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि परिषदीय विद्यालयों की अगर हम बात करें तो परिषदीय विद्यालयों में जो मेरा यह प्रश्न लगाया गया था, यह मात्र सरकार की हकीकत को परखने के लिए लगाया गया था। सरकार की यह योजना बहुत ही भेद-भाव पूर्ण है क्योंकि सरकार के लिए सभी बच्चे समान होने चाहिए और सभी को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन कुछ चुनिंदा विद्यालयों को ही, बेसिक शिक्षा परिषद् के कुछ ही विद्यालयों को चयनित किया गया। हिन्दी से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया, जिसमें कहीं न कहीं लगता है कि यह समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है। मेरा मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ऐसे कितने विद्यालय अभी और इस प्रदेश के बचे हैं, जहाँ पर जिसे अंग्रेजी माध्यम से आच्छादित करने का काम सरकार करेगी ? तथा जैसा कि 2 मार्च, 2023 में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक विकास खण्डों में 10-10 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिन्दी से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जायेगा। इसलिए मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने विकास खण्ड और कितने विद्यालयों का अब तक सरकार ने चयन कर लिया है ? साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, जिन्हें वर्ष 2022 से 2023 तक ऐसे स्कूलों में प्रवेश दे दिया गया है ? यह मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिये गये लेकिन उनमें अभी तक संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। संसाधन से मतलब है कि बच्चों के लिए अभी तक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आपने शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार किये हैं, यह जो मा0 मंत्री जी आपका जवाब मेरे पास आया है, उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, वह भी जगह-जगह जाते हैं और छापा मारने का काम करते हैं। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने भी प्रदेश में किसी

---

† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-326-328 पर।

विद्यालय के अन्दर जा कर स्थिति जानने का प्रयास किया है ? कोशिश की है ? अगर कोशिश की होती तो आज शिक्षा की स्थिति में सुधार हो गया होता। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में परिवर्तित करने का आपके द्वारा लक्ष्य रखा गया है ? जो आपने इंग्लिश मीडियम में विद्यालयों को परिवर्तित किया भी है, उसमें छात्रों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ? इसके साथ-साथ मेरा एक और अनुपूरक प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा में फर्जी अभिलेखों द्वारा शिक्षकों की जो नियुक्ति हो गयी थी, प्रदेश में एस0टी0एफ0 उसकी जाँच कर रही है। यह बहुत गम्भीर प्रकरण है लेकिन यह जाँच कब तक पूरी हो पाएगी और जो फर्जी शिक्षक पकड़े गये हैं, क्या सरकार उन पर कार्यवाही करेगी और करेगी तो कब तक करेगी ? इसका जवाब मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की व्यवस्था बनायी गयी थी, उस व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न उठाया है। और मैंने अपने उत्तर में भी जानकारी दे दी कि पिछले समय में जिन परिषदीय विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में परिवर्तित करके योजना चलायी गयी थी, उसके अन्तर्गत 12,279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन के कार्य के लिए चलाया गया था। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि उस समय तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं किया गया था और वर्तमान में एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन-पाठन के कार्य को बढ़ावा दिया जाय क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में जल्दी चीजों को सीखते हैं और समझते हैं इसीलिए हमारे सभी विद्यालयों में बच्चों की जो मातृभाषा है, उसी में पठन-पाठन के कार्य को कराया जा रहा है और वर्तमान में कोई नया इंग्लिश मीडियम विद्यालय बनाने की योजना विभाग के अन्तर्गत नहीं चल रही है और इंग्लिश को मात्र एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। किसी विद्यालय को पूर्ण रूप से अब इंग्लिश मीडियम नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस चीज पर जोर देती है कि बच्चों का बहुआयामी विकास हो। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिजाईन किया गया है और उसके अनुसार हमारे सभी विद्यालयों में पठन-पाठन के कार्य को कराया जा रहा है।

माननीय सदस्य प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न उठाया है, इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, स्मार्ट क्लासेस के बारे में माननीय सदस्य यहां प्रश्न उठा रहे हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्तमान में स्मार्ट क्लासेस और टैबलेट को मुहैया कराने की व्यवस्था सरकार के द्वारा जारी है। हमारे हर एक परिषदीय विद्यालय में सरकार के द्वारा व्यवस्था बना दी गयी है कि 2-2 टैबलेट्स को पहुंचाया जाय और हमारे लगभग हर विद्यालय में 2-2 टैबलेट्स को पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है और हर एक

विद्यालय में इनको पहुंचाया भी जा चुका है। जहाँ पर पूर्ण नहीं है वर्तमान में यह प्रक्रिया चल रही है कि वहां पर पूर्ण कर दिया जाय। स्मार्ट क्लासेस के लिए भी जो हमारी प्रक्रिया है वह अभी चल रही है। उसके अन्तर्गत जैसे ही चरणबद्ध तरीके से इसको हम सब लोगों ने तय किया है वह पूरी होते ही हम अपने हरेक परिषदीय विद्यालय, जितने भी हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास के साथ ही इस सुविधा से जोड़ने का हम काम करेंगे।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय मंत्री जी से मैंने इसमें पूछा था कि क्या सरकार जो है, जितने बचे हुए स्कूल हैं जिन्हें हिन्दी माध्यम से अंग्रेजी में परिवर्तित किया गया, उसकी संख्या क्या है जो माननीय मंत्री जी के जवाब में नहीं आया और दूसरी तरफ एक नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात सरकार ने कही है तो मैं यहां पर यह भी पूछना चाहूंगी कि शायद माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि वर्ष 2021 और 2022 में जहाँ शिक्षकों के स्वीकृति पद की जो संख्या थी वह 7,19,399 थी जो वर्ष 2022-23 में घटकर 5,79,622 रह गयी तो यहां पर साफ दिखायी दे रहा है कि पदों की संख्या में भी 1,39,777 की कमी आयी है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे शिक्षकों की कमी को पूरा करने का काम सरकार करेगी।

श्री संदीप कुमार सिंह-

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह मूल प्रश्न से अलग हट करके है और अपने पहले प्रश्न में जो सदन में लगा हुआ था उस प्रश्न में शिक्षकों की संख्या को ले करके हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं और सदन को उसके बारे में जानकारी से अवगत कराया जा चुका है।

प्रदेश में वेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चिकित्सीय इलाज हेतु कैशलेश हेल्थ इन्श्योरेंस से आच्छादित करने के सम्बन्ध में

***12-डॉ0 रागिनी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चिकित्सीय इलाज हेतु कैशलेश हेल्थ इन्श्योरेन्स से आच्छादित करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है तथा चिकित्सा

अनुभाग-6 के आदेश संख्या-2257/5-6-11-1082/87, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के प्राविधानानुसार कैशलेश चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के अनुसार 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार नहीं है तथा 'निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी' के अनुसार समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, का प्राविधान किया गया है।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, उनको चिकित्सीय इलाज के लिए क्या कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है या नहीं ? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब हम देश को विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा हमारे स्कूल हैं, हमारे बच्चे हैं और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता है और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता हम तब सुनिश्चित कर पायेंगे, जब हमारे शिक्षक मजबूत रहेंगे और उनका हेल्थ मजबूत रहेगा। आज यह प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक हैं आज वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं चाहे वह कम्युनिकेबल डिजिजेस हों या नॉन कम्युनिकेबल डिजिजेस हों। ऐसी स्थितियों में हम जानते हैं कि प्रिवेंसन इज बेटर देन क्योर। उन स्थितियों में आपकी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में क्या कोई ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम हेल्थ हमारे शिक्षकों के लिए किये गये हैं। आज कैंसर जैसी बीमारियों का आंकड़ा यहां तक पहुंच रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में 97 परसेंट तक मॉर्टलिटी रेट चला जायेगा और 47 परसेंट तक इनक्रीज कर जायेगा, लेकिन अगर उन्हें अरली स्टेजस में पकड़ लिया जाय तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं तो सरकार के द्वारा इन गम्भीर बीमारियों को समझते हुए क्या हेल्थ रिलेटेड कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम किये गये हैं और अगर नहीं किये गये हैं तो इनके बारे में सरकार क्या कोई भी विचार कर रही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस विभाग में शिक्षक में महिलाओं के आंकड़ें काफी ज्यादा हैं। जो महिला गर्भावस्था के बाद से ले करके जब तक उसका बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक अगर उस महिला की पोस्टिंग उसके गृह जनपद के अलावा कहीं दूर कर दी जाती है तो उस सिचुवेशंस में उनके बच्चे के पालन-पोषण

पर ध्यान देना और साथ-ही-साथ बच्चे का काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या सरकार महिलाओं की हितैषी बनते हुए जो भी हमारी महिला शिक्षक हैं जिनका बच्चा 5 साल या उससे कम उम्र का है उन्हें उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दिलाने की कार्यवाही करेगी।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि जो हमारे परिषदीय अध्यापक हैं उनके लिए कोई हेल्थ से सम्बन्धित बीमा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले समय में हमारे जितने भी परिषदीय अध्यापक हैं इनके लिए एक कैशलेस प्रीमियम बेस व्यवस्था को बनाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया था जिस पर सहमति न बनने के कारण इसको लागू न किया जा सका। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे परिषदीय कर्मचारी जो हमारे राज्य कर्मचारी होते हैं, इसमें उनको काउण्ट नहीं किया जाता है। वर्तमान में जो हमारी नियमावली है, जो जी0ओ0 है, उसके अन्तर्गत हमारे जितने भी अध्यापक हैं वह परिषद् के अन्तर्गत आते हैं। परिषद् के कर्मचारी हैं इसीलिए राज्य कर्मचारियों के लिए जो नियमावली है उसके अन्तर्गत उनको काउण्ट नहीं किया जाता है लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो कैशलेस प्रीमियम बेस इंश्योरेंस की बात की गयी है उस पर हम सब लोग विचार कर रहे हैं। हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे सहमति बनाते हुए हमारे सभी शिक्षकों के जो बीमा प्लान हैं, उनको दुबारा से बनाकर तैयार किया जायेगा अगर उसमें सहमति बनती है तो इस कैशलेस प्रीमियम बेस इंश्योरेंस की सेवा को हम सब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा इस प्रक्रिया को चलाया जायेगा। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है जो कि महिला शिक्षकों के ट्रांसफर से सम्बन्धित है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो मूल प्रश्न है वह हेल्थ इंश्योरेंस को ले करके है न कि किसी तरह से महिला शिक्षकों के ट्रांसफर को करने से सम्बन्धित है इसीलिए यह मूल प्रश्न से अलग है और इसका कोई उत्तर मेरे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

डॉ0 रागिनी-

अगर वह मूल प्रश्न से हटकर है लेकिन यहां हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। जब किसी बीमारी को पहले से ही रोक दिया जाय, प्रिवेंसन कर दिया जाय तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। हमारे शिक्षकों की हेल्थ को मजबूत करने के लिए, क्या कोई भी ऐसे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम किये गये हैं जिसमें अरली स्टेज में डिजीज को रोका जा सके ? क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय हमारी माननीय सदस्य ने उठाया है। मैं आपके माध्यम से इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष ध्यान आकृष्ट करना

चाहूंगी कि जो महिलायें शिक्षक हैं। ये संवेदनशील सदन है और सरकार अभी नारी वंदन अधिनियम लेकर आयी है जिसका सबने स्वागत किया है। इसी सदन में नारी शक्ति की प्रतीक हमारी महामहिम ने अभिभाषण में अपनी बातें सदन में रखीं। मैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि एक महिला जो गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देती है, एक माँ के रूप में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके साथ-साथ वह अपने शिक्षक होने के दायित्व को भी निभाती है। जब यह दोनों जिम्मेदारियां वह पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती है तब उसके सामने प्राकृतिक रूप से बहुत सारी अड़चनें आती हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं यह निवेदन करूंगी कि सरकार इस पर जरूर विचार करे, क्योंकि यह मेडिकली एप्रूव है कि जब तक बच्चा पाँच साल की आयु तक का नहीं हो जाता तब तक वह माँ पर आश्रित होता है। सरकार इस पर जरूर विचार करे कि जब तक बच्चा पाँच वर्ष की आयु का न हो जाय तब तक माँ को जो खासकर अध्यापक हो या किसी भी वर्ग से हो, मैं तो कहूंगी कि हर वर्ग को उसके गृह जनपद में तैनात करे, ताकि वह दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर पाये।

श्री अध्यक्ष-

यह ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड इश्यू है। ठीक है, मैंने आपकी बात को ट्रांसफर किया, मैंने आपको पूरा समय दिया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहूंगी। इस पर सारे सदन की सहमति भी होगी, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी विनम्रता से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस पर जरूर विचार करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोना जी तो पुरानी सदस्य हैं। इनको यह अच्छी तरह से मालूम है कि पर्याप्त मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है, नम्बर एक, नम्बर दो-16,000 से ज्यादा ट्रांसफर इसीलिए किये गये कि किसी न किसी रूप में उनको सुविधा हो सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि उनकी इच्छा के अनुरूप ट्रान्सफर किये गये। मान्यवर, 16,000 बहुत बड़ी संख्या है, जिसे एक पेन से किया गया।

प्रदेश में संविदा प्रणाली/आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई करने एवं उक्त का विवरण एवं नियमावली के सम्बन्ध में

***13-डॉ0 संग्राम यादव, डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल तथा श्री अनिल कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली/आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हाँ, तो उक्त

का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिकों/आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

संविदा कर्मियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2016'' प्रख्यापित की गयी है, जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक वेतन/मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या अभिनियोजित या कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को, जो प्रश्नगत नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो, को विनियमित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कार्मिकों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं हैं।

डॉ0 संग्राम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, हम आज सरकार से जानना चाह रहे थे कि आज सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। आपका नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग भी आज उन्हीं पर आधारित है, जो बड़े विभाग हैं आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनमें कर्मचारी रखे जा रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं ? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं इसके माध्यम से लिये जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े-बड़े विभाग हैं और सरकारी खजाने से आप इनको पैसा भी देते हैं तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर-दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही हैं, ट्रेण्ड होने के

बावजूद भी आउटसोर्सिंग कर्मी को कम वेतन मिलता है। उस पर भी आप कंपनियों को बैठा दिये हैं एक नया सामंत पैदा कर दिये हैं जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरी-पूरी सरकार है। आपको कौन राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यह हम सबके समझ से परे है। भारत के संविधान द्वारा जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है, ये सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियां उसका पालन भी नहीं करती हैं और जब लेन-देन से दूसरी कम्पनी को काम मिल जाता है तो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़ी बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाये पड़े हैं और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉ0 लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, यह पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और वह भी इतने योग्य-योग्य मंत्रियों के रहते। बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी कम-से-कम आप संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते, स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्य मंत्री हैं, वह भी संविदा के माध्यम से नियुक्ति करा देते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे, क्या इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं। मैं इस पर सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

मैं आपका आभारी हूँ कि दो साल बीतने के बाद पहली बार मुझे यहां पर तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस लाईन से मैं शुरू करता हूँ कि-

''सरकार में नौकरियां बस आंकड़ों का खेल है।

झूठे वादों, झूठे नारों से बस इनका मेल है।

युवा अगर इनसे कुछ पूछ लें तो, उनको मिलती जेल है।''

श्री अध्यक्ष-

आप सीधा प्रश्न पर आईये।

डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

मान्यवर, समय समाप्त हो रहा है, मैं बस एक अनुपूरक पूछना चाह रहा हूँ कि जो संविदाकर्मी अपने जिले से दूर रहते हैं, एक तो उनकी सैलरी कम है और वह अपने जिले से दूर रहते हैं। क्या सरकार उनको, उनके जिले के करीब या उस जिले में पोस्टिंग करने पर विचार करेगी ताकि कम पैसे में भी उनका घर चल सके ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संग्राम सिंह जी ने और माननीय पटेल साहब ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है मान्यवर, हम आपको बता दें कि जहाँ पर नियमित पद हैं, जहाँ रेगुलर

पोस्ट हैं वह पर किसी प्रकार से कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लगाया नहीं जा रहा है। यह व्यवस्था सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, आप उनकी सर्विस की सिक्योरटी या उन लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हमने पहले से ही जो शासनादेश जारी किया है उसके 3-4 बिन्दु हम बता दें तब तक टाईम हो रहा है। जेम पोर्टल से उनका सेलैक्शन हो रहा है। ये 18 सितम्बर, 2019 का कार्मिक विभाग का शासनादेश है। यह खास तौर से उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया गया है जो आउटसोर्सिंग के लिए लगाये जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों का चयन केवल सेवा योजना पोर्टल से ही किया जायेगा। एक बार चयनित आउटसोर्सकर्मी को सेवा प्रदाता स्वयं निकाल नहीं सकता है। उक्त व्यवस्था लागू होने से पहले आउटसोर्सिंग कर्मियों को निकाला नहीं जायेगा। इसके साथ ही कर्मियों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी, यहां तक सिक्योरिटी दी गयी है। समस्त आउटसोर्सिंग कर्मी को एक पारिश्रमिक का भुगतान उनके ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 आदि के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किये जाने में कोई अनियमित्ता पाये जाने पर विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा सेवाप्रदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। यानी अगर इम्प्लायमेंट इन्श्योरेंस स्कीम में जो फण्ड की व्यवस्था है उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोताही की जायेगी तो उसमें सेवाप्रदाता के खिलाफ कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधान, कम्प्यूटर सहायक के मानदेय तथा बिजली के बिल के भुगतान के मदों एवं ग्राम पंचायतों में भुगतानित मानदेय की धनराशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में

***14-श्री पंकज पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों, कम्प्यूटर सहायक के मानदेय तथा बिजली का बिल का भुगतान किस मद से किया जाता है ? क्या सरकार ग्राम पंचायतों में भुगतानित मानदेय की धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों, पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय तथा बिजली के बिल का भुगतान केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि से किया जाता है।

शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि की गयी है। शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दिनांक 25 जुलाई, 2021 के क्रम में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-

---

नोट :-†तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के चयन का प्रावधान करते हुये उनका मानदेय निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में भुगतानित मानदेय में वृद्धि किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

***15-श्री अखिलेश-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता सूची अन्तिम बार कब बनाई गई एवं उक्त योजना के अन्तर्गत वंचित एवं नये पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए अद्यतन पात्रता सूची बनावाये जाने के सम्बन्ध में

***16-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता सूची अन्तिम बार कब बनायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त तिथि से वर्तमान तक बड़ी संख्या में आवास विहीन लोगों की संख्या में वृद्धि हुयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत वंचित एवं नए पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए अद्यतन पात्रता सूची बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता सूची अंतिम बार वर्ष 2018-19 (आवास प्लस) में बनायी गयी थी।

छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अधीन है, जिसके सम्बन्ध में अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। पुनः सर्वेक्षण के निर्देश के बाद ही अवशेष पात्र लाभार्थियों की संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

वंचित एवं नए पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए अद्यतन पात्रता सूची बनाया जाना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय/निर्देश के अधीन है। इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक बच्चों की हत्या, गुमशुदगी, अपहरण और मुक्त कराये गये बच्चों के विवरण एवं बढ़ते अपराध को रोकने के सम्बन्ध में

***17-श्री जियाऊर्रहमान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक कितने बच्चों की हत्या हुई है, कितने बच्चों की गुमशुदगी और अपहरण हुआ है तथा उक्त में

कितने बच्चों को मुक्त कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार ने प्रदेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध की रोक-थाम के लिए कोई प्रभावशाली योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश स्तर पर बच्चों के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	हत्या	गुमशुदगी	अपहरण (भा0द0वि0 की धारा-363 से धारा-369 तक)	गुमशुदा तथा अपहरण किये गये बच्चों में से मुक्त/बरामद कराये गये
2021	171	1173	5776	5907
2022	145	1466	7059	7160
2023	169	1814	7579	7188

उपर्युक्तानुसार

जी हाँ, प्रदेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु किये गये मुख्य उपाय निम्नवत् हैं-

बाल अपराधों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में Anti Human Trafficking Unit की स्थापना की गयी है।

बच्चों के साथ किसी उत्पीड़न/अपराध रोकने हेतु किशोर न्याय अधिनियम (जे0जे0एक्ट-2015) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में SJPU (Special Juvenile Police Unit) का गठन किया गया है एवं सभी थानों पर CWPO (Child Welfare Police Officer) नियुक्त किये गये हैं।

गुमशुदा बच्चों हेतु "Track the missing Child Portal" पर मुख्यालय स्तर से अनवरत अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य, अनुसेवक के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

***18-डा0 पल्लवी पटेल-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य, अनुसेवक के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती गुलाब देवी)-

राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रधानाचार्य, अनुसेवक के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

शिक्षक-11094-(प्रवक्ता पुरुष-2540, महिला-1412, सहायक अध्यापक-4771, सहायक अध्यापिका-2371)

लाइब्रेरियन-11

प्रधानाचार्य-426

अनुसेवक-3132

जी हाँ।

शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है।

राजकीय इण्टर कालेजों में लाइब्रेरियन पदों हेतु नई नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली-1992 समूह 'ख' के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है एवं पदोन्नति के पदों पर मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-31192/एस0बी0/2017 में पारित आदेश दिनांक 14-07-2021 द्वारा चयन की कार्यवाही बाधित रही है।

अनुसेवक के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके क्रम में नीति निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में

***19-श्री अतुल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के निराकरण के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनसंख्या दबाव के कारण वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुये सुगम यातायात संचालन हेतु निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

लखनऊ शहर व प्रदेश के मुख्य महानगरों में जाम के निराकरण हेतु आई0टी0एम0एस0 की स्थापना की गयी है जिसके द्वारा मुख्य चौराहों/तिराहों पर यातायात का संचालन ट्रैफिक लाइट द्वारा किया जाता है तथा ट्रैफिक लाइटों के साथ लगे कैमरों की मदद से चौराहों/तिराहों पर चलने वाले यातायात पर नजर रखी जाती है एवं यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के महानगरों के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्याओं के निवारण हेतु अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में यातायात निदेशालय द्वारा समय-समय पर प्रदेश के सभी जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रत्येक माह नियमित रूप से कार्यवाही कराई की जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के मार्गों पर लगने वाले यातायात जाम से जन सामान्य को निजात दिलाये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों को प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा यातायात जाम के विरुद्ध प्रत्येक माह नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के जनपदों में यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 887/छः-पु-2-2022-1100 (78)/2022टी0सी0, दिनांक 03-08-2022 के माध्यम से समस्त पुलिस आयुक्त/समस्त जिलाधिकारी/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं, तत्क्रम में यातायात निदेशालय के पत्र दिनांक 05-08-2022 के माध्यम से अवैध रूप से संचालित आटो/टैक्सी/बस स्टैण्ड के विरुद्ध प्रभावी पैरवी किये जाने एवं जनपद में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने हेतु कार्य योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन करने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 01-10-2023 से 15-10-2023 तक प्रदेश के जनपदों में अभियान चलाकर 146 अवैध टैक्सी स्टैण्ड चिन्हित कर उनका संचालन बन्द कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 89677 वाहनों का चालान किया गया तथा 51176 वाहनों को सीज किये जाने की कार्यवाही की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त जाम की स्थिति के निराकरण हेतु यातायात निदेशालय के पत्र दिनांक 07-08-2023 द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार कर प्रदेश के कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों को निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश नजूल सम्पति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम, 2020 को लागू करने के सम्बन्ध में

***20-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम, 2020 को सरकार लागू करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम, 2020 लागू किया जाना विचाराधीन नहीं है अपितु उ0प्र0 सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) विधेयक, 2020 के प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों के क्रम में पत्र संख्या-अ0मु0स0-399(1)/एक-1-2023-रा0-1, दिनांक-13-12-2023 द्वारा प्रश्नगत विधेयक में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन हेतु मा0 राज्य विधि आयोग, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद तथा बी0के0टी0 में हरिद्वार और अयोध्या की भांति चन्द्रिका देवी की पैड़ी के निर्माण के सम्बन्ध में

1-श्रीमती जय देवी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद तथा बी0के0टी0 के संयुक्त क्षेत्र से जुड़ा कठवारा में चंद्रिका देवी के गोमती नदी तट पर हरिद्वार और अयोध्या की भांति चंद्रिका देवी की पैड़ी का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत घाटों के निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सम्प्रति घाटों के निर्माण पर नहीं, बल्कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्ट पर वरीयता दी जा रही है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पास घाटों के निर्माण हेतु पृथक से बजटीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

2-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में वर्ष 2021-22 के विधान सभा चुनाव में अचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कतिपय कर्मचारियों/अध्यापकों के सस्पेंशन के विवरण के सम्बन्ध में

3-श्री संदीप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 के विधान सभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के कतिपय कर्मचारियों/अध्यापकों का सस्पेंशन किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

16 अध्यापकों तथा 01 कर्मचारी का निलम्बन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत और विवरण के सम्बन्ध में

4-श्री महेन्द्र नाथ यादव

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में खुदाई से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं ? यदि हाँ, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जाने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु जहाँ-जहाँ पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उन क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनर्स्थापित किये जाने का प्राविधान कार्यदायी एजेन्सी के अनुबन्ध में है। कार्य पूर्ण होते ही सड़कों की पूर्व जैसी स्थिति तक मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंद कुंद जैन स्नात्कोत्तर महाविद्यालय खतौली, मुजफ्फरनगर की चयन समिति द्वारा प्रवक्ता पद पर की गयी अवैध तदर्थ नियुक्ति एवं विनियमितीकरण की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

5-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 सं0 60000220208907 तथा 6000030116338 जो कि डॉ0 यदूवीर सिंह, प्रवक्ता

(अर्थशास्त्र) मेरठ कालेज की कुंद कुंद जैन स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, खतौली, मुजफ्फरनगर की चयन समिति द्वारा प्रवक्ता पद पर की गयी अवैध तदर्थ नियुक्ति एवं विनियमितीकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी हाँ।

आईजीआरएस सं0 60000220208907 तथा 6000030116338 के सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(विनि0)/74/2023-24, दिनांक 20-07-2023 द्वारा निस्तारण विषयक आख्या आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसके अनुसार उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा-31सी के प्राविधानों के अनुसार गठित समिति द्वारा डॉ0 यदुवीर सिंह के विनियमितीकरण की संस्तुति नियमानुसार की गयी थी। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में डी0 फार्मा के कॉउन्सिलिंग में कम बच्चों की उपस्थिति की स्थिति को देखते हुए अग्रिम प्रवेश लिए जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डी0 फार्मा के लगभग 400 नये विद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गयी है जो कॉउन्सिलिंग द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत ही बच्चों का प्रवेश हो पाया है ? क्या सरकार कॉउन्सिलिंग में कम बच्चों की उपस्थिति की स्थिति को देखते हुए अग्रिम प्रवेश लिए जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने की कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-58/2023/आई/339282/2023/16-3099/12/2019, दिनांक 26-06-2023 के प्रस्तर-9(xvi) के प्राविधानानुसार प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0/फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को कॉउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम मान्य नहीं है।

प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, महिला अपराध आदि की रोकथाम के सम्बन्ध में

7-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, महिला अपराध आदि की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ एवं पारदर्शी होने के साथ ही लूट, हत्या, चोरी, महिला अपराध आदि की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत इसे और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आम-जनमानस में सुरक्षा की भावना में अत्याधिक वृद्धि हुयी है। प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया है, जहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जनसुनवाई व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश स्तर पर 68 माफियाओं को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। विभिन्न माफियाओं जैसे आपराधिक माफिया, भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ-तस्कर आदि के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करायी जा रही है।

महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो/फुट पेट्रोलिंग/महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल/बैंक चेकिग/कैदियों की वैन/अवैध शराब/अवैध टैक्सी, बस, आटो स्टैण्ड के विरुद्ध/संदिग्ध वाहनों हेतु प्रभावी रूप से अभियान चला कर कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक पृष्ठभूमि के अधिकांश अपराधी विभिन्न कारागारों में निरुद्ध हैं। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द उच्च कोटि का है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश में एक भी वृहद् साम्प्रदायिक या जातीय दंगा नहीं हुआ है।

प्रदेश के समस्त जनपदों/कमिश्नरेट में नियमित रूप से महत्वपूर्ण स्थानों, बाजार तथा भीड़-भाड़ के स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। समस्त जनपदों में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं भयमुक्त वातावरण बनाये रखने हेतु प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/कमिश्नरेट/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारियों को समय समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्यालय स्तर से कार्य योजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-45/2020, दिनांक 24-12-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।

बीट व्यवस्था प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-01/2020 दिनांक 03-01-2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 29-04-2022 को जारी दिशा-निर्देशों का भली प्रकार अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रदेश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने हेतु निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना में निरन्तर वृद्धि हो रही है साथ ही थाना दिवस/समाधान दिवस को और अधिक प्रभावशाली ढंग से आयोजित कर जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके सामाजिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गयी है। प्रमुख रूप से एण्टी रोमियो स्क्वॉड का गठन, संवेदनशील स्थानों व स्कूल कालेज पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस टीम द्वारा सादे वस्त्रों में चेकिंग किया जाना, वीमेन पॉवर लाइन 1090 योजना, यू0पी0-112 इण्डिया मोबाइल एप, रात्रि के दौरान सुरक्षा कवच योजना, महिला हेल्प डेस्क, ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना, महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल आदि योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में यू0पी0-112 का रिस्पॉन्स टाइम भी बेहतर हुआ है, जो मार्च, 2017 में लगभग 38 मिनट था वर्तमान में लगभग 10.01 मिनट है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं एवं बालिकाओं में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास व सुरक्षा की भावना में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

प्रदेश के समस्त जनपदीय अधिकारियों को जन-समस्याओं का तत्परता से निराकरण किये जाने हेतु अपने-अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं तथा अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के सम्बन्ध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर से अनवरत् मानीटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग व बैठक तथा अन्य माध्यम से निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है कि बिना किसी भेद-भाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने की परिकल्पना को धरातल पर स्थापित करने की दिशा में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्तर से मुख्य रूप से परिपत्र संख्या-07/2022, दिनांक 11-04-2022, परिपत्र संख्या-19/2022, दिनांक 27-06-2022, परिपत्र संख्या-22/2023, दिनांक 17-06-2023 के माध्यम से प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का पूर्ण सतर्कता के साथ सम्यक् अनुपालन/क्रियान्वयन हर स्तर पर पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता सहित सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिए गये हैं।

प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन (लखनऊ/गोरखपुर/बदायूँ) का गठन किया जा रहा है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विभिन्न प्रकार के विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के

लिए 'मिशन शक्ति' के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत 1090, 112 व 181 (महिला हेल्प लाइन) पर तथा एन्टी रोमियो स्क्वॉड द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखे जाने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही निरन्तर की जा रही है, जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक जिले में विशेष साइबर अपराध थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में

8-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते आधुनिक/साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष साइबर अपराध थाना स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 की अधिसूचना दिनांक 31-03-2016, दिनांक 06-02-2020 तथा अधिसूचना दिनांक 14-12-2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में किसानों को सिंचाई के लिए ग्राम खितौली, गुढ़ा, फतेहपुर, नसीरपुर में नए राजकीय नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में

9-श्री सर्वेश सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए ग्राम खितौली, गुढ़ा, फतेहपुर, नसीरपुर में नए राजकीय नलकूप की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं। 'भू-गर्भ जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट-2020' के अनुसार विकास खण्ड-मदनपुर सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण उक्त विकास खण्ड में नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ग्राम अलीपुर से बालादीन की ठार तक लम्बाई लगभग 800 मी0 मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

10-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ग्राम अलीपुर से बालादीन की ठार तक लम्बाई लगभग 800 मीटर मार्ग कच्चा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 630 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा है। उक्त मार्ग पर लेपन कार्य की अनुमानित लागत रु0 40.95 लाख है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है, जिसमें उक्त निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ग्राम पिड़सरा से पिड़सरा ठार तक लम्बाई लगभग 700 मीटर मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

11-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ग्राम पिड़सरा से पिड़सरा ठार तक लम्बाई लगभग 700 मीटर मार्ग कच्चा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 650 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा है। उक्त मार्ग के लेपन कार्य की अनुमानित लागत रु0 42.25 लाख है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है, जिसमें उक्त निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम नगला हिमायूँ में संजीव के मकान से नदिया तक नाले के निर्माण के सम्बन्ध में

12-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम नगला हिमायूं में संजीव के मकान से नदिया तक लम्बाई लगभग 500 मी0 नाले का निर्माण न होने से उक्त ग्राम सभा में पानी का निकास न

होने के कारण जलभराव बना रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में नाले का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 750 मी0 है। उक्त नालों के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु0 41.25 लाख है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है, जिसमें उक्त निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त कार्य के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भाँति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के आदेश संख्या-2257/5-6-11-1082/87, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के प्राविधानानुसार कैशलेस चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के अनुसार 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार नहीं हैं तथा 'निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी' के अनुसार समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के वर्ष 2014 व उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को भी 10 लाख रुपए का सामूहिक बीमा का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के वर्ष 2014 व उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को भी 10 लाख रुपए का सामूहिक बीमा का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2014 व उसके पश्चात् हुई है, को सामूहिक बीमा का लाभ दिनांक 31 मार्च, 2014 से प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश के जिला पंचायत विभागों में खनिज परिवहन शुल्क वसूली के नीति निर्धारण के विवरण के सम्बन्ध में

15-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पंचायत विभागों में खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद महोबा में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग अथवा अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर किस-किस रूप में खनिज परिवहन शुल्क की वसूली की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश संख्या-9021, दिनांक 4/18, जनवरी, 2020 एवं संशोधित उपविधि खनन परिवहन शुल्क सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 मार्च, 2023 के प्रकाशन के उपरान्त प्रचलित/प्रभावी है।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-142 एवं 143 सपठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, महोबा द्वारा जनपद महोबा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट के बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों, गिट्टी, कोयला, बजरी भस्सी, खारों से निकलने वाले मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर, टाली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्फर, पशु

गाड़ी या मानव चालित नौका से खनिज परिवहन शुल्क की वसूली विहित उपविधि अनुसार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असेवित ब्लाकों में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज तथा राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

16-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने असेवित ब्लाक हैं, जहाँ राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज तथा राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं ? क्या सरकार असेवित ब्लाकों में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज तथा राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में 316 विकास खण्ड हैं, जहां राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0, के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहाँ पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) योजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज से असेवित विकास खण्ड को सेवित करने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में लगातार गिर रहे वाटर लेवल के निवारण एवं जनपद फिरोजाबाद में लगातार गिर रहे वाटर लेवल के रोकथाम हेतु ग्राम करौल नगरिया के पास यमुना नदी के ऊपर बैराज बनाने के सम्बन्ध में

17-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार गिर रहे वाटर लेवल के रोकथाम हेतु कोई उपाय किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में लगातार गिर रहे वाटर लेवल के रोकथाम हेतु ग्राम करौल नगरिया के पास यमुना नदी के ऊपर बैराज बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को रोकने एवं भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019' प्रख्यापित है।

उक्त अधिनियम के अनुसार समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं निजी क्षेत्रों के 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक के भवनों को आच्छादित करते हुए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना है।

प्रदेश के 10 जनपदों यथा-चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, झाँसी, मुजफ्फरनगर, शामली, ललितपुर, महोबा, बागपत एवं मेरठ में 'अटल भू-जल योजना' लागू है। अटल भू-जल योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य यथा-चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढबन्धी, रूफटॉप, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि शामिल हैं।

जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत 'कैच द रेन' की मुहिम चलाई गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

जी नहीं।

बैराज का निर्माण सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति हेतु किया जाता है।

प्रदेश के असेवित ब्लाकों में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में

18-श्रीमती आराधाना मिश्रा 'मोना'-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने असेवित ब्लाक हैं, जहाँ पर राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश के असेवित ब्लाकों में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रदेश में 60 असेवित ब्लाक हैं। जहां कोई भी महिला महाविद्यालय संचालित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के असकरनपुर मंगरोहनी में वर्ष 2015-2020 तक में कराये गये कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

19-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के असकरनपुर मंगरोहनी में वर्ष 2015-2020 तक खड़न्जा, तालाब की खुदाई, स्ट्रीट लाइट आदि कार्यों में व्यापक तौर पर अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवधि में कराये गये कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी नगर पालिका परिषद, मंझनपुर में समाहित हो गयी है। तत्समय कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड देवबन्द अन्तर्गत ग्राम मकबरा से देवबन्द-बीबीपुर लिंक मार्ग तक का खड़न्जा और नाली निर्माण के सम्बन्ध में

20-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड क्षेत्र देवबन्द अन्तर्गत ग्राम मकबरा से देवबन्द-बीबीपुर लिंक मार्ग तक का चकमार्ग कच्चा है, जिस पर वर्षाकाल में पानी भर जाता है ? क्या सरकार उक्त चकमार्ग पर खड़न्जा निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-सहारनपुर के विकास खण्ड क्षेत्र देवबन्द के अन्तर्गत ग्राम मकबरा से देवबन्द-बीबीपुर लिंक मार्ग तक खड़न्जा कार्य का प्रस्ताव सं0-14(32), जिला पंचायत, सहारनपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 05-01-2024 में सदन द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना सहित प्रदेश में बनकर तैयार हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट भवनों में आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में

21-श्री नाहिद हसन-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना सहित प्रदेश में कितने ऐसे हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं, जिनके भवन बनकर तैयार हैं, परन्तु वर्तमान तक उनमें शिक्षण कार्य शुरू नहीं हो पाया है ? क्या सरकार

उक्त कालेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू करायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कितने हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या की तुलना में कम है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना सहित प्रदेश में कुल 163 हाई स्कूल एवं इण्टरमीएिट कालेज के भवन बनकर तैयार हैं। उक्त सभी विद्यालयों में सत्र, 2022-23 एवं 2023-24 से शिक्षण कार्य संचालित है।

सभी विद्यालयों में सत्र, 2022-23 एवं 2023-24 से शिक्षण कार्य संचालित है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में 05 राजकीय हाई स्कूल एवं 07 इण्टरमीडिएट विद्यालय संचालित हैं। सभी विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षक कार्यरत है।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोदा के ग्राम कांथा के अन्तर्गत मोहल्ला रमना में निर्मित अवैध शौचालय और आवास के सम्बन्ध में

22-श्री राम अचल राजभर-

द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-61 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम कांथा के अन्तर्गत मोहल्ला रमना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्रीमती फूलकली की निजी भूमि खसरा संख्या-2288 एवं 2292 पर अवैध शौचालय निर्माण का सिविल कोर्ट में लम्बित प्रकरण बुद्धिलाल (पत्नी किरन) के नाम निर्मित अवैध आवास (प्रधानमंत्री आवास) से है या मृतक छोटेलाल के नाम से अवैध रूप से निर्मित शौचालय से है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त मृतक छोटेलाल के नाम से निर्मित अवैध शौचालय से सम्बन्धित प्रकरण/वाद किस सिविल कोर्ट में लम्बित है, उसका वाद संख्या क्या है और अग्रिम नियत तिथि क्या है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम कांथा ब्लाक असोहा तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी की खाता संख्या-2151 की गाटा सं0-2292/0-076 हे0 व गाटा सं0-2288/0.5820 पर श्रीमती फूलकली पत्नी फूलचन्द्र, नि0 रानीखेड़ा म0 सरांय शहजादी, परगना बिजनौर लखनऊ के नाम सन्दर्भित भूमि दर्ज कागजात है। उक्त भूमि को फूलकली पत्नी फूलचन्द्र द्वारा बैनामे से प्राप्त की

गयी है। उक्त गाटा संख्या-2292/0.076 हे0 व 2288/0.5820 हे0 पर पूर्व से 06 घर बने हैं व 03 घर खण्डहर के रूप में हैं। गाटा सं0-2288 पर ही मृतक छोटेलाल का शौचालय बना हुआ है।

उक्त सन्दर्भित भूमि ग्राम कांथा, परगना असोहा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की गाटा संख्या-2292 व 2288 पर दीवानी वाद संख्या-239/2017 मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) पुरवा उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दीवानी वाद में अग्रिम सुनवाई तिथि 26-02-2024 नियत है।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा में शौचालय निर्माण एवं विकास सम्बन्धी कार्यों में की गयी अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

23-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक शौचालय निर्माण एवं विकास सम्बन्धी आदि कार्यों में की गयी अनियमितताओं के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा अपने कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के पत्रांक : 4855/पंचा0/सा0सहा0-1/वसूली आदेश/2020-21, दिनांक 23-03-2021 द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं वसूली किये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित किया गया था ? यदि हाँ, तो दिनांक 23-03-2021 को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा जारी उक्त आदेश के अनुपालन में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में दोषियों से सरकारी धनराशि की पूर्ण वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-03-2021 के क्रम में तहसीलदार पुरवा, उन्नाव के कार्यालय पत्र दिनांक 06-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधान श्रीमती गीता त्रिपाठी पत्नी सुधीर कुमार त्रिपाठी, निवासी ग्राम कांथा वर्तमान समय में अंकित पते पर निवास नहीं करती हैं। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 31-01-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती गीता त्रिपाठी के नाम वर्तमान खतौनी वर्ष में कोई सम्पत्ति दर्ज नहीं है, जिस कारण अपहरित धनराशि की वसूली किया जाना सम्भव नहीं है।

सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र दिनांक 07-07-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सुरेश कुमार सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से मु0 96.00 हजार रुपये की धनराशि की वसूली की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में कराये गये कार्यों की संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा किए जा रहे जांच में स्थलीय ग्राम सचिवों द्वारा सहयोग न किए जाने के सम्बन्ध में

24-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2016-2021 तक कराये गये विकास कार्यों की संयुक्त जाँच कमेटी (दिनांक 23-12-2020) द्वारा जाँच किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम सचिवों को व्यय सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने का दोषी पाया गया था ? क्या यह सही है कि मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड असोहा को सरकारी अभिलेख सम्बन्धित जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने अन्यथा सरकारी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हाँ, तो कतिपय ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा 11.77 लाख रु0 तथा 33.67 लाख रु0 व्यय से सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों/पत्रावलियों को कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सरकार द्वारा नामित संयुक्त जांच कमेटी को दिनांक 24-02-2023 को दूसरी बार स्थलीय जांच तक उपलब्ध न कराने वाले दोषी उक्त ग्राम सचिवों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हाँ, तो किन धाराओं में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड, असोहा के कार्यालय पत्र दिनांक 04-02-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजदेव सिंह, पत्रवाहक द्वारा ग्राम पंचायत, कांथा के अभिलेख गायब कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायत, कांथा के तत्कालीन सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा श्री राजदेव सिंह, पत्रवाहक, विकास खण्ड, असोहा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को गायब करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थानाध्यक्ष, थाना असोहा को तहरीर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईंगंज के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर में दयाराम के आवास से पक्का नाला तक नाली निर्माण के सम्बन्ध में

25-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर में दयाराम के आवास से पक्का नाला तक नाली का निर्माण नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाले गन्दे पानी से सड़क पर जलभराव बना रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त कार्य मनरेगा कार्य योजना के अन्तर्गत अवधराम के घर से हरिकेश के घर के पास तक पक्की नाली निर्माण के नाम से शामिल है। उपरोक्त दोनों कार्य एक ही हैं। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते हुये प्राथमिकता पर उक्त नाली का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा में मृतक छोटेलाल के नाम सरकारी धन आवंटित करने और उसके गलत इस्तेमाल के सम्बन्ध में

26-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-11-2023 का पत्र, जोकि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा के मोहल्ला रमना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 07 वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुके मृतक छोटेलाल के नाम सरकारी धनराशि आवंटित कर शासनादेशों को दर किनार करते हुए श्रीमती फूलकली की निजी भूमि खसरा सं0-2288, 2292 पर मृतक छोटेलाल के नाम पर जबरन अवैध शौचालय का निर्माण कराने में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विधिक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत कांथा, मजरा रमना, विकास खण्ड असोहा में वित्तीय वर्ष 2017-18 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा के ग्राम निधि-6 में व्यक्तिगत

शौचालय निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा मृतक छोटेलाल के नाम से शौचालय का निर्माण कराया गया है।

मृतक छोटेलाल को गलत तरीके से शौचालय आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1-तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत कांथा से शौचालय निर्माण की धनराशि मु0-12000/- दिनांक 22-01-2021 को जिला स्वच्छता मिशन-उन्नाव के खाते में जमा करवाते हुए मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव के कार्यालय के पत्र संख्या-4068/दिनांक 02-02-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुशासनिक कार्यवाही कर दी गयी है।

2-तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) वि0ख0 असोहा को पत्र संख्या-2618, दिनांक 13-09-2019 के द्वारा कठोर भर्त्सना करते हुए विशेष मध्यावधिक प्रतिकूल प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की गयी है।

3-तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को भ्रामक सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23-06-2021 के द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उच्च शिक्षा/बैचलर ऑफ ऐजुकेशन एवं उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा हेतु जनपद गोण्डा पुलिस विभाग में तैनात कान्स्टेबलों को अनुमति एवं उसके विवरण के सम्बन्ध में

27-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उच्च शिक्षा/बैचलर ऑफ ऐजुकेशन एवं उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा हेतु जनपद गोण्डा पुलिस विभाग में तैनात कितने कान्स्टेबलों को अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा में नियुक्त 14 कान्स्टेबलों द्वारा उच्च शिक्षा/बैचलर ऑफ ऐजुकेशन हेतु एवं 06 कान्स्टेबलों द्वारा टेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार प्राप्त सभी 20 आवेदकों को उच्च शिक्षा/बैचलर ऑफ ऐजुकेशन एवं टेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार। (सूची संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव में स्थित रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय, चमरौली, उन्नाव में वर्ष 2021 में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण एवं अध्ययनरत् छात्रों के विवरण के सम्बन्ध में

28-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव में स्थित रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय, चमरौली, उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बी0एड0 (बैचलर ऑफ ऐजुकेशन) के कितने छात्र अध्ययनरत् थे, उक्त अध्ययनरत् छात्रों द्वारा वर्ष 2021 में किस शिक्षण संस्थान में बी0एड0 (बैचलर ऑफ ऐजुकेशन) की परीक्षा दी गयी, उनमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए तथा कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी शशांक रावत रो0 नं0 0436789 द्वारा नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत् होकर बी0एड0 की परीक्षा दी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राम समुझ गुरुकुल महाविद्यालय, चमरौली, उन्नाव शिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण सभी अध्ययनरत् छात्रों को बी0एड0 (बैचलर ऑफ ऐजुकेशन) की डिग्री/अंकतालिका प्रदान कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय, चमरौली, उन्नाव में वर्ष 2020-21 में बी0एड0 प्रथम वर्ष में 75 तथा बी0एड0 द्वितीय वर्ष में 46 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत् थे।

सत्र, 2020-21 में बी0एड0 प्रथम वर्ष कोविड-19 के कारण परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी गयी।

बी0एड0 द्वितीय वर्ष के पुरुष छात्रों की परीक्षाएं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कैम्पस, कानपुर के अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान में सम्पन्न करायी गयी तथा छात्राओं की परीक्षाएं डी0एस0एन0, पी0जी0 कालेज, उन्नाव में सम्पन्न करायी गयी ।

सत्र, 2020-21 में बी0एड0 प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राएं कोविड-19 के कारण प्रोन्नत किये गये।

सत्र, 2020-21 में बी0एड0 द्वितीय वर्ष के 44 छात्र/छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा 02 छात्रों का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण रहा।

वर्ष 2020-21 में उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी शशांक रावत अनुक्रमांक-0436789 द्वारा नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत् होकर परीक्षा दी गयी थी, जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

---

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-329 पर।

वर्ष 2021 में डिग्री हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् छात्र/छात्राओं की डिग्री स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके निवास के पते पर प्रेषित की जाती है ।

रामसमुझ गुरुकुल महाविद्यालय चमरौली, उन्नाव के वर्ष 2021 बी0एड0 पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण सभी छात्र/छात्राओं की अंकतालिकाएं निर्गत की जा चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार।

रमेश चन्द्र बिन्द सांसद, लोक सभा का पत्र दिनांक 18-04-2023 जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना पारा में दर्ज मुकदमें की विवेचना उच्च अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र बिन्द, सांसद, लोक सभा का पत्र दिनांक 18-04-2023 (पंजीकृत आई0जी0आर0एस0 सं0-18157230066088) (अन्तरित), जो कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना पारा में दर्ज अपराध संख्या 0411/2022, धारा-498ए 323, 504, 506 भा0द0स0 एवं 3/4 डी0पी0ए0 मुकदमे की निष्पक्ष विवेचना उच्च अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वादिनी पूनम रावत पुत्री रामलखन रावत, निवासी-555 ख/26 पुरैयाखेड़ा डिप्टीखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ की तहरीर के आधार पर 1-मयंक वर्मा पुत्र स्व0 अवधेश कुमार, 2-सरोज पत्नी स्व0 अवधेश कुमार, 3-प्रीती पुत्री स्व0 अवधेश कुमार, 4-शशांक रावत पुत्र स्व0 अवधेश कुमार, निवासीगण गिरजाबाग, उन्नाव, 5-कन्हैया लाल, 6-अनुराग वर्मा, 7-भावना शर्मा पुत्री मनोज कुमार शर्मा, निवासी जद्दारी, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध दिनांक 29-08-2022 को थाना पारा, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0-411/2022, धारा-498ए/323/504/506 भादवि एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण 1-प्रीती पुत्री स्व0 अवधेश कुमार, 2-शशांक रावत पुत्र स्व0 अवधेश कुमार, निवासीगण गिरजाबाग, उन्नाव, 3-कन्हैया लाल, 4-अनुराग वर्मा, 5-भावना शर्मा पुत्री मनोज कुमार शर्मा, निवासी जद्दारी, थाना टप्पल, अलीगढ़ की नामजदगी साक्ष्य के अभाव में विवेचना से पृथक किया गया व नामजद अभियुक्तगण 1-मयंक वर्मा पुत्र

स्व0 अवधेश कुमार, 2-सरोज पत्नी स्व0 अवधेश कुमार के विरुद्ध दिनांक 01-04-2023 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयी बाढ़ के कारण किसानों की फसलों का नुकसान व मुआवजा एवं उसके विवरण के सम्बन्ध में

30-श्री चंदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष-2023 में प्रदेश में आयी बाढ़ के कारण कितने किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त किसानों को मुआवजा किस शासनादेश के तहत दिया जाता है ? क्या सरकार उक्त शासनादेश का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2023 में प्रदेश में आयी बाढ़ के कारण कुल 120761 कृषकों की फसलों का नुकसान हुआ है। प्रभावित कृषकों को भारत सरकार के शासनादेश संख्या-33-03/2020-एन-डी-एम-1, दिनांक 11-07-2023 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है।

जी हाँ।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों में घायल एवं मृत व्यक्तियों को मिलने वाले मुआवजा राशि के विवरण के सम्बन्ध में

31-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवर तेन्दुआ/बाघ के हमलों से दिनांक 18-12-2023 तक कितने लोगों की जान गई एवं जंगली जानवरों के हमलों से घायल/मृत व्यक्ति को कितनी मुआवजा राशि वर्तमान में दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में जंगली जानवर तेन्दुआ/बाघ के हमलों से दिनांक 18-12-2023 तक कुल 66 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जंगली जानवरों के हमलों से घायल/मृत व्यक्ति को मुआवजा राशि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं0-संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11-07-2023 के आधार पर वर्तमान में रु0 4.00 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया

जाता है तथा रु0 1.00 लाख वन विभाग द्वारा अपने विभागीय मद से दिया जाता है, उक्त का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	मद	क्षति का प्रकार	निर्धारित सहायता राशि
1	अहेतुक सहायता	जनहानि	4.00 लाख
		अपंगता 40 से 60 प्रतिशत	74000
		अपंगता 60 प्रतिशत से अधिक	2.50 लाख
2	घायल	01 सप्ताह से अधिक अवधि के लिये अस्पताल में भर्ती होने पर	16000
		01 सप्ताह से कम अवधि के लिये अस्पताल में भर्ती होने पर	5400

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2023 में डायल 112 में खरीदी गई गाड़ियां एवं निष्प्रयोज्य की गई गाड़ियों के विवरण के सम्बन्ध में

32-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में डायल 112 की कितनी नई गाड़ियां खरीदी गईं तथा कितनी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने समय बाद गाड़ियों को निष्प्रयोज्य किया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में वर्ष 2023 में यूपी-112 (डायल-112) के लिए 920 स्कार्पियों व 400 बजाज पल्सर (दो पहिया) खरीदी गयी हैं तथा 261 चार पहिया व 122 दोपहिया वाहनों को निष्प्रयोज्य किया गया है।

1-चार पहिया हल्के वाहनों को न्यूनतम 10 वर्ष या 1.75 लाख कि0मी0 चलने के उपरान्त निष्प्रयोज्य किये जाने की व्यवस्था है।

2-दो पहिया वाहनों को न्यूनतम 05 वर्ष या 01 लाख कि0मी0 चलने के उपरान्त निष्प्रयोज्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के गोपालपुर व शिवाल मठिया में घाघरा नदी के कटान से एवं बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए रिंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में

33-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के गोपालपुर (टाडी) व शिवाल मठिया में घाघरा नदी के कटान से ग्रामवासियों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए रिंग बांध का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के गोपालपुर (टाडी) व शिवाल मठिया घाघरा नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। डूब क्षेत्र में रिंग बांध का निर्माण कराना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी की भीषण कटान से भुआल छपरा, नौरंगा चक्की भगवानपुर आदि गांव को विलुप्त होने के खतरे से बचाने के निराकरण के सम्बन्ध में

34-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी की भीषण कटान से भुआल छपरा, नौरंगा, चक्की भगवानपुर आदि गांव को गंगा में विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ? क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु स्थाई परियोजना बनाकर बाढ़ से बचाव कार्य कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दूसरे किनारे (बिहार बार्डर) पर स्थित भुआल छपरा, नौरंगा, चक्की भगवानपुर आदि गांव नदी के डूब क्षेत्र में स्थित हैं। नदी का जल स्तर बढ़ने से पानी फैलता है तथा जल स्तर कम होने पर स्वतः नदी में चला जाता है। डूब क्षेत्र में बाढ़ बचाव हेतु निर्माण कार्य कराना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद कुशीनगर में जनवरी, 2002 से 17 दिसम्बर, 2023 तक कुल चोरी की घटनाओं के सापेक्ष माल बरामदगी एवं कितने मामलों में इनको सी0डी0 (केस डायरी) में दर्ज कराया गया, उक्त के विवरण की जानकारी

35-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जनवरी, 2022 से 17 दिसम्बर, 2023 तक ऐसी कितनी चोरी की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें रुपये एक लाख से अधिक मूल्य का सामान/नकदी चोरी हुआ है ? क्या सरकार ये भी बताएगी कि उक्त चोरियों में कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ है एवं कितने खुलासे के मामलों में चोरी की सामग्री बरामद कराई गयी तथा चोरी किए गये माल के सापेक्ष कितने मूल्य का माल बरामद हो सका एवं कितने मामलों में इनको सी0 डी0 (केस डायरी) में दर्ज कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद-कुशीनगर में माह जनवरी, 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक रुपये एक लाख से अधिक मूल्य का सामान/नकदी चोरी की कुल 53 घटनाएं घटित हुईं।

उक्त अवधि में चोरी की कुल 53 घटनाओं के सापेक्ष 33 घटनाओं का खुलासा किया गया, जिसमें चोरी गये माल की कीमत लगभग रु0 16605300/- के सापेक्ष रु0 10189500/-की बरामदगी की गयी है। सभी मामलों को सी0डी0 (केस डायरी) में दर्ज कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच में पिछड़ी जाति एवं अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने के सम्बन्ध में

36-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच के उपरान्त पिछड़ी जाति एवं अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न्यायालय द्वारा तत्काल प्रभाव से नियुक्ति देने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

तदैव।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकरनगर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त निधि से 10 प्रतिशत धनराशि गौशाला के भूसा के लिए काटा जा रहा, उक्त कटौती को बन्द करने के सम्बन्ध में

37-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त निधि से 10 प्रतिशत धनराशि गौशाला के भूसा के लिए काटा जा रहा है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कटौती को बन्द करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला अम्बेडकरनगर में प्रत्येक ग्राम पंचायत के राज्य वित्त निधि से 10 प्रतिशत गौशाला के भूसा के लिए धनराशि की कटौती नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-16 (ए) में यह व्यावस्था है कि 'ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हैं जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दें।' के क्रम में निर्गत अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या-1347/33-1/2022, दिनांक 03-08-2022 एवं शासनादेश संख्या-1610/सैंतीस-2-2022-5(53)/18 टी0सी0-4, दिनांक 25-08-2022 के क्रम में जिन ग्राम पंचायतों में गौ-आश्रय स्थल स्थापित हैं, उन ग्राम पंचायतों को अन्य ग्राम पंचायतों से 10 प्रतिशत की धनराशि पूलिंग की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री अनिल कुमार-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव बसेड़ा में वरला बसेड़ा रोड से सत्यवीर सिंह के खेत तक सी0सी0 मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में

39-श्री अनिल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव बसेड़ा में बरला बसेड़ा रोड (किसान धर्मकांटे के

सामने) से सत्यवीर सिंह के खेत तक खड़न्जा क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 400 मी0 है, जिस पर खड़न्जा लगा हुआ है। उक्त मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने की अनुमानित लागत रु0 31,50,000.00 है। उक्त निर्माण कार्य का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद झांसी के तहसील गरौठा के अन्तर्गत कडूरा माइनर की पट्टी को ग्राम वसोवई के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

40-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के तहसील गरौठा के अन्तर्गत कडूरा माइनर की पट्टी को ग्राम वसोवई, थाना मोंठ के दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-154915, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गौचर/चारागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त करवाकर मेड़बन्दी के सम्बन्ध में

41-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गौचर/चारागाह हेतु कौन-कौन सी एवं कितने-कितने रकबे की भूमि आरक्षित है ? क्या यह सही है कि आरक्षित चारागाह की कतिपय भूमि पर दबंगों का कब्जा है तथा कतिपय भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण करा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त गौचर/चारागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त करवा कर मेड़बन्दी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गाटा संख्या-25/1.632, 155/0.917, 1619/0.072, 2038/0.506, 2960/1.265, 543/0.759, 3576/0.184 1863/0.762 आरक्षित है।

चारागाह हेतु आरिक्षत उक्त भूमियों पर दबंगों का कब्जा नहीं पाया गया तथा वृक्षारोपण हेतु शासन द्वारा निर्धारित स्थल चयन की सामान्य नीति के अनुपालन में भूमि प्रबन्धक समिति त्रिपुरारपुर द्वारा गाटा संख्या-25/1.632 हे0 पशुचर भूमि पर चारा प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्ताव किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत पारादान नहर कोठी एवं जोनिहा नहर कोठी मार्ग के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

42-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत पारादान नहर कोठी एवं जोनिहा नहर कोठी जर्जर है ? क्या सरकार उक्त का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद फतेहपुर में पारादान नहर कोठी के जीर्णोद्धार हेतु शासनादेश दिनांक 23-01-2024 एवं जोनिहा नहर कोठी के जीर्णोद्धार हेतु शासनादेश दिनांक 19-01-2024 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर दी गयी हैं। वर्ष 2024-2025 में परियोजना पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2022 में उत्तीर्ण पी0ई0टी0 अभ्यर्थियों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

43-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कितने पी0ई0टी0 (प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा-2022) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है ? क्या सरकार उक्त विवरण को सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आयोग द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पी0ई0टी0 (प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022) का आयोजन दिनांक 15 व 16 अक्टूबर, 2022 को कराया गया था, जिसका परिणाम दिनांक 25-01-2023 को घोषित किया गया था।

अपितु प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के आधार पर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता और न ही उनका अन्तिम चयन करते हुए नियुक्ति प्रदान की जाती है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को उनके स्कोर के आधार पर आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्ट किया जाता है। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में उनके स्कोर एवं मेरिट के आधार पर तथा यथास्थिति सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली के अनुसार टंकण परीक्षा/शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा/चिकित्सीय परीक्षण/अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त किया जाता है। उक्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के परिणाम के आधार पर उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 10,139 पदों हेतु 10 विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं, जिन्हें मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाना है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नूरपुर कुतुबपुर में हरिशंकर एडवोकेट के द्वार से चन्द्रपाल के घर तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

44-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नूरपुर कुतुबपुर में हरिशंकर एडवोकेट के द्वार से चन्द्रपाल के घर तक की जर्जर सड़क का नवीनीकरण/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नूरपुर कुतुबपुर में हरिशंकर एडवोकेट के द्वार से चन्द्रपाल के घर तक सड़क की लम्बाई लगभग 800 मीटर तथा चौड़ाई 04 मीटर है। ग्राम पंचायत स्तर से इस सड़क पर मनरेगा से कच्चा कार्य कराया गया है और सड़क के किनारे नाली खुदाई का कार्य भी हुआ है। उक्त कार्य पर मु0 55.49 लाख रुपया व्यय होना अनुमानित है। ग्राम पंचायत की केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतिओं से वित्तीय

वर्ष में कुल रुपया 25.50 लाख धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें ग्राम प्रधान, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर एवं पंचायत सहायक के मानदेय पर लगभग 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त पेयजल एवं ऑपरेशन कायाकल्प पर धनराशि व्यय करने के उपरान्त इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त कार्य कराया जा सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के असकरनपुर मंगरोहनी में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक ग्राम प्रधान द्वारा की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में

45-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के असकरनपुर मंगरोहनी में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक प्रधान द्वारा व्यापक अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम प्रधान द्वारा की गई अनियमितता की जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी, नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर में समाहित हो गयी है। तत्समय कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवारा सांड़ों के हमलों से घायल एवं मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा सांड़ों के कारण दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-586/एक-11-2022-4(जी0)/2015, दिनांक 13-10-2022 द्वारा सांड़ के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। भारत सरकार के शासनादेश संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11 जुलाई,

2023 के क्रम में मृत व्यक्ति के आश्रितों को रु0 4.00 लाख की अहेतुक सहायता दिये जाने का प्राविधान है तथा रु0 01.00 लाख वन विभाग द्वारा अपने विभागीय मद से दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री अभय सिंह-

[02-मंगलवार हेतु स्थगित]

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के अन्तर्गत आने वाले ब्लॉक असमोली को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में

48-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के अन्तर्गत आने वाले ब्लॉक असमोली के ग्रामीणों की उनके सुदूर तहसील क्षेत्र सम्भल से सम्बद्ध होने की समस्या से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय असमोली को नई तहसील बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र असमोली के 43 राजस्व ग्राम तहसील चन्दौसी के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं। तहसील चन्दौसी के सीमान्त ग्राम पाठकपुर की दूरी 28 कि0मी0 व ग्राम सैरुआ की दूरी 30 कि0मी0 है, जबकि तहसील असमोली सृजित होने से इन राजस्व ग्रामों की तहसील मुख्यालय असमोली की दूरी 55 से 60 कि0मी0 हो जायेगी, जो कि भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

यदि विधान सभा क्षेत्रवार तहसील असमोली का गठन होता है, तो 06 राजस्व ग्रामों का कुछ भाग नगर पालिका परिषद्, सम्भल अर्थात् तहसील सम्भल में और शेष भाग तहसील असमोली में शामिल होगा यानि राजस्व ग्रामों का विभाजन हो जायेगा, जैसे राजस्व ग्राम घुंघावली (अन्दर चुंगी), कमालपुर सराय (अन्दर चुंगी), उस्मा सराय (अन्दर चुंगी), वाजिदपुर सराय (अन्दर चुंगी), मुजाहिदपुर सरास (अन्दर चुंगी) व बदायूं दरवाजा (अन्दर चुंगी) नगर पालिका परिषद, सम्भल अर्थात तहसील सम्भल में रहेगा और घुंघावली (बाहर चुंगी), कमालपुर सराय (बाहर चुंगी) उस्मा सराय (बाहर चुंगी), वाजिदपुर सराय (बाहर चुंगी), मुजाहिदपुर सरास (बाहर चुंगी), व बदायूं दरवाजा (बाहर चुंगी) राजस्व ग्रामों का शेष भाग नवसृजित तहसील असमोली में चला जायेगा। तहसील असमोली को सृजित किये जाने पर विकास खण्ड सम्भल व थाना नखासा आंशिक हो जायेगा। वर्तमान में जनपद सम्भल की तहसील सम्भल में 100 लेखपाल क्षेत्र हैं, जो कि राजस्व परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हैं। विधान सभा क्षेत्र असमोली को तहसील असमोली बनाये जाने पर तहसील सम्भल के लेखपाल क्षेत्र कम हो

जायेंगे, जो कि राजस्व परिषद् द्वारा तहसील के निर्धारित मानक के प्रतिकूल होगा। इस प्रकार जनपद सम्भल की विधान सभा क्षेत्र असमोली को एक नई तहसील बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के थानो में महिला शौचालय तथा महिला इंजरी रूम स्थापित करने की समय-सीमा तय करने के सम्बन्ध में

49-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने थानों में विगत पांच वर्षों में महिला शौचालय तथा कितने थानों में महिला इंजरी रूम स्थापित किए गए हैं ? क्या सरकार समस्त थानों में महिला शौचालय और महिला इंजरी रूम स्थापित करने की कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के 1244 पुलिस थानों पर महिला शौचालय के निर्माण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से 1191 पुलिस थानों पर महिला शौचालय के निर्माण हेतु रु0 68.26 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप 868 पुलिस थानों पर महिला शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 323 थानों पर निर्माण का कार्य प्रचलित है। शेष पुलिस थानों पर महिला शौचालय के निर्माण कराये जाने तथा प्रदेश के थानों में महिलाओं की इंजरी रूम/असेम्बली कम रिटायरिंग रूम के निर्माण हेतु मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्थल मां कैला देवी मंदिर क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में

50-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्थल मां कैला देवी मंदिर क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान की कमी से सरकार परिचित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में ग्राम कैला देवी मुजाहिदपुर में सरकारी महाविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत क्षेत्र से 15 कि0मी0 की परिधि में स्व0 जुगल किशोर महाविद्यालय गवा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थापित है, जिसमें बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0एड0 की कक्षाएं संचालित हैं। उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत एक अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

51-श्रीमती पिंकी सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद बलिया में विकास खण्डवार बन्द कुल ट्यूबवेल के विवरण सहित बन्द ट्यूबवेल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

52-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विकास खण्डवार कितने-कितने सरकारी ट्यूबवेल हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उसमें से किन-किन स्थानों के ट्यूबवेल वर्तमान में किन कारणों से बन्द हैं ? क्या सरकार किसान हित में बन्द ट्यूबवेलों को चालू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2023 के अनुसार जनपद बलिया में 868 राजकीय नलकूप संचालित हैं। विकास खण्डवार संचालित नलकूपों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	संचालित राजकीय नलकूपों की संख्या	क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	संचालित राजकीय नलकूपों की संख्या
1	दुबहड़	67	10	पन्दह	31
2	हनुमानगंज	67	11	बेरुआबारी	19
3	गड़वार	57	12	मनियर	45
4	सोहांव	56	13	नवानगर	40
5	बांसडीह	37	14	सीयर	60
6	बैरिया	34	15	रसड़ा	63
7	मुरलीछपरा	30	16	नगरा	82
8	बेलहरी	43	17	चिलकहर	74
9	रेवती	63		**योग :**	**868**

दिनांक 18-01-2024 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार जनपद बलिया में 11 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 08 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द हैं। सूची संलग्न† है।

जी हाँ।

यांत्रिक दोष से अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को निर्धारित अवधि में एवं विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को विद्युत विभाग से समन्वय करके सिंचाईरत कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के दोहरीघाट मुख्य नहर व उसकी सहायक नहरों में समय पर पानी न छोड़े जाने के सम्बन्ध में

53-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के दोहरीघाट मुख्य नहर व उसकी सहायक नहरों में समयबद्ध पानी न छोड़ने के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई न हो पाने से सूख जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दोहरीघाट नहर की सहायक नहरों में टेल तक पानी पहुँचा कर किसानों को फसलों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

चौधरी चरण सिंह दोहरीघाट नहर प्रणाली के अन्तर्गत जनपद बलिया में सिंचाई की मांग के सापेक्ष नहरों का संचालन समयबद्ध रोस्टर के अनुसार टेलों को फीड करके किसानों को सुचारु रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में कन्याओं की उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

54-श्री मोहन वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में कन्याओं की उच्च शिक्षा हेतु ब्लाक मोतीचक के पट्टन गाँव में डिग्री कॉलेज स्थापित (खोले) जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2023 पत्र संख्या-ख-7 नं0-130576, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-330 पर।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लॉक मोतीचक के पट्टन गाँव में डिग्री कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र में 02 राजकीय महाविद्यालय एवं 11 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय अर्थात् कुल 13 महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में एक अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक विद्यालय में चौकीदार/चपरासी की नियुक्ति के सम्बन्ध में

55-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चोरी की घटनाएं रोकने तथा रख-रखाव हेतु प्रत्येक विद्यालय पर चौकीदार/चपरासी की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षा कर्मी का पद सृजित नहीं है। परिषदीय विद्यालयों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस विभाग से निगरानी कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज मुख्यालय के निकट देवरिया बाजार में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में

56-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज मुख्यालय के निकट देवरिया बाजार में अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर में 05 तहसीलें हैं, जिनमें से 04 तहसीलों (अकबरपुर, टाण्डा, आलापुर एवं जलालपुर) पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित है। अवशेष 01 तहसील भीटी में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विकास खण्ड जहाँगीरगंज के देवरिया बाजार की अग्निशमन केन्द्र आलापुर से दूरी लगभग 25 कि0मी0 है और जनपद आजमगढ़ के अग्निशमन केन्द्र महराजगंज से दूरी लगभग 20 कि0मी0 है, जहाँ से अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश की अवशेष तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।

उपरोक्तानुसार।

जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के कैम्पस में मन्दिर के निर्माण से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री लालजी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के कैम्पस में मन्दिर का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी है ? यदि हाँ, तो किस अधिकारी से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड-कटेहरी के कैम्पस में नये मन्दिर का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। पुराने मन्दिर के क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत का कार्य ग्रामवासियों द्वारा स्वयं के संसाधन से कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अगस्त, 2019 से 19 दिसम्बर, 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पदों की विज्ञप्ति के सापेक्ष स्थायी सरकारी पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

58-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अगस्त, 2019 से 19 दिसम्बर, 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पदों के लिए कितनी भर्ती निकाली गयी है व उक्त में कितने अभ्यर्थियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अगस्त, 2019 से 19 दिसम्बर 2023 के मध्य-

1-आरक्षी कुशल खिलाड़ी सीधी भर्ती-2022 के अन्तर्गत 534 पदों की विज्ञप्ति दिनांक 28-09-2022 को प्रकाशित की गयी।

2-आरक्षी कुशल खिलाड़ी सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत 546 पदों की विज्ञप्ति दिनांक 12-12-2023 को प्रकाशित की गयी है।

उक्त दिनांक 28-09-2022 को प्रकाशित 534 पदों की विज्ञप्ति के सापेक्ष संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानों के आधार पर भर्ती की कार्यवाही सम्पादित करते हुए कुल 491 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों/कुशल खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनमें से चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये गये 473 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया गया।

उक्त दिनांक 12-12-2023 को प्रकाशित 546 पदों की विज्ञप्ति के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की नवीन तहसील सिरसागंज में अधिवक्ताओं के लिए पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था के सम्बन्ध में

59-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की नवीन तहसील सिरसागंज में अधिवक्ताओं के लिए पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण आम-जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त तहसील में उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नवीन तहसील सिरसागंज में अधिवक्ताओं एवं तहसील में आने वाले जनमानस हेतु पेयजल के लिये पानी की टंकी एवं आर0ओ0 सिस्टम लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण एवं आम-जनमानस के लिये तहसील में ही सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है, जो पूरी तरह से उपयोग में लाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम उरावर हस्तर्फ क्षेत्र में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री सर्वेश सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम उरावर हस्तर्फ क्षेत्र में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की गाइड लाइन के अनुसार "To Provide a Secondary School within a reasonable distance of Any habitation, which should be 5 kilometres for secondary schools and 7-10 kilometres for higher secondary school."

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम उरावर हस्तर्फ से 10 किमी0 की परिधि में 01 राजकीय, 01 अशासकीय सहायता प्राप्त, 09 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त (कुल-11) इण्टर कालेज संचालित हैं।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम उरावर हस्तर्फ माध्मिक शिक्षा से संतृप्त है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में गांव पुन्नछा से प्राथमिक विद्यालय पुन्नछा तक मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

61-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में गांव पुन्नछा से प्राथमिक विद्यालय पुन्नछा तक मार्ग की लम्बाई लगभग 500 मीटर कच्चा होने के कारण छात्र-छात्राओं को विद्यालय में आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 450 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा है। उक्त मार्ग पर लेपन कार्य की अनुमानित लागत रु0 29.25 लाख है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है, जिसमें उक्त निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मऊ की तहसील सदर, परगना भराँव के ग्राम चकरा में अनियमित तरीके से विद्यालय के नाम दर्ज करायी गयी समस्त गाटों की भूमि को खाली कराने के सम्बन्ध में

62-श्री हंसुराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की तहसील सदर, परगना भराँव के ग्राम चकरा में जिस भूमि पर जनता जूनियर हाई स्कूल, चकरा मऊ स्थित है, वह भूमि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 41 व 45 में असंक्रमणीय भूमि खाते में दर्ज है ? यदि हाँ, तो

उक्त भूमि को उक्त विद्यालय के नाम से किन नियमों के तहत किसके आदेश से दर्ज किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रबन्धकीय विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा स्वयं तत्कालीन ग्राम प्रधान रहते हुए अनियमित तरीके से अनगिनत गाटों की सरकारी भूमि को चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान विद्यालय के नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज कराया गया है ? क्या सरकार उक्त अनियमित तरीके से विद्यालय के नाम दर्ज करायी गयी समस्त गाटों की भूमि को खाली करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम चकरा में चकबन्दी के दौरान विद्यालय का नाम अभिलेखों में दर्ज हुआ है।

यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाया कि तत्समय ग्राम प्रधान व चकबन्दी विभाग का अधिकारी कौन था। प्रकरण की जाँच हेतु उप जिलाधिकारी, सदर, मऊ की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी है, समिति की रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो नियमानुसार विद्यालय के नाम दर्ज इन्द्राज को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा के ग्राम पंचायत सिजौली अन्तर्गत ग्राम मांझेपुर का उल्लेख सरकारी योजनाओं में न आने व ग्राम मांझेपुर किस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है, के सम्बन्ध में जानकारी

63-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा के ग्राम पंचायत सिजौली अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम माँझेपुर, ग्राम पंचायत सिजौली अन्तर्गत चिन्हित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी योजनाओं में ग्राम पंचायत सिजौली अन्तर्गत ग्राम माँझेपुर का उल्लेख नहीं किया जाता है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम माँझेपुर किस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत सिजौली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम सिजौली सहित कुल 16 ग्राम/मजरे हैं, जो निम्नवत् हैं :-1-सिजौली (राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत) मजरों/ग्राम के नाम, 2-गोधइया, 3-रामबक्स का पुरवा, 4-बण्डवा, 5-खोटिला, 6-धीरपुर, 7-तेजीपुर, 8-हरिकिशनपुर,

9-बसन्तखेड़ा, 10-महादेवनपुर, 11-पूरेदान, 12-घटमाखेड़ा, 13-अंगदपुर, 14-उमरिहा, 15-नारायणपुर, 16-मांझेपुर।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मांझेपुर ग्राम पंचायत सिजौली के अन्तर्गत आता है, जो गैर राजस्व ग्राम/मजरा है।

जनपद कन्नौज के विकास खण्ड उमर्दा के ग्राम पंचायत सखौली में तिर्वा-कन्नौज मार्ग स्थित हनुमान मन्दिर के सामने जल निकासी हेतु नाले के निर्माण के सम्बन्ध में

64-डॉ0 संग्राम यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के आतारांकित प्रश्न संख्या-58 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के विकास खण्ड उमर्दा के ग्राम पंचायत सखौली में तिर्वा-कन्नौज मार्ग स्थित हनुमान मन्दिर के सामने जल निकासी हेतु नाले के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नाले का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत नाला की लम्बाई 110 मीटर है, जिसके निर्माण हेतु 9.92 लाख व्यय होने का अनुमान है। उक्त कार्य वर्ष 2023-24 की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। निविदा प्रकिया पूर्ण कर उक्त कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि पर कब्जा कर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दोषियों के विरुद्ध वसूली कर कार्रवाई किए जाने के सम्बन्ध में

65-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि गाटा संख्या-443, रकबा 0.126 हे0 पर अवैध कब्जा कर सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के कारण दिनांक 17-02-2023 को तहसीलदार, बीघापुर, उन्नाव द्वारा दोषियों से रु0 3,75,000.00 की क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली किये जाने के आदेश तथा वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 26-03-2023 को जारी किया गया और दिनांक 28-07-2023 को दोषियों के विरुद्ध प्रपत्र आर0सी0-37 जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा दोषियों से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली की गयी है ? यदि हाँ, तो कब तथा कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत गाटा संख्या-443 के भाग 0.25 हे0 (जो अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है) पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 अवधेश कुमार व अन्य निवासी बारा हरदो, तहसील बीघापुर द्वारा किये गये अवैध कब्जे के प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार, बीघापुर द्वारा दिनांक 17-02-2023 को बेदखली का आदेश पारित करते हुए मु0 3,75,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की धनराशि अधिरोपित की गयी।

प्रश्नगत अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है तथा अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 3,75,000/- का वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 26-03-2023 को जारी किया जा चुका है।

वसूली की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 20-05-2023 को आर0 सी0 प्रपत्र-36 तथा दिनांक 28-07-2023 को आर0 सी0 प्रपत्र-37 जारी किया गया।

बकायेदारों द्वारा खरीफ फसल कटने के बाद भी बकाया धनराशि जमा न करने पर राजस्व संहिता में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध कब्जाधारकों की चल सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 18-01-2024 को आर0 सी0 प्रपत्र-38 निर्गत किया गया है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के पुलिस विभाग में तैनात कितने कांस्टेबलों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बैचलर ऑफ ऐजुकेशन एवं उत्तर प्रदेश की टेट परीक्षा हेतु प्रदान की गई अनुमति के विवरण के सम्बन्ध में

66-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के पुलिस विभाग में तैनात कितने कांस्टेबलों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बैचलर ऑफ ऐजुकेशन एवं उत्तर प्रदेश की टेट परीक्षा हेतु अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा में नियुक्त 179 कांस्टेबलों द्वारा उच्च शिक्षा हेतु एवं 08 कान्सटेबलों द्वारा टेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार प्राप्त सभी 187 आवेदकों को उच्च शिक्षा एवं टेट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार। (सूची संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-331-335 पर।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा में स्थानीय अधिकारियों द्वारा मृतक के नाम पर सरकारी धन स्वीकृत कर उक्त धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में

67-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र (आई0जी0आर0एस0सं0-18157230086955) दिनांक 18-05-2023 जोकि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत कांथा में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगभग 06 वर्ष पूर्व दिवगंत हो चुके मृतक छोटेलाल के नाम शौचालय निर्माण हेतु सरकारी धनराशि आवंटित करते हुए श्रीमती फूलकली की निजी भूमि खसरा सं0-2288, 2292 पर मृतक छोटेलाल के नाम पर जबरन अवैध शौचालय का निर्माण प्रकरण में मृतक छोटेलाल के नाम निर्मित उक्त अवैध शौचालय को मा0 न्यायालय में लम्बित बता कर/असत्य/भ्रामक सूचना देकर सरकार एवं मा0 सदन को गुमराह करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत कांथा मजरा रमन्ना, विकास खण्ड असोहा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा के ग्राम निधि-6 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा मृतक छोटेलाल के नाम से शौचालय का निर्माण कराया गया था। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा में वाद संख्या-239/2017 श्रीमती फूलकली बनाम बुद्धीलाल आदि का विवादित भूमि का वाद योजित/विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधान मण्डल सदस्यों को मिलने वाली विधायक निधि में से कुछ प्रतिशत अंश में धार्मिक स्थलों के निर्माण/जीर्णोद्धार कराने हेतु येाजना के विवरण के सम्बन्ध में

68-श्री अनिल कुमार

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान मण्डल सदस्यों को मिलने वाली विधायक निधि में से कुछ प्रतिशत अंश में धार्मिक स्थलों के निर्माण/जीर्णोद्धार कराने हेतु कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई योजना बनायेगी ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

नहीं।

विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यथासंशोधित अप्रैल, 2002 के परिशिष्ट-2 में विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या-9 में 'धार्मिक पूजा के लिए स्थान' का उल्लेख किया गया है तथा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-18/2023/156/अड़तीस-9-23-500 (39)/2023 टी0सी0, दिनांक 03-07-2023 में धार्मिक स्थलों के निर्माण/जीर्णोद्धार का कोई प्रावधान नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री अनिल कुमार-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद झांसी नगर की कचहरी को घनी आबादी से बाहर प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

70-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी नगर में कचहरी नगर की घनी आबादी के मध्य स्थित है ? क्या सरकार झांसी नगर की कचहरी को घनी आबादी से बाहर प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में झांसी नगर में कचहरी घनी आबादी के मध्य स्थित नहीं है।

वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के कतिपय धार्मिक स्थलों/मन्दिरों का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में

71-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के कतिपय धार्मिक स्थलों/मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वर्ष 2022 व 2023 में प्रश्नकर्ता की सिफारिशों के क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-258912, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में धार्मिक स्थल/मन्दिरों का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में नाली/इण्टरलॉकिंग बनवाये/लगवाये जाने के सम्बन्ध में

72-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के कतिपय स्थानों पर नाली/इण्टरलॉकिंग बनवाये/लगवाये जाने हेतु वर्ष 2021 से अगस्त, 2023 के मध्य प्रश्नकर्ता के क्रम में जनहित में उक्त कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-258911, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायत में जरूरी स्थानों पर नाली/इण्टरलॉकिंग बनवाने सहित अन्य कार्य किया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के पात्र गरीब लाभार्थियों को सरकारी आवास/अनुमन्य धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में

73-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के पात्र गरीब लाभार्थियों को सरकारी आवास/अनुमन्य धनराशि दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-130859, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी में वर्ष 2007 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नियुक्त अध्यापकों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

74-श्री जवाहरलाल राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में वर्ष 2007 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 08 अध्यापकों की फर्जी नियुक्ति कर राजकोष से उनके वेतन का भुगतान किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0 208916, दिनांक 03 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

उक्त पत्र को शासन के पत्र दिनांक-22-11-2023 एवं 31-01-2024 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सन्दर्भित करते हुए प्रकरण की जाँच कराकर जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 01-12-2023 एवं 11-01-2024 द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल, झांसी को जाँच कर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। तदोपरान्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल, झांसी ने अपने पत्र दिनांक 01-02-2024 द्वारा जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी के पत्र दिनांक 23-08-2007 के आलोक में जनपद झांसी के 08 विशेषज्ञों का आमेलन निदेशालय के पत्र दिनांक 17-12-2007 द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है, जिसमें से 03 फर्जी विषय विशेषज्ञ/अध्यापकों को मानदेय की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। शेष 05 विषय विशेषज्ञ/अध्यापकों को भुगतानित धनराशि की वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के ग्राम पंचायत कंजा सराय गुलामी का वर्ष 2016 से 2023 तक के ऑडिट रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में

75-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के ग्राम पंचायत कंजा सराय गुलामी का वर्ष 2016 से 2023 तक कितनी बार ऑडिट हुआ है ? क्या सरकार उक्त अवधि का ऑडिट रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

6 बार।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक लेखा परीक्षा द्वारा ऑफलाईन ऑडिट की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की लेखा परीक्षा द्वारा ऑनलाइन ऑडिट की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के राजस्व ग्राम बरहा के गाटा संख्या-580 पर स्थित तालाब पर हुए अवैध कब्जा को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

76-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के राजस्व ग्राम बरहा के गाटा संख्या-580 पर स्थित तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के राजस्व ग्राम बरहा के गाटा संख्या-580 रकबा 0.468 हे0 जो राजस्व अभिलेख में तालाब के खाते में दर्ज है, की दिनांक 29-01-2024 को राजस्व टीम द्वारा स्थलीय जाँच की गयी। गाटा संख्या-580 मौके पर खाली है और गड्ढे के शक्ल में मौजूद है। इस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में अमृत सरोवर पानी की उपलब्धता हेतु सरकार की योजना बनाने के सम्बन्ध में

77-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में अमृत सरोवर (तालाब) की नवसृजित योजना अन्तर्गत कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में वर्ष भर ग्रामों में पानी की उपलब्धता हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में अमृत सरोवर (तालाब) की 58 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

शासनादेश संख्या-245/अड़तीस-7-2022-46नरेगा/2019, दिनांक 27-04-2022 के क्रम में अमृत सरोवर में वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता हेतु मुख्यतः वर्षा जल को चैनलाइजेशन करते हुए संचित करके, साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के इन्ट्री प्वाइंट पर यथा आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

सहारनपुर मण्डल में विधान सभा क्षेत्रवार मार्च, 2022 से दिनांक 25-03-23 तक किन-किन नहरों, माइनरों, राजवाहों एवं ड्रेनों के सफाई के विवरण के सम्बन्ध में

78-श्री नाहिद हसन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल में विधान सभा क्षेत्रवार मार्च, 2022 से दिनांक 25-03-23 तक किन-किन नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों में कुल कितने किलोमीटर सिल्ट सफाई/खुदाई करायी गयी तथा उक्त पर कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा कितने किलोमीटर सफाई/खुदाई कराना शेष है ? क्या सरकार शेष नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

सहारनपुर राजस्व मण्डल में 16 विधान सभा क्षेत्रों में मार्च, 2022 से दिनांक 25-03-2023 तक माइनरों, राजवाहों एवं ड्रेनों में कुल 1849.782 किमी0 लम्बाई में सिल्ट सफाई/खुदाई का कार्य सम्पादित कराया गया है। कराये गये कार्यों के सापेक्ष धनराशि रु0 854.585 लाख व्यय की गयी है। सहारनपुर राजस्व मण्डल में दिनांक 25-03-2023 के पश्चात् 416.051 किमी0 लम्बाई में नहरों/माइनरों/राजवाहों/ड्रेनों में सिल्ट सफाई/खुदाई कराया जाना शेष थी, जिसमें नहरों, राजवाहों, माईनरों की लम्बाई 105.463 कि0मी0 तथा ड्रेनों की लम्बाई 310.588 कि0मी0 में सिल्ट सफाई/खुदाई कराया जाना शेष था।

(विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।)†।

जी हाँ।

दिनांक 25-03-2023 के पश्चात् नहरों, राजवाहों, माइनरों पर कुल लम्बाई 105.463 कि0मी0 सिल्ट सफाई शेष थी जो दिनांक 24-01-2024 तक पूर्ण कराई जा चुकी है। अवशेष ड्रेनों की कुल लम्बाई 310.588 कि0मी0 में से लम्बाई 68.075 कि0मी0 ड्रेनों की सफाई/खुदाई का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 24-01-2024 तक पूर्ण करा दिया

---

† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-336-343 पर।

गया है। अवशेष 242.513 कि0मी0 ड्रेनों की सफाई/खुदाई का कार्य यथा आवश्यकतानुसार सामान्य अनुरक्षण में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर में रवई नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में

79-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर में नागपुर माइनर के पानी छोड़ने एवं रवई नाले की सफाई न होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में जल-जमाव की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा संक्रामक रोग फैलने की भी समस्या बनी रहती है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल-जमाव की स्थिति से निदान की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी हाँ।

नाले की सफाई सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार करायी जाती है। जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर में स्थित रवई नाला (लम्बाई 56.400 कि0मी0) की सफाई वित्तीय वर्ष 2020-21 में करायी गयी थी। जल-जमाव से निदान हेतु पुनः वर्ष 2024 में वर्षाकाल से पूर्व इस नाले की सफाई का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूरा कलाँ में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्वीकृति के सम्बन्ध में

80-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूरा कलाँ में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्वीकृति सम्बन्धी पत्र संख्या-37/07/226/2023, दिनांक 27-07-2023 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

श्री रामरतन कुशवाहा, मा0 विधायक, ललितपुर का पत्र पत्रांक संख्या-37/07/226/2023, दिनांक 27-07-2023 राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 संख्या-18167230146674 प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही करते हुए निदेशालय के पत्रांकः माध्यमिक/5087/2022-23, दिनांक 11-08-2023 द्वारा आख्या विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के भरतकूप तथा सरधुआ को ब्लॉक का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में

81-श्री अनिल प्रधान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के भरतकूप तथा सरधुआ को ब्लॉक का दर्जा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड का सृजन मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के विवरण के सम्बन्ध में

82-श्री अनिल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी तथा रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद 417886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85152 पद रिक्त हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 162198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 41338 पद रिक्त हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षामित्र की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 21:1 मानक के अनुसार पूर्ण है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,860 शिक्षक एवं 27,555 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 29:1 मानक के अनुसार पूर्ण है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारी जो जनपद मुख्यालयों पर तैनात हैं, के कर्तव्य/दायित्व की जानकारी

83-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारी जो जनपद मुख्यालयों पर तैनात हैं, के कर्तव्य/दायित्व परिभाषित हैं ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के द्वारा उन्हीं कार्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की संख्या के सम्बन्ध में

84-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में कार्यरत शिक्षक इंग्लिश मीडियम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर अध्यापन कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन 12279 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं।

अंग्रेजी माध्यम से संचालित प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक के पदों पर ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं की तैनाती की जाती है, जिन्होंने कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो अथवा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे एवं किये गये भुगतान के विवरण के सम्बन्ध में

85-श्री अतुल प्रधान

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बीमा कम्पनियों में मुआवजे के लिये कितने दावे प्रस्तुत किये गये और उसके सापेक्ष कितने दावों का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू है जो किसी बीमा कम्पनी द्वारा संचालित न होकर जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजना के लिये 750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जनपदों से अभी तक कुल 19,958 दावे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15,571 दावों हेतु रु0 749,68,77,033/- का आवंटन किया जा चुका है। मूल बजट के अवशेष रु0 3122967/- तथा माह जनवरी में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त रु0 200 करोड़ का शेष 4,387 दावों के भुगतान हेतु आवंटन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

उ0प्र0 में खातेदार/सहखातेदार कृषकों हेतु कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत अनाच्छादित अवधि (जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित दिनांक 18-11-2010 से 13-09-2016 तक) के दावों का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रु0 75 लाख का बजट आवंटित है। अभी तक उक्त योजना के अन्तर्गत 5 दावे प्राप्त हुए, उक्त 5 दावों हेतु रु0 25 लाख का आवंटन सम्बन्धित जनपदों को किया जा चुका है। वर्तमान में इस योजना का कोई दावा भुगतान हेतु राजस्व परिषद् स्तर पर शेष नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम पंचायत भैंसहा, विकास खण्ड रेवती में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम पंचायत भैंसहा, विकास खण्ड रेवती में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

ग्राम पंचायत भैंसहा से प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती हरिहांकला की दूरी 01 किमी0 तथा कम्पोजिट विद्यालय छपरा सारिव (कक्षा 1 से 8 तक) की दूरी 2.0 किमी0 है। अतः ग्राम पंचायत भैंसहा विभागीय मानक के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के बिन्दु 4.1 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैं :-

प्राथमिक विद्यालयः कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय-कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली स्थित चौ0 चरण सिंह महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में कक्षाएं संचालित करने के सम्बन्ध में

87-डा0 अजय कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली स्थित चौ0 चरण सिंह महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में कक्षाएं संचालित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमशः पत्रांक : 122, दिनांक 23-05-2023 एवं पत्रांक : 123, दिनांक 25-05-2023 प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

जनपद बागपत के छपरौली स्थित चौ0 चरण सिंह महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में कक्षाएं संचालित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नति की तिथि से वेतन देने के सम्बन्ध में

88-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति 01-12-2008 के बाद हुई है, उनको पदोन्नति की तिथि से न्यूनतम मूल वेतन 17140 रुपए देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी पदोन्नति 01-12-2008 के बाद हुई है उनको पदोन्नति की तिथि से न्यूनतम वेतनमान रु0 17,140 देय है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1315/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08-12-2008 द्वारा स्वीकृत सादृश्य ग्रेड वेतन में विकल्प की तिथि से वास्तविक वेतन निर्धारण करने का प्राविधान है।

शासनादेश संख्या-684/79-5-2009-50/2008, दिनांक 24-02-2009 द्वारा स्वीकृत उच्चीकृत वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या : वे0 आ0-2-1272/दस-59 (एम)/2009, दिनांक 07-09-2009 द्वारा निर्गत फिटमेंट तालिका के अनुसार काल्पनिक आधार पर करते हुए वास्तविक लाभ व नकद भुगतान दिनांक 01-12-2008 से किये जाने का प्राविधान है। चूंकि शासनादेश दिनांक 24-02-2009 में विकल्प का प्राविधान नहीं होने के कारण शासनादेश संख्या-2173/79-5-2014-5/2010, दिनांक 09-06-2014 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से 01 दिसम्बर 2008 के मध्य पदोन्नति अथवा स्वीकृत हुए चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना का विकल्प चुनने की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रदान की गयी थी, जो समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के सहायक सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय के सम्बन्ध में

89-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायक सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था अपने संसाधन से करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पंचायती राज विभाग में सहायक सचिव का कोई पद नहीं है। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं ग्राम प्रधान का मानदेय केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि द्वारा उक्त से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 25-07-2021, शासनादेश दिनांक 15-07-2020 एवं 16-12-2021 के प्राविधानानुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के रामनगर-जहांगीरगंज में संतराम यादव के घर से मसेना मिर्जापुर बस्ती होते हुए रामनगर-चहोड़ा मुख्य मार्ग तक की सड़क के चौड़ीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में

90-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के रामनगर-जहांगीरगंज मुख्य मार्ग पर रामनगर में संतराम यादव के घर से मसेना मिर्जापुर अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए रामनगर-चहोड़ा मुख्य मार्ग तक की पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई सड़क जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के रामनगर जहांगीरगंज मुख्य मार्ग पर रामनगर में संतराम यादव के घर से मसेना मिर्जापुर अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए रामनगर चहोड़ा मुख्य मार्ग तक की सड़क की कुल लम्बाई 758 मीटर है, जिसमें से पूर्व में जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा 588 मीटर लम्बाई एवं चौड़ाई 3.00 मीटर चौड़ाई में लेपन कार्य कराया था। वर्तमान में 588 मीटर लम्बाई एवं चौड़ाई 3.00 मीटर चौड़ाई में क्षतिग्रस्त मार्ग का लेपन/मरम्मत कार्य जिला पंचायत अम्बेडकरनगर द्वारा करा दिया गया है। शेष लम्बाई 170 मीटर में सी0सी0 कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया है। सन्दर्भित मार्ग आवागमन हेतु सुगम है।

उपरोक्तानुसार

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर में अरांव खुर्द से नगला नया तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

91-श्री सर्वेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विकास खण्ड मदनपुर में अरांव खुर्द से नगला नया तक मार्ग की लम्बाई लगभग 500 मी0 कच्चा तथा गड्ढायुक्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 632 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा है। उक्त मार्ग पर लेपन कार्य की अनुमानित लागत रु0 41.08 लाख है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है, जिसमें उक्त निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, फिरोजाबाद की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर की ग्राम सभा आमोर में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में

92-श्री सर्वेश सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर की ग्राम सभा आमोर में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से मनरेगा योजना के अन्तर्गत एक पार्क के निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2022-23 के अनुलग्नक-1 के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत 266 अनुमन्य कार्यों की सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत पार्क का निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

जनपद गोण्डा में प्राथमिक विद्यालय तेदुवारानीपुर-छपिया में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कराये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

93-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्राथमिक विद्यालय तेदुवारानीपुर-छपिया में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य अधूरे हैं ? क्या सरकार उक्त कामों को पूरा करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय तेंदुवारानीपुर-छपिया 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा के निर्धारित 19 पैरामीटर्स के सापेक्ष 16 पैरामीटर्स, यथा-पेयजल सुविधा, बालक शौचालय/बालिका शौचालय, बालक/बालिका मूत्रालय, नल-जल आपूर्ति, शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण, मल्टीपल हैण्डवॉश, कक्षा-कक्ष में फर्श का टाइलीकरण, ब्लैक-बोर्ड, रसोईघर, रंगाई-पुताई, रैम्प-रेलिंग, विद्युत उपकरण, विद्युत कनेक्शन, सबमर्सिबल पम्प से संतृप्त है। बाउण्ड्रीवॉल व गेट का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से कराया गया है, जिसका प्लास्टर कार्य अपूर्ण है। अवशेष पैरामीटर-दिव्यांग शौचालय तथा फर्नीचर (डेस्क-बेंच) का कार्य समग्र शिक्षा/ अन्तर्विभागीय समन्वय से बजट उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में उच्च प्राथमिक विद्यालय शुकुलपुरा छपिया कम्पोजिट विद्यालय को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

94-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में उच्च प्राथमिक विद्यालय शुकुलपुरा छपिया कम्पोजिट विद्यालय को उच्चीकृत करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार जनपद गोण्डा का उच्च प्राथमिक विद्यालय शुकुलपुरा छपिया संतृप्त है।

प्रदेश में विगत माह जनवरी, 2023 से दिनांक 20-12-2023 तक हुई हत्याओं का जनपदवार विवरण के सम्बन्ध में

95-श्री तुफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत माह जनवरी, 2023 से दिनांक 20-12-2023 तक कुल कितनी हत्याएं हुई हैं ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2023 से 20-12-2023 तक कुल 2746 हत्या शीर्षक के अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जनपदवार विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण एवं बाकी निर्मित सड़कों के विवरण के सम्बन्ध में

96-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में अब तक कितने किलोमीटर लम्बे रास्ते खुदाई से क्षतिग्रस्त हुए हैं ? उक्त में से कितने किलोमीटर लम्बे रास्ते ठीक किये जा चुके हैं ? क्या सरकार क्षतिग्रस्त अवशेष मार्गों को किसी निश्चित समय में ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में अब तक कुल 45458-09 किलोमीटर लम्बे रास्ते खुदाई से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उक्त में से वर्तमान तक 33572-82 किलोमीटर रास्ते ठीक करा दिये गये हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवशेष क्षतिग्रस्त मार्गों को मार्च, 2024 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सम्भल के ब्लाक पवांसा अन्तर्गत ग्राम सारंगपुर सहित प्रदेश के ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित स्थानों पर अर्द्धनिर्मित एम0आर0एफ0 केन्द्रों को पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में

97-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल के ब्लाक पवांसा अन्तर्गत ग्राम सारंगपुर सहित प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित कितने स्थानों पर एम0आर0एफ0 केन्द्र बनाने का कार्य रुका हुआ है ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में उक्त केन्द्रों के निर्माण कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत सारंगपुर, विकास खण्ड पवांसा में निर्माण कार्य प्लिन्थ स्तर तक कार्य होने के उपरान्त ग्रामवासियों में आपसी विवाद के कारण कार्य बन्द है। उपजिलाधिकारी, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत सम्भलपुर में जमीन का कोई विवाद नहीं है,

---

† देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-344 पर।

परन्तु गांव में आपसी विवाद होने के कारण कार्य बन्द है। प्रदेश के शेष जनपदों में कहीं भी एम0आर0एफ0/आर0आर0सी0 बनाने का कार्य रुका हुआ नहीं है।

जनपद सम्भल के ग्राम पंचायत सारंगपुर में वार्ता कर विवाद समाप्ति के पश्चात् शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

98-श्रीमती पिंकी सिंह-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में ब्लाक केराकत के ग्राम-हुरहुरी, पोस्ट-जय गोपालगंज में काली रोड से राम सिंह के घर तक तथा काली रोड से देवी प्रसाद सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

99-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में ब्लाक केराकत के ग्राम-हुरहुरी, पोस्ट-जय गोपालगंज में काली रोड से शंकर प्रसाद सिंह के घर से होते हुए डॉक्टर राम सिंह के घर तक तथा काली रोड से देवी प्रसाद सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत, जौनपुर की आगामी बोर्ड की बैठक में सदन के पटल पर रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में होरी लाल पुत्र स्व0 झिंगुरी के अवैध कब्जा को हटाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

100-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में आ0नं0 714/मि0/0.093 हे0 भीटा खाते की भूमि के 0.049 हे0 भूमि भाग पर होरी लाल पुत्र स्व0 झिंगुरी के अवैध कब्जा पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी केराकत द्वारा दिनांक 06-01-2014 को जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली आदेश पारित किया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषियों के ऊपर कार्यवाही करते हुये अवैध कब्जा हटायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर की तहसील-केराकत के ग्राम असवारा स्थित गाटा संख्या-714मि0/ 0.093 हे0 भीटा खाते की भूमि है जिसके 0.049 हे0 पर होरी लाल पुत्र झिंगुरी का अवैध

कब्जा आबादी व सहन के रूप में पाये जाने पर न्यायालय तहसीलदार केराकत के द्वारा वाद संख्या-28/45 अन्तर्गत धारा-122 बी0 ग्राम असवारा गांव सभा बनाम होरी लाल में पारित आदेश दिनांक 06-01-2014 के द्वारा बेदखल किया गया, जिसके विरुद्ध योजित पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र को न्यायालय के आदेश दिनांक 24-02-2021 द्वारा खारिज करते हुए पूर्व पारित बेदखली का आदेश दिनांक 06-01-2014 को यथावत रखा गया।

प्रतिवादी होरीलाल पुत्र स्व0 झिंगुरी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं एवं इनको बेदखली से पूर्व पुनर्वासित किया जाना आवश्यक है। पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण कराकर बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना का कार्य पूर्ण न होने से सिंचाई एवं पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

101-श्री जवाहरलाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना का कार्य पूर्ण न होने से सिंचाई एवं पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु उक्त परियोजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208930, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

उपरोक्त उल्लिखित पत्र पर शासन के पत्र दिनांक 20-09-2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आख्यानुसार-एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना का कार्य सिंचाई निर्माण खण्ड, मऊरानीपुर द्वारा कराया जा रहा था। वर्तमान में उक्त खण्ड (सिंचाई निर्माण खण्ड, मऊरानीपुर) का विघटन उपरान्त समस्त कार्य मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम, महोबा को आवंटित किया गया है।

एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर शासन के पत्र संख्या-1289/17-27-सिं0-5-56/17, दिनांक 12-04-2017 द्वारा माह 04/2017 से जाँच संस्थित होने के कारण उक्त परियोजना का विगत 7 वर्षों से कार्य बन्द हैं।

प्रश्नगत परियोजना पर शासन के पत्र सं0-805/25-8-2018-17 (5)/2018, दिनांक 22-01-2019 के अनुपालन में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा जाँच की जा रही है, जो विवेचनाधीन है।

एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा Civil Engineering Department, HBTU Kanpur से परियोजना के तकनीकी प्राविधानों का परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में रिपोर्ट दिनांक 11-01-2024 को प्राप्त हो गयी है।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट का अध्ययन उपरान्त एरच बांध निर्माण हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की नव निर्मित बिजनौर तहसील में लोगों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि एवं आवासीय भू-खण्डों की दाखिल खारिज के लम्बित मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में

102-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की नव निर्मित बिजनौर तहसील में वर्ष 2023 के माह जनवरी से मार्च के मध्य लोगों द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि एवं आवासीय भू-खण्डों की दाखिल खारिज के बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं ? क्या सरकार आवश्यक कार्रवाई करते हुए दाखिल खारिज के लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु समुचित आदेश जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ में दाखिल खारिज सम्बन्धी कार्य 04 राजस्व न्यायालयों, न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय तहसीलदार न्यायिक, न्यायालय नायब तहसीलदार बिजनौर, न्यायालय नायब तहसीलदार खुशहालगंज द्वारा किया जाता है।

उक्त 04 न्यायालयों में वर्ष 2023 के माह जनवरी से माह मार्च के मध्य वादों का विवरण निम्नवत् है :-

माह	कुल योजित वाद	निस्तारित वाद	अवशेष वाद
जनवरी	2245	2222	23
फरवरी	2283	2267	16
मार्च	2130	2115	15
कुल	**6658**	**6604**	**54**

कुल विवादित अवशेष 54 वादों में पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये उक्त अवशेष वादों को शीघ्र निस्तारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

103-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झाँसी में खतौनी 1423/1428 फसली के खाता संख्या-968 एवं 971 में कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज बना कर फर्जी वारिस का नाम दर्ज कराने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

104-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी में खतौनी 1423/1428 फसली के खाता संख्या-968 एवं 971 में कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर उक्त खाता संख्या की भूमि पर फर्जी वारिस का नाम दर्ज करा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

मौजा लहरगिर्द परगना व तहसील झांसी की खतौनी वर्ष 1423-1428 फसली की खाता सं0-968 व 971 पर आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 07-05-2009 द्वारा अवर न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), झांसी के आदेश दिनांक 15-12-2008 के विरुद्ध अपील स्वीकार की गई है। इस आदेश के उपरान्त जारी परवाना अमलदरामद दिनांक 07-05-2009 द्वारा खाता संख्या-968 व 971 पर गोविन्द दास पुत्र गनपत का नाम दर्ज हुआ। लक्ष्मण, हरदास आदि पुत्र जमुना प्रसाद के प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-11-2014 के आधार पर संशोधित परवाना अमलदरामद 21-07-2015 को जारी किया गया, जिसमें गोविन्द दास पुत्र गनपत का नाम खारिज कर सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) झांसी के आदेश दिनांक 15-12-2008 में दर्ज किये गये वारिसों का नाम पुनः दर्ज किया गया है। इस संशोधित परवाना अमलदरामद को रिकाल कराने हेतु दर्ज काश्तकार श्रीमती शान्ति देवी आदि द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-08-2015 वर्तमान में न्यायालय आयुक्त झांसी में विचाराधीन है। अतः प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड सडोली कदीम एवं मुजफ्फराबाद में नलकूपों के पुनर्निर्माण/रि-बोर करने के सम्बन्ध में

105-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड सडोली कदीम एवं विकास खण्ड मुजफ्फराबाद में नलकूपों के पुनर्निर्माण/

रि-बोर की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विकास खण्ड हेतु नलकूपों के पुनर्निर्माण/रि-बोर हेतु योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

1.5 क्यूसेक क्षमता के 17 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के 01 असफल राजकीय नलकूप के पुनर्निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

विकास खण्ड सडोली कदीम में कोई राजकीय नलकूप असफल श्रेणी में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड सडोली कदीम एवं मुजफ्फराबाद में सिंचाई हेतु नलकूपों की व्यवस्था के सम्बन्ध में

106-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड सडोली कदीम एवं विकास खण्ड मुजफ्फराबाद में सिंचाई हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषकों की उपज औसत उपज से भी कम हो रही है ? क्या सरकार ने उक्त दोनों विकास खण्ड हेतु नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु योजना बनायी है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई खण्ड देवरिया में कार्यरत कतिपय अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

107-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई खण्ड देवरिया में कार्यरत कतिपय अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा चालायी जा रही किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं अपने चहेती फर्मों से मिलकर मानक

को दर किनार करते हुए कार्य कराया गया है एवं वर्तमान समय में भी कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

लघु सिंचाई खण्ड, देवरिया में तैनात अधिशासी अभियन्ता श्री पंकज के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त-गोरखपुर से करायी गयी, जिसमें शासकीय धन का दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी, किन्तु श्री पंकज का अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ व्यवहार एवं सामंजस्य अच्छा नहीं पाया गया। तत्क्रम में श्री पंकज, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई देवरिया को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर से सम्बद्ध कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

108-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत 2022-23 में रजवाहों/नहरों की सिल्ट की सफाई के लिये स्वीकृत धन के विवरण के सम्बन्ध में

109-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत 2022-23 में कितने रजवाहों/नहरों की सिल्ट की सफाई का कार्य कराने के लिए किस परियोजना में कितने रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रबी फसली पूर्व कुल 10 रजवाहों जिसकी लम्बाई 61.662 किमी0 एवं 21 अल्पिका जिसकी लम्बाई 75.526 किमी0 में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है। जिनकी वित्तीय स्वीकृति 49.51 लाख है।

जी हाँ। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-345 पर।

पूर्वी यमुना मुख्य नहर ताजे वाला बैराज सहारनपुर से निकलकर सहारनपुर, शामली, बागपत एवं गाजियाबाद में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, में जमा सिल्ट की सफाई के सम्बन्ध में

110-डॉ0 अजय कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना मुख्य नहर ताजे वाला बैराज सहारनपुर से निकलकर सहारनपुर, शामली, बागपत एवं गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, में लगातार जमा सिल्ट की सफाई न होने के कारण नहर का स्वरूप खराब एवं क्षमता बहुत ही कम हो गयी है ? क्या उक्त समस्या के समाधान कराने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या-140/2023, दिनांक 20-06-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

पूर्वी यमुना मुख्य नहर यमुना नदी पर निर्मित हथिनी कुण्ड बैराज के बायें किनारे से निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 204.150 किमी0 है। इसकी शीर्ष क्षमता 4400 क्यूसेक है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से कृषकों को रबी एवं खरीफ फसल में जनपद सहारनपुर, शामली, बागपत एवं गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है।

जी हाँ।

पूर्वी यमुना नहर, यमुना नहर प्रणाली की मुख्य नहर है। मुख्य नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित नहीं किया जाता है। मुख्य नहर एवं शाखा नहरों में जल वहन क्षमता कम होने पर क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया जाता है। पूर्वी यमुना नहर की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। पूर्वी यमुना की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु परियोजना के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर में ब्रह्मबाबा की पुलिया से रानीपुर मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

111-श्री राम सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर में ब्रह्मबाबा की पुलिया से रानीपुर मुस्लिम बस्ती तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड (दूरी) लम्बाई लगभग 500 मी0 का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

विकास खण्ड पट्टी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत मरहा के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर में ब्रह्मबाबा की पुलिया से रानीपुर मुस्लिम बस्ती तक लगभग 500 मी0 इण्टरलॉकिंग का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत नियमानुसार श्रम एवं सामग्री (60:40) के मानक का पालन करते हुए 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्देवरी ग्राम में पक्की सड़क से ओम प्रकाश यादव (जे0ई0) के घर तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में

112-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्देवरी ग्राम में पक्की सड़क से ओम प्रकाश यादव (जे0ई0) के घर तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्देवरी ग्राम में पक्की सड़क से ओम प्रकाश यादव के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 02 वर्ष पूर्व में कराया गया है। जो वर्तमान में ठीक स्थिति में है, जिस कारण मरम्मत/इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत परसागना, भानपुर, पुरेखास, दिवाकरपुर आदि से गुजरने वाली रवई नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में

113-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत परसागना, भानपुर, पुरेखास, दिवाकरपुर आदि ग्राम पंचायतों का पानी रवई नाले से गुजरता है, किन्तु नाले की सफाई न होने के कारण जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है ? क्या सरकार रवई नाले की सफाई कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं। फसलों के नुकसान की स्थिति नहीं आती है।

जी हाँ।

नाले की सफाई सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार करायी जाती है। कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत परसागना, भानपुर, पुरेखास, दिवाकरपुर आदि ग्राम बेदीपुर नाला (लम्बाई 14-80 किमी0) के कैचमेन्ट में आते हैं। बेदीपुर नाला आगे चलकर रवई नाले में मिल जाती है। उक्त दोनों नालों की सफाई वित्तीय वर्ष 2020-21 में करायी गयी थी। जल जमाव से निदान हेतु पुनः उक्त दोनों नाले की सफाई वर्ष 2024 में वर्षाकाल से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत चोरखरी के पुरवा, देवायबक्स पाण्डेय, महुआपार, सरैया तिवारी आदि में मछोई नाले की खुदाई/निर्माण के सम्बन्ध में

114-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत चोरखरी के पुरवा, देवायबक्स पाण्डेय, महुआपार, सरैया तिवारी आदि में मछोई नाले की खुदाई ना होने के कारण जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आगामी फसल की बुवाई भी समय से नहीं हो पाती है ? क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई, निर्माण मण्डल बस्ती में दिनांक 24-03-2023, पत्रांक-1650 के माध्यम से बताया गया है कि मछोई नाला नथुवापुर ताल में आकर समाप्त हो जाता है तथा आगे नाले के निर्माण हेतु किसानों से जमीन क्रय किये जाने के उपरान्त ही खुदाई सम्भव होगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु किसानों से जमीन क्रय कर नाले की खुदाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं। वर्षाकाल में मधवापुर माइनर के टेल का अतिरिक्त पानी आने के कारण तथा मछोई ताल की जल संग्रहण क्षमता में कमी होने के कारण वर्षाकाल में जल-जमाव की समस्या रहती है।

जी हाँ।

नाले के निर्माण हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराकर यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुये समस्या का निदान कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में नगर रजवाहा के ग्राम भवनापुर में पक्की पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में

115-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में नगर रजवाहा के ग्राम भवनापुर (वन्शीनगर) में पक्की पुलिया न होने के कारण

जब नगर रजवाहा अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित होती है तो पानी ह्यूम पाइप के ऊपर से बहता है जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में समस्या होती है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्की पुलिया का निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल से मात्र 200 मी0 अपस्ट्रीम में नगर रजवाहा के किमी0-19.750 पर पक्का पुल निर्मित है तथा मांग पुल स्थल से किमी0-19.750 तक आवागमन हेतु नहर के दोनो पटरी पर खड़न्जा का कार्य किया जा चुका है। अतः प्रश्नगत स्थल पर पुल का निर्माण साध्य नहीं है।

प्रदेश में चकबन्दी हेतु चयनित ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण करने की समय-सीमा एवं तहसील कैराना, जनपद शामली व तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के 10 वर्षों से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण के सम्बन्ध में

116-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चकबन्दी हेतु चयनित ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि तहसील कैराना, जनपद शामली व तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के कितने ग्राम विगत 10 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाओं के अधीन हैं तथा उपरोक्त ग्रामों में चकबंदी प्रक्रियाओं को त्वरित गति से पूरा करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार तहसील कैराना व तहसील देवबन्द के 10 वर्षों से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण तथा उक्त में विलम्ब के कारण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में चकबन्दी हेतु चयनित ग्रामों में चकबन्दी पूर्ण कराने की समय-सीमा सामान्य स्थिति में 60 माह है।

1-जनपद शामली की तहसील कैराना में 10 वर्ष से अधिक समय से कोई भी ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन नहीं है।

2-तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर के 06 ग्रामों में 10 वर्षों से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है। उपरोक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया त्वरित गति से पूर्ण कराने हेतु निम्न कार्यवाही/उपाय किये गये हैं :-

(1) मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 16-09-2023 को राजस्व कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की गयी, जिसमें 10 वर्ष से अधिक ग्रामों की चकबन्दी शीघ्र पूर्ण कराने के कठोर निर्देश दिये गये हैं।

(2) 10 वर्ष से अधिक समय से प्रक्रियाधीन ग्रामों की चकबन्दी पूर्ण कराने हेतु निदेशालय स्तर से निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

(3) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 20-09-2023 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, सहारनपुर से गहन समीक्षा कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर पुराने ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रियाएं पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

(4) 10 वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रियाएं लम्बित रहने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 06-11-2023 द्वारा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, सहारनपुर को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

(5) निदेशालय के पत्र दिनांक 27-10-2023 द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए चकबन्दी योजना को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3-जनपद शामली की तहसील कैराना में कोई भी ग्राम 10 वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन नहीं है।

4-जनपद सहारनपुर की तहसील देवबन्द में 10 वर्षों से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रियाधीन ग्रामों का विवरण एवं विलम्ब का कारण निम्नवत् है :-

ग्राम का नाम	विलम्ब का कारण	कृत कार्यवाही
1-कुरड़ी	रिट याचिकाओं में पारित स्थगन के कारण चकबन्दी क्रिया अवरुद्ध है।	रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र व एक्पेडाईट प्रार्थना-पत्र दाखिल।
2-कुरलकी	रिट याचिकाओं में पारित स्थगन के कारण चकबन्दी क्रिया अवरुद्ध है।	रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र व एक्पेडाईट प्रार्थना-पत्र दाखिल।
3-देवबन्द 4-चकरामबाड़ी 5-चकभगवती दास	ग्राम देवबन्द, चकरामबाड़ी व चकभगवती दास को उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग-1, संख्या-4/1-1111/88-रा0-8, दिनांक 30-09-1989 के द्वारा संयुक्त चकबन्दी में सम्मिलित किया गया है तथा चकबन्दी योजना पुष्टिकृत की जा चुकी है। सीमांकन की कार्यवाही चल रही थी। इसी मध्य रिट याचिका संख्या-49494/2006 में पारित आदेश दिनांक 13-09-2006 के कारण कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण नहीं करायी जा सकी थी। उक्त रिट याचिका दिनांक 26-04-2023 को निस्तारित हो गयी है।	ग्राम के शेष बचे हुए सेक्टरों में स्थिति चकों के कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही कृषकों के अनुरोध के अनुसार फसल कटने के बाद प्रस्तावित है। जिसके लिये टीम गठित की जा चुकी है। अन्तिम अभिलेख की तैयारी हेतु अभिलेख शुद्ध किये जा रहे हैं। कब्जा परिवर्तन के पश्चात् ग्राम के अभिलेख माह मार्च, 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम का नाम	विलम्ब का कारण	कृत कार्यवाही
6-मिरगपुर	ग्राम में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के दिनांक 18-07-2007 को प्रकाशन के पश्चात् उप संचालक चकबन्दी के आदेश द्वारा पुनः विनिमय अनुपात निर्धारण स्तर पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। इसके उपरान्त चकबन्दी योजना तैयार कर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 25-08-2023 को की जा चुकी है।	ग्राम के अन्तिम अभिलेख निर्माण की कार्यवाही गतिमान है तथा इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्त तक धारा-52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली, तहसील कैराना व तहसील ऊन में धारा-34 के लम्बित वाद दायर होने की तिथि तथा काल की अवधि का ब्यौरा के सम्बन्ध में

117-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली, तहसील कैराना व तहसील ऊन में धारा-34 के कितने वाद दिनांक 25-03-23 तक लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि लम्बित वादों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली-2016 में वर्णित समयबद्धता का अनुपालन न होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी का क्या दायित्व तय किया गया है ? क्या सरकार उक्त तहसील में धारा-34 के लम्बित वाद दायर होने की तिथि तथा लम्बन काल की अवधि का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली की तहसील कैराना में धारा-34 के 09 वाद एवं तहसील ऊन में धारा-34 के 67 वाद लम्बित हैं।

जी हाँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में वर्णित समयबद्धता के अनुपालन में लम्बित वादों का (अविवादित वादों का 45 दिन के अन्दर एवं विवादित वादों का 90 दिन के अन्दर) गुण-दोष के आधार पर निस्तारण कराये जाने का दायित्व निर्धारित है।

जी हाँ। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न ही नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-346-351 पर।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में ग्राम इस्लामनगर व भड़ी क्षेत्र में ग्राम भड़ी के खनन ठेकेदार द्वारा यमुना नदी के प्रवाह को मोड़ देने से आई बाढ़ से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान के भरपाई के सम्बन्ध में

118-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में वर्तमान वर्ष में ग्राम इस्लामनगर व भड़ी क्षेत्र में ग्राम भड़ी के खनन ठेकेदार द्वारा यमुना नदी के प्रवाह को मोड़ देने से आई बाढ़ से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में ग्राम-इस्लामनगर नहीं है। ग्राम-भड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से आयी बाढ़ के कारण 51 कृषकों की फसल क्षति हुई है। उक्त प्रभावित 51 कृषकों को रु0 1,31,275/- की धनराशि कृषि निवेश अनुदान के रूप में राहत सहायता प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि माह जुलाई, 2023 में यमुना नदी में आयी बाढ़ से जनपद-शामली में प्रभावित कुल 1144 कृषकों को रु0 56,48,231/- की धनराशि कृषि निवेश अनुदान के रूप में राहत सहायता प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम प्रधानपुर, रेटही, नहोरा, ओइना, असवरनपुर में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में

119-श्री जगदीश नरायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम प्रधानपुर, रेटही, नहोरा, ओइना, असवरनपुर में सरकार चकबन्दी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत स्थित विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम प्रधानपुर, रेटही, नहोरा, ओइना, असवरनपुर की प्रथम चक्र की चकबन्दी पूर्व में पूर्ण करायी जा चुकी है।

ग्राम असवरनपुर में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी द्वारा निदेशालय प्रेषित किया गया है। ग्राम प्रधानपुर, रेटही, नहोरा, ओइना को चिन्हित करके ग्रामों के कृषकों की रायशुमारी के उपरान्त ग्राम सभा

से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर उपयुक्त पाये जाने पर द्वितीय चक्र की चकबन्दी प्रक्रिया में प्रख्यापन हेतु उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-4क (2) के अन्तर्गत निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मोथहां पम्प कैनाल तथा जगदीशपुर पम्प कैनाल के नवीनीकरण तथा सफाई के सम्बन्ध में

120-श्री जगदीश नरायण-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मोथहां पम्प कैनाल तथा जगदीशपुर पम्प कैनाल का सरकार नवीनीकरण तथा उक्त स्थान की सफाई करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड-सिरकोनी में स्थित मोथहां पम्प नहर (क्षमता 20 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण का कार्य 2019 से 2021 के मध्य कराया जा चुका है। उक्त आधुनिकीकरण के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण हो चुके पम्पसेट, एम0एस0 पाइप एवं अन्य सहायक उपकरणों की प्रतिस्थापना का कार्य तथा सिविल कार्य के अन्तर्गत मुख्य नहर में 2.0 किमी0 एवं बीबीपुर माइनर में 0.60 किमी0 ब्रिक लाइनिंग एवं बैंक सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। मुख्य नहर में 2.0 किमी0 के आगे 1.0 किमी0 नई ब्रिक लाइनिंग के लिए परियोजना के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड-सिरकोनी में स्थित जगदीशपुर पम्प नहर (क्षमता 20 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण का कार्य 2019 से 2021 के मध्य कराया जा चुका है। उक्त आधुनिकीकरण के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण हो चुके पम्पसेट, बार्ज, एम0एस0 पाइप एवं अन्य सहायक उपकरणों की प्रतिस्थापना का कार्य कराया गया। सिविल कार्यों के अन्तर्गत मुख्य नहर में 2.0 किमी0 एवं सखोई माइनर में 0.85 किमी0 ब्रिक लाइनिंग एवं बैंक सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। मुख्य नहर में 2.0 किमी0 के आगे 1.0 किमी0 नई ब्रिक लाइनिंग के लिए परियोजना के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार मोथहां पम्प नहर एवं जगदीशपुर पम्प नहर की मुख्य नहर एवं माइनर की सफाई का कार्य 1431 रबी फसली के पूर्व कराया जा चुका है। नहर के अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार सफाई का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कादरगंज में शंकर भोलेनाथ मन्दिर से राम मोहन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग/खड़न्जा के निर्माण के सम्बन्ध में

121-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कादरगंज में शंकर भोलेनाथ मन्दिर से राम मोहन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग/खड़न्जा का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत को राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों से एक वित्तीय वर्ष में लगभग 7.11 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। उक्त धनराशि से ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिस पर 02.50 लाख रुपये अनिवार्य रूप से व्यय किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त पेयजल एवं ऑपरेशन कायाकल्प पर भी ग्राम पंचायत को धनराशि व्यय करना होता है। ग्राम पंचायत कादरगंज में शंकर भोलेनाथ मन्दिर से राम मोहन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग/खड़न्जा जिसकी लम्बाई लगभग 250 मीटर है, जिसके निर्माण कार्य पर लगभग 6.50 लाख रुपये का व्यय सम्भावित है। ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

122-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा बुजुर्ग में बरेठी लिंक रोड धोबिन के पुरवा से चेतन का पुरवा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

123-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा बुजुर्ग में बरेठी लिंक रोड धोबिन के पुरवा से चेतन का पुरवा लम्बाई 600 मीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला पंचायत, चित्रकूट की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रस्तावित नए लिंक कैनाल का निर्माण एवं चित्रकूट के रसिन बांध से बसवा बांध में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

124-श्री अनिल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितने नए लिंक कैनाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? क्या सरकार बताएगी कि जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा बांध में पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बाणगंगा बरुवा डैम लिंक कैनाल का गठन किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, वर्ष 2022-23 में दो लिंक कैनाल की परियोजना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है :-

जनपद मिर्जापुर में जिरगो हुसैनपुर लिंक कैनाल की परियोजना।

जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने हेतु लिंक कैनाल का निर्माण कार्य।

जी हां, जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने हेतु लिंक कैनाल के निर्माण कार्य की एक परियोजना का गठन किया गया है।

बाणगंगा नदी से बरुआ बांध में पानी पहुंचाने हेतु लिंक कैनाल के निर्माण कार्य की परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति में दिनांक 14-02-2023 को प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें समिति द्वारा बाणगंगा नदी में जल की उपलब्धता तथा परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिस पर National Institute of Hydrology, Roorkee द्वारा परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। परियोजना तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्गत राजस्व ग्राम नरहन खास में गाटा सं0-399 पोखरी के नाम से आवंटित पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

125-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्गत राजस्व ग्राम नरहन खास में गाटा सं0-399 पोखरी के नाम से आवंटित पर

कतिपय व्यक्तियों द्वारा पाटकर कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार उक्त पोखरी से अवैध कब्जा को हटाकर पोखरी को बरकरार रखेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम नरहन खास में स्थित गाटा संख्या 399/0-138 हे0 गड़ही (पोखरी) खाते की भूमि है, जिसका सीमांकन राजस्व टीम से दिनांक 28-01-2024 को कराया गया। पोखरी मौके पर खाली है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ब्लाक जलीलपुर के चाँदपुर दत्तियाना मार्ग माहू गेट से जलीलपुर की ओर जाने वाला मार्ग की विशेष मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

126-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ब्लाक जलीलपुर के चाँदपुर दत्तियाना मार्ग माहू गेट से जलीलपुर की ओर जाने वाला मार्ग जीर्ण-क्षीर्ण है तथा मार्ग में गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग को जिला पंचायत, बिजनौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित कर लम्बाई 1.240 किमी0 में नवीनीकरण कार्य पूर्ण कराकर मार्ग की विशेष मरम्मत करा दी गयी है। वर्तमान में मार्ग जनसामान्य के आवागमन हेतु गड्ढामुक्त है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा नदी की कटान की रोकथाम के लिए सरकार की योजना एवं कटान से विस्थापित ग्राम गोपालनगर, सिवाल मठिया और वशिष्ठनगर के परिवारों को आवास दिलाने के सम्बन्ध में

127-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा नदी कटान की रोकथाम के लिए सरकार ने कोई परियोजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि कटान से विस्थापित ग्राम पंचायत गोपालनगर, सिवाल मठिया और वशिष्ठनगर के परिवारों को बसाने के लिए भूमि अथवा आवास दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद बलिया में सरयू (घाघरा) नदी के दायें तट पर निर्मित तुर्तीपार श्रीनगर तटबंध के किमी0-69.950 से किमी0-70.200 के मध्य लांचिंग एप्रन एवं स्लोप पिचिंग के कार्य की परियोजना बनाई गयी है, जो स्थाई संचालन समिति से स्वीकृत है।

तहसील बैरिया, जनपद बलिया के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम वशिष्ठ नगर व शिवाल मठिया की आबादी प्रभावित नहीं है। ग्राम गोपाल नगर में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित 56 परिवारों में से 03 परिवार ग्राम रेवती में, 09 परिवार ग्राम चाई छपरा में, 14 परिवार ग्राम सुरेमनपुर में अपनी निजी भूमि पर एवं 30 परिवार ग्राम गोपालनगर में अपनी निजी जमीन पर मकान/झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। ग्राम गोपाल नगर में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित परिवार जिसके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे 19 व्यक्तियों को आवासीय पट्टा दिया जा चुका है तथा 23 परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। जमीन क्रय कर बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में तहसीलवार स्थापित राजकीय नलकूप एवं वर्तमान में बन्द पड़े नलकूपों को जनहित में चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

128-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में किन-किन तहसीलों में कितने-कितने राजकीय नलकूप स्थापित किए गए हैं एवं उनमें से कितने नलकूप वर्तमान में बन्द हैं ? क्या सरकार कृषि कार्य हेतु बन्द नलकूपों को जनहित में चालू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2023 के अनुसार जनपद बलिया में 868 राजकीय नलकूप संचालित हैं। तहसीलवार संचालित नलकूपों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	तहसील का नाम	संचालित राजकीय नलकूपों की संख्या	बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या		
			यांत्रिक दोष	विद्युत दोष	कुल योग
1	बलिया सदर	264	6	3	9
2	बैरिया	106	1	1	2
3	बांसडीह	122	0	0	0

क्र0-सं0	तहसील का नाम	संचालित राजकीय नलकूपों की संख्या	बन्द राजकीय नलकूपों की संख्या		
			यांत्रिक दोष	विद्युत दोष	कुल योग
4	सिकन्दरपुर	97	1	0	1
5	बेलथरा रोड	108	1	1	2
6	रसड़ा	171	2	3	5
कुल योग :		**868**	**11**	**8**	**19**

दिनांक 18-01-2024 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार जनपद बलिया में 11 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 08 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द हैं। सूची संलग्न है।†

यांत्रिक दोष से अस्थाई रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को निर्धारित अवधि में एवं विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को विद्युत विभाग से समन्वय करके सिंचाईरत् कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल के नाम दर्ज भूमि पर से अवैध कब्जा को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

129-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में आराजी सं0-107/16, रकबा 6 बिस्वा स्थित मौजा तरकापुर तप्पा 84 परगना कतित, तहसील सदर जोकि सरकारी अस्पताल के नाम पर दर्ज है, पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करके खसरा में अपना नाम दर्ज करा लिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्जा को हटाकर खसरा खतौनी को ठीक कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम तरकापुर के 1359 फ0 के खसरे का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार आ0सं0 107/16, रकबा 06 बिस्वा आ0सं0 107/15 में सम्मिलित है जो बाबू ज्ञानचन्द वगैरह के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी में आ0सं0 107/16, रकबा 0.076 हे0 आनन्द चन्द पुत्र मिश्रीलाल वगैरह अथवा उनके वारिसानों के नाम जिमन-4 के रूप में अंकित है। सरकार बहादुर जनाना अस्पताल के नाम आ0सं0 107/17 व 107/18 अंकित है एवं सरकारी अस्पताल मौके पर बना है। आ0सं0 107/16 राजस्व अभिलेख खतौनी के अनुसार सरकारी अस्पताल के नाम अंकित नहीं रहा है, जिसके कारण उस पर अवैध कब्जा करके खसरे में नाम दर्ज कराए जाने और कब्जा को हटाकर खसरा/खतौनी को ठीक कराए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-352 पर।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज के ग्राम कोलू खोर में मेन रोड से वीरेंद्र यादव के घर तक तथा प्राइमरी स्कूल से सोचन शर्मा के घर तक की सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

130-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज के ग्राम कोलू खोर में मेन रोड से वीरेंद्र यादव के घर तक तथा प्राइमरी स्कूल से सोचन शर्मा के घर तक की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्गों का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 270 मी0 है, जिसमें 205 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई लेपन में है तथा शेष भाग 65 मी0 लम्बाई एवं 2.50 मी0 चौड़ाई में खड़न्जा स्तर का है। उक्त मार्ग का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 12.00 लाख है। जिला पंचायत, आजमगढ़ की आगामी बोर्ड बैठक में निर्माण कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा एवं स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार निर्माण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ के कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ में कुल कार्यरत कर्मचारी एवं सात वर्ष से तैनात कर्मचारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

131-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उक्त में से कितने अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत विगत 7 वर्षों से तैनात हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गाटों व मकानों के प्रतिकर की धनराशि के अनियमित भुगतान की जांच कमिश्नर द्वारा गठित समिति ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच सहित कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ में स्थानान्तरण नीति का पालन करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जनपद आजमगढ़ में कुल 12 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 01 कर्मचारी (व0स0) 07 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं जिसका कार्य आवंटन/पटल दिनांक 04-07-2022 को बदल दिया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात नहीं है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे आजमगढ़ एयरपोर्ट के समीप अवस्थित मकानों का मूल्यांकन कर भुगतान की कार्यवाही में की गयी अनियमितताओं की जाँच हेतु मण्डलायुक्त, आजमगढ़ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1659/8-14 (2017-20) रामअवध दिनांक 11-09-2020 द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा जाँच कर अपनी जाँच आख्या दिनांक 01-12-2020 को प्रस्तुत की गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपदवार नियुक्त हुए लेखपालों का अन्तर्जनपदीय स्थानातरण नीति की जानकारी

132-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार नियुक्त हुए लेखपालों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कोई नीति है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु स्थानान्तरण नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उ0प्र0 लेखपाल सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015 के स्तम्भ-2 नियम-24 (1) के अनुसार समय-समय पर जारी सरकारी आदेश/स्थानान्तरण नीति के अनुसार मण्डलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानान्तरण मण्डल के भीतर और जिले का कलेक्टर जिले के भीतर कर सकेगा और किसी सब-डिवीजन का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण सब-डिवीजन के भीतर एक सर्किल से दूसरे सर्किल को कर सकेगा :

परन्तु यह कि लेखपालों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण करने से पूर्व मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखपालों की उनकी तैनाती के जिले से ऐसे स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी जिले में रिक्तियां स्वीकृत पदों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि समस्त भरे हुए पदों की संख्या 80 प्रतिशत की सीमा से कम है, तो ऐसी स्थिति में रिक्तियां जिले के आर-पार आनुपातिक आधार पर बांट दी जायेंगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम सलारपुर से ग्राम सराय मुबारक चांडी तक के जर्जर सड़क का नवीनीकरण के सम्बन्ध में

133-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम सलारपुर से ग्राम सराय मुबारक चांडी तक के जर्जर सड़क का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी0 है, जो वर्तमान में जर्जर है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 26.73 लाख है। जिला पंचायत, आजमगढ़ की आगामी बोर्ड बैठक में निर्माण कराने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा एवं स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार निर्माण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट के ग्राम पाठंगी में राजेन्द्र सिंह यादव के घर से रानी देवी के घर तक की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

134-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट के ग्राम पाठंगी में राजेन्द्र सिंह यादव के घर से रानी देवी के घर तक लगभग 200 मी0 मार्ग जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण/इण्टरलॉकिंग कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। स्थलीय सत्यापन में पाया गया कि उक्त मार्ग पर खड़न्जा लगा हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को अनियमित ढंग से वेतन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

135-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को अनियमित ढंग से सम्भागीय समिति के द्वारा विनियमितीकरण शासन के पत्र संख्या-2373/15-05-2023-1601(696)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 के प्रभाव में आने के पश्चात् समाप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विनियमितीकरण की वैधता नियम को सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार

द्वारा सभी तदर्थ शिक्षक जो विनियमित नहीं हैं की सेवाएं समाप्त मानते हुए दिनांक 10 नवम्बर, 2023 से वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-2373/15-05-2023-1601 (696)/2019, दिनांक 09-11-2023 ऐसे तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्गत किया गया है, जो अद्यतन विनियमित नहीं हुये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 09-11-2023 ऐसे तदर्थ शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्गत किया गया है, जो अद्यतन विनियमित नहीं हुये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा के परिधि में आने वाले पदों को पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था एवं वर्ष 2022-23 में किये गये विभागवार पदोन्नति की सूची के सम्बन्ध में

136-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के परिधि में आने वाले पदों को किन-किन विभागों में पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है ? क्या सरकार द्वारा सभी विभागों को पदोन्नत कोटे यथा 50 प्रतिशत में एकरूपता प्रदान करने के कोई निर्देश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2022-23 में ऐसे पदों पर किये गये विभागवार पदोन्नति की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विभाग की संगत सेवा नियमावली में विहित प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन एवं संगत अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं।

विवरण संलग्न है।†

उपर्युक्तानुसार।

---

† देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-353-354 पर।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी में कम्प्यूटर आपरेटर मनरेगा के पद पर कार्यरत कर्मचारी की पत्नी एवं पिता के नाम से पंजीकृत फर्म से ही कार्य कराने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

137-श्री लालजी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2022, संख्या 137/अड़तीस-7-2022-63 नरेगा/2009 के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारी/कर्मी के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों द्वारा स्थापित फर्म/कम्पनीज को वेण्डर के रूप में रजिस्टर नहीं किये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त शासनादेश के विपरीत विकास खण्ड कटेहरी, जनपद अम्बेडकरनगर में कम्प्यूटर आपरेटर मनरेगा के पद पर कार्यरत कर्मचारी की पत्नी एवं पिता के नाम से पंजीकृत फर्म पर विभिन्न पंचायतों में कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-137/अड़तीस-7-2022-63 नरेगा/2009, दिनांक 21-03-2022 निर्गत होने के उपरान्त सामग्री आपूर्ति हेतु कोई सप्लाई आर्डर निर्गत नहीं किया गया है और न ही मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु वेण्डर के रूप में मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़े पदाधिकारी/कर्मी के पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के संचालित फर्म/कम्पनीज द्वारा आपूर्ति की गयी है। प्रश्नगत आपूर्ति संदर्भित शासनादेश निर्गत होने के पूर्व की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला अम्बेडकरनगर के प्रबन्धकीय अनुदानित जु0हा0 स्कूल के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में

138-श्री लालजी वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर के प्रबन्धकीय अनुदानित जु0हा0 स्कूल के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की अवशेष धनराशि की दूसरी किस्त का भुगतान वर्तमान तक नही किया गया है ? क्या सरकार उक्त अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकरनगर में हर घर जल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन के निर्माण में तोड़ी गई सड़कों के मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में

139-श्री लालजी वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रामों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त गांवों के नाम की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में कुल 1601 राजस्व ग्राम हैं। उक्त में से 09 राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिया है तथा शेष राजस्व ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल हेतु बिछाई जा रही पाइपों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों में से 80 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। अवशेष क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है।

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पाइप लाइनों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में

140-श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पाइप लाइनों (हर घर जल योजना) का अधूरा कार्य छोड़ देने से निवासियों को हो रही समस्या के निस्तारण हेतु क्या सरकार हर घर जल योजना का कार्य पूर्ण कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के कुल 04 विकास खण्डों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 199 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएँ विरचित की गयी हैं। जिसके अन्तर्गत 1340.00 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य के सापेक्ष 896.00 किलोमीटर पाइप

लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत अवशेष कार्य मार्च, 2024 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में राम गंगा नदी के अगल-बगल के ग्राम सभाओं में अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

141-श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज तथा जनपद बरेली व शाहजहाँपुर की सीमा का चिन्हांकन न होने से रामगंगा नदी के पास के जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर फार्म हाउस बनाये गये हैं ? क्या सरकार दातागंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा नदी के अगल-बगल के ग्राम सभाओं में अवैध कब्जे का चिन्हांकन कराकर हटायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बदायूँ की विधान सभा क्षेत्र दातागंज तथा जनपद बरेली व शाहजाहाँपुर की सीमा पर रामगंगा नदी के पास की जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर कोई फार्म हाउस नहीं बनाया गया है।

कोई अवैध कब्जा नहीं होने के कारण अवैध कब्जे का चिन्हांकन कराकर हटाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बीते पन्द्रह वर्षों में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संस्थापक, मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटीज ने धारित भूमि में स्वीकृत अवधि के दौरान सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कार्य आदि पूरा न करने वाली समस्त शिक्षा संस्थाओं की अवशेष भूमि राज्य सरकार से चिन्हित करने के सम्बन्ध में

142-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीते पन्द्रह वर्षों में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संस्थापक, मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटीज ने धारित भूमि में स्वीकृत अवधि के दौरान सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कार्य आदि पूरा कर लिया है ? क्या सरकार बतायेगी कि निर्माण कार्य पूरा करने वाली संस्थाओं से धारित सम्पूर्ण भूमि के उपयोग करने का सक्षम अधिकारियों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्वीकृत अवधि में निर्माण कार्य पूरा न करने वाली समस्त शिक्षा संस्थाओं की अवशेष भूमि राज्य

सरकार में निहित करने हेतु कोई नोटिस दिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (यथा संशोधित) प्रख्यापित किया गया है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया गया है। विश्वविद्यालय को संचालित किये जाने से पूर्व उक्त मानकों को सुनिश्चित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री समरपाल सिंह-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-208 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर नया धर्मस्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लेने के सम्बन्ध में

144-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर नया धर्मस्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होने सम्बन्धी कोई शासनादेश पूर्व में जारी है ? यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शासनादेश में नए धर्मस्थल निर्माण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) संख्या-8519/2006 में यह आदेश दिये गये हैं कि राज्य सरकार सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, सड़क के किनारे और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य स्थानों पर कोई प्रतिमा लगाने या किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं देगी।

इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिनकी छायाप्रति संलग्न है :-

1-शासनादेश संख्या-एस0सी0-03/छः-पु-9-09-31(15टी0)/2009, दिनांक 29-10-2009

2-शासनादेश संख्या-2762/छः-पु-9-10-31(15टी0)/2009, दिनांक 12-10-2010

3-शासनादेश संख्या-एस0सी0-13/छः-पु-9-13-31(15टी0)/2009, दिनांक 11-08-2013

जनपद-झांसी में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना को पुनः चालू कराकर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

145-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में बेतवा नदी पर एरच बांध परियोजना का कार्य करोड़ों की लागत के बावजूद पूर्ण न होने से सिंचाई एवं पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु परियोजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208930, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

उपरोक्त उल्लिखित पत्र पर शासन के पत्र दिनांक 20-09-2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आख्यानुसार एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना का कार्य सिंचाई निर्माण खण्ड, मऊरानीपुर द्वारा कराया जा रहा था। वर्तमान में उक्त खण्ड (सिंचाई निर्माण खण्ड, मऊरानीपुर) का विघटन उपरान्त समस्त कार्य मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम, महोबा को आवंटित किया गया है।

एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर शासन के पत्र संख्या-1289/17-27-सिं0-5-56/17, दिनांक 12-04-2017 द्वारा माह 04/2017 से जाँच संस्थित होने के कारण उक्त परियोजना का विगत 7 वर्षों से कार्य बन्द है। प्रश्नगत परियोजना पर शासन के पत्र सं0-805/25-8-2018-17 (5)/2018, दिनांक 22-01-2019 के अनुपालन में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) द्वारा जाँच की जा रही है, जो विवेचनाधीन है।

एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा Civil Engineering Department, HBTU Kanpur से परियोजना के तकनीकी प्राविधानों का परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में रिपोर्ट दिनांक 11-01-2024 को प्राप्त हो गयी है।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट का अध्ययन उपरान्त एरच बांध निर्माण हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इटावा की तहसील जसवन्तनगर के ग्राम नगला की गाटा सं0-1236, 1238, 1216, 1235 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

146-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा की तहसील जसवन्तनगर के ग्राम नगला की गाटा सं0-1236, 1238, 1216, 1235 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र क-7 सं0-199955, दिनांक 11 जुलाई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र जनपद इटावा की तहसील जसवन्तनगर के ग्राम नगला के सम्बन्ध में नहीं है, अपितु मौजा-कस्बा इटावा, तहसील व जनपद इटावा से सम्बन्धित है।

मौजा-कस्बा इटावा, तहसील व जनपद इटावा के राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1429फ0 से 1434फ0 के खाता संख्या-53 में प्रार्थी प्रेम बाबू पुत्र चन्द्रभान, निवासी नगला विशुन के साथ आशाराम पुत्र ख्यालीराम व सुकेन्द्र सिंह पुत्र सौदान सिंह के नाम गाटा संख्या-1216 मि0, रकबा 0.00400 व 1235 मि0, रकबा 0.0040 हे0 व 1236 रकबा, 0.3280 हे0 व 1238 रकबा, 0.7520 हे0 कुल 4 किता रकबा 1.0880 हे0 उपरोक्त काश्तकारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। मौके पर प्रार्थीगणों की भूमि रिक्त है, जिस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी के उक्त नम्बरों से सटे हुये गाटा संख्या-1233, रकबा 1.1330 हे0 अजय कुमार पुत्र सत्यनारायण आदि व खाता संख्या-754 की गाटा संख्या-1223 रकबा 0.0930 हे0 स्टार रेडीमेड प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव आदि व खाता संख्या-473 की गाटा संख्या-1223 मि0 रकबा 0.8340 हे0 स्टार रेडीमेड प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रार्थी की भूमि मौके पर परती के रूप में रिक्त है, जिस पर कोई मंदिर निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नकर्ता के पत्र-ख-7 सं0-276766, दिनांक 27 जुलाई, 2023 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय कुमार खरे को सिंचाई विभाग खण्ड झांसी हेतु कार्य मुक्त कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-276766, दिनांक 27 जुलाई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम बहाउद्दीनपुर में तातो-मुरैनी मुख्य मार्ग से दूधनाथ यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में

148-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम बहाउद्दीनपुर में तातो-मुरैनी मुख्य मार्ग से दूधनाथ यादव के घर तक दूरी लगभग 500 मीटर का इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 310 मी0 में ग्राम पंचायत द्वारा 2-70 मी0 चौड़ाई में खड़न्जा निर्मित कराया गया है, जिस पर सी0सी0 निर्माण कार्य की लागत मु0 16-75 लाख रुपये है। उक्त मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत, प्रतापगढ़ की वर्ष 2024-25 की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कर आगामी बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पुरे देवजानी में मदरसे के पास से अब्दुल अहद के घर तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

149-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पुरे देवजानी में मदरसे के पास से अब्दुल अहद के घर तक दूरी लगभग 500 मीटर का इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 363 मी0 है, जिस पर 232 मी0 लम्बाई में ग्राम पंचायत द्वारा 2.50 मी0 चौड़ाई में खड़न्जा कार्य कराया गया है तथा शेष 131 मी0 कच्चा है, जिस पर सी0सी0 निर्माण कार्य की लागत मु0 20.80 लाख रुपये है। उक्त मार्ग के निर्माण का

प्रस्ताव जिला पंचायत, प्रतापगढ़ की वर्ष 2024-2025 अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कर आगामी बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के तेरह मील लिंक मार्ग से ग्राम गोगलापुर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराने के सम्बन्ध में

150-श्री राम सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के तेरह मील लिंक मार्ग से ग्राम गोगलापुर तक दूरी लगभग 150 मीटर का इण्टरलॉकिंग निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के तेरह मील लिंक रोड से ग्राम गोगलापुर तक लगभग 150 मीटर इण्टरलॉकिंग कार्य ग्राम पंचायत गोगलापुर की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में क्रम संख्या-02 पर सम्मिलित कर लिया गया है। माह अप्रैल, 2024 में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-उन्नाव की कोतवाली-बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम पलिया के गरीब व अनुसूचित जाति की जमीन पर हुए कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

151-श्री रामपाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की कोतवाली-बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम पलिया के गरीब व अनुसूचित जाति के लोगों की चार पीढ़ी पुरानी पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र मैथानी, विधायक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023 जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

मौके पर राजस्व टीम द्वारा स्थलीय एवं अभिलेखीय विस्तृत जाँच की गयी, जिसमें पाया गया कि प्रकरण ग्राम पलिया की खाता संख्या-000702 गाटा संख्या-760 जोकि आबादी से सम्बन्धित है तथा मौके पर ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान के बयान से स्पष्ट हुआ कि दोनों

पक्षों का अपने-अपने सहन में पूर्व से कब्जा है। अतः प्रार्थी की मांग के अनुसार विपक्षी को बिना न्यायालय आदेश के हटाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रकरण आबादी से सम्बन्धित है तथा दोनों पक्षों में कब्जे को लेकर विवाद है, जिसकी कार्यवाही राजस्व क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी सिविल कोर्ट में वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की नहरों में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में

152-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित है ? क्या सरकार कोई ठोस नीति एवं कार्य योजना बनाकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं। जनपद फतेहपुर के बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र में सभी नहरों की टेल तक पर्याप्त पानी पहुँच रहा है तथा सिंचाई व्यवस्था प्रभावित नहीं है।

नहरों की टेल तक पानी पहुँचाने हेतु उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विधान समा क्षेत्र बिन्दकी की समस्त नहरों पर जल उपभोक्ता समितियां गठित कर नहरों का प्रबन्धन व संचालन सम्बन्धित समितियों को हस्तान्तरित कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप समितियों द्वारा नहरों का संचालन करते हुए टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

153-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु ग्राम समाज की भूमि आरक्षित की गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में एवं कितनी-कितनी भूमि आरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खेलों के विकास हेतु ग्राम समाज की भूमि आरक्षित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम के नाम से भूमि आरक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान हेतु अनिवार्य रूप से 01 हेक्टेयर भूमि आरक्षित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1747/एक-1-2019-रा0-1, दिनांक-15-01-2020 द्वारा निर्देश निर्गत हैं।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार कनिष्ठ लेखा लिपिक से सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों पर पदोन्नति एवं ज्येष्ठता सूची के विवरण के सम्बन्ध में

154-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2982, दिनांक 30-09-2003 एवं शासनादेश संख्या 257/ 38-1-2007-21 पदों/2008, दिनांक 19-07-2007 में निहित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लेखा लिपिक से सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों पर पदोन्नति करते हुए ज्येष्ठता सूची निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय को प्रेषित की गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-251/दस 2014-11-2013, दिनांक 07-11-2014 द्वारा लेखा संवर्ग की नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार सहायक लेखाकार एवं लेखाकारों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा उ0प्र0 हैं। उक्त नियमावली प्रख्यापन के फलस्वरूप लेखा संवर्ग के कार्मिकों के समस्त अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य (भूतगामी एवं वर्तमान) निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के स्तर पर ही सम्पादित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

155-श्री संदीप सिंह-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या व जनपद बस्ती में ऐसे विद्यालयों का विवरण तथा छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी विषयक

156-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बस्ती में कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें वर्तमान में छात्र-छात्राएं 100 से कम हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण विद्यालय व छात्र संख्या के साथ सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी नहीं।

1397 विद्यालय।

तदैव।

जी हाँ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक छात्र प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए कई योजनाएं संचालित हैं-

स्कूल चलो अभियान।

हाउस होल्ड सर्वे।

ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रतिदिन के आधार पर बच्चों की उपस्थिति का निरीक्षण किया जाता है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (1) (ग) के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि धारा-2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आस-पास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसका पूरा होने तक, प्रदान करेगा।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययरत् बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्कूल ड्रेस, स्वेटर एवं मध्याह्न भोजन आदि उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे धनाभाव के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु गम्भीर प्रयास किये जाते रहे हैं :-

पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु शैक्षिक कैलेण्डर तैयार कर जनपदों को प्रेषित किये गये हैं, जिससे समयान्तर्गत पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जा सके।

विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए मण्डलीय/जनपदीय/विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम (शिक्षा कायाकल्प योजना) का भी संचालन किया जा रहा है।

विद्यालय को आकर्षक बनाये जाने की दिशा में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं और इस हेतु धनावंटन भी किया गया है।

प्रत्येक विकास खण्ड में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का संचालन कराया गया है।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रवेश कराते हुए विशेष उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति (LearningAchievement) को बढ़ाने के लिए 'आपरेशन शिक्षा कायाकल्प' संचालित किया जा रहा है। इसमें सभी जनपदों के सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (लगभग 1.13 लाख) आच्छादित है। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गयी है, जिससे छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में वृद्धि होगी।

पाठ्य-पुस्तकों का "e-pothy" संस्करण तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों के सभी पाठों में "QR-Code" डालकर उसके माध्यम से पाठ सम्बन्धी अतिरिक्त "Audio&Video" सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग शिक्षकों और बच्चों द्वारा किया जा रहा है और शिक्षण अधिक रोचक हुआ है।

वर्ष 2018-19 में प्रथम बार सभी प्राथमिक विद्यालयों में टैबलेट/स्मार्टफोन तथा 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लैपटॉप दिया जा रहा है।

वर्तमान शैक्षिक सत्र में 5000 अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया गया, जिसका अभिभावकों द्वारा स्वागत किया गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्राथमिक विद्यालयों के 1.03 लाख अध्यापकों को अंग्रेजी विषय पर तथा लगभग 96500 शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन पर प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूल प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं का समूह 'माँ समूह' का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो रही है।

शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा प्रवासी मजदूरों के परिवार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु डोर-टू-डोर हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में आयुसंगत कक्षा में प्रवेश कराया जाना।

शिक्षकों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु 'दीक्षा ऐप' का निर्माण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

157-श्री कविन्द्र चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

158-श्री कविन्द्र चौधरी-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु राज्यपाल महोदय के नाम अंकित भूमि पर राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में

159-श्री अनिल प्रधान-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु राज्यपाल महोदय के नाम अंकित भूमि पर राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट में 02 पॉलीटेक्निक यथा-राजकीय पॉलीटेक्निक, मानिकपुर, चित्रकूट एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, बरगढ़, चित्रकूट पूर्व से संचालित है। उक्त पॉलीटेक्निक को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित तथा 03 राजकीय पॉलीटेक्निक पी0पी0पी0 मोड पर अर्थात् कुल 169 पॉलीटेक्निक संस्थायें वर्तमान में संचालित हो रही हैं, शेष 51 नवीन पॉलीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। शैक्षिक वर्ष 2022-23 में संचालित राजकीय एवं अनुदानित संस्थानों की निर्धारित प्रवेश क्षमता 48,836 के सापेक्ष मात्र 36,109 छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया तथा 12727 सीटें रिक्त रही हैं।

प्रदेश में पर्याप्त राजकीय/अनुदानित पॉलीटेक्निक संचालित होने तथा शैक्षिक वर्ष 2022-23 में निर्धारित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष रिक्त सीटों के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना पर विचार किया जाना समीचीन नहीं है।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

160-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-58/2021/2350/33-3-2021-2257/2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के चिल्लीमल में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में

161-श्री अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के चिल्लीमल में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार जनपद चित्रकूट का चिल्लीमल क्षेत्र संतृप्त है। अतः सम्बन्धित क्षेत्र में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम कौहारी एवं साईंपुर के मध्य राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

162-श्री अनिल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम कौहारी एवं साईंपुर के मध्य राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से आच्छादित ग्राम पाही में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हो चुकी है तथा यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित किए जाने हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है, जिसमें कक्षाएं संचालित हैं। ग्राम कौहारी एवं साईंपुर जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक में स्थित है। कर्वी ब्लॉक में 02 राजकीय महाविद्यालय तथा 06 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय कला/विज्ञान/वाणिज्य एवं अन्य संकाय में संचालित हैं, जिससे प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं के उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में एक अतिरिक्त महाविद्यालय की स्थापना का सम्प्रति अवसर नहीं है।

प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के तय मापदण्ड

163-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के तय मापदण्ड क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 05 वर्षों में इस प्रक्रिया के तहत कितने पुलिस कर्मियों को आवश्यक रूप से सेवानिवृत्त किया गया है ? क्या सरकार उक्त के अन्तर्गत सेवानिवृत्त किये गये सभी पुलिस कर्मियों की संख्या जनपदवार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त रूप में सेवानिवृत्त किये जा रहे पुलिस कर्मियों को सुगमतापूर्ण जीवन-यापन करने हेतु सरकार द्वारा क्या आर्थिक मदद की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26-10-1985 के क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों व अद्यतन शासनादेश दिनांक 06-07-2017 के वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रदेश के 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुलिस कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कर कार्यवाही की जाती है। इन शासनादेशों में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम-56 की उल्लिखित व्यवस्था जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, किसी भी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है, के उपबन्ध भी उल्लिखित हैं।

विगत 05 वर्षों में इस प्रक्रिया के तहत कुल 467 पुलिस कर्मियों को आवश्यक रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। उपरोक्तानुसार सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त रूप से सेवानिवृत्त किये जा रहे पुलिस कर्मियों को सुगमतापूर्वक जीवन-यापन करने हेतु उनके अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में विकास प्राधिकरणों के सीमा विस्तारों के कारण जिला पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों को हो रहे राजस्व के नुकसानों की भरपाई के सम्बन्ध में

164-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में विकास प्राधिकरणों के सीमा विस्तारों के कारण जिला पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों को हो रहे राजस्व के नुकसानों की भरपाई के लिये सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों/उपविधियां बनाकर टैक्स/लाइसेंस के माध्यम से राजस्व वसूली की व्यवस्था है।

165-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

166-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हाजीपुर की चकबन्दी कार्य सरकार समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

167-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हाजीपुर की चकबन्दी कार्य सरकार समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम हाजीपुर का चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 30-04-2025 तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के कतिपय ग्रामों में निवासित लोगों हेतु बन्धे पर रपटा पुल निर्माण के सम्बन्ध में

168-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अजगरा मगर्वी, बेलहिया, खरैलिया ढाला, अभ्भनपट्टी, निबिहवा, रोशनगंज व इस्माइलपुर में निवासित लोगों हेतु बन्धे पर रपटा पुल निर्माण की कोई परियोजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अजगरा मगर्वी, बेलहिया, खरैलिया ढाला, अभ्भनपट्टी, निबिहवा, रोशनगंज व इस्माइलपुर ग्राम डूब क्षेत्र (Flood Plan Zone) में

स्थित है। जिस पर रपटा पुल का निर्माण कराया जाना नियमानुसार तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0प्र0 पुलिस विभाग में कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में

169-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पुलिस विभाग में कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पुलिस विभाग में साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस विभाग में अन्य विभागों की अपेक्षा कार्य की अधिकता रहती है। पुलिस कर्मियों द्वारा लम्बी व अनियमित ड्यूटियों के कारण स्वास्थ्य, कार्यों की गुणवत्ता एवं जनता के साथ व्यवहार में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के अवकाश की व्यवस्था निम्नवत् है :-

1-एक माह का आकस्मिक अवकाश

2-एक माह का उपार्जित अवकाश

3-अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को रविवार/सार्वजनिक अवकाशों में किये गये कार्यों के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाता है।

4-पुलिस कर्मियों को लगातार ड्यूटी के उपरान्त प्रत्येक 10वें दिन का रेस्ट (ऑफ ड्यूटी) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या डीजी-चार-120 (03) 2014, दिनांक 29-08-2016, 02-09-2016, 05-09-2016, 18-09-2016, 18-10-2017 एवं 29-12-2017 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में गंगा नदी के बांयें किनारे पर तटबन्ध निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

170-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में गंगा नदी के बांयें किनारे पर तटबन्ध निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य की अवशेष रु0 15 लाख की धनराशि का आवंटन सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? क्या सरकार

उक्त क्षेत्र में जहानाबाद से नारनौर के मध्य 30 किमी0 लम्बाई में तटबन्ध बनाये जाने हेतु शेष 14 किमी0 लम्बाई का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में गंगा के बांयें किनारे पर तटबन्ध निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य की अवशेष रु0 15 लाख की धनराशि का आवंटन गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही किया जा चुका है। जहानाबाद से नारनौर के मध्य सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के अन्तर्गत ग्राम मालपुर माधवपुर में मोहम्मद इदरीस के घर के सामने पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में

171-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के अन्तर्गत ग्राम मालपुर माधवपुर में मोहम्मद इदरीस के घर के सामने बड़े नाला पर पुलिया न होने के कारण लगभग बीस गांव के लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वैकल्पिक मार्ग होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।

जी नहीं।

स्थलीय जाँच में स्पष्ट हुआ है कि सन्दर्भित पुलिया तालाब गाटा संख्या-196ग का हिस्सा है, जिस पर 06 ह्यूम पाइप द्वारा अस्थाई सम्पर्क मार्ग बना है। तालाब के आगे बाग है तथा निजी स्वामित्व की भूमि है, जिसमें सामान्य दिनों में लगभग 20 घरों में निवासरत् ग्रामीणों का आवागमन होता है। बरसात के दिनों में जलभराव के कारण मार्ग बन्द रहता है। ग्रामीणों द्वारा पुराने खड़न्जे के रास्ते का प्रयोग स्थाई रूप से किया जाता है। पुलिया तालाब में होने एवं

आगे का रास्ता राजस्व अभिलेखों में न होने के कारण स्थाई रूप से निर्माण कराया जाना मनरेगा योजनान्तर्गत सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में एन0एच0-31 दया छपरा से भुवाल छपरा नौरंगा चक्की रोड के निर्माण में हुए अनियमितता की जांच कराकर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

172-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में एन0एच0-31 दया छपरा से भुवाल छपरा नौरंगा चक्की तक वर्ष 2007 से 2012 तक के पी0एम0ओ0एस0वाई0 मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, किन्तु विभाग और ठेकेदार के मनमाने ढंग तथा घोर लापरवाही के कारण उक्त कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाही करते हुए जनहित में उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 में वर्ष 2009-10 में पैकेज संख्या-यूपी-1058 के अधीन सम्पर्क मार्ग दया छपरा (श्रीपालपुर) पैन्टून ब्रिज से नवरंगा तक कुल 8.70 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26-04-2011 थी। अनुबन्ध के पश्चात् ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया, किन्तु सितम्बर, 2011 में आयी बाढ़ के कारण निर्माणाधीन मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्ण कराने का प्रयास किया गया, किन्तु मार्ग बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण बार-बार क्षतिग्रस्त होता रहा। मार्ग की जाँच हेतु तकनीकी समिति का गठन किया गया। मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्येक स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया गया, किन्तु अन्य विभाग द्वारा पूर्व निर्मित कई पुलियों के ध्वस्त हो जाने के कारण कार्य कराने के मुख्य उद्देश्य अर्थात् नवरंगा गाँव को कनेक्टिविटी की पूर्ति न होने के क्रम में आगे का कार्य कराते हुए व्यय की जाने वाली धनराशि जन उपयोगी न पाए जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत मार्ग को डिलीट करने का निर्णय लिया गया।

मार्ग बाढ़ग्रस्त/डूब क्षेत्र में है, जिसके कारण मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराया जाना असाध्य है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गोपालनगर टाडी पर घाघरा नदी के कटान से विस्थापित परिवार को पुनः बसाने के सम्बन्ध में

173-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गोपालनगर टाडी पर घाघरा नदी के कटान से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार को पुनः बसाने के लिए जमीन क्रय करके लोगों को बसाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के गोपालनगर टाडी पर घाघरा नदी के कटान से प्रभावित 56 परिवारों में से 03 परिवार ग्राम रेवती में, 09 परिवार ग्राम चाई छपरा में, 14 परिवार ग्राम सुरेमनपुर में अपनी निजी भूमि पर एवं 30 परिवार ग्राम गोपालनगर में अपनी निजी जमीन पर मकान/झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। ग्राम गोपालनगर में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित परिवार जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, उनमें से 19 व्यक्तियों को आवासीय पट्टा दिया जा चुका है तथा 23 परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। जमीन क्रय कर बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रामपुर में बन्द किये गये रामपुर पब्लिक स्कूल में कक्षावार कुल छात्रों के विवरण के सम्बन्ध में

174-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर में बन्द किये गये रामपुर पब्लिक स्कूल में कक्षावार कुल कितने छात्र अध्ययनरत् थे ? क्या सरकार ने उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में उसी फीस और सुविधा के अनुसार समायोजित करने की योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

रामपुर पब्लिक स्कूल में कक्षावार छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

कक्षा	सेक्शन	नामांकन
1	--	21
2	--	44
3	--	44

कक्षा	सेक्शन	नामांकन
4	-	46
5	A	43
	B	38
6	A	28
	B	33
7	A	38
	B	31
	C	42
	D	42
8	A	31
	B	35
	C	34
कुल नामांकन		**508**

रामपुर पब्लिक स्कूल के बन्द होने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर, खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय में स्थापित किये गये कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अभिभावकों से उनके स्थानान्तरण/समायोजन हेतु 28 विद्यालयों को चिन्हित कर उनका समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29-01-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रामपुर पब्लिक स्कूल, तोपखाना रोड की प्रधानाचार्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके विद्यालय के बच्चों का रामपुर पब्लिक स्कूल, यतीमखाना मोहल्ला घोसियाना, रामपुर में सभी बच्चों को समायोजित कर लिया गया है। कोई भी बच्चा समायोजन से वंचित नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु सुरक्षा कर्मी रखने के सम्बन्ध में

175-डा0 एम0 पी0 आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के क्षेत्रानुसार विद्यालयों के आधुनिकीकरण उपरान्त से चोरी की घटनायें बढ़ी हैं ? क्या सरकार इनको रोकने के लिये सुरक्षा कर्मी रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

विकास क्षेत्र नवाबगंज व भदपुरा में कुल 54 विद्यालयों में चोरी सम्बन्धी घटनायें हुई हैं।

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में सुरक्षा कर्मी का पद सृजित नहीं है। परिषदीय विद्यालयों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस विभाग से निगरानी कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

जनपद अयोध्या के तहसील सदर में राजस्व ग्राम तिहुरा माझा में कतिपय गाटा संख्या का अधिग्रहण व क्रय-विक्रय सम्बन्धी जानकारी विषयक

176-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के तहसील सदर में राजस्व ग्राम तिहुरा माझा में गाटा संख्या-109, 1384, 3/2अ को सरकार द्वारा अधिग्रहण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त भूमि को क्रय-विक्रय करने से रोकने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या में समाविष्ट जनपद अयोध्या की तहसील सदर के राजस्व ग्राम तिहुरा माझा में गाटा संख्या-109, गाटा संख्या-3 (भाग) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या-01, सन् 1966) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है। गाटा संख्या-1384 का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

गाटा संख्या-1384 ग्राम तिहुरा माझा की भूमि के क्रय-विक्रय पर कोई रोक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज खजुरहट में कार्यरत श्री भूपेश कुमार तिवारी के विरुद्ध जांच व कार्रवाई विषयक

177-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट में कार्यरत श्री भूपेश कुमार तिवारी की नियुक्ति व वेतन भुगतान जांच के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्रांक संख्या-2934/ओएसडी/शासन-पं0ज0ला0ने0स्मा0इ0का0, खजुरहट/2023, दिनांक 22 अप्रैल, 2023 में अवैध,

अनियमित एवं अधिकारिता विहीन पाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

प्रकरण में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट में प्रवक्ता, गणित के पद पर कार्यरत श्री भूपेश कुमार तिवारी की नियुक्ति व वेतन भुगतान हेतु श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या को दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी की आख्या के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-1044/15-06-2023-1(10)/2023, दिनांक 05-07-2023 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08-08-2023 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। जाँच आख्या के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक पर अधिरोपित 04 आरोपो में से आरोप संख्या-01, 03 एवं 04 अप्रमाणिक एवं आरोप संख्या-02 प्रमाणिक पाये जाने के उपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-12-2023 द्वारा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय को चेतावनी निर्गत करते हुए प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत परिषदीय शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लागू करने विषयक

178-श्री अभय सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत परिषदीय शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्कीम को राज्य कर्मचारियों की भांति निःशुल्क करने की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के आदेश संख्या-2257/5-6-11-1082/87, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के प्राविधानानुसार कैशलेस चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के अनुसार 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी/संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार नहीं है तथा 'निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी' के अनुसार समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, का प्राविधान किया गया है।

कतिपय प्रश्न के क्रम में कार्य पूर्ण होने की जानकारी व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी

179-श्री विनोद चतुर्वेदी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाला/इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर धन की उपलब्धता कराकर कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र करा दिया जायेगा।

कतिपय प्रश्न के क्रम की जानकारी हेतु कार्य पूर्ण होने की स्थिति व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा निर्माण कार्य की जानकारी विषयक

180-श्री विनोद चतुर्वेदी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-83 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नाला व मार्ग पंचायत की

कार्य योजना में सम्मिलित कर तथा धन की उपलब्धता कराकर निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक वर्ष 2024-25 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत से अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र करा दिया जायेगा।

मृतक आश्रित कोटे से कतिपय पत्र की शिकायत पर कृत कार्रवाई विषयक

181-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित कोटे से नौकरी देने के सम्बन्ध में जन-सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली संदर्भ संख्या-18132230096246 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-07-2023 द्वारा आवेदिका के पुत्र श्री प्रांजल चौधरी को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में शिथिलता सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन होने एवं श्री प्रांजल चौधरी को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में शिथिलता सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा के क्रम में प्रश्नगत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ को निक्षेपित कराया गया है। मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 01-09-2023 व अन्य पत्रों द्वारा पुलिस मुख्यालय से कतिपय बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है, जिसके प्राप्त होते ही प्रकरण का अन्तिम/पूर्ण रूप से निस्तारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम बस्तौली में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य विषयक

182-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम बस्तौली मजरा बरुआ में रामाधार के घर से हंसराज के घर से, संजय कुमार आदि के घर से होते हुए मनोहरलाल के घर तक लगभग 100 मीटर मार्ग पर सरकार इण्टरलॉकिग का कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम सभा की दिनांक 23-01-2024 को सम्पन्न बैठक में उक्त मार्ग पर लगभग 100 मीटर में इण्टरलॉकिंग बनाने का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है, जिसे अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के नाथा विकास खण्ड को समाप्त करने की जानकारी व नवसृजित विकास खण्ड की जानकारी विषयक

183-श्री बृजेश यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नाथा विकास खण्ड को समाप्त किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके स्थान पर कोई नया विकास खण्ड बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

शासन की पृथक-पृथक अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 द्वारा नवसृजित 28 विकास खण्डों को क्रियाशील किये जाने अथवा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें जनपद-बदायूँ के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड-नाथा भी सम्मिलित है, के क्रम में प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के रख-रखाव व उन्हें साफ-सुथरा रखने हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति विषयक

184-श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर संचालित परिषदीय विद्यालयों के भवनों एवं प्रांगणों के रख-रखाव एवं विद्यालय प्रांगणों को साफ-सुथरा रखने हेतु सरकार सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं है। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 में भी ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3173/33-1-2010, दिनांक 25-06-2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2856/33-1-2014/2014, दिनांक 17-11-2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत व जिला पंचायत राज अधिकारी का है।

जनपद इटावा की चकर नगर तहसील के लगभग 40 राजस्व ग्रामों के मानचित्र उपलब्ध न होने तथा उसके निराकरण सम्बन्धी

185-श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा की चकर नगर तहसील के लगभग 40 राजस्व ग्रामों के नक्शे (मानचित्र) उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण नहीं हो पाता है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण का निराकरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद इटावा की तहसील चकर नगर बीहड़ क्षेत्र के ग्रामों की चकबन्दी नहीं होने के कारण नये शजरा/भू-मानचित्र तैयार नहीं हो सके हैं तथा पुराने शजरा/भू-मानचित्र जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं।

इस सम्बन्ध में दिनांक 26-07-2022 को जिलाधिकारी, इटावा द्वारा चकबन्दी अधिकारी, इटावा के नेतृत्व में 04 राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम उक्त नक्शों को बनवाये जाने हेतु गठित की गयी है, जिसके द्वारा राजस्व परिषद्, उ0प्र0 में उपस्थित होकर जीर्ण-शीर्ण एवं फटे नक्शों की ट्रेसिंग की कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्तर पर संचालित परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण को साफ-सुथरा एवं सुसज्जित रखने हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के विवरण की जानकारी विषयक

186-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर संचालित परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण को साफ-सुथरा एवं सुसज्जित व रख-रखाव हेतु सफाई कर्मचारियों की

नियुक्ति का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं है। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा समस्त पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 में भी ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3173/33-1-2010, दिनांक 25-06-2009 में राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश अद्यतन प्रभावी हैं। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2856/33-1-2014/2014, दिनांक 17-11-2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी का है।

187-श्री राम अचल राजभर-

[03-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दिनांक 01-01-2018 से 31-12-2022 तक सिंचाई विभाग में कार्यरत लिपिकों की पदास्थापना की जानकारी विषयक

188-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-01-2018 से 31-12-2022 तक सिंचाई विभाग में खण्डीय स्तर पर कार्यरत लिपिकों का कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक एवं प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई है ? यदि हाँ, तो उक्त पदोन्नत लिपिकों में से अब तक कितने लिपिकों की पदास्थापना की गयी है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष लिपिकों की पदास्थापना करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

पदोन्नत कुल 1360 कर्मचारियों में से 256 सेवानिवृत्त हो गये हैं, 596 कर्मचारी की पदास्थापना की जा चुकी है तथा 508 कर्मचारियों की पदास्थापना शेष है।

जी हाँ।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज में वित्तीय वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के विवरण सम्बन्धी

189-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग/खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में सिंचाई विभाग द्वारा तटबन्ध सुरक्षा हेतु स्पर, डैम्पनर, ब्रिक सोलिंग, रिवेटमेन्ट, पिचिंग, लांचिंग एप्रन एवं स्लोप पिचिंग आदि का कार्य तथा नहरों में सिल्ट सफाई, स्क्रैपिंग, ड्रेन सफाई, पुल-पुलियों व अन्य स्ट्रक्चर की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई इत्यादि कार्य कराये गये हैं। कराये गये कार्यों की वर्षवार सूची संलग्न है।

जी हाँ, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में कराये गये कार्यों के विवरण विषयक

190-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बाढ़ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 04 अदद् परियोजना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 04 अदद् परियोजना पर कार्य कराया गया है, जो निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष 2021-22

(1) जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बाँयें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के सुरक्षा हेतु किमी0-3.900 एवं किमी0-4.400 पर दो अदद स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना।

(2) जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित चांदपुर-गौरा तटबन्ध गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0-1.550, 1.650 एवं किमी0-1.750 तथा गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0-0.050 पर डैम्पनर के निर्माण कार्य की परियोजना।

(3) जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया-चांदपुर तटबन्ध के किमी0-0.000 से 5.400 तथा चांदपुर-गौरा तटबन्ध के किमी0-0.000 से 1.800 के मध्य कुल 7.200 किमी0 की लम्बाई में ब्रिक सोलिंग के निर्माण कार्य की परियोजना।

(4) जनपद बस्ती के तहसील हर्रैया में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध के किमी0-0.000 से 1.110, किमी0-1.800 से 2.300 एवं किमी0-2.600 से 7.300 तक ब्रिक सोलिंग के कार्य की परियोजना।

वित्तीय वर्ष 2022-23-

(1) जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित कटरिया-चाँदपुर तटबन्ध के सुरक्षार्थ किमी0-2.400 एवं किमी0-2.650 पर स्पर एवं 2.715 से किमी0-2.795 के मध्य 80 मी0 लम्बाई में रिवेटमेन्ट एवं पिचिंग के कार्य की परियोजना।

(2) जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0-0.850 एवं किमी0-1.050 पर 02 अदद स्पर का निर्माण कार्य की परियोजना।

(3) जनपद-बस्ती के तहसील हर्रैया में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर निर्मित गौरा-सैफाबाद तटबन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0-4.700 एवं किमी0-5.000 पर 02 अदद स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना।

(4) जनपद-बस्ती के तहसील हर्रैया में घाघरा (सरयू) नदी के बायें तट पर स्थित उमरिया रिंग बांध के किमी0-0.600 से 4.700 तक पुनर्स्थापना एवं किमी0-0.600 से 1.000 के मध्य रिवेटमेन्ट/लांचिंग एप्रन तथा स्लोप पिचिंग व 02 अदद रेगुलेटर निर्माण की परियोजना।

जी हाँ, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

191-श्री कविन्द्र चौधरी-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-207 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

192-श्री कविन्द्र चौधरी-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

लघु सिंचाई खण्ड देवरिया में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्रेषित पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी विषयक

193-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लघु सिंचाई खण्ड देवरिया में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रेषित पत्र दिनांक 06-10-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

लघु सिंचाई खण्ड, देवरिया में तैनात अधिशासी अभियन्ता श्री पंकज के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त गोरखपुर से करायी गयी, जिसमें शासकीय धन का दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी, किन्तु श्री पंकज का अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ व्यवहार एवं सामंजस्य अच्छा नहीं पाया गया। तत्क्रम में श्री पंकज, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई देवरिया को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में छात्राओं की शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में

194-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में कोई भी महिला महाविद्यालय न होने के कारण यहां की छात्राएं आगे की पढ़ाई/उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए महिला महाविद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में कुल 02 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 68 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय अर्थात् कुल 74 महाविद्यालय संचालित हैं। एक राजकीय महाविद्यालय (संघटक महाविद्यालय) बरडीहा जगदीशपुर, कुशीनगर में निर्माणाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र पडरौना में 01 अशासकीय महाविद्यालय एवं 06 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 01 महिला महाविद्यालय तथा 06 सहशिक्षा के महाविद्यालय हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधरभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में एक अतिरिक्त राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के कतिपय ब्लाकों में विवाह/सामुदायिक भवन के निर्माण विषयक

195-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के ब्लाक पडरौना में ग्राम पंचायत सेमरिया, जंगल कुरमौल, जंगल पिपरासी अथवा ब्लाक विशुनपुरा में ग्राम पंचायत बभनौली, बसडीला में विवाह भवन/सामुदायिक भवन न होने के कारण ग्रामवासियों को परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर विवाह भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम्य विकास विभाग में सामुदायिक विकास योजना अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवनों एवं विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मनरेगा योजना केन्द्र पुरोनिधानित है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य कराये जाते हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य 266 प्रकार के कार्यों में भी बारात घर निर्माण का कार्य अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार ग्राम्य विकास विभाग के स्तर से संचालित की जा रही योजनाओं में बारात घर का निर्माण कार्य सम्मिलित न होने के कारण जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के ब्लाक पडरौना में ग्राम पंचायत सेमरिया, जंगल कुरमौल, जंगल पिपरासी अथवा ब्लाक विशुनपुरा में ग्राम पंचायत बभनौली, बसडीला में विवाह भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ग्राम्य विकास विभाग से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल में मार्च, 2023 में हुई बारिश व ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई व सहायता करने हेतु कार्य योजना विषयक

196-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल में मार्च, 2023 में हुई बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसल को कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार विधान

सभा क्षेत्रवार नुकसान का आंकड़ा सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त हेतु किसानों को राहत प्रदान करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सहारनपुर मण्डल में मार्च, 2023 में हुई बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को 5 से 10 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

सहारनपुर मण्डल में माह मार्च, 2023 में बारिश व ओलावृष्टि होने से तहसीलों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार मण्डल की सभी विधान सभा क्षेत्र में 05 से 10 प्रतिशत फसल क्षति होना पाया गया है। राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-33-3/2020 एन0डी0एम0-1, दिनांक 10-10-2022 द्वारा वर्ष 2022-23 में 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की दरों के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को कृषि अनुदान दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को किसी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कार्य योजना से बाहर के निर्माण कार्य कराने की अनुमति का शासनादेश जारी करने विषयक

197-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को किसी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कार्य योजना से बाहर के निर्माण कार्य कराने की अनुमति देने सम्बन्धी कोई शासनादेश जारी है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

त्रिस्तरीय पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना यथा-ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल http://gpdp.nic.in पर पंचायतों में बैठक कर अनुमोदन प्राप्त करते हुए अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक कार्य के सापेक्ष आई-डी-जनरेट किये जाने के पश्चात् ही कोई भुगतान किया जा सकता है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कंधवनिया में कतिपय स्थान पर नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

198-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कंधवनिया में छेदीलाल मास्टर के घर से सरजो कोरी के कुएं के पास तक नाली का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत को राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों से एक वित्तीय वर्ष में लगभग 10.50 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। उक्त धनराशि से ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिस पर 02.50 लाख रुपये अनिवार्य रूप से व्यय किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त पेयजल एवं ऑपरेशन कायाकल्प पर भी ग्राम पंचायत को धनराशि व्यय करना होता है। ग्राम पंचायत कंधवनिया में छेदीलाल मास्टर के घर से सरजो कोरी के कुएं के पास तक नाली लगभग 300 मीटर है, जिसके निर्माण कार्य पर लगभग 08.50 लाख रुपये का व्यय सम्भावित है। ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्य का ब्यौरा व कार्यरत कम्पनियों की जानकारी व उन्हें किये गये भुगतान की जानकारी विषयक

199-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कौन-कौन सी कम्पनी/फर्म वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि जनपद में कुल कितनी लागत की कितनी संख्या में पाइप पेयजल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितने का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा उक्त के सापेक्ष कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में मेसर्स जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जेवी), मुम्बई एवं मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, बी0आर0सी0सी0 पी0एल0 (जेवी), हैदराबाद कार्यरत हैं। जनपद प्रतापगढ़ में कुल 825 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत रु0 2,566.61 करोड़ है। अद्यतन

20 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। उक्त 20 पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष रु0 37.51 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में ग्राम पंचायतों के अन्दर मार्ग को सी0सी0 कराने हेतु ग्राम पंचायत निधि अथवा अन्य योजना द्वारा सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य योजना विषयक

200-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में ग्राम पंचायतों के अन्दर मार्ग को सी0सी0 कराने हेतु ग्राम पंचायत निधि के अतिरिक्त किसी और योजना के अन्तर्गत कराने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायतों के अन्दर मार्गों पर सी0सी0 रोड निर्माण के लिये ग्राम पंचायत निधि के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत आदि के कार्य योजना के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के तहसील ऊन में ग्राम पंचायत भोगी माजरा के कतिपय जर्जर ग्राम मार्ग का चौड़ीकरण एवं सी0सी0 रोड कराये जाने के सम्बन्ध में

201-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के तहसील ऊन में ग्राम पंचायत भोगी माजरा के ऊन-चौसाना मार्ग से ग्राम भोगी माजरा जाने हेतु 2.5 गट्ठे का खड़न्जा मार्ग क्षतिग्रस्त एवं सँकरा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की 2.5 गट्ठे की नपाई कराकर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई लगभग 350 मी0 व चौड़ाई 3.30 मीटर है, जिस पर वर्तमान में खड़न्जा लगा है। मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य में लगभग 14 लाख रु0 का व्यय होने का अनुमान है। उक्त मार्ग जिला पंचायत शामली का मार्ग नहीं है। जिला पंचायत शामली की वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। अतः उक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आगामी जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद झांसी के ब्लाक बामौर की ग्राम पंचायत सिंगार में हुई ओलावृष्टि से कतिपय फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को राहत दिलाये जाने विषयक

202-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के ब्लाक बामौर की ग्राम पंचायत सिंगार में अतवृष्टि से नष्ट हुई उरद व तिल आदि की फसलों का सर्वे करवा कर किसानों को राहत दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-154858, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-154858, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, गरौठा द्वारा जांच की गई जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सिंगार में अतिवृष्टि से उरद व तिल आदि की फसलों में 25 प्रतिशत की क्षति आंकलित की गई, शासनादेशानुसार 33 प्रतिशत से कम क्षति पर राहत राशि देय नहीं है।

उक्त आख्या आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18166230176575 के निस्तारण हेतु उपलब्ध करा दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यातायात नियन्त्रण हेतु बेहतर कार्य योजना बनाये जाने विषयक

203-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात नियन्त्रण के लिये यातायात पुलिस कर्मियों की भारी कमी तथा यातायात पुलिस के पास जरूरी उपकरणों व संसाधनों का भी अभाव होने के कारण सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने बेहतर यातायात व सड़क हादसों को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सड़कों पर यातायात नियन्त्रण के लिये यातायात पुलिस कर्मियों की कमी तथा यातायात पुलिस जरूरी उपकरणों व संसाधनों के अभाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्तमान में यातायात पुलिस में कुल सृजित/आवंटित पदों की संख्या-11930 है, जिसके सापेक्ष 8312 यातायात पुलिस कर्मी उपलब्ध हैं। रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है। यातायात नियन्त्रण हेतु यातायात पुलिस की सहायतार्थ प्रदेश में कुल 7180 होमगार्ड नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त सुगम यातायात व्यवस्था हेतु नागरिक पुलिस का भी

सहयोग लिया जाता है। यातायात पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष नये उपकरण का क्रय किया जाता है।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा समय-समय पर इसकी मासिक रूप से समीक्षा भी की जाती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30-12-2015 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में विगत 03 वर्ष में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर वर्ष 2023 में कुल 1277 सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों का चिन्हीकरण किया गया तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधारीकरण हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक त्रैमास में यातायात सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान यातायात नियमों/संकेतों के बारे में जन-सामान्य को जाकरूक किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के आयोजन/गोष्ठियों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है।

यातायात नियमों/संकेतों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के आदेशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 यथा-संशोधित-2019 की धारा-136 'ए' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट/जनपदों को निर्देशित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न कार्यवाही कराई गई :-

प्रदेश के समस्त जनपदों में ट्रैफिक प्लान बनवाया गया है।

गुड सेमेरिटियन को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश।

वर्ष 2023 के कुल 1277 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गये।

ई-रिक्शा संचालन हेतु सभी जनपदों को एस0ओ0पी0 जारी की गई।

यातायात पुलिस में गतवर्ष के सापेक्ष जनशक्ति में वृद्धि।

जनसामान्य को बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु यातायात निदेशालय एवं मैप माई इण्डिया के बीच एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित IRAD एप के माध्यम से समस्त सड़क दुर्घटना डेटा को एकत्रित करना, आंकड़ों को सुरक्षित रखना एवं विश्लेषणात्मक सूचनाएं तैयार करना।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत किसी इकाई को 2 वर्षों में दिये गये अनुदान की जानकारी विषयक

204-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत किसी इकाई को अधिकतम कितने रुपये का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 2 वर्षों में कितने लोगों को कितना अनुदान स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत दिया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

आई0टी0 एवं इले0 विभाग की अधिसूचना दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा यथासंशोधित 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन)' के अन्तर्गत परिकल्पना स्तर पर प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप्स तक, प्रति स्टार्ट अप एक वर्ष तक रु0 17,500/-प्रतिमाह का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त, बाजार में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद आरम्भ करने के लिए प्रति स्टार्टअप रु0 7.5 लाख तक प्रति इन्क्यूबेटर 25 स्टार्टअप तक की सीड कैपिटल सहायता प्रतिवर्ष विपणन सहायता के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। सीड कैपिटल का संवितरण माइल स्टोन के आधार पर (यथा 40 प्रतिशत + 30 प्रतिशत + 30 प्रतिशत) तीन बार में किया जायेगा, जिसमें पहला अग्रिम के रूप में तथा शेष दो का संवितरण माइल स्टोन पूर्ण होने पर किया जायेगा। प्रथम किस्त संवितरण के समय स्टार्टअप्स द्वारा पी0आई0यू0 को अपने कार्य-प्रदर्शन लक्ष्य की वचनबद्धता सूचित करना होगा जिसके आधार पर अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्तें अवमुक्त किए जाने से पूर्व मूल्यांकन किया जायेगा।

महिलाओं/दिव्यांगजन/ट्रांसजेन्डर्स द्वारा 26 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता के साथ स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स अथवा पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/परिचालन वाले स्टार्टअप्स अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को अतिरिक्त 50 प्रतिशत भरण-पोषण तथा विपणन सहायता, दोनों प्रदान की जायेगी।

डी0पी0आई0आई0टी0 तथा स्टार्टअप इन यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप रु0 5 लाख तक का एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान है। स्टार्टअप को यह सहायता एकल किस्त में प्रदान की जायेगी। 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की धारा इस अनुदान हेतु लागू नहीं होगी।

दिनांक 02 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि में भरण-पोषण सहायता के रूप में 18 स्टार्टअप्स को रु0 14,58,750/- का अनुदान प्रदान किया गया।

उक्त अवधि में सीड कैपिटल/विपणन सहायता के रूप में 110 स्टार्टअप्स को रु0 3,59,75,000/- का अनुदान प्रदान किया गया।

प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में 24 स्टार्टअप्स को रु0 1,09,40,000/- का अनुदान प्रदान किया गया है।

आलोच्य अवधि में स्टार्टअप्स को प्रदान किये गये अनुदान का विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मानदेय भी किसी प्रकार से न्यूनतम मानदेय से कम नहीं होगा और खासतौर से स्किल और अनस्किल की भी इसमें व्यवस्था दी गई है। इसलिए उन लोगों के जीवन-यापन की व्यवस्था तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई उनके परमानेंट होने की कोई योजना नहीं है।

नेपाली पार्लियामेण्ट्री कमेटी ऑन इण्टरनेशनल रिलेशन्स एण्ड टूरिज्म के आगमन की सूचना एवं स्वागत

श्री अध्यक्ष-

आज हमारे बीच में नेपाल पार्लियामेण्ट की पार्लियामेण्ट्री कमेटी ऑन इण्टरनेशनल रिलेशन्स एण्ड टूरिज्म श्री राज किशोर यादव जी के नेतृत्व में गवर्नर गैलरी में उपस्थित हैं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

माननीय राज किशोर यादव जी के साथ मा0 श्री टीसेरिंग चर्नो लामा तमांग (तमांग), श्री गंगाराम चौधरी दानगौरा (सदस्य), श्री योगेश गाउचान थकाली (सदस्य), श्री शिशिर खनल (सदस्य), समझगाना थपालिया (सदस्य), सुश्री सुनीता बराल (सदस्य), श्री हरी प्रसाद उप्रेती (सदस्य) हमारे बीच में हैं। इनके साथ सुश्री बबिता मिश्रा, श्री गोपाल सिगदेल, सुश्री प्रमिला पौडेल गौतम, श्री उद्दुब कुमार गुप्ता भी पूरी कमेटी के साथ हमारे यहाँ आये हैं। आपका पूरा हाउस स्वागत और अभिनन्दन करता है।

(सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अब जीरो ऑवर लेना था, लेकिन हमारे यहाँ नेपाल से कमेटी के लोग आये हैं। इसलिए मैं 10-15 मिनट उनके साथ मीटिंग करूँगा। मैंने माननीय नेता, समाजवादी पार्टी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी इसकी अनुमति ले ली है। तब तक अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर हम इसको सीरियल से लेंगे, फिर उसके बाद में चर्चा जारी रखेंगे।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा, माननीय ऊर्जा मंत्री जी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

---

† देखिये नत्थी (ट) आगे पृष्ठ संख्या-355-362 पर।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)[†]

नगर विकास, ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमें धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम जी ने सरकार के सारे क्रिया-कलापों को सदन के समक्ष रखते हुए, उन्होंने हम सबको जो आशीर्वचन दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक और अच्छी बात यह रही कि महामहिम ने अपने अभिभाषण की शुरुआत भगवान राम के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जो अयोध्या में भव्य रूप से मनाया गया, उससे शुरुआत किया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय और अभी तक पूरा देश राममय हुआ है। पूरा प्रदेश राममय हुआ है। सभी लोग राम आये, राम आ रहे हैं, राम आ गये, ये पुकार रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग खड़े हो करके यहां गो बैक, गो बैक कर रहे हैं। यह आप लोगों को सोचना चाहिए कि जनता की भावनाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी ने यह भी कहा कि अयोध्या अपने त्रेतायुगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और सम्पन्नता का एक मॉडल बन करके प्रख्यापित हुई है, मॉडल बन करके उभरी है। मैं चूँकि नगर विकास मंत्री हूँ और कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण यह सब कुछ सम्भव हुआ है, उनको नमन् करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह सब कुछ सम्पन्न हुआ है, उनको नमन् करते हुए, मैं अपने नगर विकास विभाग के सभी कर्मियों को, पी0डब्ल्यू0डी0 के और अन्य विभागों के सभी कर्मियों को बधाई देता हूँ और इस सदन के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएँ और सन्देश पहुँचाना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को और अयोध्या को नगर विकास के क्षेत्र में वैभवशाली बनाने का कार्य किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भी हुआ है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कारण हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है।

(इसी मध्य 12 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि यह सब करने की क्या आवश्यकता थी। जहाँ राम लला बैठे हुये थे वहाँ भी उनकी पूजा होती थी। इनको यह नहीं मालूम है कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर सुख-सम्पदा और वैभव अपने आप आता है, वह रमापति, श्रीपति हैं। वह मड़ई व कुटिया में रहने वाले विग्रह नहीं हैं। इसलिए उनका जो धाम है वह भव्य होना चाहिए। कल कुछ लोग कह रहे थे कि राम तो राम ही हैं, आप लोगों को क्या लेना-देना है, मन्दिर क्यों बनाना, इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करना ? राम से राम के नाम को अलग नहीं किया जा सकता। राम से राम के धाम को अलग नहीं किया

[†] दिनांक 05 फरवरी, 2024 की कार्यवाही से।

जा सकता। राम का नाम, राम का धाम राम ही है वहाँ से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। अभी मा0 सदस्य कह रहे थे कि मैं तो सुबह रोज राम का नाम ले करके, भगवान की पूजा करते हैं। हममें से सभी लोग यही करते होंगे कि उनका नाम ले करके हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो आपको अयोध्या जाने में, कार्यक्रम से जुड़ने में शर्म किस बात की है, आप डर क्यों रहे हो, किस बात का डर है ? यह बार-बार कहना कि राम तो ठीक हैं, लेकिन यह जो कार्यक्रम हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है। भगवान राम का जो विग्रह है, प्राण प्रतिष्ठा हुयी है, हम सब उसके साक्षी बने हैं। यह हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और जिस भव्यता के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम और आप लोगों ने एक चीज और इस पूरे प्रकरण में मिस किया है वह यह है कि कार्यक्रम भव्य हुआ, दिव्य हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो साधना थी, उसके पीछे की जो तपस्या थी वह आपने शायद नोटिस नहीं किया, वह आपके देखने में, सुनने में नहीं आया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दो-दो सप्ताह उपवास पर रहे, दो-दो सप्ताह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जमीन पर सोये हैं। अपने को योग्य और उपयुक्त बनाने के लिए, यह हमारे सनातन धर्म की परम्परा है। इतना ही नहीं वहाँ पर कई साधु सन्तों ने इस बात का बखान भी किया कि हमने तो सिर्फ तीन दिन के लिए कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी दो सप्ताह स्वयं की इच्छा से उपवास पर रहे और भगवान राम के आने के अवसर पर तपस्या की है।

मान्यवर, हमारे सनातन धर्म की एक प्रमुख पत्रिका है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में एक श्लोक आता है 'सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्ट चरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।।' इसमें कहा गया है कि सुर और असुर दोनों माँ दुर्गा के जो राजा हैं, वह अपने मुकुट को माँ दुर्गा के चरणों में रगड़ते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए तब माँ दुर्गा क्या देती हैं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उनको रूप देती हैं, उनको यश देती हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी का आपने वह समर्पण शायद नहीं देखा है, जो उन्होंने लेट करके अपने सिर को, मस्तक को रगड़ते हुये भगवान राम के चरणों में जो प्राण प्रतिष्ठा करवायी है, वह एक अलौकिक दृश्य है, जिसे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आप लोगों की नजरों में नहीं आया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुयी है, उसके लिए हम लोग भी साधुवाद करें। मुझे भगवान राम जी के दर्शन करने का अवसर अभी नहीं मिला है, मुझे भी जाना है। मान्यवर, मा0 प्रधानमंत्री जी का निर्देश हम लोगों को था कि न सिर्फ अयोध्या की भव्यता बनायी जाये, अयोध्या का सौन्दर्यीकरण व सफाई किया जाये। बल्कि राज्य के देश के सभी तीर्थस्थलों की सफाई और सुशोभन किया जाय और हम सभी मंत्री हों, चाहे विधायक हों, सभी लोगों ने किसी न किसी तीर्थ स्थान में जाकर साफ-सफाई करके वहां की शोभा में वृद्धि करने का काम किया है। यह है हमारी सनातन धर्म की मान्यता, केवल आलोचना कर देने से नहीं होता। अगर आपको राम पसन्द नहीं थे, अयोध्या पसन्द नहीं थी तो भगवान गोपाल के मथुरा में ही कुछ अच्छा करते, तब भी हम मानते कि आपको कहीं तो ठीक लगा, जिसको आप करने में सफल रहे।

मान्यवर, जहां एक तरफ हमने आस्था में विश्वास किया है वहीं हमने आर्थिक प्रगति में भी विश्वास किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हमारी पुरातन संस्कृति, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को पकड़े रहते हुए, उनका सम्वर्धन करते हुए, उनको समृद्ध बनाते हुए ही हम विकास कर सकते हैं, हम आस्था के साथ आर्थिक प्रगति पर भी ध्यान दे रहे हैं, विरासत के साथ विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि संस्कृति के साथ समृद्धि भी आये, देवालय के साथ हम डिजिटल इण्डिया की भी बात कर रहे हैं और मन्दिरों के साथ हम भारत को माडर्न बनाने का सपना देख रहे हैं मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आप सबको मालूम है कि जहां हम सभी इस बात को मानते हैं और कई देश इस बात को मानते हैं, नेपाल के लोग यहां बैठे थे सभी का मानना था कि भगवान राम का राज्य सुशासन की पराकाष्ठा थी, वह सुशासन का एक मापदण्ड था जिसे पूरी दुनिया ने माना था, वह राम राज्य स्थापित करने की दिशा में हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा रामराज्य, एक विकसित भारत बना करके हम लोग जनता-जनार्दन के चरणों में रखने के लिए तत्पर हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। राम राज्य स्थापित हो करके रहेगा, भारत विकसित हो करके रहेगा, आप कितना भी रोकें वह रुकने वाला नहीं है, चक्र चल पड़ा है, पहिया चल पड़ा है और जो जितना रोकने की कोशिश करेगा वह उतना ही सिमटता जायेगा, उसका आकार, प्रकार, सीटें और संख्या कम होती जायेंगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं की तपस्या है, इससे भारत के विकास का रोडमैप तैयार हो चुका है। यह हमारे ऋषियों-मनीषियों की हजारों वर्षों की तपस्या है, जो भारत का भाग्य लिख रहा है, भारत के भाग्य का निरूपण कर रहा है। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता और इसका एक उदाहरण मैं यह देना चाहूंगा कि आपने अभी देखा होगा कि विकसित भारत की हमारी संकल्प यात्रा चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, स्वयं को और देश को यह संकल्प दिया है कि 2047 तक अपनी पुरानी आस्था और संस्कृति को पकड़े रखते हुए भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। अगर किसी को विरोधाभास लगता हो कि हम राम में पड़ेंगे तो विकास नहीं होगा, यह भ्रम की बात है बिना राम के विकास नहीं होता, बिना राम के सुख-सम्पदा नहीं आती है, इस बात को दृढ़ रूप से मानते हुए हम लोग विकसित भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात और इसमें गौर करने की है कि जब भारत को विकसित बनाने की बात मा0 प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो विकसित भारत की नींव, विकसित भारत का फाउंडेशन क्या है, यह भी समझने की आवश्यकता है।

मा0 प्रधानमंत्री जी का जब गारण्टी वाला रथ आता है, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास मिले हुए लोगों को बुलाया जाता है, आयुष्मान कार्ड मिले हुए लोगों को बुलाया जाता है, जिनको

घरों में चूल्हे की गैस मिली है उनको बुलाया जाता है, जिनको फ्री राशन मिला है उनको बुलाया जाता है। उनकी प्रेरणा से दूसरे लोग जिनको कि अभी तक नहीं मिल पाया है वह प्रेरणा लें और बगल में बैठे अधिकारियों के साथ बैठ करके फार्म भर सकें, लाभ ले सकें, यह हमारी कल्पना है। तो मा0 अधिष्ठाता महोदय जी जब मा0 प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत की नींव में हर उस प्रधानमंत्री आवास में लगी हुई ईंट है, जो हमारे भारत को विकसित भारत बनायेगी, उस भारत की नींव में हर उस सड़क की गली की गिट्टी है, जो हमारी मलिन बस्तियों में पिछड़े वर्गों की बस्तियों में सड़कें बनायी जा रही हैं। उससे हमारे विकसित भारत की नींव बन रही है और वह नींव जब इस तरह से मजबूत होगी तब हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति के पास मकान होगा, हर व्यक्ति को खाने का अनाज होगा, हर व्यक्ति के लिए शौचालय होगा, हर व्यक्ति के चूल्हे में साफ ईंधन होगा तब जा करके हमारा विकसित भारत बनेगा और मा0 प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि हमारा विकसित भारत जो है उसकी परिभाषा अगर की जाए तो गरीब के चूल्हे से ले करके चंद्रयान तक का है। गरीब के आयुष्मान कार्ड से ले करके हमारी जो माडर्न आयुद्ध और सेना के जो अस्त्र-शस्त्र तक हैं। मा0 राज्यपाल महोदया जी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास बनाने में पूरे देश में अग्रिम भूमिका निभाई है, हमारी प्रधानमंत्री स्व-निधि के हमारी रेहड़ी पटरी पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको लोन देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य की तरफ उभर के आया है, तो यह हमारे विकसित भारत की नींव है, प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लोग स्व-निधि से रेहड़ी पटरी पर बैठ करके व्यापार करने वाले लोग और हमारे गरीब लोग जो वंचित हैं, दलित हैं उन सबके कल्याण से हमारे भारत का विकास होगा और इस प्रकार भारत एक ऐसा दिव्य और भव्य राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां हमारी पुरानी मान्यताओं का भी सम्मान होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा, सुन्दर होगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक बात और कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि हमारा जो भगवान राम के प्रति जो अनुग्रह है और उसी श्रद्धा व उसी विश्वास के साथ मा0 प्रधानमंत्री जी ने जो प्रण किया है, संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, यह वही श्रद्धा और विश्वास है जो निषादराज को भगवान के प्रति था, जो सबरी को भगवान के प्रति था। निषादराज का जो प्रेम और विश्वास और श्रद्धा जो भगवान के प्रति थी, यह बहुत मार्मिक बात है अभी हमारे मा0 मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन निषादराज का जो श्री रामचरित मानस में उल्लेख है, उसमें कहा गया है कि हम सबको भव सागर से पार कराने वाले भगवान राम से निषादराज किस विश्वास के साथ कहता है कि 'जो प्रभु पार अवसि गा चहहू, मोहि पद पदुम पखारन कहहूँ' हे प्रभु अगर आप पार अवश्य जाना चाहते हैं, तो यह हमारी संस्कृति है और हमने उसी विश्वास के साथ यह संकल्प लिया है कि भारत को वर्ष 2047 तक दिव्य और भव्य

बना करके विकसित करके भगवान राम के चरणों में और इस देश व प्रदेश की जनता के चरणों में रख देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव अग्रवाल-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मा0 श्री राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, कल जब राज्यपाल महोदया अपना भाषण कर रही थीं तो कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, व्यवधान डाल रहे थे, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है शुभ कार्यों में खलल डालने की। कल जब मंदिर मामले को लेकर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, तब भी कुछ लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। आज भारत आगे बढ़ चुका है, अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करते हुए मोदी की गारण्टी के साथ चल पड़ा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। मोदी-योगी की सरकार, दो संतों की सरकार, दो योगियों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य लाने की अवधारणा का मूर्त रूप ले रही है। एक ऐसा राम राज्य, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मंत्र के रूप में काम कर रहा है। बिना भेद-भाव समाज के सभी वर्गों को, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, उनको विकास की धारा से जोड़ा जा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने और सवांरने का कार्य किया गया है। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम, विन्ध्याचल धाम, देवीपाटन धाम, वृंदावन धाम, नैमिषारण्य धाम और बरेली की नाथ नगरी, बरेली जैसे सांस्कृतिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। पर्यटकों के लिए अब भारत में ताजमहल नहीं, अयोध्या धाम आकर्षण का केन्द्र बन चुका है। हमारे तीर्थ स्थल आज धार्मिक पर्यटन के सबसे बड़े केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आये हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, यह साधारण बात नहीं है। अयोध्या अब धार्मिक, आर्थिक और पर्यटन विकास की मिसाल बन रही है। नाथ नगरी बरेली भी अभूतपूर्व विकास की राह पर चल पड़ा है। नाथ कॉरिडोर मूर्त रूप ले रहा है। बरेली पर्यटन स्थलीय शिव नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। बरेली के सभी प्रसिद्ध मंदिरों को एक-दूसरे से जोड़कर भव्य स्वरूप देने का प्रयास चल रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का एक-एक शब्द सच्चाई बयान करता है, राज्य के बहुमुखी विकास की तकदीर है, प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश की झांकी है। आज कोई भूखा नहीं है, कोई इलाज से वंचित नहीं है। आज कानून का राज है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराये जा

रहे हैं। रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगजनों को समूह की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। प्रदेश की इकोनॉमी को वन ट्रिलियन डालर बनाने का संकल्प साकार हो रहा है।

मा0 अधिष्ठाता जी, सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आज छः करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। जीरो टॉलरेन्स की नीति ने भय मुक्त वातावरण तैयार किया है। बाबा का बुल्डोजर आज पूरे देश में अन्याय के दमन का प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा पर विशेष ध्यान है। पिछले 6-7 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। विद्यालय संवारे जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास बन रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 25 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत निःशुल्क स्मार्ट फोन और टैबलेट दिये जा रहे हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 श्री राज्यपाल महोदया ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं का भी उल्लेख किया है। सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। हममें से सदन का कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा, जिसके लिखने पर मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से चिकित्सा सहायता न मिली हो। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने गरीबों और जरूरतमन्दों की चिकित्सा के लिए सहृदयता दिखाई है। एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज योजना पूर्ण होने वाली है। रोगों पर नियन्त्रण हुआ है। आयुष्मान भारत, मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना, मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला जैसे कार्यक्रमों से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुँच रहा है।

मा0 अधिष्ठाता जी, अन्नदाता किसानों के मेहनत को सम्मान देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है। अन्नदाता किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, सड़कों का संजाल बिछा है, एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बेघरों को आवास देने का काम हो रहा है, पटरी दुकानदार एवं छोटे दुकानदारों को सहारा मिल रहा है। गाँव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइए। मा0 सदस्य श्री राम फेरन पाण्डेय जी।

श्री संजीव अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शहर संवर रहे हैं। सुशासन के संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कुशल संचालन कर देश अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। मैं नाथ नगरी बरेली से आता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली में भी विकास के

महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, बरेली के विकास को गति देते हुए कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे बरेली में मेट्रो रेल सेवा शुरू किया जाना जरूरी है। बरेली में एम्स की स्थापना कराया जाना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री संजीव अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1837 में स्थापित लगभग 200 वर्ष प्राचीन बरेली कॉलेज को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाना भी आवश्यक है। आगरा, जयपुर, राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बदायूं रोड पर रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराया जाना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपना लिखित भाषण जमा कर दीजिए।

श्री संजीव अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में मा0 सदस्य बोरा जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और उनकी बातों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। 'जय-जय सियाराम।'

श्री राम फेरन पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रस्ताव पर मा0 सदस्य डॉ0 नीरज बोरा द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव किया गया, उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके और पूरे सदन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सबको नमन करता हूँ। मुझे याद है कि जब महामहिम अभिभाषण दे रही थीं तब रामराज्य की बात आ रही थी। हमारे बहुत से साथी 'गो बैक-गो बैक' के नारे लगा रहे थे। यह बहुत अपमानजनक है। मैं आपको बता दूं कि इन्हें रामराज्य प्रभु राम की मर्यादा कैसे याद आ सकती है। प्रभु राम ने अपने पिता के वचन के लिए राज का परित्याग किया था और इन लोगों ने सत्ता के लिए परिवार का परित्याग कर दिया है। जिनके साथ यह दुर्घटना हुई है, उन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। इनको रामभक्त कैसे याद आयेंगे ? मर्यादा राम कैसे याद आयेंगे ? रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है-

'कर्म प्रधान विश्व रचि रखा।

जो जस करहि सो तस फल चाखा।।'

यहीं पर सब कुछ है। अपने कर्मों का फल लोगों को इसी समाज में मिलना है, इसलिए बदलते स्वरूप और प्रभु राम का भव्य मन्दिर इनको रास नहीं आ रहा है। यह मन्दिर

इनके चरित्र और संस्कार को बयां करता है कि आपने क्या किया है। इन्हें प्रभु राम के साथ भगवा रंग पसन्द नहीं आ रहा है।

भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है।
इसे पहनकर जिन्दा रहना, सबसे बड़ी परीक्षा है।।
भगवा पहना प्रभु श्रीराम ने मर्यादा में बड़े हुए।
भगवा पहने महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए।।
भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है।
वो दुश्मन पर काल समान बरसकर उसको खा जाता है।।
भगवा बाना पहने एक युवक अंग्रजों से टकराता है।
23 वर्ष की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है।।
जब एक भगवाधारी सन्यासी प्रदेश का मुख्य मंत्री बन जाता है।
कैसे गुण्डों पर बुल्डोजर चलवाकर शान्ति और अमन का वातावरण बनाता है।।

यह भगवा रंग इनको पसन्द नहीं आता है। जिस तरीके से रामराज्य की परिकल्पना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गोस्वामी जी ने की थी, उसको चरितार्थ करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। मैं जनपद श्रावस्ती से आता हूं, जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। मां जगत जननी का दरबार है। वहां पर भगवान लव पैदा हुए थे। मैं उस पिछड़े इलाके से आता हूँ जो मोदी जी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था। हमारे यहां श्रावस्ती में एक आरिफ सिद्दीकी भाई हैं, उनके यहां से फूल पूरे देश और विदेश में जाता है। यह श्रावस्ती का विकास भारतीय जनता पार्टी में सम्भव हो सका है। आप तो पी0डी0ए0 की बात करते हैं। आप बताइये आपने अपनी सरकार में जनपद श्रावस्ती के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई-बहन को आत्मनिर्भर बनाया ? इनका पी0डी0ए0 एक छलावा है। हमारी सरकार ने तो नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है तभी तो श्रावस्ती जैसे पिछड़े जनपद में विकास हो रहा है। हमारे यहां एक तमन्ना स्वयं सहायता समूह है, पूरे विश्व भर में गुलाब का जल यहां से पैक होकर जा रहा है और लोग माँग कर रहे हैं। श्रावस्ती का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ा है।

मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर तथागत मसाले का पूरे देश में नाम विख्यात है और इनके रोजगार बढ़ने से आत्मनिर्भरता आई है। आपने तो श्रावस्ती को पिछड़ा बना करके छोड़ दिया था मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले तीन वर्षों में पैंतीस कृषि उत्पादन संगठन का गठन कर भारतीय हैंडलूम, दूध, बता दूं कि हमने अयोध्या के तट पर घी, चावल का पूरे देश में निर्यात हो रहा है।

मैं बता दूं कि हमने अयोध्या के तट पर श्रावस्ती के सीतागार में भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम कराया है और यही नहीं मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 1995 में श्रावस्ती में एक हवाई पट्टी बनी थी जो सफेद हाथी के रूप में खड़ी हुई थी। रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट क्लास का बेहतरीन एयर पोर्ट बनाकर के तैयार कर दिया है और श्रावस्ती का किसान हवाई चप्पल पहन करके हवाई यात्रा करने जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास और मैं और बताना चाहता हूँ कि आपने तो समाज को अगड़े पिछड़े जात धर्म में बाँट कर सत्ता की रोटी सेंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास का नारा लगाते हुए कदम से कदम बढ़ा करके आगे चल रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उप मुख्य मंत्री जी को कि जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ ग्राफ बढ़ा करके और पूरे प्रदेश को एक निरोग बनाने का काम किया है बहुत-बहुत बधाई मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कृषि के क्षेत्र को हमारे कृषि मंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आपसे बस एक मिनट में निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रावस्ती में हमारे पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी ने 40 गाँव को जोड़ कर के गिलौला से सुसवारा घाट का पुल दिया और हमारी जनता अब जिले की कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी है। हमारी कुछ मांगे छोटी-छोटी हैं कि मेरे जनपद श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, एक मेडिकल कॉलेज बना दिया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीता मां के दरबार में सीताद्वार को पर्यटन स्थल घोषित कर के सीताद्वार का विकास करा दिया जाये। इकौना से ककरा घाट व ककरा से मथुरा घाट के दो राप्ती के सेतु हैं इन पुल को बना देने से हमारी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और हम सीधे देवीपाटन की यात्रा कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, मैंने अगला नाम ले लिया है।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

मान्यवर, जो संशोधन श्री लालजी वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उस पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। राज्यपाल अभिभाषण में जो तत्व रखे गये उससे सरकार की असली तसवीर नही दिखती है। प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, महिला सुरक्षा का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, बिजली या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सभी प्रश्नों पर किसी ठोस कार्य योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया। कानून व्यवस्था की बात हो, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में किसी ठोस कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया। प्रदेश में लगातार अपराध की वृद्धि हो रही है। हाल ही में एन0सी0आर0बी0 द्वारा जारी आकड़ों ने इस बात को साफ कर दिया है कि सरकारी आकड़ों के अनुसार सबसे

बड़ी संख्या महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बड़ा है। जो सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की असलियत दिखाई देता है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वहीं बेटियों के साथ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज में एक घटना घटी दिन दहाड़े बारह वर्षीय युवती शबनम राजभर की दोपहर में हत्या कर दी गई। गरदन में चाकू मारकर हत्या कर दी गई और खेत से अपने घर शबनम राजभर जा रही थी और उसके माता पिता भी विकलांग हैं। दबंग किस्म के लोगों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी। उसकी जीविका का एक मात्र साधन युवती थी और न ही उसके पास खेत है और न ही घर है। वह भूमिहीन परिवार की एक लड़की थी जो अधिया अथवा बटइया पर खेती-बाड़ी करके पूरे परिवार का भरण-पोषण करती थी, उसकी दिनदहाड़े हत्या करके जघन्य अपराध किया गया। जिसकी हत्या की गयी वह एक गरीब परिवार की लड़की थी जो अपने माँ-बाप की और अपनी बहनों में सबसे बड़ी लड़की थी और उसी के दम पर उसका परिवार चलता था। उसकी हत्या करके एक जघन्य अपराध किया गया। इस सरकार में जहाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, उस सरकार में महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार में उस लड़की की दिनदहाड़े 12 बजे हत्या कर दी गयी। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद उस बेकसूर युवती की हत्या हुयी और उसको न्याय नहीं मिल सका। मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उन बेसहारा माता-पिता को कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा तथा जीवन-यापन हेतु जमीन और आवास दिया जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के माध्यम मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं जिस राजभर समाज से आता हूँ, उस राजभर समाज को अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में डालने के लिये हम लम्बे समय से माँग कर रहे हैं। इस विषय पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कई बार स्पष्ट आदेश दिया गया कि सरकार इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजे, परन्तु सरकार इस विषय पर गम्भीर नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना बार-बार की जा रही है। सरकार द्वारा जब तक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को नहीं भेजा जायेगा तब तक केन्द्र सरकार इस पर विचार नहीं करेगी। अतः मा0 मुख्य मंत्री जी से मेरा पुनः आग्रह है कि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें और शीघ्रातिशीघ्र प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का काम करें जिससे राजभर समाज को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल किया जा सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुये हैं और आत्महत्या करने के लिये मजबूर हैं। एन0सी0आर0बी0 के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में 85 किसानों ने आत्महत्या की। वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक कुल 398 किसानों ने आत्महत्या की। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों की खुशहाली के सम्बन्ध में जिन-जिन बातों का उल्लेख किया गया वह प्रदेश की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह झुठलाती है। सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर

दिये, लेकिन किसानों के छोटे-छोटे कर्ज की सरकार अनदेखी कर रही है। आवारा पशुओं की समस्या से पूरे प्रदेश के किसान पीड़ित हैं। आवारा पशुओं से किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो रही है और किसान इस पीड़ा को सहन करने को मजबूर हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों की फसलों की सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा सरकार ने किया था जिसमें वह पूर्णतः विफल रही है। मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने क्षेत्र के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुशलगाँव, महुजा, मोहम्मदपुर तथा छाँव इन चार जगहों पर चार सामुदायिक केन्द्र बने हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र से आजमगढ़ भी दूर है, बनारस भी दूर है, लेकिन यह चारों हॉस्पिटल अभी भी दूर हैं, न किसी में डॉक्टर हैं, न किसी में एक्स-रे मशीन है। इस कारण हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि के लिये हम लोग बराबर माँग करते रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसके अतिरिक्त हमारी विधान सभा क्षेत्र में जर्जर तारों की भी बहुत समस्या है। हम सरकार से इस समस्या को दूर करने की माँग करते हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है। इस समस्या को भी दूर करने का काम किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री शाहिद मंजूर जी।

श्री शाहिद मंजूर

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने से पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि 'यह दौर-ए-सियासत भी क्या दौर-ए-सियासत है। चुप हूँ तो नजामत है और बोलूँ तो बगावत है।' मगर हमारा यह सदन हमें बोलने के लिये प्रेरित करता है और इस बात के लिये प्रेरित करता है कि अगर संसद में या उत्तर प्रदेश की विधान सभा अथवा प्रदेश की विधान सभा क्षेत्रों में बात न रखी जाये तो फिर बात कहाँ रखी जाये। आज के अभिभाषण पर मा0 शर्मा जी ने जहाँ से शुरूआत की थी, मैंने बहुत गौर से सुना, तमाम भाषण अयोध्या पर केन्द्रित होकर रह गया। हमें भी खुशी है कि एक मसला था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस मसले का निराकरण हो गया, अब यह अलग-अलग बात है कि किसको उसका श्रेय मिला और किसको नहीं मिला। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। सौभाग्य की बात है कि वह मामला निस्तारित हो गया। अब किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कौन उसे वोटों में तब्दील कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यह तो उनका काम है, लेकिन प्रदेश और देश के जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में रखा और हर साल, हर बजट

पर वह इसी भाषण को रखती हैं। ऐसे कितने मुद्दे हैं जो पिछले साल के उनके भाषण में कहे गये थे वह हल हो गये या उनका जो वर्तमान भाषण है उस भाषण में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, छुट्टा जानवरों की समस्या हो, सड़कों की बदहाली की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो अथवा बेरोजगारी की समस्या हो, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसमें प्रदेश की सरकार ने पिछले 5-7 सालों में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया हो। समस्याएं अपनी जगह हैं और प्रचार अपनी जगह है। उनको प्रचार करना है और असली मुद्दों पर बात नहीं करनी है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जनसेवा केन्द्रों का जिक्र किया गया, उन्होंने यहीं से शुरूआत की। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह जनसेवा केन्द्र कहाँ हैं और किसके लिये काम कर रहे हैं ? दूसरा, उन्होंने बिजली की समस्या पर बहुत लम्बी-चौड़ी बात कही। मा0 ऊर्जा मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक कानून के तहत् अगर कहीं कोई बिल जमा नहीं कर रहा है या अपने खेत को भरने के लिये अगर कोई इररेगुलैरिटी कर ली है तो उस किसान पर अथवा उस मजदूर से जुर्माने के तहत् इतना अधिक बिल लिया जा रहा है कि उसकी कमर टूट जाती है। उसका इतने का खेत नहीं है जितना उससे बिजली का बिल लिया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि बिजली चोरी नहीं होनी चाहिये, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिये और अगर कोई किसान अथवा मजदूर गलती से चोरी कर रहा है तो उसको इतना बड़ा दण्ड भी नहीं मिलना चाहिये कि उसका घर तक बिक जाये। इस अभिभाषण पर आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह आग्रह है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और उन गरीब किसानों और मजदूरों के बारे में सोचें कि किसी गलती की वजह से अथवा किसी कट की वजह से उनके ऊपर अनाप-शनाप बिल आ रहे हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में बिजली का जिक्र किया।

हमारी सरकार में हमारे मा0 नेता अखिलेश जी ने और उनकी दूरदृष्टि ने इतने बिजलीघर बनवाये और इतने पावर हाउस चालू करवाये कि उसका ही नतीजा है कि तमाम प्रदेश में बिजली सुचारु रूप से मिल रही है। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई नया बिजलीघर स्थापित हुआ हो या किसी की क्षमता बढ़ी हो। यह अच्छी बात है कि बिजली मिल रही है, लेकिन जहाँ नहीं मिल रही है सरकार को उस पर भी गम्भीरता से सोचना चाहिये। हमारे एक साथी उधर से माँग कर रहे थे। उन्होंने तारीफ तो की, लेकिन साथ ही अपने क्षेत्र की समस्या भी गिना दी और कहा कि मेरे इस मजरे को बिजली से जोड़ दिया जाये, इसको सड़क से जोड़ दिया जाये। अगर 7 साल में भी उनके मजरे और छोटे-छोटे गाँव बिजली से नहीं जुड़े, सड़कों से नहीं जुड़े तो फिर यह काहे की सरकार है और काहे का यह बजट है और काहे का यह महामहिम का अभिभाषण है। बिजली विभाग ने जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर, लाईनमैन और अन्य इंजीनियर रखने बन्द कर दिये और ठेके पर मजदूर रख रखे हैं। कहीं ठेके पर हैं, कहीं कान्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है। अब उनको सारा दिन और सारी रात सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जहाँ जायेंगे वहीं जाकर छापा डाल दिया, उल्टी-सीधी

बात की और सेटलमेंट करके अपना मामला निस्तारित कर लिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि आग्रह कर रहा हूँ कि इस समस्या का निराकरण करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समय का भी ध्यान दें।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका निराकरण करें। मान्यवर, दुग्ध उत्पादन की भी बात आई है। अपने क्षेत्र की स्थिति तो मुझे पता है, पूरे प्रदेश की कमोवेश यही स्थिति होगी। हमारे यहां एक पराग डेयरी है। उस पराग डेयरी के उद्धार के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव में हम हटे या हटाये गये और चेयरमैन कोई दूसरा बन गया। मा0 दुग्ध मंत्री जी पुराने हैं वह अब दिखाई नहीं देते हैं उनके निकट के सम्बन्धी डेयरी के चेयरमैन हो गये। आप मेरठ की पराग डेयरी की स्थिति मंगवा कर देख सकते हैं कि वह डेयरी कितने घाटे में है। मा0 अखिलेश यादव जी ने 256 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित करने की बात की थी, उस डेयरी का वहां पर उद्घाटन हुआ था। उस डेयरी का जो प्लांट आया था वह फ्रांस से आया था लेकिन 7 साल गुजर गए हैं और उस दिशा में कोई भी कदम अभी तक सरकार ने नहीं उठाया है। अगर आप दूध की बात करते हैं, दूध के उत्थान की बात करते हैं तो जब तक यह प्लाण्ट आपके अधूरे पड़े रहेंगे, डेयरी नहीं चलेगी तो कैसे उत्थान हो सकता है। मेरठ पराग डेयरी में पिछले 6 महीने से पेमेन्ट नहीं हुआ है। मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सिर्फ वायदे करके अपनी बात तक सीमित न रहे। सरकार का मसला ऐसा है 'कि तू इधर-उधर की न बात कर ये बता कि काफिले क्यूँ लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है हमें राहजन से गरज नहीं'।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस 2024 के नए वर्ष में जहां एक तरफ हम लोगों का भव्य राम मन्दिर बन कर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गयी वहीं नए वर्ष का यह प्रथम सत्र है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज मैं डाक्टर नीरज बोरा जी द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2017 से लेकर 2024 तक लगातार मैं विधायक हूँ और जब-जब मैने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखा है तब-तब विपक्ष ने हमेशा हो-हल्ला करके पूरे सदन की गरिमा को खराब करने का काम किया है। हमने सोचा था कि इस बार रामलला आए हैं, सनातन धर्मियों की पाँच सौ वर्षों की इच्छा पूरी हुई है, अबकी बार राम के नाम पर हमारी विधान सभा में चर्चा होगी चूँकि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गयी है और हमें यह भी विश्वास था कि

हमारे समाजवादी पार्टी मे भी और बसपा में भी कई ऐसे साथी हैं जो सनातनधर्मी है वह तो कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरह सुनेंगे, लेकिन उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को तो सुना ही नहीं और उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव इसी सदन के माध्यम से जाना था, जब उसके समर्थन की बात आई तो मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के सभी सदस्यों ने जहां समर्थन किया वहीं विपक्ष के 14 सदस्यों ने अपने काले इतिहास के काले पन्नों पर अपना नाम लिखवा लिया कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्य मंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन नहीं किया। इस मन्दिर में जो आपने लिख दिया इसे जन्मजनमांतर तक लोग याद करेंगे और जब आप घर जायेंगे तब हम लोगों से बतायेंगे कि सदन में किन-किन लोगों ने राम का विरोध किया था। तब शायद आप लोगों की घरों में इन्ट्री बन्द हो जायेगी। आप लोग चिन्ता करें कि भोजन-पानी कहां मिलेगा। आप राम की बात करते हैं, राम भारत की एकता है, राष्ट्र के अंतरंग है, राष्ट्र के धीरज हैं, पौरूष पराक्रम हैं, इतिहास हैं, काव्य हैं, गीत हैं, भारतीय संस्कृति के रोम-रोम में राम में रमे रमा हैं।

(इसी मध्य अपराह्न 1 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इसलिए भारत के गांवों में गली में राम कथायें होती हैं। राम लीला होती है। अखण्ड रामायण होता है। जब हम मिलते हैं तो अभिवादन में राम-राम कहते हैं। हम जब अलग होते हैं तो राम राम कहते हैं। जब हम बार-बार राम-राम करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। जब हमारा शरीर छूट जाता है उस समय भी राम नाम सत्य कहते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम हम लेते हैं। उस राम नाम को लेने में आपको शर्म आती है। हमने कई सदस्यों को देखा जब हम लोगों ने कहा कि जय श्रीराम बोलो, ये जय हनुमान तक पहुंचे मगर जय श्री राम का नाम किसी के मन में नही आया कि जय श्रीराम बोलें। शर्म करो राम के प्रताप को आप नहीं जानते हैं। राम का प्रताप अब आपको पता चलेगा। राम एक ऐसे राजा थे और जो बजट सत्र चल रहा है उस बजट की सही-सही मूलभूत संरचना अगर किसी ने की थी तो भगवान मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम ने की थी।

मुझे आज आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये लोग विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो विधान सभा बदलापुर है वह काशी विश्वनाथ और अयोध्या के बीच में है। लोग जब उस रोड से काशी विश्वनाथ का दर्शन करके मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के दर्शन करने जाते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिला है। यह मैं बता नहीं सकता। एन0एच0-731 के किनारे लाखों दुकाने बन गयीं। चाय की दुकाने बन गयीं। समोसा और पुचका बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी-पटरी वालों को तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज उस राम मन्दिर के तहत

आज पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन इनको यह भी नहीं दिखाई पड़ता। आप विकास की बात करते हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूँ आप आकर देखिये नौ पुलों का निर्माण हुआ है। आज हमारे यहां कोई सड़क ही नहीं बची। सारी बड़ी सड़कों का निर्माण करा दिया। आई0टी0आई0 फायर स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक बनवा दिया। आज हमारे हर गाँव में विद्युतीकरण हो गया। हर घर नल योजना के तहत आज हर घर में पानी गया है। मैं पूरे प्रदेश और देश की बात नहीं करता मैं तो सिर्फ अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूँ। आइये आपको अस्पताल भी दिखाऊं और आपको सड़के भी दिखाऊं। मैं धन्यवाद देता हूँ अभी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी और पी0डब्लू0डी0 मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने लगभग 43 करोड़ की लागत से जो सबसे बड़े रास्ते की माँग हमारे यहां की थी उस रास्ते की माँग को उन्होंने पूरा किया है। चूंकि हमारा समय पूरा हो रहा है मैं अपनी कुछ माँग रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, हमारे यहां बहुत काम हो गये। कुछ काम मैं चाहूंगा कि सदन के माध्यम से चला जाये। राष्ट्रीय मार्ग-731 उसरा बाजार से तेरी बाजार बरई पार मछलीशहर दो एन0एच0 को जोड़ता है, नेशनल हाई-वे को जोड़ता है। इसकी लम्बाई लगभग 20 किमी है, इसका निर्माण हो जाये। साथ में स्टेट हाई-वे 7 प्रयागराज गोरखपुर मार्ग से बटाऊवीर मई नोपरवा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-731 को जोड़ने वाली 5 किमी0 की सड़क बन जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। मैंने अगले सदस्य का नाम पुकार लिया है। अब इनका कुछ लिखा नहीं जायेगा। इनका माइक बन्द कर दिया जाये।

(अध्यक्ष जी द्वारा सदस्य का माइक बन्द कर दिया गया)

श्री मुकेश चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नकुड विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने किसान मां की कोख से जन्म लिया। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि जहां पूरी दुनिया राम मय है। जहां हर घर में राम है। हर मन में राम है। हर दिल में राम है। हम किसान हैं। हम यदि खेत में हल जोतते हैं तो राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं तो राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। धान, गेहूँ और गन्ना जब हम पहली बार बेचने जाते हैं तो राम के नाम से अलग निकालते हैं और कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं। जिन्हें राम के नाम से भी दिक्कत है। आपके पूर्वज आपको क्या कहने का काम करेंगे यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरे सामने बैठे है वह कल गन्ने की बात कर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है मेरा जनपद सहारनपुर है और चाहे समाजवादी की सरकार रही हो या बहुजन की सरकार रही हो इन सरकारों में तीन चीनी मिलें सहारनपुर जनपद में बन्द कर दी गयी। मैं साधुवाद

देता हूँ उस कर्म योगी जी को जिन्होंने तीनों की तीनों चीनी मिलों को दस साल के बाद चलाने का कार्य किया है। गन्ने की चीनी मिलें क्यों बन्द हुई आपके जो गठबन्धन के लोग इस भारत में राज करते आये है जिन्होंने 70 साल तक इस देश को घोटाले देने का काम किया है। उन्होंने इस देश के अन्दर जो चीनी का आयात शुल्क था वह शून्य कर रखा था। विदेशों से चीनी आती थी और हमारे किसान की चीनी मीलों में सड़ती थी।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस जननी को जिसने मोदी जैसे महानायक को जन्म दिया वर्ष 2014 में सरकार आ जाने के बाद आज आयात शुल्क देश में 100 फीसदी लागू है एक किलो चीनी भी कोई विदेश से नहीं ला सकता है यह नीति है मेरी सरकार की, यह नीति है मेरे मोदी की, यह नीति है मेरे योगी जी की कि आज चीनी मिले दोबारा चली हैं और किसान खुशहाल है। यह गन्ने की बात कर रहे थे। इन्होंने 22 वर्षों में वर्ष 1995 से लेकर 2017 तक 20 हजार करोड़ 274 लाख रुपये का भुगतान इन लोगों ने किया है मेरी सरकार ने 7 वर्षों में 2 लाख 33 हजार करोड़ का गन्ने का भुगतान किया है। यह आइना है आपके सामने आप खुद देख सकते हो समझ सकते हो कि गन्ने के किसानों का हितैषी कौन है। यह बात करते है गन्ने के किसानों की मुझे अच्छे से पता है मैं भी किसान ही हूँ। मैं भी खेती ही करता हूँ रात को 12 बजे शाहिद भाई आपके राज में बिजली आती थी और जब किसान परिवार का कोई बेटा खेत पर जाता था तो पूरे परिवार को इकट्ठा लेकर जाता था, हथियार लेकर जाता था लाठी लेकर जाता था और यदि गलती से बदमाश मिल गया घर वापिस नहीं आया हत्या हो गयी और यदि गीदड़ ने गन्ने का मेड़ा हिला दिया तो किसान की फावड़ी और चप्पल भी मैंने खेत में देखे हैं यह गुण्डागर्दी है यह माफिया राज आपने अपने राज में उत्तर प्रदेश को दिया है। आपने माफियाओं को सलेक्शन दिया है, आपने माफियाओं को पालने का काम किया है और योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। यह अन्तर आपकी और योगी जी की सरकार का है आज किसान खुशहाल है और अपनी खेती कर रहा है। आप बिजली की बात कर रहे थे क्या आज कोई धरना प्रदर्शन बिजली के लिए कर रहा है आज 18 घण्टे गाँव में बिजली आती है और आपकी सरकार में रोज धरना प्रदर्शन होता था। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 57 हेल्थ वैलनेस सेंटर है अभी महामारी आयी थी तो उन हेल्थ वैलनेस सेंटर पर कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया गया।

श्री महेश त्रिवेदी-

मान्यवर, मुझे मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले वर्षों में सरकार ने सबका साथ सबका विकास के अपने मन की व्यापक चुनौतियों पर विजय पायी है तथा रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर सृजित करने के कारण अर्थव्यवस्था में नई मजबूती स्थापित की। हमारी सरकार ने अपने मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' पर काम करके

इसे और सशक्त बनाया। अमृत काल के 'पंच प्रण' पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केन्द्रित करते हुए नये विषयों की पहचान की गई जिनमें महिलायें एवं बच्चे, आदिवासी सशक्तिकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता इत्यादि प्रमुख हैं।

'काल बिलोकत ईस रूख भानु काल अनुहारि।

रबिहिं राउ राजहिं प्रजा बुध व्यवहरहिं बिचारि।'

माननीय अध्यक्ष जी, समय उस परम शक्तिशाली ईश्वर की तरफ देखता रहता है और उनका इशारा पाते ही बदलता रहता है। सूर्य समय का अनुसरण करता है। राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। सूर्य जैसे जल बरसाता है और धरती को हरा-भरा रखता है, वैसे ही राजा प्रजा से 'टैक्स' के रूप में धन लेता है और उसके कल्याण के लिए खर्च करता है। अमृत काल के अपने प्रथम प्रण 'विकसित भारत' की पूर्ति हेतु राम चरित मानस की उक्त पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया जिसके दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया। परिणामस्वरूप फरवरी, 2023 में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टरों तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 01 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार राज्य ने अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेन्स नीति, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, निरन्तर विद्युत आपूर्ति व लाल फीताशाही पर नियन्त्रण से वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियन्त्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाईयाँ स्थापित हो रही हैं। मैं आनन्द परम् जी की कुछ पंक्तियाँ उद्धरत करना चाहता हूँ-

'कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं, तो कल निकलेगा,

अर्जुन के तीर सा सध, मरूस्थल से भी जल निकलेगा।'

उक्त पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 17 लाख 65 हजार से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35 हजार 236 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जा चुकी है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 'स्कूल चलो अभियान' को व्यापक रूप से संचालित किया गया, जिससे 06 वर्षों के बच्चों के नामांकन में लगभग 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 01 करोड़ 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में दो-दो टैबलेट की उपलब्धता एवं 18381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की भी स्थापना की गयी है। प्रदेश में 303

वृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण केन्द्रों सहित विभिन्न प्रकार के 7239 गौवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित करते हुए अब तक 14 लाख 38 हजार से अधिक गौवंश को संरक्षित किया गया है। मुख्य मंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 201823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किये गये हैं। इस गौवंश के भरण-पोषण के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह प्रति गौवंश लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाते हैं। पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना दूरस्थ गांवों में की जा चुकी है। पशुपालकों को 418483 किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन घटक) दिए गए हैं। मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक कुल 22389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए लगभग 180000 हजार सृजित कराए जा चुके हैं।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आपको धन्यवाद। अब मैं जन्मदिन की शुभकामना देने जा रहा हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री भूपेश चौबे जी का आज जन्म दिवस है। श्री भूपेश चौबे निर्वाचन क्षेत्र राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधान सभा के सदस्य है। आपके पिता का नाम श्री गोरखनाथ चौबे है। आपका जन्म 06 फरवरी, 1975 को हीराचक महोली में हुआ था। आपने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की तरफ से हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

दिनांक 11 फरवरी, 2024 को अयोध्या धाम के दर्शन हेतु माननीय सदस्यों को आमंत्रण

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, हम सबको मालूम है कि 22 तारीख को मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा हुयी थी। मा0 मुख्य मंत्री जी और हमारे सभी दलीय नेताओं की उपस्थिति में यह अनुरोध किया गया था कि हम सब लोगों को अयोध्या ले चला जाये। तो मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर मैंने इस बात की व्यवस्था की है। मा0 श्री शिवपाल यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर अध्यक्ष जी ले जायेंगे तो हम सब लोग चलेंगे, यह अखबार में भी छपा था। तभी मैंने कहा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी से वार्ता करके हम सब लोगों को ले जायेंगे और कई और मा0 सदस्यों ने इस बात के लिए अनुरोध किया था। तो 11 फरवरी को हम सब मा0 सदस्यगण अयोध्या धाम चलने के लिए आमंत्रित हैं। मैं यह प्रोग्राम आपके सामने रख देना चाहता हूँ। प्रातः 8:00 बजे यहाँ विधान सभा परिसर में सारे विधान सभा सदस्य आ जायेंगे। हम सब लोग एक साथ चलेंगे, मैंने बसों की व्यवस्था की है। मैं भी बस में चलूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई दूसरा सदस्य यह न पूछे कि हम गाड़ी से चल सकते हैं या नहीं, इसलिए मैंने इस बात को विराम दिया है कि मैं भी बस से चलूंगा। तो 8:00 बजे सब लोग यहाँ एकत्रित होंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि सवा आठ से

साढ़े आठ बजे के बीच में यहाँ से चल दें। प्रयास करेंगे कि 11:30 बजे तक अयोध्या धाम पहुंच जायें क्योंकि श्री हनुमानगढ़ी जी मन्दिर के दर्शन की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी के दर्शन के पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किये जाते हैं। चूंकि 12:00 बजे श्री हनुमानगढ़ी के पट थोड़ी देर के लिये बन्द हो जाते हैं इसलिए हमारा प्रयास होगा कि हम 11:30 बजे तक वहां पहुंचकर हनुमानगढ़ी के दर्शन करें। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। 12:30 बजे से 2:00 बजे तक श्रीराम के दर्शन करेंगे। उसके बाद 2:00 बजे से 3:00 बजे तक लंच की व्यवस्था की गयी है। लंच के बाद तीन, सवा तीन बजे वहाँ से हम अपनी बसों के द्वारा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मेरा सभी मा0 सदस्यों से निवेदन है कि जो भी अयोध्या धाम के दर्शन करना चाहते हैं वह सब लोग रविवार को सुबह 8:00 बजे विधान सभा में आ जायेंगे और हम सब लोग एक साथ चलेंगे जिसका एक मैसेज जायेगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सारे सदस्य जो भी जाना चाहते हैं, किसी के लिये कोई फोर्सेबल नहीं है। यह आमंत्रण है मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से और उन्होंने मुझे इस बात की जिम्मेदारी दी है। इसलिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को आमंत्रण है कि आप सब लोग 11 तारीख को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए चलें।

श्री महेश त्रिवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर सदस्य के साथ जोड़े सहित अनुमति हो जाये, तो कैसा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप ले आइयेगा। ठीक है, अगर कोई स्पाउस को लाना चाहता है तो ठीक है। पूजा में तो कहा ही गया है कि अगर पूजा में कोई लाना चाहता है तो उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन स्पाउस ही हो ऐसा न हो कि किसी सहयोगी को ले चलें तो यह अलाउ नहीं है। प्लीज आप लोग अन्यथा न लें। सबको पत्र चला जायेगा।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 06 फरवरी, 2024 को 60 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की जनपद महोबा में अर्जुन सहायक बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद गाजीपुर के समाज कल्याण अधिकारी के स्थानान्तरण एवं कठोर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रवि शर्मा की झांसी नगर के शहरी क्षेत्र में शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना हाजी नासिर कुरैशी की जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला नियारियान में नाले के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में भू-माफियाओं द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ा

के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री कविन्द्र चौधरी की जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील को विभाजित करके गौर को नई तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मो0 हसन रूमी की उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग में आधुनिक और मूलभूत सुविधा देने के लिए नए नियम बनाए जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत धरहरा से अमावल सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में चकबन्दी प्रक्रिया में हो रही लापरवाही के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के विकास खण्ड में कतिपय मार्ग के उच्चीकरण के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती मंजू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में कतिपय भवनों के नव निर्माण के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के सदर में डायट के संचालन के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बाबरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत बूढ़ी यमुना नदी की सिल्ट सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चोरी के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत हिलौली-करदहा मुख्य मार्ग से लोहरमऊ होते हुए बाबा कंजेश्वर धाम, सई नदी सेतु तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर में कतिपय शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में है तथा इक्कीसवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड तिराहे से सेवा अस्पताल तक अवैध कब्जे को गिराए जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री गणेश चौहान, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मनीष रावत, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अखिलेश, श्री विजयपाल आढ़ती, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री अनिल कुमार, श्री राम अचल राजभर, श्री राम सिंह पटेल, श्री आशु मालिक, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना', श्री जाहिद बेग, डॉ0 वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री राम शंकर पटेल, डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री निर्मल वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री रामपाल वर्मा, श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू',

श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री अजय सिंह, श्री श्याम सुदर, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री मनोज कुमार पारस, डॉ0 रागिनी, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री अभय सिंह, श्री गौरी शंकर वर्मा तथा श्री जय प्रकाश अंचल।

जनपद महोबा में अर्जुन सहायक बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड में अर्जुन सहायक परियोजना संचालित है। जिसमें बुन्देलखण्ड के कई जनपद झाँसी महोबा हमीरपुर एवं बाँदा को सिंचाई हेतु नहरों के माध्यम से लाखों किसानों की भूमि को सिंचित किया जाता है। धसान नदी से एक नहर जनपद महोबा, बाँदा और हमीरपुर जिले के गांवों के भीतर से नदी निकालकर उक्त गांवों में पानी की परेशानी दूर हो जाएगी जनपद महोबा में भी कई ग्रामीण इलाकों से नहर निकली हुयी है। उक्त परियोजना हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उक्त परियोजना हेतु प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

अतः जनपद-महोबा में अर्जुन सहायक बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों को मुवायजा दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के समाज कल्याण अधिकारी के स्थानान्तरण एवं कठोर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि वर्तमान में समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजीपुर के पद पर श्री रामविलास यादव 04 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत है। शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत स्थानातरण निति के प्राविधानों की अनदेखी करते हुए श्री रामविलास यादव को समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गाजीपुर के पद पर लगातार बनाये रखा गया है। श्री यादव के एक ही जनपद में लगातार कई वर्षों से कार्यरत होने से उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही करने के साथ-साथ अवैधानिक तथा अनुचित कार्य करके अवैध सम्पतियों का सृजन किया गया है। तथा उनके विरुद्ध लगातार शिकायत किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से परिलक्षित होता है कि उच्चाधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा एक ही जनपद में लगातार कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानातरण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मा0 भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्गत स्थानातरण से सम्बन्धित निर्देशों में विहीत प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए वर्तमान में समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजीपुर के पद पर कार्यरत श्री रामविलास यादव का स्थानान्तरण अन्यत्र करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करती हूं।]

झांसी नगर के शहरी क्षेत्र में शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि झाँसी नगर में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की सुचारू व्यवस्था है, परन्तु होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। झाँसी नगर की अनेक वर्षों से जनभावना है कि नगर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बुन्देलखण्ड क्षेत्र के नवयुवकों का भविष्य में रोजगार का साधन बनेगा एवं होम्योपैथी में रुचि रखने वालों का भविष्य में उन्नति के द्वार भी खोलेगा। संज्ञान में लाया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा होम्योपैथिक विभाग के अनुरोध पर झाँसी महानगर के शहरी क्षेत्र में पाँच एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। हाल ही में शासन द्वारा अलीगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोहल्ला नियारियान में नाले के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी नासिर कुरैशी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-27, मुरादाबाद ग्रामीण के मोहल्ला नियारियान चौराहे से लेकर झब्बू के नाला तक एक नाला अंग्रेजी हुकूमत के जमाने का बना हुआ है जो आये दिन जगह-जगह से चोक हो जाता है और जल भराव हो जाता है यह लाखों की आबादी का क्षेत्र है इस नाले का निर्माण कराना अति आवश्यक है जनता को सालों से भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह जनहित का अति गम्भीर विषय है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने एवं नाले का निर्माण की माँग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में भू-माफियाओं द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में भू-माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर तहसील के कागजों में बिना किसी मुकदमे एवं बिना फैसले के कागजात में तहसील के कम्प्यूटर में खतौनी में नाम डलवाकर कामर्शियल भूमि पर जगह-जगह नाम दर्जा कराकर इसको कब्जा करके फर्जी ढंग से बेचने का कार्य करते हैं इसका एक उदाहरण ग्राम इटवा में खतौनी नं0-764, ख साकिन इटवा तहसील इटवा में जो बरकततुल्ला, बिसमिल्ला पुत्र ताज मो0 का है उसको बिना किसी आधार के खतौनी में नाम चढ़वाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से पूरे तहसील में जगह-जगह नाम चढ़वाकर परेशान किया जा रहा है। जिससे लोगों में आक्रोश है।

अतएव माँग करता हूँ कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर भू माफियाओं को दण्डित करने तथा कर्मचारियों के विरुद्ध भी जांच कराकर कार्रवाई की जाय।]

जनपद बस्ती के हर्रैया तहसील को विभाजित करके गौर को नई तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कविन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज, जनपद-बस्ती के अन्तर्गत हर्रैया तहसील है। जिसमें कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1535 है। राजस्व ग्रामों की संख्या अधिक होने के कारण समस्याओं का निस्तारण प्रसाशनिक तौर पर नहीं हो पाता है, एवं एक ही प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित ही बना रहता है। जनता की इस समस्या के निस्तारण के लिए हरैया तहसील को विभाजित कर गौर को तहसील बनाये जाये।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते सरकार से माँग करता हूँ कि हर्रैया तहसील को विभाजित कर गौर को तहसील बनाया जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षा विभाग में आधुनिक और मूलभूत सुविधा देने के लिए नए नियम बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अवैतनिक वार्डनों के वरिष्ठ पदों पर भर्ती/नवीनीकरण/प्रगति प्रक्रिया को लेकर क्या कोई नया प्रावधान बनाया गया है ? और पुरानी व्यवस्था को बहाल करने पर विचार किया जाये। नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने और मूलभूत सुविधा देने के लिए एक नयी योजना बनाना आवशयक है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विभाग को मूलभूत सुविधा दिलाने की माँग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत धरहरा से अमावल सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत धरहरा से अमावल सम्पर्क मार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उक्त सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग चन्दौली प्रा0ख0 अन्तर्गत आती है वर्तमान समय में अमावल से सकलडीहा तक मार्ग बन चुका है बीच में लगभग 02 किमी0 की सड़क छूटी है व कच्ची है। बीच का यह भाग न बनने से स्टेशन आने जाने में लोगों को काफी परेशनी होती है। आवागमन बाधित है। जनहित में धरहरा से अमावल तक सम्पर्क मार्ग को कच्चा से लेपन स्तर तक बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क के निर्माण किये जाने की माँग करता हूं।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर में चकबन्दी प्रक्रिया में हो रही लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तहसील अन्तर्गत ग्राम सभा सिसोटर में चकबन्दी प्रकिया लगभग 41 साल से चल रही है। परन्तु अभी तक विभागीय लापरवाही के कारण चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। सहायक चकबन्दी अधिकारी ने चकों को कागज पर कर दिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के अपीलों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस ग्राम के किसान मा0 उच्च न्यायालय गये न्यायालय ने भी तत्काल चकबन्दी पूर्ण करने का आदेश भी दिया परन्तु उप संचालक चकबन्दी एवं बन्दोबस्त अधिकारी के अकर्मण्यता के कारण अपीलों की सुनवाई न करके दलालों के कहने पर चकबन्दी प्रक्रिया रोक रहे हैं। दलालों ने भी जमीन अपने नाम करा लिए है। इस कारण वह चकबन्दियों एवं अपीलों के निस्तारण में बाधा डाल रहे हैं। चकबन्दी अधिकारी के लापरवाही के कारण चकबन्दी प्रक्रिया 41 साल से लम्बित है। तब से किसान मर चुके हैं।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल 41 साल से लम्बित चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण कराकर किसानों के साथ न्याय दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मदौसा में कतिपय मार्ग के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अमित सिंह चौहान-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-274, बीकापुर, जनपद अयोध्या के विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत मसौधा सुचित्तागंज अन्य जिला मार्ग लोक निर्माण विभाग अयोध्या के प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत आती है। यह मार्ग लखनऊ अयोध्या मार्ग से अयोध्या रायबरेली मार्ग को सम्बद्ध करते हुए अयोध्या-प्रयागराज मार्ग को जोड़ता है मेरे विधान सभा क्षेत्र का यह प्रमुख मार्ग है इसी मार्ग पर के0 एम0 शुगर मिल मोती नगर मसौधा स्थित है। साथ ही तहसील मुख्यालय को भी यह मार्ग आने-जाने का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यातायात के अत्यन्त दबाव होने से आवागमन में एवं किसानों को गन्ने की ट्राली ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात की सुगमता के लिये 16 किलोमीटर लम्बे महत्वपूर्ण मार्ग की चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण की जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मसौधा सुचित्तागंज सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में कतिपय भवनों के नव निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मंजू शिवाच-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मोदीनगर नगरपालिका क्षेत्र में मेरठ-दिल्ली रोड पर कपड़ा मिल्स के समाने पेट्रोल पम्प

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के पास 02 भवन अति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा पिछले तीन दशकों से इन दोनों भवनों में कुछ भी नहीं हो रहा है। मुख्य मार्ग पर एक इण्टर कालेज का भवन है जिसमें बहुत सारे कमरे खाली हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इसी भवन के एक कोने में प्राथमिक विद्यालय संचालित है तथा इसी भवन के निकट पूर्व में सिलाई केन्द्र था वह भी खाली पड़ा है तथा जीर्ण-शीर्ण है। इन दोनों भवनों की दिवारें गिरने की सम्भावना बनी हुई है तथा कभी भी दुर्घटना होने का भय बन रहता है जनहित के इस मुद्दे पर विशेषज्ञों द्वारा जाँच कराकर इन दोनों भवनों को ध्वस्त करा दिया जाय तथा इन दोनों भवनों का स्वामित्व सुनिश्चित भी कराया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर में जिलापूर्ति अधिकारी की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर के सन्दर्भ में राशन घटतौली की शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा शासन स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारी, सहारनपुर के विरुद्ध जांच करवाकर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रकरण में जिला स्तरीय टीम से जांच करवाकर निक्षेपित कर दिया गया, जबकि ऐसे में मामलें की जांच मण्डल स्तर अथवा शासन स्तर के अधिकारियों की जांच टीम से करायी जाकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जनहित में मण्डल स्तरीय अथवा शासन स्तर पर जांच टीम का गठन कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के रुदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-रुदौली, जनपद-अयोध्या के अन्तर्गत 1930 में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0), हनुमान किला, रुदौली नगर पालिका क्षेत्र में संचालित है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 चिकित्सक व 01 ए0एन0एम0 कार्यरत् हैं। 01 लाख से अधिक आबादी की नगर पालिका क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से 100 बेड का हास्पिटल बनाया जाना अति आवश्यक है। एक दशक से पुरानी पी0एच0सी0 को संयुक्त चिकित्सालय/100 बेड हास्पिटल बनाये जाने की माँग क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु अभी तक उक्त पी0एच0सी0 को उच्चीकृत नहीं किया गया है। जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हनुमान किला, रूदौली को उच्चीकृत करते हुए संयुक्त चिकित्सालय/100 बेड हास्पिटल बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के सदर में डायट के संचालन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर जनपद मुख्यालय पर डायट का भवन बना हुआ है, परन्तु यहॉ के छात्र-छात्राएं 70 किमी0 दूर जनपद गोण्डा के दर्जीकुआं डायट पर बी0टी0सी0 इत्यादि की ट्रेनिंग लेने जाते हैं जनहित में बलरामपुर में डायट का संचालन अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, अवगत कराना है मेरे विधान सभा क्षेत्र पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) के बबुरी में मरीजों के इलाज के लिये बन रहे जो चिकित्सालय अधर में लटके हुए हैं। जबकि शासन द्वारा धनराशि 374.14 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिये गये हैं। उसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। जिससे बबुरी क्षेत्र के मरीजों को इलाज कराने के लिये 20 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ रही है। यदि बबुरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समय से बन जाए तो स्थानीय लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, वहां पर लोग समय से इलाज करा लेते।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत महिला राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि छात्राओं को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्च शिक्षा के लिये दूर-दराज जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और धन का भी अपव्यय होता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत बूढ़ी यमुना नदी की सिल्ट सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूं कि बूढ़ी यमुना का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होकर बेहट विधान सभा क्षेत्र में होते हुए मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़-02 के ग्राम नथमलपुर, चिलकाना, बैगनी, हैदरपुर, सरसावा, कांजीबास, गोखलपुर, सहाबामजरा से होते हुए यमुना नदी में समागम होता है। उक्त नदी पर अतिक्रमण होने के कारण जल निकासी न हो पाने के फलस्वरूप हजारों बीघा फसले नष्ट हो जाती है। मेरी विधान सभा नकुड़-02 में यमुना नदी में बाढ़ आने पर बहुत ही कम मात्रा में एवं बूढ़ी यमुना नदी में जल निकासी न होने के कारण भारी मात्रा में फसलें नष्ट होती है। जनहित में बूढ़ी यमुना की सिल्ट सफाई कराये जाने से बाढ़ की स्थिति में किसानों की हजारों बीघा फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत चोरी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र चरथावल की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल के अन्तर्गत ग्राम संघावली, थाना मंसूरपुर में दिनांक 04-02-2024 व 05-02-2024 की रात्रि में तीन ट्रान्सफार्मर किसानों के ट्यूबवेल से चोरी हो गये जिनमें दो ट्रान्सफार्मर 25 के0वी0ए0 के थे व एक ट्रान्सफार्मर 100 के0वी0ए0 का था जिसमें से आधा वहीं छोड़ गये जिनमें 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर श्री बालिन्दर, श्री कल्लू के ट्यूबवेल से चोरी हुआ तथा 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर जो श्री इन्दर सिंह की ट्यूबवेल का था उसको आधा वहीं छोड़ गये। चोरी के पश्चात् इसकी सूचना 112 व थाना मंसूरपुर को दी गई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तीतावी, थाना मंसूरपुर व थाना भौरा, थाना बुढ़ाना व अन्य थानों में भी इसी प्रकार की चोरी हुई है तथा यह घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पर कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत हिलौली-करदहा मुख्य मार्ग से लोहरामऊ होते हुए बाबा कंजेश्वर धाम, सई नदी सेतु तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा उन्नाव अन्तर्गत हिलौली करदहा मुख्य मार्ग से लोहरामऊ होते हुए बाबा कन्जेश्वर धाम, सईं नदी सेतु तक मार्ग कच्चा एवं गड्ढायुक्त है। जिससे उन्नाव जनपद के क्षेत्रीय लोग एवं दर्शनार्थियों को प्राचीन एवं प्रसिद्ध बाबा कन्जेश्वर धाम दर्शन हेतु जानें में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा उक्त कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक बनवाए जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्त्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के सफीपुर में कतिपय शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में जनता के पास शौचालय नही है, शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करते हैं। महोदय जनहित में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत निम्न ग्राम सभाओं में शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है :-

क्र0-सं0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड का नाम
1	ग्राम पंचायत कोरारी खुर्द	मिंयागंज
2	ग्राम पंचायत अम्बरहा	सफीपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3	ग्राम पंचायत शेरपुर खुर्द	सफीपुर
4	ग्राम पंचायत सकहन राजपुतान	सफीपुर
5	ग्राम पंचायत दीपागढ़ी	मियांगंज
6	ग्राम पंचायत कुरसठ ग्रामीण	बांगरमऊ
7	ग्राम पंचायत बरहा कला	मियांगंज
8	ग्राम पंचायत आसीवन तरफ जारूल्ला नगर	मियांगंज
9	ग्राम पंचायत कुलहा अरौरा	मियांगंज
10	ग्राम पंचायत जमालनगर एहतमाली	सफीपुर
11	ग्राम पंचायत अरेर खुर्द	मियांगंज
12	ग्राम पंचायत खोखापुर	सफीपुर
13	ग्राम पंचायत रायपुरगढ़ी/शाहपुर, भदेमू/बिरसिंहपुर	नवाबगंज
14	ग्राम पंचायत चम्पतपुर/जरेलिया/परेन्दा	मियांगंज
15	ग्राम पंचायत बभना	सफीपुर

अस्तु आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में विधान सभा सफीपुर के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड तिराहे से सेवा अस्पताल तक अवैध कब्जे को गिराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड से रेलवे लाईन के मध्य के क्षेत्र में स्थापति आवासों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर गरीबों एवं छोटे व्यावसायियों द्वारा बनाये गये घरों को तोड़कर वृक्षारोपण किया गया है। आई0आई0एम0 रोड तिराहे से लेकर सेवा हास्पिटल तक के क्षेत्र में प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से न सम्पादित कर वहां पर दैनिक मजदूरों के आवासों को तोड़ दिया गया है तथा जो सम्पन्न व्यक्ति हैं, उनके आवासों को नहीं गिराया गया है। जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर क्षेत्र के निवासियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। पूर्व में भी इसके सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी परन्तु अभी तक संतोषजनक उत्तर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में अवैध घरों को गिराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड तिराहे से सेवा हास्पिटल तक के क्षेत्र में गिराये गये घरों को छोड़कर बचे अवैध कब्जे को गिराये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुईं। एक सूचना श्री अभय सिंह जी एवं दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की प्राप्त हुई है। दोनों सूचनाएं अग्राह्य हैं, दोनो सूचनाएं नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इसलिए इनको नही सुना जायेगा।

मद संख्या-2 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-03

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसी समय कार्य-स्थगन भी ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह औपचारिक कार्य हो जाय। उसके बाद ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन[†]

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन, जो सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन[†]

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो बस्ती, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा देवरिया जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

[†] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बाइसवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बाइसवां प्रतिवेदन, जो सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा मेरठ जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेइसवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेइसवां प्रतिवेदन, जो उन्नाव, सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा सीतापुर जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौबीसवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौबीसवां प्रतिवेदन, जो सीतापुर, फिरोजाबाद, एटा तथा इटावा जनपदों की जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों में हुई अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित जांच आख्या पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'याचिका समिति' (2022-23) का 13वां प्रतिवेदन जो प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'याचिका समिति' (2022-23) का 14वां प्रतिवेदन जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'याचिका समिति' (2022-23) का 15वां प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की याचिका समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'याचिका समिति' (2022-23) का 16वां प्रतिवेदन जो पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन, जो परिवहन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन, जो कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 में कुछ नहीं है। मद सं0-16 से सम्बन्धित याचिकाएं बाद में ले लेंगे। मद संख्या- 17 व 18 में कुछ नहीं है अब मद संख्या-19

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024[†]

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 †

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेते हैं। आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुईं। श्लाका के आधार पर जिन दो सूचनाओं को सुना जाएगा उसमें पहली सूचना, प्रदेश

[†] दिनांक 19-02-2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

में आवारा पशुओं से हुए जान-माल की क्षति विषयक है, श्री मनोज कुमार पाण्डेय की है। अगर वे न बोलना चाहें तो बृजेश कठेरिया भी बोल लेंगे ओर पंकज मलिक भी बोल सकते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, यह सूचना हमने नियम-56 के अन्तर्गत दी थी। आज केवल हम ही नहीं, बैठा हुआ पूरा सदन इस बात से सहमत भी है और परिचित भी है कि पूरे प्रदेश में जंगली जानवर चाहे वह सुअर हों या नीलगाय हों, इनकी तो बहुतायत थी ही। इधर अगर हम देखें तो कई वर्षों में छुट्टा जानवरों के कारण, जिसमें बंदर भी हैं, इतनी बड़ी समस्या प्रदेश में खड़ी हो गयी है कि आज किसान दोराहे पर खड़ा हुआ है। वह कभी सोचता है कि हम खेती करें या बन्द कर दें। हो सकता है कि किसी हमारे साथी को लगता है कि विरोध के लिए खड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में कई एकड़ जमीन पर लोगों ने हिम्मत नहीं की कि इस पर खेती लगाएंगे और खासकर जो नदियों के किनारे हैं वहां तो लोगों ने परती छोड़ दिया है। झुंड के झुंड छुट्टा जानवर आते हैं और दिन हो या रात हो, अगर किसान जरा सा भी चूका तो वहां पर फसल नष्ट कर दे रहे हैं। कुछ घटनाएँ आपको बतायें, 25 दिसम्बर, 2023 को छुट्टा जानवरों को एक गाँव के लोगों ने दूसरे गाँव में ला करके डाल दिया। दूसरे गाँव के लोगों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ की खेती इससे नष्ट होगी। मान्यवर, वहाँ झगड़ा हो गया, गोली चल गयी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, दो लोग संजय और देशराज गम्भीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, मान्यवर, स्थिति यह हो गयी कि गाँव-गाँव में इस बात का झगड़ा होना शुरू हो गया कि रात में एक गाँव के किसान अपने यहाँ से जानवरों दूसरे गाँव में छोड़ देते हैं। दूसरे गाँव के लोग चौकीदारी करते हैं कि हमारे गाँव में कोई बाहरी जानवर न ले करके आये। मान्यवर, किसान वैसे ही बड़े संकट में है। बात हम कितनी ही बड़ी कर लें। हम उस देश में रहते हैं, जिस देश में यह नारा लगता रहा है- 'जय जवान जय किसान', हम उस देश में रहते हैं, जहाँ आज भी 62 फीसदी से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। उसके रोजगार का मुख्य साधन किसानी है और इतनी मेहनत के बाद भी आज किसान का धान 18-19 सौ में, गेहूँ 22-23 सौ रुपये में बिक रहा है। 16-17 सौ रुपये लागत लगाने के बाद आज किसान लगभग बराबर की खेती कर रहा है और उस मौके पर जब उसका पूरा का पूरा खेत साफ हो जाय, खेत में कुछ बचे ही ना, इन हालात में मान्यवर, आज अन्नदाता बहुत दुःखी है और बड़े संकट में है और इसलिए मान्यवर, हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार कहती है कि हमने गौशालाओं का निर्माण कराया है। इस बजट में दिया है कि हमने 7635 नए गौशालाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है।

मान्यवर, गौशालाओं की क्या स्थिति है, किसी गौशाला में आप चले जाइये, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, वहाँ गौमाता इतने संकट में रह रही हैं कि एक के ऊपर एक बैठी हुई हैं। किसी गौशाला में चले जाइये, दो-तीन गायें वहाँ पर आपको मरी हुई मिलेंगी। किसी

गौशाला में चले जाइये, वहाँ खुदवा लीजिए, वह मर जाती हैं, वहीं पर उनको गाड़ दिया जा रहा है। मान्यवर, एक गौशाला में दो सौ, ढाई सौ तीन सौ जानवर आप रखेंगे, एक ग्राम पंचायत में छः सौ सात सौ आवारा जानवर हैं और मैंने नीलगाय को अलग कर दिया, सुअर को अलग कर दिया, उसके बाद मान्यवर, आज यह स्थिति बनी हुई है। अभी जवाब आयेगा तो कह देंगे कि हम गौशाला बना रहे हैं, लेकिन मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का अन्नदाता और किसान संकट में खड़ा है। मँहगी खाद, मँहगी बिजली, मँहगी सिंचाई, मँहगी जुताई, उसके बाद भी आज किसान का गेहूँ बिक रहा है 22 सौ रुपये में, धान बिक रहा है 19 सौ रुपये में और अगर उसकी कहीं नजर बन्द हो गयी, वह सो गया तो उसका पूरा का पूरा खेत नाश हो जा रहा है और मैं पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश और देश का अन्नदाता और किसान परेशान रहेगा, वह देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर किसी देश और प्रदेश का किसान दुःखी है, अपने उत्पादन का मूल्य नहीं पा रहा है, वह देश खुशहाली के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए मान्यवर, हम कहना चाहते हैं, जैसे ही हम 'जय जवान' का नारा लगाते हैं तो हमारा जवान जिस तरह सीमा पर टकटकी लगा करके दुश्मन देश की सीमा की तरफ देखता है कि कहीं दुश्मन अन्दर न आ जाय सीमा में, आज हमारा किसान खेत की मेड़ और डाल पर बैठ करके इस ठिठुरती हुई सर्दी में भी डण्डा लेकर केवल अपने खेत को ताकने का, अपने उत्पादन को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मान्यवर, इस पर आपका संरक्षण चाहिए और हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि सरकार इसके लिए कोई ठोस उपाय करे और बताये। दूसरा हमारा निवेदन है और माँग भी है कि आवारा पशुओं के द्वारा जो खेती नष्ट की जा रही है, किसान की जो फसलें नष्ट हो रही हैं, सरकार उसका सर्वे करा करके, जाँच करा करके और जितनी फसल नष्ट हो रही है, उसका मुआवजा भी सरकार देने का निर्णय ले और देने की घोषणा करें। मान्यवर, यह आपसे मुझे निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष-

अब इंजी0 बृजेश कठेरिया जी अपनी बात कह लें। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप वह बात बोलिएगा, जो इन्होंने न बोली हो।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे मुख्य सचेतक जी ने जो कहा मैं उनकी पूरी बात का समर्थन करता हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाह रहा हूँ कि आवारा पशुओं से जो तमाम सारी घटनाएँ होती हैं हम लोगों ने ऑन रिकर्ड पटल पर नाम पते सहित दिये हैं लेकिन आज तक उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। मेरी खुद की विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में, कुर्रा में और भी कई जगह किसान और मजदूर इन जानवरों के कारण खत्म हुए हैं। मैंने उनका किसान बीमा में आवेदन भी कराया इसके बाद भी

आज दो-दो, ढाई-ढाई साल बीतने के बाद भी एक पैसा पीड़ितों को नहीं दिया गया। दूसरा अनुरोध मेरा है कि सरकार गौ-पालन के लिए अपनी बहुत पीठ थपथपा रही है लेकिन पर्दे के पीछे बात अलग है इन्होंने अपना बोझ ग्राम पंचायतों के ऊपर डाल रखा है। आप प्रधानों से बात करके देख लें साहब किसी को भी फोन मिलाकर पूछ लें बजट का जो पैसा ग्राम पंचायतों में विकास के लिए जा रहा है वह पैसा जो ऊपर से दिया जा रहा है वह विकास के लिए न जाकर इस पर खर्च हो रहा है। अभी एक प्रधान से मेरी बात हुई थी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पूर्वी जागीर ब्लॉक से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपये का भूसा वह खिला चुके हैं और पेमेण्ट भी नहीं हुआ है तो प्रधान भी संकट में पड़ा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी परसों मेरी तहसील किशनी में किसानों ने इन आवारा पशुओं को लेकर जबरदस्त धरना-प्रदर्शन किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कम से कम इसके बचाव के लिए और जो घटनाएँ हो रहीं हैं उसमें सम्बन्धितों की मद्द के लिए सरकार की क्या स्पष्ट मंशा है उस पर अपना पक्ष रखें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से चुनकर आता हूँ अभी जैसा कि आदरणीय मनोज पाण्डेय जी ने भी बताया वास्तव में आज स्थिति यह है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग यह कहते हैं कि आप को चुनकर विधान सभा में भेजा है सरकार वहाँ बैठकर नीति बनाती है इन सांड़ों से तो हमारा पीछा छुड़वा दें। अब उन्हें कैसे समझायें कि किस तरह सांड़ को हम समझा सकते हैं सरकार को हम नहीं समझा पा रहे है सांड़ को क्या समझाओगे। बड़ी दिक्कतें है साहब इतनी दिक्कत है कि अभी मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो चाहे बघरा ब्लॉक हो, चाहे सदर ब्लॉक हो या मुजफ्फरनगर का कोई भी ब्लॉक रहा हो हमारे मुजफ्फरनगर शामली में पूरी 9 विधान सभा क्षेत्र हैं कहीं भी जाकर देख लीजिएगा शाम को स्थिति यह है कि इतनी ठंड में किसान अपने खेत के काम के लिए तो ठंड में जाता ही है। किसानों ने टाइम बाँध रखा है कि एक घंटा छोटा लड़का जाएगा और चार घण्टे खेत को पशुओं से बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी जाएंगे, बड़ी खराब स्थिति है, फसल की फसल नष्ट कर दी है जानवरों ने। चाहे मेरे क्षेत्र के नसीरपुर का मामला हो, चाहे लड़वा का मामला हो, चाहे शामली का मामला हो। जनपद शामली के विषय में हमारे प्रसन्न भाई भी उस दिन आवाज उठा रहे थे। इन्होंने किसान की चीख निकलवा दी है एक तो महँगाई है, लाभकारी मूल्य किसानों को मिल नहीं पाता है। इतनी खराब स्थिति है आपने कहा कि हम कॉउ सेन्चुरी बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के पास, लेकिन वह कॉउ सेन्चुरी कब बनेगी जब इनकी फसलें नष्ट हो जाएगीं, किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत खराब स्थिति है मान्यवर। आप देख लीजिएगा सीतापुर का मामला-फसलों को हुआ नुकसान ग्रामीणों ने विद्यालय में बन्द किए पशु, आवारा पशुओं को किसानों ने की पकड़वाने की माँग, लखनऊ का मामला-ताकतवर किसान को परेशान किया

बेजुबान पशुओं की यह स्थिति है। चाहे मुरादाबाद का मामला हो, सहारनपुर मण्डल का मामला हो, मेरठ मण्डल का मामला हो। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सात जन्म होते हैं अगर सरकार में बैठे हुए आदमी में से किसी का जन्म परिवर्तित हो गया और साँड़ या ये मिल गया ये दुःखी भी हैं, परेशान भी हैं तो पटक-पटक के मारेंगे जब यह आदमी बनेंगे बता रहा हूँ साहब मैं, तो इसे गम्भीरता से लेना चाहिए बहुत गम्भीर विषय है आज किसान बर्बादी की तरफ है। बंदर भी बहुत परेशान कर रहा है उसका कोई उपाय हो ही नहीं पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, बंदर के लिए ज्यादा चिंतित हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

ओम प्रकाश जी, बंदर के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि एक बार हवा का महल बना था, एक बार जंगल का राजा बंदर बना था वही काम सरकार में हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश-

मेरे यहाँ देश की बड़ी आबादी के गाँव हैं। बगीचे सब खत्म हो गए है और बंदर तो आपके हनुमान जी, आपके प्रिय हैं। इनको अपने पास रख लेते तो हम लोगों की जान बच जाती।

श्री अध्यक्ष-

वह हमारे पास ही हैं।

पशुधन मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो हम मा0 सदस्य जी से सुधार चाहेंगे। आवारा पशु और छुट्टा पशु, यह बैल राशित गौवंश है जिन्हें पशुपालक दूध देने के बाद छोड़ देता है। जब तक यह गाय दूध देती हैं, तब तक तो यह पालते हैं, इसके बाद इन्हें छोड़ देने का काम करते हैं। मान्यवर, फिर भी योगी सरकार निराश्रित गौवंश के लिए बहुत चिन्ता कर रही है। हमने ढाई महीने का अभियान चलाया 1 नवम्बर से 31 जनवरी 2024 तक। इसमें 2 लाख 61 हजार निराश्रित गौवंश को गोशालाओं में भेजने का काम किया है। मान्यवर, हम लोग जितनी गायें निराश्रित गौवंश को पकड़वाते हैं, यह लोग उतनी ही फिर छुड़वा देते हैं। हमें रिपोर्ट आती है कि जितनी पकड़वाये जा रहे हैं, उतनी ही बार फिर छोड़ी जा रही हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर, गाँव की गलियों में दिखायी न दें।

(विपक्ष के सदस्यों का अपने-अपने आसन से एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह लोग बोल रहे थे तो हम तो बोले नहीं थे। यह उत्तर सुन लें, इसके बाद फिर आप अवसर दें। यह पहले उत्तर तो सुन लें, इसके बाद बोलने का काम करें। अभी हमारा उत्तर आया ही नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान आज बर्बाद हो रहा है। सरकार उदासीन है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय, नेता समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, फिर भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस कार्य को ठीक से अंजाम देने के लिए 6 विभागों को जिम्मेदार बनाया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह 6 विभाग हैं-ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और पशुधन विभाग। मान्यवर, इन विभागों के इन निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमने इस तिथि को फिर 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यह संख्या बढ़ने का एक और कारण है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कत्लखाने बन्द हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसान, पशुपालक अपने पशुओं को अन्दर मकान में बन्द रखता था और खुद बाहर सोता था, तब यह बचे मिलते थे। मान्यवर, सबसे बड़ा कारण है कि योगी सरकार में कत्लखाने बन्द हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष-

अभी तो वही उत्तर चल रहा है और आप लोग वापस आ गये।

श्री धर्मपाल सिंह-

समाजवादी पार्टी की सरकार में गाय कसाई को देखकर काँपती थी और अब योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई काँपता है, यह सरकार का अन्तर है। मान्यवर, फिर भी हमने अब इस सरकार में 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिये। हम नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय को इसलिए पशुपालक छोड़ देता है कि वह कम दूध देती है, 2 लीटर दूध देती है। मान्यवर, फिर भी हम इसमें नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। देसी गाय में हम साईवाल गाय, गिरि गाय, हारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातिरि गाय इन गायों का सीमन पशुपालक को फ्री दे रहे हैं। इस गाय की जब बछिया होगी तो यह 10 और 12 लीटर दूध देगी। हम नस्ल सुधार का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि देसी गाय को

पशुपालक पाले, छोड़ने का काम न करे। जो साँड़ की बात आती है, उसमें कहना चाहूंगा कि अब हम बधियाकरण पर भी प्राथमिकता से दबाव दे रहे हैं और मुख्य मंत्री सहभागिता योजना में जो निराश्रित गौवंश में 4 गायों को पालेगा, उसको हम 6 हजार रुपये घर बैठे सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से देने का काम करेंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल तक पहुँचायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना मैंने सुनी, मैंने मा0 मनोज पाण्डेय जी को सुना, इं0 बृजेश जी को सुना, श्री पंकज जी को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री लालजी वर्मा जी की के0जी0एम0यू0 एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में किए जा रहे आरक्षण नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब से यह सरकार आयी है, आरक्षण का जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है। अनुसूचित जातियों को बाबा साहब के संघर्षो के बाद 1932 से ही आरक्षण का अधिकार मिला। पिछड़ी जातियों को लम्बे संघर्ष के बाद 1990 से रिजर्वेशन का अधिकार मिला। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, किसी न किसी रूप में इस पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, उसमें फैकल्टी के लिए जो विज्ञापन किया गया, वह बिना रिजर्वेशन के किया गया। हमने यहाँ पर आवाज उठाई, उस समय तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा के मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे, इन्होंने रोका लेकिन उसके बाद फिर जब भरने का काम किया तो उसमें भी उसका अनुपालन नहीं किया गया। अभी ताजा जो घटना है, यह के0जी0एम0यू0 की है। के0जी0एम0यू0 में 12-07-2022 को पद विज्ञाप्ति किये गये। इसमें आचार्य के 12 पद, अपर आचार्य के 03 पद, सह-आचार्य के 17 पद और सहायक आचार्य के 80 पद। मान्यवर, आचार्य के जो 12 पद हैं, इसमें अनारक्षित 09 पद हैं, यानी 75 परसेण्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 02 पद हैं। यानी 17 परसेण्ट है, जबकि उनके लिए 10 परसेण्ट रिजर्वेशन है। दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जीरो परसेण्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 8 परसेण्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए जीरो परसेण्ट है।

मान्यवर, इसी तरह से अपर आचार्य के 03 पद विज्ञापित थे। अनारक्षित के लिए तीनों, यानि 100 परसेण्ट। सह-आचार्य के 17 पद, अनारक्षित के लिए 71 परसेण्ट यानि 12 पद और सहायक आचार्य के 80 पद में 55 पद अनारक्षित यानी 69 परसेण्ट, दूसरी तरफ

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आचार्य में 02 पद, 17 परसेण्ट, अपर आचार्य में जीरो, सह-आचार्य में 24 परसेण्ट और सहायक आचार्य में 10 परसेण्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग का आचार्य में जीरो, अपर आचार्य में जीरो, सह-आचार्य में 06 परसेण्ट और सहायक आचार्य में 12 परसेण्ट, जहाँ 80 पद हैं, वहाँ केवल 12 परसेण्ट, अनुसूचित जाति के लिए 01 पद आचार्य में है, 8 परसेण्ट, अपर आचार्य में जीरो, सह-आचार्य में जीरो और सहायक आचार्य में 7 यानी 9 परसेण्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए सब में जीरो-जीरो है। मान्यवर, इसी तरह से के0जी0एम0यू0 की यह स्थिति है कि इस तरह का रोस्टर बनाया गया, जिसमें हमारा जो 27 परसेण्ट रिजर्वेशन और अनुसूचित जाति का 21 परसेण्ट का रिजर्वेशन है, उसको हड़पने का काम किया गया। मान्यवर, इसके साथ-साथ लोहिया इन्स्टीट्यूट का भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं पहले के0जी0एम0यू0 की पूरी स्थिति बता दूँ। 2017 से लेकर 2023 तक कुल 94 भर्ती की गई, इस 94 भर्ती में जनरल का 60, यानी 50 परसेण्ट से भी ज्यादा, एस0सी0 का 19 होना था, 15 भर्ती की गई। ओ0बी0सी0 का 25 होना चाहिए था, 27 परसेण्ट के अनुसार, लेकिन केवल 19 भर्ती हुई, यह 2017 से लेकर 2023 तक। मान्यवर, इसके साथ-साथ लोहिया इन्स्टीट्यूट में कुल 152 पद भरे गए हैं, जिसमें से एस0सी0 के केवल 03 हैं। 152 फैकल्टी भरी हुई है।

मान्यवर, उसमें से अनुसूचित जाति के 3 पद और ओ0बी0सी0 के 2 पद हैं। यानि पूरी तरह से रिजर्वेशन की धज्जी उड़ाने का काम किया गया है। लोहिया इन्स्टीट्यूट में विज्ञापन संख्या 2603, दिनांक 11-10-2021 के द्वारा 15 प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर, 22 असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल 47 शिक्षकों की भर्ती की गयी, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम दिनांक 25-03-1994 के अनुसार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए अनुमन्य आरक्षण नहीं था। इसी तरह से वर्ष 2023 में दिनांक 10-01-2023 के द्वारा 20 शिक्षकों की भर्ती लोहिया में की गयी जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का एक भी पद नहीं भरा गया है। इसके साथ-साथ दिनांक 04-03-2023 के द्वारा संविदा के आधार पर सीनियर रेजीडेंट की भर्ती की गयी जिसमें भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का एक भी रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया गया है। हमारे अधिनियम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शासनादेश है कि उनकी जो भर्ती है वह किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रनीत नहीं किया जायेगा। उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जायेगा। उसको सामान्य रूप से भरने का काम किया जायेगा लेकिन उसके बावजूद भी लोहिया इन्स्टीट्यूट में इस शासनादेश का उल्लंघन करके अभी

जो निकाला गया है, वह 27 प्रतिशत है। वह 27 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निकालने का काम किया गया है। इस तरह से शासनादेश की धज्जी उड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर वह पद सामान्य कैटेगरी में जाता तो सामान्य विज्ञापन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग को 8 पद, अनुसूचित जाति को 7 पद और मिलते, लेकिन अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को हिस्सेदारी न मिलने पाये, इसलिए इन दोनों संस्थाओं में बार-बार नियमावली का उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है। मा0 मंत्री जी के जांच के आदेश देने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया रोकी नहीं गयी, वह भर्ती अभी चल रही है। वहाँ की जो कार्यपरिषद् है उसमें हमारी नियमावली के अनुसार रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेकिन उसको रखने का काम नहीं किया गया। इसी तरह से एस0जी0पी0जी0आई0 में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की संख्या 13 प्रतिशत है। इन संस्थाओं में जानबूझकर नॉट फॉर सूटेबल करके उनको वापस कर दिया जाता है। इस तरह से आरक्षण का घोटाला यह सरकार जगह-जगह कर रही है। मान्यवर मैं आपके संज्ञान में ला करके चाहूंगा कि इसको ग्राहय कर लें और इस पर चर्चा करा दें जिससे पूरी बात संज्ञान में आ जाये। यही आपसे निवेदन करना था।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मैं वर्तमान में के0जी0एम0यू0 की मेम्बर हूँ और साथ-ही-साथ अभी जो आदरणीय लालजी वर्मा ने नियम-56 के तहत उठाया है उसे मैंने नियम-51 में भी उठाया है और मैं कुछ चन्द बिन्दु पर बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष-

जो बात उन्होंने नहीं कही है अगर कोई ऐसा विषय हो तो बतायें।

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो 2022 का रिक्रूटमेंट आया है जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का भी रिक्रूटमेंट है। हमारे सीनियर मेम्बर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है। चाहे वह एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एसटी कम्युनिटी हो, एसटी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट पर जीरो रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है। जहां हम 27 परसेंट रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई हैं। अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यह मुद्दा विधान परिषद् में भी उठाया गया था और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, बृजलाल जी, कौशल किशोर जी, गौरीशंकर वर्मा जी और साथ ही साथ उप मुख्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पर बोला था कि इसमें ऐक्शन लिया जायेगा। आपके कहने के बाद आर्टिकल-13 के0जी0एम0यू0

के तहत एक कमेटी बनायी गई है जिसमें कि इस पर ऐक्शन लिया जायेगा। इसमें जो मेम्बर हैं वह डीजीएमई की पोस्ट पर हैं जो कि ऑलरेडी इसकी कार्यदायी संस्था के मेम्बर हैं। दूसरे जो दो मेम्बर्स हैं वह आरएमएल के दो प्रोफेसर हैं जो कि वाइस चांसलर के अण्डर में काम करते हैं। मान्यवर, जो तीन मेम्बर बनाये गये हैं आर्टिकल-13 के तहत इसकी जांच के लिए, ये लोग तब इस पर अंकुश नहीं लगा पाये जब इस तरह की चीजें हो रही थीं तो अब इसकी जांच में किस तरह से निष्पक्ष जांच कर पायेंगे, इस पर हम एग्री नहीं करते हैं। इस तरह के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है जिस तरीके से पीडीए चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो उनका हक इस सरकार में बार-बार मारा जा रहा है। अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि के0जी0एम0यू0 की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है तो क्या हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें। जैसा कि बताया गया कि आरएमएल में भी सिमिलर सिचुएशन हुई है जब वह आरएमएल में डायरेक्टर के पद पर रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडीडेट से नहीं भरी जाती है उसके बावजूद भी उसको भरा गया है यह सरासर नाइंसाफी है। लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगी कि मौखिक रूप से विधान परिषद् में इसके लिए आश्वासन मिला था और आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट चलते रहे, इण्टरव्यू चलते रहे और कहीं भी इसमें वीसी के द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी है, यह अपने आप में दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं जब से के0जी0एम0यू0 की मेम्बर बनी हूँ तब से लेकर अभी तक बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडीडेट से नहीं भरी जाती हैं उसके बावजूद भी उसको भरा गया है यह सरासर नाइंसाफी है। मैं जब से के0जी0एम0यू0 की मेम्बर बनी हूँ तब से लेकर अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं बुलायी गयी है यह इस बात को दर्शा रहा है कि विधायिका कहीं न कहीं अपने आप में कमजोर होती चली जा रही है। वहां पर दो टीम्स होती है, एक एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स का होता है और एक कोर्ट मेम्बर्स का होता है, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य यहां सदन से ऐज ए मेम्बर चुनकर जाते हैं उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर मिले ताकि इस तरीके की जो भी हरकतें हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, धन्यवाद।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संविधान के तहत् सभी आरक्षण नियमों को मानेंगे और किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन नहीं होने देंगे अध्यक्ष जी, दिक्कत लालजी वर्मा जी को नहीं है, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। समस्या यह है कि समाजवादी पार्टी ने गतसमय जो पाप किये उनको धोने का अवसर लालजी वर्मा जी ने पाया है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जब मा0 लालजी वर्मा जी ने बोला तो इधर से कोई नहीं बोला, अब जब मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनको सुन लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

हमने तो यह नहीं कहा कि आपने कोई पाप किया है। यह शब्द उचित नहीं है, इस तरह की भाषा को अगर अलाऊ करेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

समाजवादी पार्टी ने लगातार आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। मैं संसद में था प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया और समाजवादी पार्टी के मेम्बर्स ने वेल में जा करके बिल को मेरे सामने फाड़ने का काम किया इसको मैं शपथपूर्वक कह सकता हूँ। दूसरी बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मेम्बर्स ने पालिर्यामेंट के अन्दर महिला आरक्षण बिल की प्रतियाँ हमारे सामने फाड़ी इसको भी मैं गवाही देकर कहता हूँ और बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आरक्षण के नियमों का हम पालन करेंगे। यह अखबार की सुर्खियां पाने के लिए है, अखबार में छपने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इसको अध्यक्ष जी आप बैन कर दीजिए कि जो इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि काम रोको प्रस्ताव ले आओ, काम रोको वह होता है जिसमें तत्काल कोई घटना घटी हो और उससे अपूर्णीय क्षति हो रही हो, यह प्रक्रिया चल रही है लगातार 6 महीने से और यह तत्काल बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल सदन को गुमराह किया जा रहा है और यह केवल अखबार में छपास का रोग है। लालजी वर्मा और इनकी पूरी टीम को लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की पार्टी है, जाति विशेष की पार्टी भी नहीं है बल्कि एक परिवार की पार्टी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इनको वर्ष 2012 से 2017 के बीच से छपास का रोग है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये यह डिबेट नहीं है आप सभी सुन लीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी आप वर्ष 2012 से 2017 के बीच का अखबार मंगा लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, उसका नाम अभ्यर्थियों ने बदलकर के एक जाति

विशेष का आयोग कर दिया था और यह लोग गूंगे बन करके बैठे थे, इन लोगों ने डांका डालने का काम किया था, नौकरी को लूटने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का गरीब, उत्तर प्रदेश की महिला, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी जो इन्होंने आंकड़ा और जो विज्ञापन की संख्या बताई जो तारीख बताई, यह उसी को बता दें कि जो विज्ञापन निकला है, जो मैने तथ्य रखा है यह गलत है ? इसी को तथ्य सहित बताएं, यह लफ्फाजी का भाषण हम लोग सुनने यहां नहीं आए।

(सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा, सॉरी मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा, यहां अराजकता नहीं हो सकती। मा0 उप मुख्य मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि जो इन्होंने पूछा है केवल उतना बता दीजिए।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी जो मा0 सदस्य ने प्रकरण उठाया है, उस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, हमने कमेटी बना दी है सच्चाई सामने आयेगी और आरक्षण नियमों को हम शत-प्रतिशत लागू करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

आरक्षण नियमों को शत-प्रतिशत लागू करेंगे यह मा0 मंत्री जी ने बोल दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर तब तक भर्ती प्रक्रिया रोक दें।

श्री अध्यक्ष-

जो कमेटी की बात डॉ0 रागिनी जी ने करी थी, उसमें मा0 मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बनाई है और आरक्षण को शत-प्रतिशत लागू करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने कहा उसके लिए वह पहले से सचेत हैं और उसको लागू करने के लिए भी उन्होंने पहले से कमेटी बना दी, वह उसको करेंगे। मैंने मा0 लालजी वर्मा जी को, डॉ0 रागिनी

जी को व मा0 उप मुख्य मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आती इसलिए मैं अग्राहय करता हूँ।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी जिस समय मा0 वर्मा जी बोलने के लिए खड़े हो गए, उस समय उन्होंने कहा कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उन्होंने लफ्फाजी क्यों की, फिर लफ्फाजी का जवाब तो यही दिया जाएगा। क्या यह गलत है कि महिला आरक्षण के बिल फाड़े गए और क्या यह गलत है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वह किसने खत्म किया ?

श्री लालजी वर्मा-

जब से आप सत्ता में आए हैं, तब से ऐसा ही हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यही ठीक नहीं है, आप विषय से हटकर बात करते हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक आरक्षण की पक्षधर है, थी और रहेगी और उसका पूरा पालन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ये अब समाप्त हो गया। मैंने श्री लालजी वर्मा जी को, डा0 रागिनी और उप मुख्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए उसको अग्राह्य करता हूँ। चर्चा जारी रहेगी। डा0 आर0 के0 वर्मा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नियम-300 में हमारी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

वह खत्म हो गया। आप बहुत लेट आये। नियम-300 अग्राह्य हो गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सी0पी0ए0 से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

हाउस की कार्यवाही से सी0पी0ए0 का क्या मतलब है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, ये तो पूरे हाउस के विधायकों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

वर्तमान में जो कार्य चल रहा है, वह सी0पी0ए0 से कैसे बाधित होता है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सवाल परम्परा का है, पूरे विधायकों के अधिकार का है। सी0पी0ए0 पर आप सुन लीजिए। ग्राह्य-अग्राह्य करना आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

इनकी एक व्यवस्था सुन लूँ, उसके बाद आपको सुन लूँगा।

मन्दिर दर्शन के साथ अयोध्या में मस्जिद हेतु आवंटित भूमि के भ्रमण हेतु व्यवस्था की मांग

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं हाउस में नहीं था। मुझे अभी मालूम हुआ कि आपने अयोध्या जाने के लिए सभी मा0 सदस्यों को आमंत्रित किया है। आपका यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा है कि जो मा0 सदस्य जाना चाहते हैं, वह जाएं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, जिनकी आस्था है, वे जाएंगे ही। मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह मंदिर बनाया गया है। मा0 सुप्रीम कोर्ट ने ही मस्जिद के लिए भी जगह दी है। अगर आप अपने टूर में मस्जिद की उस जगह का भी दर्शन करा देंगे, जहाँ पर मस्जिद बनेगी।

श्री अध्यक्ष-

जब मस्जिद बन जायेगी, तब उसके लिए भी प्रस्ताव रखेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, उस जगह को दिखवा दें। यह सद्भावना की बात है।

श्री अध्यक्ष-

उस सद्भावना में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, अगर आपत्ति नहीं है, तो उस प्रस्ताव में इसको शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष-

विषय यह है कि मैंने यह निवेदन किया कि जो लोग जाना चाहें, वे जा सकते हैं। जिस समय मस्जिद बन जायेगी, तो अगर वहाँ की कमेटी बोलेगी, तो वहाँ के लिए भी बोलूँगा कि जो लोग जाना चाहें, जा सकते हैं, किसी को रोकुंगा नहीं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, उस टूर में अगर आप इस प्रोग्राम को शामिल कर लें, तो एक सद्भावना की बात होगी।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो ये है, उसके बाद देखते हैं। मा0 श्री मनोज पाण्डेय जी।

श्री इकबाल महमूद-

एक सद्भावना की बात होगी, एक एकता की बात होगी। मैं समझता हूँ कि आप जैसा अध्यक्ष, आप जैसे सोच का व्यक्ति मेरी बात को तो हाँ करेगा ही।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात से सहमत हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सी0पी0ए0) उ0प्र0 ब्रान्च के कार्यकारिणी समिति को गठित करने सम्बन्धी औचित्य का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस पूरी विधान सभा की कार्य प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण और 403 विधायकों से सम्बन्धित इस प्रकरण में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ब्रांच की नियमावली, जो दिनांक 12 जनवरी, 1987 की सामान्य सभा में स्वीकृत हुई है। इसके नियम-15 में वार्षिक सामान्य बैठकों का प्राविधान है। इसके नियम-2 में प्रति वर्ष राज्य विधान मण्डल के मानसून सत्र के प्रारम्भ के पश्चात् सी0पी0ए0, उत्तर प्रदेश के ब्रांच की बैठक का भी प्राविधान है। परन्तु अभी तक इस विधान सभा में सी0पी0ए0 कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया है न ही किसी सत्र के पश्चात् सी0पी0ए0 उत्तर प्रदेश ब्रांच के कार्य कलाप की कोई सूचना दी गयी है, जो कि उपयुक्त नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, विगत 7 वर्षों से न तो सी0पी0ए0 की कार्यकारिणी का गठन किया गया और न ही सी0पी0ए0 की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गयी। हमारी सरकार के समय वर्ष 2016 को छोड़कर विगत 7 वर्षों में सी0पी0ए0 की विभिन्न बैठकों में देश व विदेश में किसी विधायक को शामिल नहीं किया गया है। मा0 पूर्व अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सी0पी0ए0 की बैठक में गये थे। इस नियमावली के अन्तर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों को कई प्रकार के विशेषाधिकार भी मिले हुए हैं। इस समिति में सदस्यता हेतु वार्षिक चन्दे का भी प्राविधान है। सी0पी0ए0 के अध्ययन-भ्रमण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक निश्चित धनराशि का बजट भी प्राविधानित है। किसी सी0पी0ए0 के सदस्य के अध्ययन-भ्रमण न होने पर यह धनराशि भी व्यपगत हो जाती है। वर्ष 2012 से 2016 के मध्य तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के

नेतृत्व में सी0पी0ए0 उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मण्डल विदेश के अध्ययन पर भी जा चुका है। जिससे सी0पी0ए0 के साथ अन्य देशों और अन्य राज्यों के बीच विचारों, नवाचारों का आदान-प्रदान भी हुआ है। अतः आपसे आग्रह है कि सी0पी0ए0 उत्तर प्रदेश ब्रांच की कार्यकारिणी समिति को अविलम्ब गठित करते हुए इसके एक सर्वदलीय अध्ययन दल को विभिन्न देशों व प्रदेशों के संसदीय शोध तथा अध्ययन हेतु कार्यक्रम तैयार करने के लिए औचित्य की इस व्यवस्था की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए पहले से ही कार्यकारिणी गठित है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा तब वह बोलेंगे ? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वह सी0पी0ए0 मुझसे सम्बन्धित है, मुझे ही गठित करना है। सी0पी0ए0 गठित है, उसका रिनुअल होना है, उसको मैं देखकर करवा दूंगा। चूंकि यह नियम-300 में नहीं आता है, औचित्य का प्रश्न है, अतः इसको मैं अग्राहय करता हूँ।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण

अब चर्चा जारी रहेगी। मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मा0 सदस्य चर्चा में भाग ले सकें। देर रात तक हम सदन चलायेंगे। सभी मा0 सदस्यों से निवेदन है कि जो समय-सीमा निर्धारित है, उसी समय-सीमा में मा0 सदस्य बोलें, क्योंकि कल जब मैं सीट पर नहीं था तब हमारे अधिष्ठाता मण्डल के मा0 सदस्य बैठे थे तो बहुत से लोगों ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण कठिनाई हुई थी, क्योंकि यहां पर सारे सदस्यों को बराबरी का अधिकार है और सभी सदस्यों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे सुबह से ही 5 मिनट बोलने का अवसर दिया जा रहा है तो सारे सदस्य 5 मिनट में ही बोलेंगे। समय-समय पर पीठ पर जो अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य यहां पर बैठेंगे, उन अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों से निवेदन है कि 5 मिनट के बाद माइक बन्द कराकर दूसरे सदस्य का नाम ले लेंगे और उसके बाद उसका भाषण लिखा नहीं जाएगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि अध्यक्ष जी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का समय 7 मिनट कर दिया जाए।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, 7 मिनट कर दिया जाता है। जो तय है, वह सबके लिए है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, रात 11-12 बजे तक सदन चलाइये।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मैंने बोल दिया है। शायद आपने सुना नहीं है। जब तक कोरम रहेगा, लोग बोलने वाले होंगे तब तक सदन चलायेंगे।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने अपने अभिभाषण का प्रारम्भ मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम और अयोध्या में निर्मित श्रीराम मन्दिर से किया है और पूरे अभिभाषण के दौरान 23 बार इसका जिक्र किया। बड़े दुःख के साथ मुझे इस सदन में कहना पड़ रहा है कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की उस प्रजा, शबरी की प्रजा, निषादराज की प्रजा, जो गरीब है, बेरोजगार है, मजदूर है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जो लोग वहां पर बसे हुए थे, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, महामहिम राज्यपाल महोदया ने उसका जिक्र नहीं किया। वहां पर बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमामण्डन किया। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हिन्दू समाज की आस्था और व्यवहार में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इधर बैठे हुए लोगों ने मर्यादा पुरूषोत्तम की मर्यादा और आस्था का व्यवहार किया है और सत्तापक्ष में बैठे हुए लोगों ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की मर्यादा और आस्था का व्यापार किया है। मै सत्तापक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि-

कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आयेगा।
आपका तो वक्त आया है, हमारा दौर आयेगा।।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदया ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की और बताया कि लूट में 76 प्रतिशत की कमी है, हत्या में 43 प्रतिशत की कमी है, अपहरण में 73 प्रतिशत की कमी है, बलात्कार में 46 प्रतिशत की कमी आई है। इससे अगर पूरे प्रदेश का एवरेज ले लेंगे तो लगेगा कि साठ प्रतिशत अपराध में गिरावट आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक थानों को आप देख लीजिए वहां पर दर्ज एफ0आई0आर0 जो अपराध से सम्बन्धित है उनकी जब संख्या का आप आकलन कर लेंगे तो आप को मिलेगा कि हर वर्ष लगातार थानों में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही हैं। जिन थानों में सात सौ मुकदमें दर्ज हुए होंगे वहां पर अगले वर्ष आठ सौ मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से सवाल है अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए सारे सदस्यों ने नेताओं ने कहा कि अपराधी या तो जेल की सलाखों के भीतर हैं या तो प्रदेश छोड़ कर के भाग गये हैं। तो मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि अपराध कर कौन रहा है। यह अपराध कर कौन रहा है। यह सरकार को बताना चाहिए महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने विकास की बात करी कि नौ किलोमीटर सड़के प्रतिदिन चौड़ीकरण करने का काम किया जा

रहा है। गांवों में सड़कों का चौड़ीकरण नौ किलोमीटर प्रतिदिन किया जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ से मैं आता हूँ। चाहे वह रानीगंज विधान सभा क्षेत्र हो या अन्य कोई विधान सभा हो एक किलोमीटर भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया इससे लगता है कि या तो सरकार ने झूठे आंकड़ेबाजी करने का काम किया है या तो भेदभाव की पराकाष्ठा को कायम करने का काम किया है। रोजगार के मामले में रोजगार का दावा कर रहे थे महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने रोजगार का दावा किया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोजगार उद्यम लगाने के लिए चाहे वह एम0एस0एम0ई0 हो, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग विभाग हो या सरकार के द्वारा अन्य अनुदानित योजनाएं जो चल रही हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उस अनुदान में पिछड़े समाज, अनुसूचित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हिस्सेदारी या तो शून्य रही है। मैं बात करता हूँ पिछड़े वर्ग की उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड का कार्य है कि पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षित करें और अनुदान देकर के उनको रोजगार मुहैया कराने का काम करें। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड ने एक भी पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को रोजगार देने का काम नहीं किया और न ही उनको प्रशिक्षित करने का काम किया और न ही सरकार ने उस मद में पैसा खर्च करने का काम किया है। रही बात संवैधानिक संस्थाओं की हम सब लोग इस सदन में बारम्बार चर्चा कर चुके हैं कि उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश जारी किया था कि अड़सठ सौ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछड़े और अनुसूचित समाज से हैं जिनको अध्यापक बन जाना चाहिए था और आदेश दिया था कि अड़सठ सौ ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बना कर के जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने का काम करें लेकिन सरकार ने न तो उनको अभी तक शिक्षक बनाया है और न ही अधिकारियों को दण्डित करने का काम किया है। किसानों की बात करते हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई महंगाई को देखिये किसानों की फसलों की लागत दोगुना से ज्यादा हो गई है चाहे वह गन्ने का किसान हो, चाहे वह धान का किसान हो, चाहे वह गेहूँ का किसान हो, अगर आज हम तुलना करते हैं गैस सिलेंडर की कीमत तीन गुना से ज्यादा हो गई है। चार सौ को सिलेंडर एक हजार पार कर गया है। लेकिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल सौ रुपये की बढ़ोतरी अभी तक की गई है। यह भेदभाव हो रहा है। उद्योगपतियों का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन इस देश की जो रीढ़ है जो किसान है वह लगातार घाटे में जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों का जो वित्तीय अधिकार था उनकी जो बजटीय व्यवस्था थी लगातार सरकार ने उस पर कटौती करने का काम किया है। जिससे जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी उस पर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा....

(इसी मध्य सायं 02 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

योजना के नाम से चल रही है हम जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आंकलन करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि किसानों को दिया गया प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा जो दिया गया कम्पनियों का प्रीमियम है 20 प्रतिशत केवल किसानों के पास आता है फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 80 प्रतिशत पैसा वह कम्पनियां डकारने का काम कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें। सात मिनट हो गये हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 'बन्द करो यह खून की होली, यह खून हिन्दू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, यह खून है हिन्दुस्तान का और लहू टपकता गीता का जब तो बहता लहू कुरआन का।' बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 स्वामी ओउ्मवेश जी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन पर बल देने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों के जीवनयापन का स्तर ऊँचा उठाने के लिये उनका मानदेय बढ़ाया जाये। प्रदेश के विभिन्न गाँवों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित कराया जाये। किसानों को खाद एवं बीज क्रय में छूट दी जाये। बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में बिजनौर-नूरपुर मार्ग से शरीफपुर, ताहरपुर होते हुये गावडी मार्ग तक की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के मानपुर रसूलपुर नगला मार्ग का 7 मीटर चौड़ीकरण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के बिजनौर-चांदपुर मार्ग शुदनीपुर रावंटी से दूंगरी तक विशेष मरम्मत करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के बिजनौर-चाँदपुर मार्ग रावंटी से शिव मन्दिर जोगी औन्धा तक मार्ग के शेष भाग का डामरीकरण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के चांदपुर-धनौरा मार्ग से शेखपुरी मीना मार्ग की विशेष मरम्मत करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के चांदपुर-धनौरा मार्ग से अलावलपुर, सुन्दरा, मुन्दरा होते हुये बास्टा तक मार्ग की विशेष मरम्मत व 7 मीटर चौड़ीकरण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम बागडपुर से ग्राम ककराला तक मार्ग की विशेष मरम्मत करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम रामपुर-रसूलपुर में सिकन्दरपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत करायी जाये।

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के चांदपुर फीना मुख्य मार्ग से अजुपुरा रामपुर-रसूलपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के बास्टा, मानपुर, रसूलपुर नंगला मार्ग जल नगला से साहनीपुरा होते हुये लाटरा तक मार्ग की विशेष मरम्मत करायी जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम मिर्जापुर बकैना से ग्राम संसारपुर तक के मार्ग का डामरीकरण कराया जाये। विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम अखलासपुर से गागू नंगला तक के मार्ग का डामरीकरण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर में चांदपुर बास्टा- अहरौला मार्ग का 7 मीटर चौड़ीकरण कराते हुये उसका डामरीकरण कराया जाये। इसमें मा0 अध्यक्ष जी ने मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को इसका चौड़ीकरण कराने हेतु निर्देशित किया था और मा0 मंत्री जी की तरफ से हाँ कहा गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यह अनुशासनहीनता है। मा0 अध्यक्ष जी ने निर्देश दिये थे, लेकिन मा0 मंत्री जी वह कार्य नहीं कर रहे है। इससे बड़ी अनुशासनहीनता क्या हो सकती है। राम के पुजारी बन रहे हैं और राम तो हमेशा अनुशासन में रहे हैं, उन्होंने सत्य का पालन किया है, लेकिन यहाँ पर सत्य और अनुशासन में रहकर कार्य नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर में किसानों की फसलों को बचाने के लिये जाहनाबाद से नारनौर तक तटबंध का निर्माण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में युवाओं के लिये स्टेडियम बनाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में जनपद बिजनौर के ब्लाक जलीलपुर में एक ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर के शहर चांदपुर में स्थित महिला चिकित्सालय का उच्चीकरण करके 50 बेड का महिला चिकित्सालय बनाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर में जलीलपुर से बास्टा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराकर निर्माण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्याऊ का उच्चीकरण करके 100 बेड के ट्रामा सेन्टर के रूप में स्वीकृत कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक जलीलपुर व नूरपुर को डार्क जोन से बाहर निकाल कर किसानों को नलकूप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर जनपद बिजनौर में छाछरी मोड़ से जलीलपुर तक पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क मार्ग का 7 मीटर तक चौड़ीकरण कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर में हीमपुर दीपा से टूगंरी सिसौना होते हुए चांदपुर अम्हेडा मार्ग तक का मरम्मत कार्य कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर में हीमपुर दीपा से छाछरी स्याऊ मार्ग तक सड़क की मरम्मत करायी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर में चांदपुर, नूरपुर मार्ग से हीमपुर होते हुए पाहुली मार्ग की मरम्मत एवं हीमपुर में सड़क पर पानी भरने से ग्रामीणों को होने वाली समस्या से निजात दिलाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर जहानाबाद से नारनौर तक तटबंध निर्माण सर्वेक्षण कुल 30 किमी0 में शेष 14 किमी0 के सर्वेक्षण हेतु रुपये 15 लाख की धनराशि आवंटित करायी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर,

जनपद बिजनौर चांदपुर-अम्हेडा मार्ग से मोहनपुर के सामने से गुरूकुल, कुण्डा, पोट्टा, पावटी से बिजनौर-नूरपुर स्टेट हाई-वे पर मार्ग निकलता है, उसका चौड़ीकरण कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर चांदपुर में ब्लाक जलीलपुर में गदनपुरा से राजपुर परसू तक का मार्ग कच्चा है जिस कारण आम जनमानस को परेशानी होती है, उसको पूरा कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर चांदपुर में चांदपुर-गजरौला स्टेट हाई-वे से बागडपुर, हुसैनपुर, मलेशिया होते हुए फीना धनौरा मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर चांदपुर में विभिन्न बस्तियों के ऊपर जाने वाली 11 हजार की लाईन जो जर्जर हो चुकी है, जिससे जनहानि हो सकती है। जर्जर तारों को बदलने एवं लाईन अलग शिफ्टिंग कराने का काम कराया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, जनपद बिजनौर चांदपुर में बिजनौर के ग्राम सुनगढ़ से ग्राम झीरन तक के मार्ग का निर्माण कराया जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदया, यह समस्त कार्य मेरी विधान सभा क्षेत्र के है। 'मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस' इसलिए मै कहना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के नौजवानों का करेक्टर बनाने के लिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। जिस देश के नौजवान शराबी हो जाते हैं, कबाबी हो जाते हैं तो वह देश टूट जाता है, प्रदेश टूट जाता है। इसलिए नौजवानों के चरित्र निर्माण के लिए यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मेरे देश के नौजवान प्रतिभावान बन सकें।

(सदस्य का माईक बन्द होने के बाद भी वह लगातार बोलते रहे)

श्री श्रीराम चौहान-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल महोदया ने प्रभु श्रीराम के भव्य दिव्य मन्दिर में विराजमान होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया और निश्चित रूप से राम जो पूरे विश्व में सनातन धर्म अवलम्बियों के लिए एक आदर्श नायक के रूप में माने जाते हैं, राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम है यदि यह कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। भारत की जीवनशैली कैसी होनी चाहिए राम के जीवन के आदर्श से देखने को मिलता है। राम निश्चित रूप से हमारे भाई-भाई के साथ सहसा कर्तव्य, आदिवासियों के साथ विभिन्न प्रकार के दबे, कुचले, वंचितों के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए राम के जीवन दर्शन से मिलता है।

भारत की जीवन शैली कैसी हो यदि एक वाक्य में विचार करना हो तो केवल राम के आदर्शों के साथ ही इसको जोड़कर चल सकते हैं। राम हमारे प्रेरणास्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। राम के राज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी और उसको चरितार्थ करने का काम श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की देख-रेख में हो रहा है। निश्चित रूप

से इसकी जितनी भी सराहना की जाये, कम है। राम राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। राम के आदर्शों को जब इस देश का नागरिक अपने आदर्शों से जोड़ेगा तो उसकी नैतिकता में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी। आज जीवन में जो तमाम तरह की विकृतियां आईं हैं, वह संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो जायेंगी। इसलिए इस सदन में श्रेष्ठ भाषण जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। निश्चित रूप से राज्यपाल महोदया ने योगी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का ठीक ढ़ंग से प्रस्तुतीकरण किया। जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं। पं0 दीन दयाल उपाध्याय कहा करते थे कि परिपूर्ण मानव वही है जिसका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों चीजों का समुच्चय ठीक प्रकार से रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बलिष्ठ रखने के लिए, पुष्ट रखने के लिए खाद्यान्न की योजना, उत्तम स्वास्थ्य की योजना है। सभी जिलो में मेडिकल कालेज को स्थापित करने का काम यह सरकार कर रही है। सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों को ठीक प्रकार से संचालित करने का काम कर रही है। सभी का शरीर स्वस्थ्य हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो क्योंकि यह मान्यता है कि स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मन का वास होता है। मन भी ठीक प्रकार से काम करे इसीलिए प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्कारिक शिक्षा हो। सभी लोग गुणवान बने, सभी लोग पढ़े-लिखें आगे बढ़े। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों के मन को संतुष्ट करने का काम भी यह सरकार कर रही है। बुद्धि निर्मल रहे, प्रखर रहे। इसलिए अटल आवासीय विद्यालय में भी कमिश्नरी पर फोन करके गरीबों, वंचितों के बच्चों को भी पढ़ाई देने का काम भी सरकार ने बखूबी निभाने का काम किया है। ठीक प्रकार से यह सरकार काम करते हुए जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रही है। सभी की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। सभी की लिखाई की व्यवस्था हो रही है। सभी की दवाई की चिन्ता यह सरकार कर रही है। यह सरकार निश्चित रूप से चतुर्दिक प्रगति कर रही है। शरीर स्वस्थ्य रहे इसलिए लोग शुद्ध पानी पीने के अभाव में विभिन्न रोगों के शिकार हो जाया करते थे। विभिन्न रोगों के कारण उनके जीवन में तमाम प्रकार की खटास होती थी। लेकिन शुद्ध पेय जल हर घर नल योजना जो शुरू हुई है उससे लोगों का जीवन भी ठीक प्रकार से स्वस्थ हो रहा है। यह सरकार हर प्रकार से समृद्धि के रास्ते पर चल रही है, आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए प्रदेश को श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो कदम उठाया है। वह पूजनीय है, स्तुत्य, वन्दनीय है। इसकी जितनी भी सराहना की जाये वह कम है। शरीर, मन, बुद्धि ठीक रहे और आत्मा सन्तुष्ट न रहे तो आधा-अधूरा व्यक्तित्व रहता है। इसलिए आत्मा की सन्तुष्टि के लिए भी सरकार ने बहुत श्रेष्ठ काम किया है।

अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य दिव्य मन्दिर के निर्माण की बाधाओं को मुक्त करके उसमें श्रीराम को विराजमान किया है। वहीं काशी कॉरीडोर को बनाया है। काशी कॉरीडोर भूत

भावन शंकर का भी दर्शन ठीक प्रकार से हो रहा है। काशी विश्वनाथ के साथ-साथ विन्धवासिनी धाम का भी बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है।

माता जी के दर्शन करने के लिए लोग जायें। गोरखनाथ मंदिर का भी विकास हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शाकुम्भरी माता भी पीछे नहीं है उनके विकास करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सुनिश्चित रूप से आत्मा जो तृप्त होगी तो जन-मानस के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसकी सराहना करते हुए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वर्ष 2024 तक का उसको पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।

श्री चन्द्र पाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका व पूरे सदन का अपने मन की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जनपद बुलन्दशहर की डिबाई विधान सभा क्षेत्र की सीट से आता हूँ। यहां से बाबू जी कल्याण सिंह विधायक बनकर मुख्य मंत्री बने थे। जिन्होंने भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ किया था। आज पूरे देश और प्रदेश में और जहां भी बाबू जी की आत्मा होगी वह देख रही होगी कि मेरा जो सपना था। वह आज मा0 मोदी जी, व योगी जी के नेतृत्व में पूरा हो गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार का जिसने सबका साथ सबका विकास के साथ अपनाते हुए 6 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने का कार्य किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सरकार का जिसने प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया और मुझे कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि गंगा एक्सप्रेस-वे मेरी विधान सभा क्षेत्र के नजदीक से निकलता है जो कि अब हमें प्रयागराज और लखनऊ जाने में काफी समय बचेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार का कि उत्तर प्रदेश में पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एक मात्र प्रदेश है हमारा और जिसमें एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो मेरे जिले की सीमा से पास पड़ता है। वह जेवर एयरपोर्ट है। अधिष्ठाता महोदय मैं आभार व्यक्त करता हूँ वर्ष 2017 से 2022 के बीच में पांच सालों के शासन काल में 711 पुलों का निर्माण हुआ और मेरी विधान सभा में 14 पुल निर्माणाधीन हैं। सरकार ने प्रदेश में 925 परिषदीय विद्यालयों का पी0एम0 श्री में चयन किया जो कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कसेर कलाँ में एक विद्यालय पी0एम0 श्री में चयन किया है। जिसमें 600 बेटियां शिक्षण कार्य कर रही है। हमारी सरकार में नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत मेरी विधान सभा में 45 किलोमीटर के दायरे में गंगा बहती है। वहीं जैविक खेती करने का कार्य मेरी विधान सभा में हो रहा है। सरकार ने 303 बड़े गऊ निराश्रित स्थल बनाये और 7239 गऊ संरक्षण केन्द्र स्थापित किये। जिनमें 14 लाख 38 हजार से अधिक गऊवंश संचालित हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र गंगा के किनारे लगभग कई हजार हेक्टेयर

जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसमें आराम से गऊवंश संरक्षित रह सकते हैं। उसमें केवल तार फेंसिंग की आवश्यकता है सरकार को कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है मैंने पिछले सदन में भी बोला था कि वहां काऊ सफारी के नाम से कार्य कर देगी तो पूरे जिले की गाय वहां संरक्षित रह सकती हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी सरकार का जो प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, तीन टाइगर रिजर्व, 26 पक्षी विहार, तीन प्राणी उद्यान एवं एक लायन सफारी स्थापित करने का कार्य किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के रामघाट में 40 हेक्टेयर भूमि में नमामि गंगे के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उसके अन्दर एक 400 वर्ष पुराना वट वृक्ष भी है। इस योजना से विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिसने सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 319000 से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया। साथ ही मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में दो बार सामूहिक विवाह का आयोजन होता है जिसमें सत्र 2022-2023 में दूसरी बार 12 मार्च, 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह के लिए लगभग डेढ़ सौ गरीब कन्याओं के विवाह का पंजीकरण कराया जा चुका है। माननीया अधिष्ठाता महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन का भविष्य उज्ज्वल है। जहां गंगा किनारे भृगु ऋषि की तपोस्थली है, वहीं महाभारतकालीन कर्ण का मन्दिर भी है। उसके पास महर्षि दयानन्द की एक तपोस्थली है। जो नौ देवियाँ हैं उनमें से एक देवी का मन्दिर बेलोन में स्थापित है। माननीया अधिष्ठाता महोदया, वहां पर बाबू कल्याण सिंह नाम से एक मार्ग प्रस्तावित है अगर वह मार्ग बन जायेगा तो यह पूरे के पूरे तीर्थ उससे जुड़ जायेंगे। मैं पहले भी सदन में माँग रख चुका हूँ और उसका इस्टीमेट बनकर शासन में लम्बित है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एटामिक पॉवर प्लाण्ट है और वह विकास के लिए सी0एस0आर0 फण्ड में काफी धनराशि देते हैं। मैं माँग करता हूँ कि गरीब कन्याओं की पढ़ाई के लिए वहां पर एक कन्या डिग्री कालेज बनाने की अनुमति दे दी जाये तो काफी फायदा होगा। इसमें सरकार को केवल अनुमति देनी है क्योंकि धनराशि की व्यवस्था वहीं पर हो जायेगी। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि 'जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही' माननीया अधिष्ठाता महोदया, इस समय पूरा सदन और प्रदेश राममय है। लोग कह रहे है कि अबकी बारी 80 हमारी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय श्रीराम।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारा तो भगवान श्रीराम जी से जमीनी नाता है। भगवान श्रीराम जब माँ

जानकी से विवाह कर जनकपुरी से अयोध्या जा रहे थे तो चिल्लूपार की जमीन से ही होकर तो गये थे। इस नाते हमारा उनका जमीनी नाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित मानस की जो चौपाई है, उसी तर्ज पर अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि-

बड़े भाग्य मम तन यह पावा, निज मैं नहिं असि दिवस दिखावा,
पंच शतक बरस दुख भारी, बिलखत रहहिं सदा नर नारी,
मोदी-योगी युग जब आवा, निज भवनहु रामहिं तब पावा,
भवनहीन कोटिन गृह पाये (राम के भक्तों के लिए),
भक्तन गृहि लख हरि हरिषाये।

विपक्ष के हमारे कई साथी कहते हैं कि भाजपा के लोग राम की बात करते हैं। राम के नाम के पीछे खड़े होते है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोदी, योगी जी ने तो पहले ही यह कह रखा है कि जनता ही जनार्दन है। हमारी पहली प्राथमिकता जनता है। सरकार ने सबसे पहले बेघर लोगों को घर दिया तब हमारे राम को घर दिया। राम को मानने वालों को भी घर दिया और राम को नहीं मानने वालों को भी घर दिया। 500 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद हमारे राम को घर मिला है। मान्यवर, मोदी, योगी जी की सरकार ने पहले माफियाओं द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिये गये जमीनों को खाली कराया और गरीबों को दे दिया तब गरीबनवाज के घर को खाली कराया जो बर्बर अपराधियों ने और आक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। उसके बाद इनके गरीबनवाज को भी घर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले राम की भक्त शबरी की वंशज को भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद शबरी और द्रौपदी मुर्मू के राम को उनके आराध्य को स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी, योगी जी ने पहले नारी शक्ति का सम्मान किया है। विधान सभा और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है उनकी पढ़ाई-लिखाई, मान-सम्मान, समृद्धि का उपाय दिया है तब अहिल्या के उद्धारक राम की अयोध्या का उद्धार करने का सोचा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मोदी, योगी ने इंसेफेलाइटिस से मर चुके हजारों बच्चों जिनकी संख्या पचास हजार से ऊपर है। करोड़ों बच्चों के प्राणों की रक्षा की है और तब जाकर बालक राम की अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा करायी है। मैं यह कहना चाहता हँ कि पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री कर्पूरी ठाकुर के लिए भारतरत्न की घोषणा होती है उसके बाद रामभक्त, राष्ट्रभक्त और विभाजन का दंश झेल रहे आडवाणी जी के नाम की घोषणा होती है। मैं कह सकता हूँ कि मोदी, योगी जी की सरकार के एजेण्डे में पहले राम के ही लोग हैं। मगर हाँ, 100 प्रतिशत राम भी हैं, शिव भी हैं और कृष्ण भी हमारे एजेण्डे में हैं। देश अब रामराज्य की तरफ बढ़ चला है। जिसमें न कोई दरिद्र रहेगा न कोई बेरोजगार रहेगा न कोई दुःखी रहेगा। सब ओर विकास ही विकास होगा और विरासत का सम्मान भी होगा। मैं कह सकता हूँ कि सरकार के एजेण्डे में वही पहले है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह समाज हो चाहे वह विरासत हो, उसके उत्थान और उसकी पुनर्वापसी मोदी, योगी सरकार की प्राथमिकता में है।

मान्यवर, राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के पहले हमारी अपनी विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में भी 900 करोड़ रुपये से राम जानकी मार्ग बन रहा है। 200 करोड़ से गोरखपुर और बनारस के बीच के हाई-वे का केवल हमारी विधान सभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये का काम हो रहा है। 200 करोड़ रुपये से एथेनॉल प्लाण्ट हमारी विधान सभा क्षेत्र में बनकर तैयार है तो ढाई सौ करोड़ रुपये से नये रेलमार्ग की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। अनेक पुल, अनेक सड़कें, अनेक अस्पताल यह सब काम चल रहे हैं। इधर राम के मन्दिर उधर काशी विश्वनाथ कारिडोर से लेकर विरासत और विकास दोनों का सम्मान इस सरकार में हो रहा है। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन सारी बातों को रखा गया है, जो हमारे विपक्ष के साथियों ने सुना ही नहीं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह सारी चीजें हमारी विधान सभा क्षेत्र में हो रही हैं लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ और चीजों के लिये भी कहना चाहता हूं कि रामराज्य तो आ ही रहा है, उसके साथ-साथ अगर यह चीजें भी हो जायें जैसे उरुआबाजार से लेकर धुरियापार तक की सड़क का चौड़ीकरण, उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास है, उम्मीद करता हूं कि सरकार उस पर शीघ्र काम शुरू करेगी।

मान्यवर, बांसगाँव और आजमगढ़ लोक सभा क्षेत्र के बीच में हाजीपुर एवं गोला को जोड़ने वाला पुल/रास्ता है, उसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उसका निर्माण कार्य जिस दिन पूरा हो जायेगा, उस दिन चिल्लूपार में भी रामराज्य की कलियां खिल जायेंगी। मैं कह सकता हूँ आद्वीडीह से सरया के बीच में 5 कि0मी0 तटबन्ध अवशेष बचा हुआ है, अगर सरकार उसको पूरा करा दे तो निश्चित रूप से किसानों एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। मैं कह सकता हूँ कि हमारे खुटभार, बैरियाखास, ददरी, दुहारा एवं बल्थर में पुल का निर्माण हो जाए, तो निश्चित रूप से वहां के किसानों एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। इसके अलावा हमने चिल्लूपार के गांवों में परिवहन निगम की बसों को चलाने के लिए सरकार से माँग की है। अगर वहां पर बसें चल जायेंगी, तो गाँव के लोगों को राहत मिलेगी। चिल्लूपार में जो ग्रेटर गीडा बन रहा है वहां उद्योग-धंधे लग जायें, तो हमारे यहां भी रामराज आ जाय। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 लालजी वर्मा जी ने जो संशोधन प्रस्ताव सदन में रखा है उसके समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब महामहिम राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण शुरू हुआ, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि हो सकता है इस बार प्रदेश को कुछ नया मिले, कुछ नया दिखे। लेकिन 40 पेज का यह अभिभाषण जुमला के सिवाय कुछ नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अपनी

असफलाताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए यह सिर्फ धर्म का सहारा लेती है और यह रामराज्य की बात करते हैं। मैं आपको रामराज्य की परिभाषा बताता हूँ।

'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहुहुं, नहीं व्यापा।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।'

मैं आपको इसका भावार्थ भी बताता हूँ। रामराज में किसी को दैहिक, दैविक एवं भौतिक तकलीफ नहीं थी। जब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताये हुए नीति, मर्यादा में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। केन्द्र और राज्य सरकार के रामराज्य के दावों और असली रामराज्य की तुलना करना ही घोर पाप होगा, क्योंकि असली रामराज्य तो सभी मनीषियों को आपस में जोड़ने की मर्यादा सिखाता है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य को ईमानदारी से करने की बाध्यता है। अब बताइए रामराज्य के इन उपदेशों से आज भाजपा की षड़यन्त्र बर्बरता वाले चरित्र से कैसे तुलना की जा सकती है। पहले महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गयी। एक बनी बनाई सरकार को षड़यन्त्र के तहत गिराया गया। पंजाब के मेयर चुनाव में वोटों की खुली चोरी कराकर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कराई गयी। फिर बिहार एवं झारखण्ड में जिस तरीके विपक्ष के नेताओं को केन्द्रीय संस्थान के सहारे दबाने, डराने एवं ब्लैकमेल करने की की साजिश रची जा रही है इससे यह साफ-साफ साबित हो चुका है कि यह सरकार क्रूरता और सत्ता के नशे में मधुमस्त हाथी की तरह लोकतंत्र को हर रोज मसलती चली जा रही है। आर्थिक सौहार्द को आग लगाकर जिस भारत की रचना की जा रही है वह आने वाली पीढ़ियों को खून के आंशु रुलाएगी। धर्म के नाम पर हिंसा, पिछड़ी जातियों व अल्संख्यकों का शोषण करना ही क्या रामराज्य कहलाता है ? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हत्या, बलात्कार मामूली जुर्म लगने लगे हैं। एक मा0 मुख्य मंत्री जी कहते है कि बेटी को जिस चौराहे पर छेड़ा जायेगा उसके अगले चौराहे पर गुण्डों का राम नाम सत्य हो जायेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक बलात्कारी गुण्डा उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकारी है जिसके खिलाफ थाना गोमतीनगर विस्तार में 376 का मुकदमा लिखने के बाद भी आपकी सरकार में न तो उसको सस्पेंड किया गया और न ही उसको जेल भेजा गया।

क्या रक्षक ही भक्षक है इस सरकार में ? दूसरी संगीन घटना हत्या की है, जो राजधानी लखनऊ की ही है, दिन-दहाड़े तीन लोगों की हत्या कर दी गयी, जिसमें जान गंवाने वाला एक मासूम बच्चा भी था। बात करें जौनपुर की, जो कि मेरा गृह जनपद है, आये दिन वहां घटनाएं होती रहती हैं। हर विधान सभा क्षेत्र में दूसरे-तीसरे दिन हत्या होती रहती है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में थाना सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम पुरावां में श्री अभिषेक पटेल की हत्या दिनांक 21 जनवरी को हो गयी है, लेकिन 17-18 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। क्या यही आपका रामराज्य है ? जौनपुर के लोक निर्माण विभाग की बात करता हूं, जब भी लोक निर्माण विभाग में टेण्डर पड़ता है, तो वहां के

कुछ गुण्डे सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि अगर कोई टेण्डर डालना चाहता है, तो उसके घर जाकर धमकी दी जाती है, अपने आकाओं से फोन पर बात कराते हैं और टेण्डर न डालने के लिए उन्हें मना करते हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई टेण्डर डाल देता है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही आपका रामराज्य है ? मुझे हृदय से यह बताते हुए दुःख है कि ऐसी गम्भीर घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश का रोज का दस्तूर बन चुका है। संविधान की धज्जियां उड़ाने को यदि रामराज्य का चोला पहनाया जायेगा तो यह हर एक असली हिन्दू के दिल पर चोट करना होगा। असली रामराज्य की स्थापना करनी है, तो जातीय जनगणना लागू कर दीजिए। जिस दिन देश और प्रदेश में जातीय जनगणना लागू करके भगवान तुल्य जनता को उनकी आबादी के अनुसार हिस्सा मिल जायेगा, तो असली रामराज्य का बिगुल उसी दिन बज जायेगा। आप संविधान की बात करते हैं, मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए जो आदेश दिया। मान्यवर, यह हमारे संविधान की ताकत है और आज यह हमारे संविधान की देन है कि अयोध्या में श्रीराम जी का मंदिर बन रहा है और जल्दी ही वह तैयार होगा। मैं कुछ पंक्तियां कह कर अपनी बात खत्म करूंगा-

मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूँ,
पथ की सारी बारीकी को, बारीकी से समझाता हूँ।
उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ,
रातों के अंधकार में भी, मैं दीपक सदा जलाता हूँ।
मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूँ,
मौलिक अधिकार दिये तुमको, जीवन सहज बनाने को,
कर्तव्य का लेखा सौंपा है, आदर्श नया गढ़ जाने को।
संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान, तुम्हें दे डाला हूँ,
सारी शक्ति दे डाली तुमको, भारत को स्वर्ग बनाने को।
मौलिक अधिकार दिये तुमको, जीवन सहज बनाने को,
लेकिन मन घायल होता है, जब कोई भूखा मरता है,
आंखे नदियां हो जाती हैं, जब दूध बिना बच्चा रोता है।
समता देकर सोचा था, अब अन्तर नहीं कहीं होगा,
पर दिल छलनी होता है, जब कोई अवसर खोता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, संक्षेप कर लीजिए।

श्री पंकज पटेल-

आंखें नदियां हो जाती हैं, जब दूध बिना बच्चा रोता है,
एकता अखण्डता सम्प्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ,
पंथनिरपेक्ष का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ,
उन्नति के सभी अध्याय मैं लेकर आया हूँ,
मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद, अब आप समाप्त करिए। मा0 पल्लवी पटेल जी आप बोलिए।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। इस अभिभाषण को मैंने बहुत ही गहनता से पढ़ा, समझा और जिस प्रकार एन0सी0आर0बी0 के डेटा को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है उसके बाद यह सोचने में मुझे कतई टाइम नहीं लगा, हालांकि सरकार मानव जाति की है, लेकिन यह सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव क्यों कर रही है और शुतुरमुर्ग की खासियत यही है कि वह अपनी गर्दन मिट्टी में डालकर यह समझ लेता है सब कुछ ठीक-ठाक है और मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जो जनता, जिसने आपकी सरकार बनाई है वह आपको देख रही है और जिस तथाकथित अपराधमुक्त प्रदेश की जयगाथा कर रहे हैं ये तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर पुलिस अभिरक्षा में भी मा0 जन-प्रतिनिधियों की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है।

यह वही प्रदेश है, तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश, जहाँ पर पुलिस थाने अवैध वसूली का अड्डा बन गये हैं। यह वही तथाकथित अपराधमुक्त प्रदेश है, जहाँ पर आज हेडलाइन्स बनती हैं कि पुलिस थानों में भी रेप पीड़िता का रेप हो जाता है। तो मुझे यह कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि आज वर्तमान में प्रदेश की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर यह प्रदेश निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बने या ना बने, लेकिन क्राइम का हान्टिंग डेस्टिनेशन जरूर बन गया है। अभी कुछ देर पहले सदन में यह बात आयी कि प्रमोशन में जब रिजर्वेशन बिल आया था तो आप लोगों ने वेल में आ करके उस बिल की प्रतियाँ फाड़ने का काम किया था। एक जाति विशेष की भर्ती की थी और आप समस्त लोग गूँगे बने बैठे रहे थे। आपने कहा कि हम इसीलिए इस तरफ आ गये, तो कम से कम हम ही से सीख लिया जाता। आज बच्चे 500 दिनों से लखनऊ की धरती पर आपसे अपना अप्वाइंटमेंट लेटर माँग रहे हैं, आप वह गलती क्यों दोहरा रहे हैं, आपके लोग क्यों गूँगे बने बैठे हैं, क्या आपकी भी मंशा है कि अब आप सत्ता के इस तरफ आकर बैठना चाहते हैं ? यह अभिभाषण जब मैंने पढ़ा तो बहुत

अच्छा लगा, यह पढ़कर कि वर्तमान सरकार किसान की सच्ची हितैषी है। हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और किसान सम्मान निधि की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधि लगभग साढ़े आठ करोड़ किसानों को मिलती है और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है, छः करोड़ किसानों के सम्मान पर लात मार करके सिर्फ ढाई करोड़ किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जाता है। किस किसान के सम्मान और किसान हितैषी होने की बात आप करते हैं ? बहुत अधिक दूर मत जाइये, सिर्फ बनारस जनपद को देख लीजिए, जहाँ से आपका राज-पाठ चलता है।

बनारस की धरती पर आज किसान ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के लिए, उसके अन्दर जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलवे के नीचे रौंदने का काम कर रहा है, दस साल से वहाँ किसान लाठी की मार झेल रहा है और ऐसे क्राइम में उनको दबोचा जा रहा है कि वह इस देश के अन्नदाता होते हुए भी अपराधी की लिस्ट में आ गए हैं। किस बात में आप किसान के हितैषी होने की बात करते हैं ?

बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहाँ पर किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण एक्ट-2013 लागू होने के बावजूद उनको आज की परिस्थितियों में वह मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके वह अधिकारी हैं। आज वहाँ का किसान बनारस में काशी गेट के नाम पर लाठी-डण्डे की मार झेल रहा है। उसकी भूमि जबरन पर्दे के पीछे से छीनी जा रही है और उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह चन्द उदाहरण है, आपके सच्चे किसान हितैषी होने के। मान्यवर, मैंने इस सदन में पहले भी कहा और आज भी कहती हूँ कि आस्था दिव्यता का प्रतीक है और भगवान राम में किसकी आस्था नहीं है ? भगवान राम में हमारी आस्था किसी प्रमाण को नहीं चाहती और न किसी प्रमाण की माँग करती है। भारतीय समाज ने जिस भगवान राम को पूजा, वह वनवासी राम हैं, वह केवट मल्लाह का राम, निषाद का राम है, वह शबरी का राम है, वह राम है जो जंगल में कन्दमूल खाकर रहा है, जो गरीबों का राम है, जिसको आप आज नव्य-भव्य बनाने चले हैं, उसकी दिव्यता अलौकिक है और युगों-युगों से है। अगर आप मानते हैं कि पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार आज किया है तो इसी विश्व ने मणिपुर में हुई वीभत्स घटनाक्रम का साक्षात्कार भी किया है। अगर आज आप इस आलौकिक अवसर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो कम से कम मणिपुर में हुई घटनाक्रम पर एक शब्द बोल दिया होता तो हम भी आपकी पीठ थपथपाने का काम कर देते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हमारे चित्त में भी हैं, चरित्र में भी हैं, चिन्तन में भी हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि भगवान के चरण जितने पूजनीय हैं, उनके आचरण भी उतने ही पूजनीय हैं। राम की नीति और नीतियाँ सर्वसमाज के उन्नयन के लिए है, परन्तु मान्यवर, अफसोस है, आपका पूरा प्रयास है इस बात पर कि आप भगवान राम

को अपने राजनीतिक तल पर लेकर आये हैं। एक सुझाव के साथ कि जिस भगवान राम के चरण आप बहुत जोरों से पकड़े हैं, अगर उनके आचरण को भी उतने ही जोरों से पकड़ लेंगे तो जिस राम चेतना, जिस राम तट को आगे लाकर आप इस देश में, इस प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सम्मान देने और उत्थान करने का दम्भ भर रहे हैं। अगर जातिवार जनगणना करा देंगे तो इस देश की हर जाति को उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा में, सदन में, दवाई में, कमाई में, पढ़ाई में, इस देश के खजाने में, खेत-खलिहानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए और वह राम तत्व राम चेतना सार्थक हो जाएगा, घटित हो जाएगा, लेकिन कहने में कतई भी द्वेष नहीं है कि जो आपकी चाल है, जो आपका चरित्र है और जो आपका चेहरा है उससे यह सत्य होता दिखता तो कदापि नहीं है। बहुत-बहुत आभार मान्यवर, धन्यवाद।

श्री श्यामधनी राही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 500 वर्षों का सपना हिन्दू समाज का साकार हुआ है कि श्री राम जन्म भूमि पर श्री राम चन्द्र भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और करोड़ों-करोड़ हिन्दुओं के आस्था के प्रतीक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में 5 अगस्त, 2020 को शिलान्यास हुआ और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की मंदिर में स्थापना हुई और मा0 नरेन्द्र मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा करने 22 जनवरी को श्री राम जन्म भूमि पर मंदिर में प्रवेश किए तो 140 करोड़ हिन्दू समाज, आम समाज को वहाँ पर उन्होंने कहा कि इन सबकी उपस्थिति के साथ मैं प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हूँ। हम आभारी हैं मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जी के, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, उसके पूर्व जब मुस्लिम आक्रान्ताओं ने राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ढाँचा खड़ा किया तो 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ही मुख्य मंत्री थे और श्री पी0बी0 नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये दोनों लोगों ने जब राम मंदिर पर बनी उस बाबरी मस्जिद को लाखों लाख नौजवान भक्त भारत माँ के नौजवान जब उस बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम कर रहे थे इन्हीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन भक्तों के सीने में एके-56, 47 की गोलियाँ चलवाने का काम किया। माँ सरयू का वह पवित्र जल रक्त रंजित हो गया और यही नहीं जब मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत माँ की एकता और अखण्डता सुनिश्चित हुई। जब वर्ष 2017 में करोड़ों-करोड़ हिन्दुओं की आस्था के प्रतीक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब

बने तो हिन्दू धर्म और संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा वीर शिवाजी, राणा प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा, छत्रसाल गोविन्द सिंह का यह निशान प्यारा। बंधुओं बड़े हर्ष की बात है कि 76 वर्ष देश को आजाद हुए हुआ है। इन 76 वर्षों में तमाम ऐसे लोग जो पन्नियों में अपना जीवन-यापन कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। यही माता, बहनें जो पहले दिन डूबने की प्रतीक्षा कर रही थीं इन्हें शौचालय देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया तो मा0 नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया।

पूर्ववर्ती सरकारों में आएदिन नारी का चीर हरण हो रहा था, गौ माता की हत्या हो रही थी, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूर्वांचल में जब आए दिन घटनाएं होती थीं तो उनको लोक सभा में उठाने का काम कर रहे थे और जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो नारी का सम्मान बढ़ाने का काम, अगर इन माताओं-बहनों पर कोई निगाह डालने का काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को जेलों में भिजवाने का काम किसी ने किया है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। आज नारी का सम्मान बढ़ा है। आज नारी के लिए आएदिन तमाम ऐसे प्रावधानों में उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो माता-बहनें घरों में भोजन बनाकर बैठी रहती थीं, ऐसे लोगों को महिला आश्रमों में जोड़ कर उनके हाथों में काम देने का काम अगर किसी ने किया है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। यही नहीं मैं कपिलवस्तु विधान सभा क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर जहां से शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया था। यही मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे और वहां दो हिंदुओं की दिनदहाड़े हत्या हुई थी और इस सदन के आप मा0 पी0डब्लू0डी0 मंत्री उनके कार्यकाल में वर्ष 2004 में थे। यही मा0 शिवपाल यादव जी सिद्धार्थनगर हेलीकाप्टर से गये थे। जो मुसलमानों ने 2 हिंदुओं की हत्या की थी, उन्हीं के घरों पर जाकर उन्हें 25-25 हजार रुपये देकर उन्हें सम्मानित करके वापस आ गये। जब पूर्व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी हिंदू समाज जात बिरादरी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के आम-जनमानस की क्या रक्षा करेंगे ? मेरे बंधुओं, पूर्वांचल में जब इन्सेफेलाइटिस बीमारी से तमाम ऐसे नौनिहाल काल के गाल में जा रहे थे तो परमपूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इसे लोक सभा में उठाने का काम किया था और इन्सेफेलाइटिस बीमारी आज नेस्तनाबूत हो गयी है। यही उत्तर प्रदेश में जो गुण्डे, माफियाओं ने गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया था, ऐसे लोगों को जेल के शिंकजे में भेजने का काम यदि किसी ने किया है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री श्यामधनी राही-

राम कृष्ण अर्जुन के रथ का बलिदानी, ज्योतिर्मय पथ का, तपस्या, ध्यान, ज्ञान का चिर निशान फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द, जय भारत, जय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की।

श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'-

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश इस समय भगवार श्रीराम की अलौकिक उपस्थिति से अभिभूत है, इसलिये यहां की सरकार के कामकाज में श्रीराम का प्रभाव अद्भुत ढंग से दिख रहा है। शुक्रवार को जब उत्तर प्रदेश के नये वित्तीय वर्ष के लिये बजट सत्र की शुरुआत हुई उसी समय से यह आभा सदन में दिखने लगी थी। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को विधान सभा मण्डप में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष अभिभाषण दिया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम ही है। महामहिम राज्यपाल का यह कथन भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। पांच शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद सनातन के प्राण, हमारे आदर्श प्रभु श्रीराम लला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में नव्य-भव्य और दिव्य मन्दिर में विराजमान हो गये हैं। भारतीय जन आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रतीक श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। भगवान श्रीराम लला का अपने नव्य मंदिर में विराजमान होना 'रामराज्य' की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह से सफल रही है।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन बिन्दुओं की चर्चा की थी और उत्तर प्रदेश सरकार की विविध योजनाओं का उल्लेख किया था, उसी के अनुरूप सदन में सोमवार को माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत भी किया, जिसका आकार उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बजट का है। 7.36 लाख करोड़ का यह ऐसा बजट है जो जनता पर बिना किसी नए कर लादे उत्तर प्रदेश के विकास को अद्भुत गति देने जा रहा है। बजट के बाद माननीय मुख्य मंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसीलिए कहा कि यह बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है। यह लोक मंगल का बजट है, जिसमें अपने बीमारू छवि से निकल कर उत्तर प्रदेश अब अत्यन्त तेजी से विकसित हो रहा है। अपने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर प्रस्तुत की उसकी जितनी सराहना की जाय महोदया, वह कम ही है। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने किसान हितों के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में गन्ना मूल्यों में की गई वृद्धि पर भी चर्चा

की। राज्यपाल ने फरवरी, 2023 में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए बताया कि अब तक देश-विदेश के निवेशकों द्वारा 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतार कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्यपाल ने अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए गये हैं, आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ यहाँ गतिमान हैं। राज्यपाल महोदया ने प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी संतगणों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबन्ध किये जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए, बिना भेद-भाव सभी वर्गों को विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्य मंत्री हेल्पलाइन 1076, आई0जी0आर0एस0 एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किये जाने की बात कही। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्य मंत्री कमाण्ड सेण्टर तथा सी0एम0 डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सुशासन के संकल्प के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी है। प्रदेश सरकार की कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। सितम्बर, 2023 में

उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के प्रथम संस्करण से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने में मदद मिली है।

मान्यवर, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर, एक जनपद, एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला है। सरकार ने झाँसी में एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब संक्षिप्त कर लीजिए।

श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'-

मान्यवर, नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा। प्रदेश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 12 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का नव निर्माण और प्रत्येक 2 दिन में 1 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी है। अब तक 5 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गयी है। सोमवार को वित्त मंत्री जी ने ऐसा ही विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत कर उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व और जनभाव पूर्ण कार्य शैली ने जिस तेजी से प्रदेश को रामराज्य की संकल्पना में ढाला है वह अद्भुत है। मैं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के साथ ही माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और विशेष रूप से यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आशुतोष शुक्ल-

मान्यवर, आपने हमें महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उन्नाव जनपद की भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र से इस सम्मानित सदन में पहली बार चुनकर आया हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र बैसवारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कलम और तलवार की धनी सदैव से मानी जाती है। एक तरफ साहित्य के क्षेत्र में महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो दूसरी तरफ पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य गया प्रसाद शुक्ल 'स्नेही', रमई काका, डॉ0 शिवमंगल सिंह सुमन आदि अनेक विद्वानों ने जन्म लिया तो दूसरी तरफ शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद की पावन जन्मस्थली बदरका है। डौडिया खेड़ा में राजा राम राव बख्श सिंह की जन्मस्थली है,

जिनको अंग्रेजों ने वहीं पर फांसी दे दी थी। मान्यवर, विगत वर्षों में जबसे यशस्वी मुख्य मंत्री परम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का कठन हुआ तबसे विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के अनुरूप समाज के आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को जमीनी रेखा से उठाकर सबके बराबर लाना यही गरीबों के मसीहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी उसी सोच पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी उन्हीं की विचारधारा को जमीन पर उतार कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सिर्फ नारे तक नहीं बल्कि जमीन पर उतार कर गरीब से गरीब व्यक्ति को हमारी सरकार के द्वारा लाभान्वित करने के लिये विभिन्न योजनाओं के जरिये प्रयास कर रही है। आदरणीय राज्यपाल महोदया जी द्वारा जो प्रमुख अंश रखे गये हैं उनमें कुछ बातें कहना चाहता हूं। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा यहां की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिये मेरी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। 30 दिसम्बर, 2023 को मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में महर्षि बाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गये हैं। नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जायेगा। प्रदेश में 09 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 12 किमी0 प्रतिदिन मार्गों का नव निर्माण और प्रत्येक 02 दिन में 01 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2017 के पूर्व 05 वर्षों में लगभग 15 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था। जबकि वर्ष 2017 से 21 दिसम्बर, 2022 तक 19 हजार किलोमीटर से अधिक मार्ग का निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सबके पूरे भारत देश के आराध्य देव भगवान श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी जी के विशेष प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्पन्न हुई। मान्यवर, इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को उठाना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र एन0एच0 से लगा हुआ है वहीं पर शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पड़ती है। मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मांत्री जी से मांग करता हूं कि वहां तक फोरलेन मार्ग का निर्माण करा दिया जाय। दूसरी मांग हमारी यह है कि हमारे क्षेत्र में चन्द्रिका मैया देवी का मन्दिर पड़ता है। मैं उन्नाव से सांसद रहे और वर्तमान में मा0 उप मुख्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मांग करूंगा कि हमारा क्षेत्र कटनी क्षेत्र है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कोई अस्पताल नहीं है। वहां पर एक गांव है सातन, वहां पर अस्पताल बनवाने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदस्य श्री शफीक अहमद अंसारी और सदस्य श्री आर0 के0 पटेल का नाम पुकारे जाने और उनके सदन में उपस्थित न होने पर।)

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं माननीय लालजी वर्मा जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता जी, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से दिये जा रहे वक्तव्य से ऐसा लगता है कि पूरे देश में न तो गरीबी है और न कोई गरीब है। विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा जब किसी ज्वलन्त समस्या पर बात रखी जाती है, तो बहुत ही चतुराई के साथ शब्दों के मकड़जाल में मूल विषय से हटकर सरकार जवाब देती है, प्रदेश की आम-जनता अपने आपको ठगा सा महसूस करती है। जिस तरह से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा रहा है वह दुःखद है। रोटी, रोजगार दोनों से इन्हें वंचित करके समाज की पूर्व व्यवस्था में इन्हें पहुंचाने का काम किया जा रहा है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन की तपस्या से पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को जो अधिकार दिये थे आज यह सरकार कूटनीतिक तरीके से उन अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। आउटसोर्सिंग कान्ट्रैक्ट बेस पर युवाओं को रखकर आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। बेरोजगारी आज चरम पर है, जिन युवाओं ने अपनी उम्र के 30 वर्ष शिक्षा को ग्रहण करने में इस उम्मीद से लगा दिये और उनके माता-पिता ने फटे कपड़े पहनकर उन्हें पढ़ाने का काम किया, जब वह बच्चा पढ़ गया तो उम्मीद थी कि यह सरकार उन्हें रोजगार देगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। वह पढ़े-लिखे बच्चे या तो घर बैठे हैं या फिर गलत दिशा में चले गये, जिसके कारण आज अपराधों की संख्या बढ़ी है।

जो संविधान हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार देता है अफसोस की बात आज संविधान ही सुरक्षित नहीं है आज संविधान को चौराहे पर जलाया जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। संविधान जलाने वालों के खिलाफ मेरे अपने जनपद कोतवाली मैनपुरी में मुकदमा दर्ज हुआ था और यह संविधान की कसम खाने वाले सरकार में बैठे लोग इनके संरक्षण में लिखी हुई वह एफ0आई0आर0 पर मुकदमा लगाके बात को रफा दफा कर दिया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मेरे विपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों ने सरकार से माँग की कि जातिगत जनगणना करायी जाए, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि देश व प्रदेश के बड़े-बड़े संस्थानों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की संख्या नगण्य है। आज भी मा0 लालजी वर्मा ने और डॉ0 रागिनी जी ने नियम-56 में जो विषय रखा था वह गम्भीर विषय था, जहां के0जी0एम0यू0, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विधान परिषद् में प्रश्न उठाने के बाद भी, मा0 मंत्री जी के जवाब देने के बाद भी आज भी उस विषय को गम्भीरता से नहीं सुना गया। आज भी वहां पर इण्टरव्यू हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ और पूरा विपक्ष चाहता है कि जातिगत जनगणना करके कम से कम सबको न्याय मिल जाना चाहिए। लेकिन यह सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रही है। आज भू-माफिया के हौसले बुलन्द हैं, गरीब मजदूरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, थाने और

तहसील लूट का अड्डा बन गए हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय चिकित्सा में सरकार बहुत दम भर रही है, मेरे जनपद मैनपुरी में 27 के सापेक्ष मात्र 11 डाक्टर से अस्पताल चल रहा है, मरीज प्राइवेट अस्पाताल में जाकर लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। महोदय समाजवादी पार्टी की सरकार में दूर-दराज गाँव के लिए मा0 जनेश्वर मिश्र योजना, डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र योजना के तहत गाँव की गलियों को बनाने का काम किया जा रहा था, आज यह सरकार है और आप बता दें कि इनकी एक भी योजना ऐसी नहीं है जो गाँव की गलियों को बनाने का काम करे। सच यह है कि जो हमारी सरकार में गलियां बनाई गयीं थीं, आज उन सारी गलियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, उसमें किसी पैसे वाले का बच्चा नहीं जाता है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि आज विद्यालय में तमाम वीडियो वायरल होते हैं, मेरे छोट-छोटे बच्चे जो अपना भविष्य बनाने जाते हैं, लेकिन वह वहां पर झाड़ू लगाते हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में पक्के तौर पर कम से कम सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाए, जिससे कम से कम उन छोटे बच्चों को झाड़ू न लगाना पड़े। महोदय विद्युत व्यवस्था पर सरकार बहुत दम भरती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमसे 50 और 100 लोग मिलने आते हैं उसमें कम से कम 10-15 लोग केवल इस बात के लिए मिलने आते हैं कि उनका बिल उम्मीद से ज्यादा है। मेरी खुद की विधान सभा क्षेत्र कुर्रा के ग्राम जयसिंहपुर में एक गरीब के पास मात्र डेढ़ बीघा जमीन थी उस डेढ़ बीघा जमीन को बेचकर के उसने 60 हजार बिल जमा किया। आज बिजली की व्यवस्था से सभी परेशान हैं, सरकार दम भरती है कि हर बात में नम्बर वन, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सरकार आरक्षण खत्म करने में नम्बर वन, संविधान खत्म करने में नम्बर वन, बेरोजगारी में नम्बर वन, भाई को भाई से अलग करने में नम्बर वन, जुमलेबाजी में नम्बर वन, झूठे सपने दिखाने में नम्बर वन, भू-माफियाओं को संरक्षण देने में नम्बर वन, दलित उत्पीड़न में नम्बर वन, हक लूटने मे नम्बर वन और महिला उत्पीड़न करने में नम्बर वन। महोदय बस एक पंक्ति कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अदम गोंडवी जी ने कहा था कि-

'हिन्दू या मुस्लिम के अहसास को मत छेड़िये,
अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िय,
हममें कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है,
दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िये,
गर गलतियाँ बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले,
ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िये,
है कहां हिटलर हलाकू जार या चंगेज खाँ,
मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िये,
छेड़िये एक जंग मिल-जुल कर गरीबी के खिलाफ,
दोस्त मेरे मजहबी जज्बात को मत छेड़िये।'

सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का अक्श और सरकार की नीतियों का प्रतिबिम्ब होता है। आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुझे यह देखने को मिला है कि महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने बखान ही बखान किया, पर शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को नहीं देखा है जो नौजवान रोजगार के लिए रोज भटक रहे हैं, उन्होंने ऐसे किसान परिवारों और किसानों को नहीं देखा, जो रोज-रोज खेत और खलिहान जाकर संघर्ष करके न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि इस देश और प्रदेश के परिवारों का पेट पालने का काम करते हैं। उन्होंने उस मजबूर माता और पिता को नहीं देखा जो माता-पिता अपनी गाढ़ी खून-पसीने की कमाई करता है। आपने उन्हें सपना दिखाया कि आकाश तक पहुंचायेंगे। प्राइवेट सेक्टरों के साथ-साथ हमारे सरकारी संस्थानों में भी जहां उच्च शिक्षा की बात की जाती है, उस उच्च शिक्षा के लिए वहां 18 परसेन्ट जीएसटी वसूलने का काम किया जाता है, तो कहां रह जायेंगे वह सपने जो आपने आकाश तक पहुंचाने के लिए दिखाये थे। आपने इस पूरे अभिभाषण में उस बढ़ती हुई महंगाई का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, जिस महंगाई के कारण आज देश और प्रदेश के लोग बेहाल पड़े हुए हैं। आपने उस तड़पते हुए मरीज को कहीं पर नहीं देखा है। आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ए-1 व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन अगर आप देखें कि एक मरीज जो अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में नहीं करा सकता है, वह किस तरीके से सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 और बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों में जाता है, वहां जाने पर भटकता रहता है और एक दिन तड़प-तड़पकर वहीं मर जाता है, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है ? आपने उन बहन-बेटियों को नहीं देखा जिन बहन-बेटियों के साथ कहीं न कहीं आएदिन हमें और आपको उत्पीड़न सुनने को मिल जाता है, अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल जाता। महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह महिलाओं के साथ दुष्कर्म की हों या बच्चियों के साथ दुष्कर्मों की हों। एन0सी0आर0बी0 के आपके न जाने किस प्रकार के डाटा हैं, आप कहते हैं कि 76 प्रतिशत अपराध कम कर दिया है। अगर आप सही में महिलाओं के हितैषी होते, अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देख रहे होते तो कहीं न कहीं आप यह देखते कि किस तरीके से बदायूं में एके सिविल जज द्वारा एक जूनियर जज का शोषण होता है और जब वह महिला यहां से लेकर दिल्ली तक गुहार लगाती है तब भी कहीं पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसी स्थिति में यह घटनाएं और बढ़ती हैं। जिस समय आपने मिशन शक्ति अभियान चलाया, उस अभियान के तहत 2020 से 2023 के आंकड़ों की बात करें तो 2020 में महिलाओं के 49,385 अपराध दर्ज हुए थे। वहीं वह 2023 में बढ़कर 65,745 हो गए। आपने शायद एन0सी0आर0बी0 का डाटा नहीं देखा जहां दहेज के नाम पर इस प्रदेश महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। एन0सी0आर0बी0 डाटा के मुताबिक

उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर खड़ा है। आप किस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलायें कहां से सुरक्षित हैं ? अगर सुरक्षा की बात है तो महिलायें सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन और समाचार पत्रों में आपके चलाए गए मिशन के तहत सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिलायें भी अपने आपमें असुरक्षा का भाव महसूस कर रही हैं। यहां पर चन्द लाइन याद आती है।

'कागज के इंसानों पर आपकी निगरानी है।
अन्धी सत्ता के हाथों में मासूमों को जान गंवानी है।।'

मान्यवर, मैंने जब पढ़ा तो सबसे ज्यादा बखान और व्याख्यात्मक बखान राम मंदिर के बारे में किया गया था, भगवान श्री राम के बारे में, मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि मुझे तो बताया गया था कि श्री राम इस युग में नहीं बल्कि युगों-युगों से हमारे और आपके हृदय में विराजमान हैं। आपने शायद यह नहीं देखा क्योंकि श्री राम को जहां पर आप मानते हैं तो श्री राम को हम भी मानते हैं। हम भगवान राम को भी मानते हैं और भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। लेकिन कभी भी भगवान श्री राम ने या फिर भगवान श्री कृष्ण ने आपसे कभी इस बात का प्रमाण नहीं मांगा, आपसे कभी भी मंदिर या कोई स्थल नहीं मांगा, लेकिन फिर भी कहूंगी कि उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि अगर भूखे पेट को भोजन दे देंगे, अगर कहीं पर अपेक्षित स्नेह से वंचित लोगों को स्नेह के दो बोल बोल देंगे, अगर कहीं सहायता के नाम पर उसकी मदद कर देंगे तो वह कर्म ही श्रेष्ठ है, लेकिन कहीं न कहीं यह साबित होता है कि जिस संस्कृति की बात हो रही थी भारत की संस्कृति में विविधता और एकता है, गंगा-जमुनी तहजीब का देश हमारा भारत है। लेकिन यहां पर भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरह से अपनी त्रुटियों को छिपाने का काम हो रहा है मैं सिर्फ यही कहूंगी कि 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान'। किसानों की बात कर रहे थे लेकिन किसानों के लिए कहीं पर भी इस सरकार ने नहीं सोचा। जिस एम0एस0पी0 को बढ़ाने का काम करना चाहिए था मैं सरकार से माँग करती हूँ कि डेढ़ गुना कम से कम एम0एस0पी0 बढ़ानी चाहिए। मेरे क्षेत्र हिसाउनपुर से भटौला के बीच में गंगा एक्सप्रेस-वे पर लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह सुध नहीं कि वहां पर जाकर अण्डरपास बनवाने का काम करें। किस प्रकार के हितैषी हैं जहां सामान्य नीति को बढ़ाने का काम भी नही किया जा रहा। मैं आखिर में सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि मैं सरकार के लिए कहना चाहती हूँ कि बेईमानी और झूठ इनका धर्म है यह मौजूदा सरकार का कर्म है सेंक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जो जब देखते हैं कि तवा गर्म है। जय हिन्द।

श्री अनिल पाराशर-

मान्यवर, मैं जय श्री राम के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया। हमारी सरकार 2017 में आई और 2017 में सरकार आने के बाद यह मेरी सरकार गरीब मजदूर किसान के कल्याण के

साथ शुरुआत हुई। आज की तारीख में हम लोग एक सफल सरकार के साथ-साथ राम राज्य की ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। राम राज्य के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक प्रभु श्री राम के बारे में जितने भी विचार यहां पर रखे गये हैं उन सब विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और मा0 योगी जी की सरकार को और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार को सम्पूर्ण सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम लला भव्य दिव्य मंदिर परिसर में विराजमान हुए हैं यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही स्वाभिमान की बात है, और साथ ही अपने विपक्षी सदस्यों के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि अब तो दिल के दरवाजे खोल लो और प्रेम से श्रीराम बोल लो। क्यों संकोच करते हैं इतना, क्यों शर्माते हैं, प्रभु श्रीराम हमारे जीवन का आधार हैं। प्रभु श्रीराम हमारे जीवन का प्राण हैं, हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है और इसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। अब हम सब लोग विकसित भारत की ओर विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश भारत के विकास के साथ-साथ तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश विकास के हर पायदान पर नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

मान्यवर, हम आज सनातन की स्तुति भी कर रहे हैं, साथ-साथ विकास की भी स्तुति कर रहे हैं और सनातन विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं अलीगढ़ की कोल विधान सभा क्षेत्र का सदस्य हूँ। अलीगढ़ पुराने समय में 'हरिगढ़' के नाम से जाना जाता था। स्वामी हरिदास जी, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, उनके नाम पर 'हरिगढ़' नाम है। हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय के नाम से एक शिक्षा का मंदिर भी है।

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विपक्ष के भाई कटेरिया जी या उनसे पूर्व के सदस्य आरक्षण की बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कभी इन्होंने आवाज उठायी कि ए0एम0यू0 में आरक्षण क्यों नहीं है ? ए0एम0यू0 का अल्पसंख्यक स्वरूप कब बदलेगा ? केन्द्र सरकार के पैसे से ए0एम0यू0 पलता है, फलता है, हजारों लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या गरीब मजदूर, दलित, एस0सी0/एस0टी0, ओ0बी0सी0 को कभी आरक्षण मिला ? हमने अपने शिक्षा जगत के आन्दोलन से लेकर अब तक, पिछली बार वर्ष 2017 में सदन में मैंने बयान किया था कि पूरा सदन ए0एम0यू0 में आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव करे और ए0एम0यू0 में एस0सी0/एस0टी0, ओ0बी0सी0 का आरक्षण सुनिश्चित हो, ऐसा प्रस्ताव यहाँ से हम लोग पास करके केन्द्र सरकार को भेजें।

अधिष्ठाता महोदय, एक विषय ए0एम0यू0 के बारे में बड़ा अफसोसजनक रहता है कि अल्पसंख्यक होने के कारण ए0एम0यू0 सिमी का, देश विरोधी गतिविधियों का बहुत पुराना गढ़ रहा है। हमने छात्र आन्दोलन से लेकर अब तक अनेकों देश विरोधी गतिविधियों को उजागर

करने का काम किया है। अनेकों बार फर्जी मुकदमे हमने इस कारण से सहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उन देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का न तो विपक्ष ने कभी नाम लिया और न ही मुस्लिम समाज के लोगों ने उन गतिविधियों का विरोध किया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है ? आरक्षण ए0एम0यू0 में, पूरे देश में इन्हें चाहिए। देश विरोधी गतिविधियाँ ए0एम0यू0 में होती रहने के बावजूद ये उसका लगातार साथ देते रहते हैं, ये शर्मनाक विषय है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष भी इसमें अपना एक श्वेत पत्र जारी करे कि ए0एम0यू0 में आरक्षण और देश विरोधी गतिविधियों के बारे में उनका क्या मत है ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से माँग करना चाहूँगा कि ए0एम0यू0 का अल्पसंख्यक स्वरूप सुनिश्चित रूप से समाप्त किया जाए। इसके प्रस्ताव की भी मैं माँग करूँगा कि अल्पसंख्यक स्वरूप अगर समाप्त होगा, तो ए0एम0यू0 देश की मुख्य धारा के साथ-साथ हमारे गरीब मजदूर छात्रों के शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभायेगा।

अधिष्ठाता महोदय, अलीगढ़ जनपद में अनेकों ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिसमें राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, डिफेन्स कॉरिडोर, अलीगढ़ की स्थापना, नये हवाई अड्डे की स्थापना, नये फ्लाईओवर हों, अनेकों पुलों की स्थापना हो, स्मार्ट सिटी अभियान के अन्तर्गत महानगर का सौन्दर्यीकरण, नये बिजली घर, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, मजदूर और युवाओं के हितों में हजारों करोड़ की योजनाएं कोल विधान सभा क्षेत्र और अलीगढ़ जनपद को मिली हैं। इसके लिए मैं मा0 योगी जी की सरकार को अपने जनपद तथा अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका विशेष आशीर्वाद अलीगढ़ पर रहा है, क्योंकि विकास एक सतत् प्रक्रिया है, उस नाते मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा, माँग करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जाम की समस्या काफी रहती है, उसके निदान के लिए एटा चुंगी जी0टी0 रोड फ्लाई ओवर की माँग पूरी हो जाए, तो आपकी काफी मेहरबानी रहेगी। क्वारसी चौराहे से रामघाट कल्याण मार्ग, एटा चुंगी चौराहे तक आगरा मार्ग को जोड़ने वाला बाईपास मार्ग फोरलेन का चौड़ीकरण हो जाए। इसके अलावा महेशपुर फाटक धौरामाफी से क्वारसी रामघाट कल्याण मार्ग एटा चुंगी बाईपास के सहारे से शहर के जलभराव की स्थायी समस्या के निदान के लिए भी जो गड़रौना माइनर है, वह पक्का हो जाए, नाला बन जाए, इससे जल भराव की समस्या का भी काफी निदान होगा। जाम की समस्या के लिए शहर की लाइनें भूमिगत हो जाएं, तो उससे जाम से मुक्ति मिल जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद मा0 सदस्य। मा0 केतकी सिंह जी।

(सदस्य द्वारा माइक बन्द होने के बाद भी लगातार खड़े होकर बोलने पर।)

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 नीरज बोरा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मा0 महोदया, सामने खाली है, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ बोलना आता है। बोलकर सुनना नहीं आता कि सुनने वाला क्या बोलना चाहता है। मुझे इतनी हँसी आ रही थी और हँसी के साथ मुझे क्षोभ आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझायेंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है। आप हमें दिखायेंगे आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने रामभक्तों पर गोली चलायी, उन्हें मारकर सरयू में डुबो दिया, वह हमें रामचरित्र का पाठ पढ़ाने आये हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिये। आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं। आप हमें नहीं बता सकते हैं। हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे, कितनी शर्म की बात है और यह तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा है कि गोली ही नहीं मारी, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली ही नहीं मारी, बल्कि माथे के बीचोबीच चुनचुन कर गोली मारी गयी और जो बच गये, जो मेरे रामभक्त बच गये, उन घायल रामभक्तों को बालू की बोरी बांधकर सरयू में मरने के लिये छोड़ दिया और यह हमें बतायेंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी। अरे, आप तो वो हो, वह तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली, पर आप तो वह बाबर हो, आप तो वो आक्रान्ता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इसी देश को धोखा देते रहे और आप यहीं नहीं रुके, कल मैंने देखा तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि इतना ज्यादा होने के बाद भी जब कल धन्यवाद प्रस्ताव आया तो आपमें से कुछ मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वह मुझसे बड़े हैं, मेरे संस्कार और राम के संस्कार यह नहीं सिखाते, परन्तु वह खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मन्दिर का धन्यवाद प्रस्ताव दें तो तुमसे माँग कौन रहा है कि तुम धन्यवाद प्रस्ताव दो। हमें राम मन्दिर के लिये तुम जैसे लोगों का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं चाहिये। आप तो वह हैं जिन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया। 500 साल से लगातार चक्रव्यूह रचा कि किस तरह सनातनियों के आराध्य राम जी का मन्दिर न बन पाये। आप वह हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक वह अभिमन्यू था जिसे बुजदिल, कायर, डरपोक कौरवों ने मारा था और एक यह कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुये हैं कि किस तरह सनातनियों को और अभिमन्यू को रोकें। मैं बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि 'समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध'। अपराध लिखे जायेंगे आपके। पुण्य जिन्हें करना था और एक वह जनरल डायर था,

बाहर से आया और जलियाँवाला बाग काण्ड कराकर चला गया। हर भारतीय उस पर थूकता है। [x x x]

पूर्व मुख्य मंत्री पर विवादित टिप्पणी पर आपत्ति

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, यह किस पर आरोप लगा रही हैं। यह [x x x] की बात कर रही हैं। इसमें [x x x] की बात कहां से आ गई। जिसके ऊपर [x x x] है ? किसके ऊपर [x x x] है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अतुल प्रधान जी, आप बैठ जायें।

(इस मध्य सदस्य श्री अतुल प्रधान अपने स्थान पर खड़े होकर लगातार बोलते रहे, जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, किन्तु उनका माइक बन्द था।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती केतकी सिंह-

मान्यवर, पुण्य जिन्हें करना था पाप कर रहे। जीवन का वरदान श्राप कर रहे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 प्रधान जी, आप बैठिये। किसी पर निजी टीका-टिप्पणी न की जाये। मा0 सदस्य, यदि कोई शब्द आपको आपत्तिजनक लग रहा है अथवा सदन को लगता है तो उसे कार्यवाही से निकाला जाता है। आप शान्ति बनाये रखिये। आप अपनी बात शान्तिपूर्ण तरीके से कहिये।

(इस मध्य सदस्य श्री अतुल प्रधान सहित समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

अतुल प्रधान जी आप आपनी सीट पर बैठ जायें। किसी पर निजी टीका-टिप्पणी न करी जाए। आप बैठ जाएं।

श्रीमती केतकी सिंह-

मैं बोलूँगी, आप क्या कर लेंगे, क्या मैं आपसे पूछ कर बोलूँगी ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अतुल प्रधान जी आप बैठ जाएं। यदि कोई शब्द आपको आपत्तिजनक लग रहा है या सदन को लगता है, तो वह निकाला जाता है। आप शान्तिपूर्ण तरीके से रहें।

श्रीमती केतकी सिंह-

[xxx] पिक्चर भी आएगी, राम मन्दिर आया है, काशी आएगा, मथुरा आएगा, देश के कोने-कोने में मन्दिर बनेगा।

(वेल में उपस्थित सदस्य यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

सभी सदस्यगणों से निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर जाएं, यदि कोई शब्द सदन को आपत्तिजनक महसूस होता है, तो वह निकाल दिया जाएगा। आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती केतकी सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, यही सरकार चलेगी, यही चलेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य यदि कोई शब्द आपत्तिजनक है, तो उसे निकाल दिया जाएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है।

श्रीमती केतकी सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, शिकार के मैदान में शेर शिकायत नहीं करता है, शिकार करता है-भेड़ियों।

श्री अधिष्ठाता-

सभी मा0 सदस्यों से मेरा कहना है यदि कोई शब्द आपत्तिजनक लगता है, तो वह निकाल दिया जाता है और कोई ऐसा शब्द नहीं है। आपको लगता है, तो वह शब्द निकाल दिया जाएगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। कृपा करके वेल में न आएँ, वेल में आने की कोई बात ही नहीं है।

(वेल में उपस्थित विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नेता जी का अपमान बन्द करो, बन्द करो, नेता जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे के नारे लगाते रहे)

(इसी मध्य अपराह्न 04 बजकर 09 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोगों का हो गया हो तो अपनी सीट पर वापस चलें, पहले पता तो लगाएं कि क्या बात है। अपनी सीट पर जाकर बोलिए और पूरी बात बताएं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीट पर चलें। वहां से बोलें और पूरी बात बताएं कि क्या बात हुई। केतकी जी आप बैठें। मैं बीच में नहीं सुनूंगा। ऐसे न कुछ सुना जायेगा और न ही कुछ लिखा जायेगा। आप लोग अपनी सीट पर चल कर अपनी बात बताएं। जो बात है वहां से बोलिये।

(विपक्ष के सदस्य वेल से अपनी-अपनी सीटों पर चले गये)

मैं बोलने का अवसर दूंगा। कोई एक आदमी बोलेगा। माननीय संग्राम जी खड़े हैं, आप बोलें।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम सब आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पूरा देश माननीय नेता जी का सम्मान करता है। कल से आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। इस तरह का तनावपूर्ण माहौल कभी नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ऐसा प्रदर्शित करती हैं जैसे हम प्रभु श्री राम के विरोधी हैं। आप जानते हैं अपना देश न्यायालयों से चलता है। सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया। माननीय नेता जी ने भी एकता परिषद् में कहा था कि दोनों पक्ष या तो आपस की सहमति से फैसला कर लें या भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले और हम उसको मानेंगे। मान्यवर, आपस में सहमति नहीं हो पाई। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो किसी राजनैतिक दल ने उस पर टिप्पणी नहीं की। देश के अन्दर सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपनी-अपनी तरह से स्वागत किया। मान्यवर, अभी गोरखपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे। माननीय उप मुख्य मंत्री जी को न जाने कहां से इतनी उत्तेजना होती है, ये वरिष्ठ हैं।

श्री अध्यक्ष-

कौन से उप मुख्य मंत्री जी ?

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय ब्रजेश पाठक जी।

श्री अध्यक्ष-

वो हैं भी नहीं।

डॉ0 संग्राम यादव-

श्रीमती केतकी सिंह जी बलिया से निर्वाचित होकर आई हैं। हम सब यहां चर्चा के लिए आए हैं। जो माननीय सदस्य आज दुनिया में नहीं हैं। प्रयास करते हैं कि उन पर टिप्पणी न हो। लेकिन अगर आज की कार्यवाही उठा ली जाये तो कई बार माननीय नेता जी को कोट करके इस तरह की बातें सदन में आई हैं। हमारे नौजवान सदस्य अतुल जी का नेता जी से जज्बात हैं। हम सबका और आपका भी माननीय नेता जी से बहुत लगाव है। जब नेता जी दुनिया में नहीं रहे, पूरे देश में जिस तरह से उनका सम्मान हुआ। हर राजनैतिक दल की सीमायें टूट गयीं। मान्यवर, भारत सरकार ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आप उन पर उंगली उठा देने से बड़ा नेता नहीं हो जायेंगे। सम्मान करना सीखें।

(सदस्य श्रीमती केतकी जी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्लीज बीच में नहीं, मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूँ। केतकी जी आप बैठिये। इनकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी। केतकी अगर आप बोलेंगी तो मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

ऐसे आप लोग न बोलें। आप बैठिये मैं दिखवाता हूँ। मैं दिखवा रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपकी भी सुनूंगा और इनकी भी सुनूंगा। ऐसे नहीं, यह तरीका नहीं है। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो उनको कहा जायेगा। आपने गलत कहा होगा तो उसको देखा जायेगा। सब लोगों को बराबर का अधिकार है। गलत कहा तो उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है।

डा0 संग्राम यादव-

माननीय सदस्या के बयान से हम सब बेहद आहत हैं। इतने बड़े नेता पर थूकने की बात करती हैं। कोई बचा नहीं जो अन्त्येष्टि में न गया हो। ये क्या बोल रहीं हैं। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम सब बहुत आहत हैं। इस तरह की बातें कतई शोभा नहीं देतीं। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय नेता जी के प्रति कभी भी नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने क्या कहा है, हम दिखवाते हैं। हमने कार्यवाही निकलवाइ है।

(सदस्य श्रीमती केतकी सिंह के बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

फिर वही बात केतकी जी आप बैठ जायें। मैं कार्यवाही निकलवा रहा हूँ। आपके पहले ही मैंने कार्यवाही निकलवाने के लिए बोल दिया है। आपकी भी बात सुनूंगा, लेकिन यह तरीका नहीं है, अगर उन्होंने गलत कहा होगा तो उनको कहा जायेगा। आपने गलत कहा होगा तो उसको कार्यवाही में देखा जायेगा। सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। अगर उन्होंने गलत कहा है, तो उनको गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

महोदय, यह कह चुकी है अगर कोई भी ऐसा उसमें गलत वाक्य होगा या शब्द होगा तो उसको कार्यवाही से निकलवा देंगे। मेरा आग्रह यही है और मैं व्यक्तिगत रूप से नेता जी मुलायम सिंह यादव का बेहद ही सम्मान करता हूँ। अगर कोई भी ऐसा शब्द होगा तो निश्चित तौर पर निकलवा दिया जायेगा। पीठ ने पहले ही इसको बोल दिया है।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग भी बोलते हैं कई बार उत्तेजना में लोग आ जाते हैं लेकिन हमने कभी मा0 मुख्य मंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, इस समय हमारे बीच में नहीं हैं जिनका सम्मान हम नहीं पूरे देश के लोग करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषण में मा0 नेता जी का सम्मान किया है। इसी सरकार ने ऐसा सम्मान दिया जिसको पूरे देश ने देखा हालाँकि कई लोग बोलते हैं तो भगवान राम के ऊपर आपका अपना पक्ष है हम लोग भी अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन जब यह शब्द बोला गया आप कार्यवाही में दिखवा लीजिए कि हम थूकते हैं उनके ऊपर यह जो शब्द है थूकने वाला यह तो संसदीय शब्द है ही नहीं, लेकिन आप इतनी उत्तेजना में आ जाओगे कि थूकने की बात हमारे नेता के ऊपर करोगे तो सामने वाला भी तो उस बात को सहन नहीं करेगा। मा0 अध्यक्ष जी एक निवेदन हमारा आपसे है कि जब कोई भी सदस्य भगवान पर चर्चा करे, भगवान की बात करे तो आप अपनी बात कहिये। मान लीजिए गोली चलने की बात कही तो नृपेन्द्र मिश्रा जी उस समय चीफ सेक्रेटरी थे।

श्री अध्यक्ष-

इस बात को छोड़िये अगर इस बात पर डिबेट करेंगे तो लम्बी हो जायेगी। आप विषय पर बात करिये।

श्री अतुल प्रधान-

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सबने उसको माना हम अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं और यह अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं तो बीच में नेता जी के लिए अपशब्द बोलना क्या इनकी सही बात है। हम लोग सरकार के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी मा0 मुख्य मंत्री जी के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सही बात है अपशब्द किसी को बोलना भी नहीं चाहिए।

श्री अतुल प्रधान-

अभी मा0 सदस्या बोल रही थीं कि बदतमीज कहा है आप अध्यक्ष जी, कार्यवाही में दिखवा लीजिए कि अगर इधर से किसी ने भी बदतमीज कहा हो। यह लगातार कह रही हैं कि उनको गोली मारी सरयू में डुबोया उनके पेट पर बोरा बांधा इन लोगों ने उनको सरयू में बहाया। इनसे पूछिये कि किसने डुबाया है। आपने यह बात भी बोल दी तो चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नेता के ऊपर थूकने की बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह इनकी बात गलत है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, हम लोग नेता जी के लिए बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है कि मा0 सदस्य ने जो शब्द बोले हैं वह उसके लिए माफी भी मांगें और खेद व्यक्त भी करें और साथ-साथ पूरा सदन पक्ष व विपक्ष के जितने लोग बैठे हैं नेता जी का अपमान कोई सहन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव जी आप बताइये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, आपके संरक्षण में विधान सभा बहुत अच्छी चल रही थी।

श्री अध्यक्ष-

जो गलत है वह गलत है मैं खुद कह रहा हूँ मैं उनको संरक्षण तो नहीं दे रहा हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मा0 सदस्य ने जिस तरह से थूकने वाली बातें कही उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। किसी पर भी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राम भगवान हो या कृष्ण भगवान हों वह सबके ही भगवान हैं। उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए अगर राजनीति करनी है तो ऐसे शब्दों को नहीं बोला जाना चाहिए। मा0 नेता जी कई बार मुख्य मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, लेकिन आज सदस्य द्वारा इस तरह का शब्द विधान सभा में उठा यह गलत है इनको माफी माँगनी चाहिए। इतने बड़े नेता जी को कौन नहीं जानता है सभी वर्ग नेता जी का सम्मान करते हैं और इन्होंने इस तरह की बात कह दी। यह नहीं होना चाहिए। माफी मांगें और शब्द को कार्यवाही से निकालने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। आपको पूरी बात कहने का अधिकार था। जिस शब्द के ऊपर आपने आपत्ति की है उस शब्द पर मुझे भी आपत्ति है। अब मैं उस सदस्य से पूछूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि नहीं कहा है और कार्यवाही में भी इस शब्द को दिखवाऊंगा।

यह आपको डिसाइड करना है कि जैसे सत्र अच्छी तरह से चल रहा है वैसे चले तो अच्छी बात है। आपने अपने पक्ष की बात कही और आपने जिस शब्द की बात की है, वह निन्दनीय है, खराब है। मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने यह शब्द कहा है या नहीं कहा है, फिर कार्यवाही देखूँगा, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय दूँगा। मा0 सदस्य आप बताइये कि क्या आपने यह शब्द कहा है ?

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समस्त सदन को प्रणाम करती हूँ। मैं एक बात बहुत गौरव और गर्व के साथ बता देना चाहती हूँ कि मैं हिन्दू धर्म को मानने वाली संस्कारी घर की बेटी और बहू हूँ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप पहले उनको सुन लीजिये। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छी तरीके से बात होने दीजिये।

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इनको जवाब नहीं देना है। पूरा सदन जानता है कि सुबह से जितने बड़ों के पैर छूकर मैं आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता होगा। यह कहना कि मैंने स्वर्गीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के विषय में थूकना और यह सब शब्द का प्रयोग किया तो यह झूठ है और गलत है। अगर यह सत्य होगा तो मुझे जो आप कहेंगे वह मैं मानने को तैयार हूँ। मैं यह गर्व और गौरव के साथ कह सकती हूँ।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय सदस्य द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, अब आप बात बिगाड़िये नहीं प्लीज। पूरी बात हो गई है। सबने कही है, इन्होंने भी कही है। आप थे नहीं और आपको नहीं मालूम है, इसलिये प्लीज आप बैठ जाइये। कई लोग बोल चुके हैं और सब लोग अपनी प्रमाणिकता सिद्व मत करिये। जो बात वह कह रही हैं अगर आप उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्रीमती केतकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैंने तो नहीं कहा और यह कार्यवाही में भी निकल जायेगा, पर जिन्होंने पूरी विधान सभा सदन में एक निर्वाचित महिला विधायक को बदतमीज कहा। जिस महिला की दुहाई देते-देते छाती पीटते-पीटते छाती में से खून निकल जाता है, उस विधायक महिला को बदतमीज कहा उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिये। अगर किसी ने इनको या किसी महिला को इंगित करके बदतमीज कहा तो वह भी गलत है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आप दोनों कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये मालूम हो जायेगा कि किसने क्या कहा है। हमारी तरफ से किसी ने इनको यह शब्द नहीं कहा है।

(श्री अतुल प्रधान, डॉ0 संग्राम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा एक साथ अपनी बात कहने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप में से जो-जो लोग अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वह लिखवा लीजिये। जब मैं आया तो मैंने बैठने के बाद पहला शब्द यही कहा है कि मैं कार्यवाही निकलवाता हूँ। यह आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना। तब फिर अगर आप जबर्दस्ती अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो अलग बात है। मैंने सबको अपनी बात कहने का अवसर दिया है। पहले डॉ0 संग्राम सिंह जी ने कहा, माननीय अतुल प्रधान जी ने कहा, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने कहा और मैंने सबकी बात सुनी। मैंने सम्बन्धित सदस्य को भी सुन लिया। उन्होंने कहा है कि मैंने यह शब्द नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कहा है तो मैं उसके लिए माफी मागूँगी।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा है। सबने सुना है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही देखूँगा। अगर उन्होंने कहा होगा तो वह कार्यवाही से भी हटेगा और उसके लिए वह माफी भी मांगेंगी, लेकिन इस तरफ से अगर किसी भी सदस्य ने किसी महिला को लेकर कोई आपत्तिजनक कहा है तो उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी और वह भी कार्यवाही से निकालेंगे। मैं दोनों कार्यवाही दिखवाकर इसे सुनिश्चित करूँगा। मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लेता हूँ। हम सब लोग एक आस्थावान समाज के लोग हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पुराणों और धार्मिक विषयों के ऊपर केन्द्रित है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों। सनातन में अपनी बात का गौरव व्यक्त करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह बात सब लोग समझें। सत्ता पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्य समझें। आप जिस भी आराध्य को मानते हैं आप उनका खूब गुणगान करें। आपको इस बात का पूरा अधिकार है, लेकिन इसी सनातन में यह नहीं बताया गया है कि किसी के प्रति कुछ निगेटिव बोलना है। यह किसी अन्य धर्म में भी नहीं बताया गया है। इसीलिये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी बात प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से, सुन्दर ढंग से कहें। यहां पर पिछले दो-तीन-चार दिनों में अपने-अपने आराध्य के लिए इतने सुन्दर अलंकरण और इतने सुन्दर शब्दों का प्रयोग हुआ है कि यह मैसेज है। यह मैं पूरी विधान सभा की बात बोल रहा हूँ। अभी मैं वर्मा जी से बोल रहा था कि जो डिबेट्स यहां पर होती है उसे सब देखते हैं। मैंने वर्मा जी से कहा कि मैंने आपको उस विषय को रखने के लिए 10 मिनट से ज्यादा का समय इसलिये दिया था कि आपकी डिबेट को पूरा प्रदेश और पूरा देश देखता है, तो लोगों को पता होना चाहिये कि यहां पर कितनी बढ़िया और अच्छी डिबेट्स होती है। वर्मा जी, यहां आने से पहले मैंने आपसे कहा था या नहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष-

तो मेरा कहना है कि उस टाइप की डिबेट यहां पर होनी चाहिये। इस तरह से नहीं होना चाहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

अब उसके ऊपर मत बोलियेगा। मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है। मैं सारी कार्यवाही को दिखवाऊंगा और मैं उस व्यवस्था को सुरक्षित रख रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जैसे आप इस पद पर हैं, तो पद के दायित्व का पालन करने के लिए बहुत से आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, उसी तरह से मा0 योगी जी मुख्य मंत्री हैं बहुत से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, जो उनकी अन्तरआत्मा के विपरीत रहता होगा। निश्चित रूप से तत्कालीन समय में तत्कालीन सरकार ने भी उसके हिसाब से निर्णय लिये होंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं उस पर नहीं बोलिये वह जो भी चेप्टर था अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो उसमें से काफी कुछ अच्छा-खराब कुछ भी निकलेगा।

श्रीमती केतकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा दो मिनट बोलना बाकी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके दो मिनट बाकी हैं, तो आप दो मिनट बोल लीजिए। ऐसा बोलना कि सब खुश हो जायें।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्रीमती केतकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैं तो एक कविता सुना रही हूँ। मुझे क्या पता था कि कविता-कविता में मेरे भाई इतना बुरा मान जायेंगे। पुण्य जिन्हें करना था वह पाप कर रहे, जीवन के वरदान को श्राप कर रहे, सांस का भी पता नहीं जिन्हें देखो तो राम का हिसाब कर रहे, राम को न

जाने ऐसा नर न मिला, उन्हीं राम को इन भाइयों के राज में घर न मिला, और राम सिया दूजा कोई युक्ति नहीं है मोक्ष भी पाना है तो राम नाम सत्य बिना तो मुक्ति नहीं है, जागता प्रमाण है नाम का नहीं, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जय सियाराम।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको मा0 लालजी वर्मा जी से सम्बद्ध करते हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। रुतबा मेरे सर को सिर्फ संविधान से मिला है यह सम्मान भी मेरे संविधान से मिला है औरों को जो मिला है वह मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला है, न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम परमपूज्य बाबा भीमराम अम्बेडकर जी ने लिखा, मैं उन्हें नमन करता हूँ और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान के अनुरूप सरकारें चलायीं उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। हमारे संविधान में सबको बराबर का हक है। अपने तीज-त्यौहार मनाने का सबको हक दिया है। जो कमजोर, लाचार, बेबस थे उन्हें बराबर में लाने के लिए एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया। परन्तु आज संविधान की धज्जियाँ उड़ायी जा रही हैं। चाहे विधान सभा हो चाहे विधान सभा के बाहर हो, वहाँ भी संविधान की धज्जियाँ उड़ायी जा रही हैं। आज विधान सभा का जो माहौल है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विधान सभा का माहौल होना चाहिए। आज विधान सभा का माहौल विधान सभा का नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक संगठन का कार्यक्रम चल रहा हो। मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन एक धर्म के लोगों को हर तरह की छूट और पी0डी0ए0 के लोगों पर दुनिया भर की पाबन्दियाँ।

मान्यवर, एक धर्म के लोग जब चाहें, कोई भी धार्मिक यात्रा हो। बिना परमीशन के जब चाहे यात्रा निकाल सकते हैं। एक तरफ अभी हाल ही में अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हम सभी को खुशी एवं गर्व है कि आपने भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा का आयोजन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक रास्ते में, ग्राम में, शहरों में कीर्तन यात्रा निकाली गयी, लेकिन प्रशासन से कोई भी परमीशन नहीं ली गयी। तब किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। रैलियां निकाली गयीं। मान्यवर, मैं भी हिन्दू हूँ और अनुसूचित सिख समुदाय से आता हूँ। भले ही कुछ लोग समय-समय पर हमें हिन्दू नहीं मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। परन्तु दूसरी ओर कोई जैन धर्म का व्यक्ति इस प्रदेश में रहता हो और वह अपना कार्यक्रम करना चाहता हो, पहले कभी वह कार्यक्रम न हुआ हो तो यह कह दिया जाता है कि यह नई परम्परा है, इसलिए इसकी अनुमति

नहीं दी जायेगी। कोई सिख समुदाय का व्यक्ति अपने धर्मगुरुओं की शोभा यात्रा निकालना चाहता हो, चाहे गुरू गोविन्द सिंह जी, चाहे गुरूनानक जी या अन्य गुरुओं की शोभा यात्रा निकालना चाहता है। अगर पहले कभी यात्रा किसी ग्राम एवं शहर में न निकली हो तो यह कह दिया जाता है कि यह परम्परा नहीं है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। परमहंस रविदास को सन्तो का गुरू रविदास कहा गया है। अभी उनकी जयन्ती आने वाली है। हमारे पश्चिम में गाँव-गाँव में जयन्ती पर यात्रा निकालने का कार्यक्रम होता है, लेकिन यह कह दिया जाता है कि इस तरह का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ है, इसलिए आपको परमीशन नहीं दी जायेगी। अम्बेडकर जयन्ती पर शोभा यात्रा निकालने की बात हो तो उसमें भी यही कहा जाता है कि इसकी परम्परा नहीं है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मान्यवर, आज कांवड़ यात्रा में डी0जे0 एवं लाउडस्पीकर बजते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है आप खूब बजायें। इतनी तेज आवाज में डी0जे0 एवं लाउडस्पीकर बजाये जाते हैं कि धरती तक कांपने लगती है। इतनी तेज आवाज में डी0जे0 बजता है कि छोटे-छोटे बच्चों को दिल का दौरा पड़ जाता है और बच्चे मर भी जाते हैं। कस्बों में जुलूसों में डी0जे0 एवं लाउडस्पीकर को कोई नहीं रोकता है, लेकिन अभी हाल ही में सभी मन्दिरों में लाउडस्पीकर बजाये गये हैं। जैसे अभी प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उसमें सभी मन्दिरों में लाउडस्पीकर बजाये गये और गांव-गाँव में शोभा यात्राएं निकाली गयीं जिसमें जोर-जोर से लाउडस्पीकर बजाये गये। अगर कहीं रविदास मन्दिर, गुरूद्वारे में लाउडस्पीकर बजेगा और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में अजान देने के लिए लाउडस्पीकर बजाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। क्या यह अन्याय नहीं है, क्या यह हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं है ? हम लोग जहां चाहे आयोजन कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है कि इस तरह का आयोजन पहले नहीं हुआ है। क्या यह परम्परा के खिलाफ है, क्या यह संविधान में नहीं है ? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्यों संविधान को तोड़ा जा रहा है ? इसलिए किसी शायर ने कहा है कि-

‘न ही फर्क एक तिनके का भी, न ही खून का रंग कुछ और है,
बस फर्क ये कि आप जैसे लोग किसी को हिन्दू तो किसी को मुसलमान कहते हैं,
कोई पूजे पत्थर को तो कुछ सजदे में अपना सर झुकाते हैं,
वो एक ही है, बस कुछ इसे पूजें, तो कुछ इसे अपना ईमान कहते हैं।
वो एक ही हस्ती, एक ही वजूद है, जिसने ये सारा जहान बनाया,
फर्क इतना की कुछ उसे खुदा, तो कुछ उसे भगवान कहते हैं।’

मा0 अध्यक्ष जी, एस0सी0 और ओ0बी0सी0 जो दबे-कुचले, लाचार, बेबस थे, उन्हें बराबर में लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गयी। परन्तु आज उस आरक्षण

को तबाह/बर्बाद एवं खत्म किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी लोगों के हकों को छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। हम एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के लोगों को वहीं पहुंचाने की तैयारी की जा रही है जहां से हम चले थे, जहां हमें तालाबों में पानी पीने का हक नहीं था। जहां जानवर पानी पी सकते थे, गाय भैंस पानी पी सकती थीं। आज हमें फिर वहीं पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। हमारी परछाई से लोग डरते थे और हमें आज वहीं पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। हमारी पढ़ाई का हक छीना जा रहा है। आप लोग बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास'। क्या यही सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास है ? झूठे पुलिन्दे में ईज ऑफ लिविंग का जिक्र किया गया। एक ओर कहते हैं कि 6 करोड़ लोगों की गरीबी को हटाया, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और दूसरी तरफ आपकी सरकार कहती है कि 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं।

इस तरह की घोषणा कर दी। कौन-सी बात सही है, अभिभाषण की बात सही है या 15 करोड़ लोगों को राशन देने की बात सही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश एवं विदेश के निवेशकों को बुलाया गया इसका भी जिक्र है। 40 लाख करोड़ के निवेश का वायदा किया गया, सभी 75 जनपदों में कारखाने लगाने की बात हुई। मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात छोड़िए, मैं केवल बिजनौर की बात करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि बिजनौर में कौन-सा कारखाना लग गया। नगीना में कौन-सा कारखाना लग गया ? 2017 से लेकर 2024 शुरू हो गया है, आपकी कृपा से लगातार विधान सभा क्षेत्र से जीतता आ रहा हूँ। हमारे यहां कताई मिल बन्द पड़ी है उसे चलवा दीजिए, आज तक वह कताई मिल चली नहीं। सभी नियमों में लगाकर देख लिया, कताई मिल नहीं चलाई गयी। उसकी जगह कोई नई फैक्ट्री लगाने के लिए कहा वह भी नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इधर बिजी हो गया और आप बोलते चले गये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक सेकेण्ड दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब हो गया, एक सेकेण्ड नहीं। मैं उधर बात कर रहा था, आपने उसका नाजायज फायदा उठा लिया।

श्री मनोज कुमार पारस-

मैं कहना चाहता हूँ कि उस जगह पर कहीं-कहीं कोई स्टेडियम और स्कूल बनवा दीजिए, फैक्ट्री लगवा दीजिए, राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज बनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका माइक बन्द कर दीजिए। श्री राकेश प्रताप सिंह जी आप बोलिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, एक शेर कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको शेर पर शुरू करना चाहिए था, शेर से खत्म कर रहे हो।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये झूठे वादों की सरकार कब तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

लग रहा है कि पेज गुम हो गया।

श्री मनोज कुमार पारस-

बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा,
हर इंसान को मैंने यहां, खुद से बेखबर देखा।
रोते हुए नैन देखे, मुस्कुराता हुआ अधर देखा,
गैरों के हाथ में मरहम, अपनों के हाथ में खंजर देखा।
मैंने आप जैसे इंसानों को यहां, सबसे बड़ा खुदगर्ज देखा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक चौपाई से अपनी बात शुरू करूंगा-

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ।।
संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना।।

भावार्थ-श्रीराम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म-मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अभिमान हमेशा नुकसान ही देता है, जिसका समावेश सत्ता पक्ष में बैठे लोगों में हो गया है। मा0 अध्यक्ष जी, जब महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ रही थीं, हम लोगों की तरफ से केवल यही कहा जा रहा था कि असत्य का वाचन बन्द करिए और वापस जाइए। अग्रेंजी में कोई-कोई कह दे रहा था गो-बैक, गो-बैक। हम लोग बोल कुछ और रहे थे, समझ आप लोग कुछ और रहे थे, इसलिए क्योंकि आज विपक्ष कहता कुछ और

है और आप लोग समझते कुछ और हैं। सही चीज आप समझना नहीं चाहते हैं। मैंने पेज सं0-3 या 4 की बात करूंगा, मा0 ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने दुनिया भर का आरोप विपक्ष पर लगाया। मैंने मा0 ऊर्जा मंत्री जी से ही शुरू करूंगा कि क्या स्थिति है देहातों में ऊर्जा की, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर। 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की जायेगी ऐसा शासनादेश है, 21 घण्टे बिजली सप्लाई की जायेगी तहसील मुख्यालयों पर ऐसा शासनादेश है और 24 घण्टे बिजली सप्लाई की जायेगी जिला मुख्यालय पर ऐसा शासनादेश है। सरकार ने राज्यपाल महोदय को भेजा है कि हम कितनी बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा है कि 18 घण्टे 09 मिनट देहात को बिजली दी जा रही है, 21 घण्टे 34 मिनट तहसील मुख्यालय को बिजली दे रहा हूँ और जिला मुख्यालय को 24 घण्टे बिजली दे रहा हूँ। 24 घण्टे से ज्यादा होते नहीं अन्यथा और भी उसमें बढ़ा देते कि मैं इससे ज्यादा भी बिजली दे रहा हूँ। किसी और लोक में आप बिजली दे रहे होंगे। 18 घण्टे आप बिजली सप्लाई करते हैं क्या कहीं ब्रेकडाउन नहीं होता, कहीं तार नहीं टूटता और सत्यता तो यह है कि एक जगह तार टूट जाता है, एक जगह खम्भा टूट जाता है, गिर जाता है तो जब तक दो-चार-पांच हजार रुपये उपभोक्ता चन्दा लगाकर नहीं देता न तो आपका तार बदला जाता है और न ही खम्भा दूसरा लग रहा है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, जब तक ग्रामीण लोग चन्दा न लगाये, आपका ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। यही स्थिति आज की है। आप कौन-सा रोजगार देने की बात करते हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया, यह आपने किसको दिया है ? जिसमें से सवा लाख रोजगार आप पुलिस विभाग को दिये हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को रोजगार आउटसोर्सिंग से दिया है, संविदा पर दिया है या परमानेंट नौकरियों में दिया है, अगर इसका भी उल्लेख सरकार कर देती तो अच्छा होता। आज स्थिति मान्यवर, यह है कि आउटसोर्सिंग का ठेका हो रहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इनके विभाग का ठेका हुआ है, आउटसोर्सिंग का। पी0एच0डी0 किया हुआ बच्चा, एम0टेक0, बी0टेक0 किया हुआ बच्चा, डेढ़ लाख रुपये आउटसोर्सिंग के ठेकेदार को दे रहा है, तब उसको सात हजार, आठ हजार रुपये की नौकरी मिल रही है और 06 महीने नौकरी करने के बाद उसको निकाल दिया जा रहा है और दोबारा दूसरे से पैसा लेकर उसको आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है। बिजली विभाग में भी संविदा पर आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। 50 हजार रुपये से लेकर, 02 लाख रुपये तक उनसे लेकर उनको आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है, बेरोजगारी का यह आलम है कि पी0एच0डी0 वाला बच्चा, एम0टेक0 किया बच्चा, एम0बी0ए0 किया बच्चा आज 8 हजार, 9 हजार रुपये की नौकरी के लिए आज डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख रुपये घूस दे रहा है और उसको उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और मिल रही है तो दो-चार महीने के लिए और उसके बाद फिर बाहर कर दिया जा रहा है। मान्यवर, गौवंश की बात हो रही थी कि हमने करोड़ों गौवंशों को पाला-खिलाया है। मैं कल का उदाहरण दे रहा हूँ, मान्यवर, आप कल का अमेठी का अखबार

मँगा लीजिए, सरकार मँगाकर देख ले, साढ़े तीन सौ गौवंश दक्खिन गाँव जो मेरे ब्लाक में है, जूनियर हाई स्कूल के कैम्पस में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सुबह से शाम तक इकट्ठा करके रोका था, तब मैंने ए0डी0एम0 और डी0एम0 को फोन किया तो उनको वहाँ के जूनियर हाई स्कूल से निकाला गया। ऐसे छुट्टे जानवरों की, गौवंशों की आप व्यवस्था कर रहे है ? गाँव-गाँव में किसानों की फसलों को यह छुट्टे जानवार बर्बाद कर रहे हैं और आप दुनिया भर का सपना दिखाते हैं और सदन में जब क्वेश्चन लगता है, छुट्टे जानवरों पर तो आप कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी छुट्टा जानवर रोड पर नहीं घूम रहा है। हेलीकाप्टर, हवाई जहाज से चलने वाले लोगों को नहीं दिखता होगा, जमीन पर छुट्टे जानवर, लेकिन आज आपके सब लोग ईमानदारी से बताइये, भगवान राम की कसम है, आप लोगों को, ईमानदारी से बताइये कि आप के क्षेत्रों में चौराहों पर छुट्टे जानवरों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में चौराहों पर रात-दिन छुट्टा जानवर घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं ? आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य दिया। एक संजय गाँधी अस्पताल मुँशीगंज में है, आपने उसको फ्रीज करने का काम किया। जब माननीय न्यायालय ने उसको खोलने का आदेश किया, आपने उसको खोल तो दिया क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके बाद उसमें क्या हो रहा है ? आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत में हमने सारे हिन्दुस्तान के गरीबों को इलाज दे दिया है। लेकिन आज तक उस अस्पताल में आयुष्मान भारत के कार्डधारकों का इलाज नहीं हो रहा है, उसको बैन कर दिया गया है, बन्द कर दिया गया है, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, वहाँ आयुष्मान कार्ड संचालित कराया जाय, जिससे गरीबों का वहाँ इलाज हो सके। मान्यवर, मनरेगा की आप बात कर रहे हैं कि हमने मनरेगा के माध्यम से गरीब, मजदूर को रोजगार देने का काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको भगवान राम की कसम है, ईमानदारी से बताइये, 231 रुपये में मजदूरी करने के लिए कोई मजदूर मिल रहा है किसी भी गाँव में, किसी कस्बे में ? अगर मिल रहा हो तो आप भगवान राम की कसम खाकर बताइये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस दो लाइनें कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ-

यही उम्मीद थी कि सारे जहाँ के तारे जुटाकर ला दूँगा।
पर अँधेरे के सिवा कुछ भी मिल न सका।।

जय-जय सियाराम के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, राकेश जी ने स्वयं अभी स्वीकार किया, इन्होंने गाँव का नाम लिया, मैं उस गाँव का नाम भूल गया, इन्होंने बताया कि वहाँ तीन सौ साढ़े तीन सौ गौवंश छुट्टा घूम रहे थे और इन्होंने डी0एम0 को फोन किया, आप भी सोचिए, डी0एम0 को फोन

किया, डी0एम0 ने तुरन्त कार्यवाही की और उन सबको उचित स्थान पर रखवाया। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार और शासन-प्रशासन कितनी तत्परता से काम कर रहा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अब नाम लेकर कहा गया है तो मैं एक मिनट में जवाब दे दूँ। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी वह 350 जानवर आए कहाँ से जो स्कूल में ले जा करके हजारों की संख्या में ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को उसमें रखना पड़ा और हमने तो फोन कर दिया और हमारी बात को डी0एम0 ने सुन लिया कि यदि नहीं करूँगा तो वह घेराव करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सत्ता पक्ष में तो इतनी भी कूवत नहीं बची कि किसी डी0एम0, ए0डी0एम0 और एस0पी0 को फोन कर ले। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश जायसवाल-

सबसे पहले मैं माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ, अपने आराध्यजनों के चरणों में नमन करता हूँ, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता का मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं आपके समक्ष इस सदन में सदन का हिस्सा बन सका और सदन में दो बात कहने की स्थिति बन सकी। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में जितनी बातें सरकार की विकास के सम्बन्ध में थीं वह बातें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थीं। हम सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से राज्यपाल महोदया के उस अभिभाषण को सुना जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। आपका धन्यवाद बारम्बार इसलिए कि आपने सभी को अवसर बराबर तरीके से देने का काम किया। जैसे भी हो सभी को अपनी बात को कहने का एक अवसर मिले, परन्तु उस दिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ 33 प्रतिशत आरक्षण के बिल को, जो काफी वर्षों से पेन्डिंग पड़ा हुआ था उन्होंने संस्तुति करके महिलाओं के जीवन में नया उजाला और नई रोशनी लाने का एक प्रयास किया और महिला सशक्तिकरण का एक ज्वलन्त उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्थिति के अनुकूल उन्होंने प्रस्तुत किया। सदन की मर्यादाप्रिय और प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया एक वरिष्ठ महिला हैं उन्होंने प्रदेश के विकास के सन्दर्भ में सरकार की योजनाओं को फलीभूत होते और अपने विकास के उस विषय को सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया, हमारे विपक्ष के साथी लगातार उनका सम्मान तो छोड़ दीजिए, गो बैक, गो बैक के नारे लगा रहे थे। मानो गो बैक का नारा पूरे के पूरे सदन के कार्यकाल में लगाया गया जब तक उनका भाषण पूरा नहीं हो गया। उसके बाद समय मिला तो भोर तक लोगों ने ठीक से पढ़ाई की होगी और पढ़ने के बाद संशोधन प्रस्ताव पर इन्होंने अपनी-अपनी सहमति जताने का काम किया। ठीक से सम्मानित तरीके से सदन में सदस्य होने का जो स्वांग है उसकी मर्यादा यह भी है कि ठीक से हम अपने वरिष्ठों को सुनें। उनकी मर्यादाओं के अनुकूल उनको सम्मान

दें, उनको प्रतिष्ठापित करें उसके बाद जाकर अपने विषय में जहाँ कोई बात कहने-सुनने लायक हो उसको निश्चित तौर पर कहें। चन्दौली मेरा जिला है, जहाँ से मैं आता हूँ वह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र है। हमारा जिला धान का कटोरा है। विकास तेजी से उस जिले में हो रहा है। आस-पास के क्षेत्रों में सिक्स लेन, फोरलेन सड़कें तेजी से बनती चली जा रही हैं विकास के नित नये आयाम इस सरकार में स्थापित हो रहे हैं। मैं सदन की तरफ से, अपने पूरे विधान सभा की तरफ से पूरे जिले की तरफ से यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो हो गया काम अब सभी प्रेम से बोल दो जय श्री राम। इसके साथ ही भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बारे में जब बातें होती थीं और जब लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए तारीख पहले बता दी सभी को निमंत्रण दिया। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस बात से आह्लादित था भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य हैं। हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी संस्कार हैं, उनके संस्कारों को हम लोगों ने जीवन में आत्मसात किया है और इस जीवन का यथावत् रूप में जीने का प्रयास पूरे के पूरे भारत के लोग करते हैं। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर हम सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की कौन-सी रेखाएँ खींची गईं। हर मंत्री के यहाँ जब हम लोग पहुँचते हैं, काम के विषय में बात करते हैं तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों से पहले ही हमारे अनेक विपक्ष के साथी वहाँ बैठे मिलते हैं और बहुत ही सहिष्णु भाव के साथ बड़े ही विनम्रता से अपने क्षेत्र में काम ले भी जाते हैं, तमाम काम इनको दिए भी जाते हैं, परन्तु एक आदर और सम्मान का ही विषय था जिसको महसूस करने की जरूरत थी।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके साथ सभी साथियों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना-अपना समर्थन दिया, मेरा भी पूर्ण समर्थन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग चन्दौली जिले में रहते हैं, जो कभी काशी का हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन मुख्य मंत्री मायावती जी ने पता नहीं किस स्वार्थ और लालच में आकर वाराणसी से अलग करके हम लोगों को चन्दौली जिले में भेज दिया। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जायें तो लोग बोलते हैं यह कहां पड़ता है ? बिहार में पड़ता है क्या ? कोई बोलता है चन्दौसी में पड़ता है क्या ? जबकि आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस जगह से लोक सभा के मेम्बर हैं, वह क्षेत्र बनारस है, वह क्षेत्र काशी है। कभी हम भी काशी का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं काशी में आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, निश्चित तौर पर उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मायावती जी को पता नहीं कौन-सा लालच, कौन-सा लाभ लेना था। उसी कुत्सित राजनीति की वजह से चन्दौली में रहने वाले 20 लाख लोग इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार में सामान्य लोगों की चिंता होती है, 20 लाख लोग बाट जोह रहे हैं। एक माँ गंगा के आँचल में अपने जीवन को जोड़ते हुए गुजरात से काशी में आकर, लोक सभा चुनाव लड़कर पूरे देश का संचालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने

जब यह बात कही कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है तो उन 20 लाख लोगों का क्या कसूर था जिनका लोकमत हासिल किये बगैर चन्दौली बना दिया गया। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे चन्दौली के लोगों की आवाज इस सदन में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सदन के सभी सदस्यों से इस बात की अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 20 लाख लोग आपके आशीर्वाद की आँकाक्षा में यह बाट जोह रहे हैं कि उनका यह बेटा रमेश जायसवाल इस बात की माँग उठाएगा कि प्रयाग में जैसे गंगा पार, यमुना पार प्रयाग हुआ, उसी तरह से चन्दौली का नाम भी बदलकर मां गंगा के आँचल में पले-बढ़े हम लोगों को पुनः गंगा से जोड़ दिया जाये और चन्दौली चूंकि गंगा पार है इसलिए चन्दौली का नाम बदलकर वाराणसी गंगा पार कर दिया जाये। मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से चयनित होकर यहां आया हूँ, मैं जायसवाल समाज से हूँ। मेरे समाज के तमाम लोग अलग-अलग नाम से जायसवाल, तलवार, कलवार अनेक नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पूरी की पूरी आबादी इस देश के अन्दर 15 से 16 करोड़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाये तो सांस्कृतिक राजनीति वाराणसी में है हमारे कुल देवता सहस्त्रबाहु अर्जुन जी .....

(इसी मध्यम 4 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री इन्द्रजीत सरोज पीठासीन हुए)

महाराज की मूर्ति की स्थापना काशी के स्थान पर की जाये और उनके नाम से एक ट्रस्ट बनाकर, बोर्ड बनाकर उसको संरक्षित करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, ऐसी मैं समाज की तरफ से माँग करता हूँ। हमारे यहां चूंकि नगर पालिका मुगलसराय बहुत ही घना क्षेत्र है और इतनी शांति है इस सरकार के अन्दर कि जो भी बिहार और बंगाल से आने वाले लोग हैं, जो रेलवे का बहुत बड़ा हब है, वह यहां आते हैं तो यहीं रह जाते हैं, इस नाते बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है, मेन रोड हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता था, वहां एक एलिवेटेड पुल की माँग मैंने पहले भी की थी यदि उसकी पूर्ति कर दी जाये तो बाहर से जाने वाले लोग कलकत्ता और बिहार जा सकते हैं और क्षेत्र में जाम की समस्या समाप्त हो जायेगी। हमारे यहां स्थायी रूप से मण्डी के निर्माण की माँग विगत कई समय से हो रही है। मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि जो घनी आबादी क्षेत्र में वह मण्डी है, उस मण्डी को स्थानान्तरित करके स्थायी मण्डी का स्वरूप अलीनगर क्षेत्र के थाने के बगल में जो जमीन पड़ी है, उसमें स्थायी रूप से कर दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री रमेश जायसवाल-

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुगलसराय के अन्दर हमारे बहुत से कन्नौजिया समाज के, धोबी समाज के लोग रहते हैं, जिन्होंने लगातार अपने आराध्य सन्त

गाडगे जी के लिए एक स्थान पर मूर्ति लगाने की माँग लगातार की और अनेकों जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया, परन्तु वह पूर्ण नहीं हो सका।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रभात वर्मा जी।

श्री रमेश जायसवाल-

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सन्त गाडगे जी की प्रतिमा वहां लगवाकर उनको भी सम्मान दिया जाये। मैं पूरे सदन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। मा0 अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जन-आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रतीक श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। ऐसे विशिष्ट कालखण्ड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलने को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

मान्यवर, आज अयोध्या धाम में जल, बेहतरीन कनेक्टिविटी सम्पन्न हो रही है। लगभग 31,000 विकास परियोजनाएँ वहाँ गतिमान है बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेद-भाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे प्रयास हर जरूरतमन्द और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार गाँव, गरीब, किसानों की बात करती है और उनके हितों के कार्य करती है। गन्ना किसानों के हित में अच्छे काम हुए हैं। आज मेरे जनपद गोण्डा में जो भी चीनी मिलें हैं, चाहे वह बलरामपुर जनपद की मनकापुर चीनी मिल हो, चाहे बलरामपुर की बभनान चीनी मिल हो। सभी मिलों में 8 से 10 दिनों के अन्दर गन्ना किसानों का भुगतान माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर विकास हुआ है। 2017 से पहले दिया जाता है, जिससे किसान खुशहाल हैं। प्रदेश में हमारी सरकार में बहुत तेज गति से जहाँ गोण्डा जाने के लिए पतले रास्ते थे, अच्छी सड़कें नहीं प्रदेश और गोण्डा में बहुत अच्छी-अच्छी सड़कें हो गई हैं। कि0मी0 प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। 12 कि0मी0 प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण हो रहा है। आज प्रदेश में सभी जनपदों को और तहसीलों को फोर लेन, टू लेन से जोड़ दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2023 तक लगभग 30 हजार कि0मी0 मार्ग बनाया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। 'स्कूल

चलो अभियान' को व्यापक रूप से संचालित किया गया। मिशन कायाकल्प चला करके 1 लाख 32 हजार 5 सौ 94 परिषदीय विद्यालयों में 93 परसेण्ट से अधिक 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है, जिसमें हमारी विधान सभा के बभनजोत ब्लाक को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। 2017 से पहले जहाँ एक भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं था, वहाँ 4-4 राजकीय इण्टर कॉलेज बना करके, आई0टी0आई0 कॉलेज बना करके हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, आज वह बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हो रहे हैं। मेरे गोण्डा जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। सभी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर डॉक्टर उपलब्ध हैं। सभी जगहों पर सी0एच0सी0 में एक्स-रे मशीन लगी हुई हैं, हेल्थ ए0टी0एम0 लगा है, सारी जाँच फ्री हो रही है। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से गरीबों का इलाज हो रहा है। विधायक निधि व मुख्य मंत्री कोष से गरीबों की मदद की जा रही है। जो सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र के बारे में जितनी सराहना की जाये, उतनी कम है। आज गांव में 18 घण्टे बिजली मिल रही है। शहरों में 24 घण्टे मिल रही है। फीडर पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। छोटे-छोटे फीडर बना करके नये पॉवर हाऊस बने। मेरे क्षेत्र गौरा में 3-3 छोटे पॉवर हाउस, एक 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बना करके लोगों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। आज नंगे तार बदले जा रहे हैं, जिससे आगे चल करके सरकार की योजना है कि हम गाँवों में भी 24 घण्टे बिजली देने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जल जीवन मिशन की चर्चा कर ली जाये। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में हर घर नल, हर घर जल के तहत बहुत तेज गति से काम चल रहा है। सभी गाँवों में, सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लगाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार कर रही है। 2024 तक सभी गाँवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने की सरकार ने जिम्मेदारी ली है। इसके तहत् हर घर नल, हर घर जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र की भी कुछ माँगें हैं और मैं उनको रखना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में कूकनगर ग्रंट में राजकीय डिग्री कॉलेज की मैं माँग करता हूँ। एक नया थाना, गौरा बनाने की माँग करता हूँ, क्योंकि उधर नेपाल का सिद्धार्थनगर से बॉर्डर पड़ता है। एक गौरापाण्डेय से परसातिवारी, ओ0डी0आर0 मार्ग के चौड़ीकरण की माँग करता हूँ। अन्त में श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर डॉ0 नीरज बोरा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम।

श्री दुधराम-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया जी अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे

में बताना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने सदन में अपने क्षेत्र की समस्याएं उठायी थीं। हमारा विधान सभा क्षेत्र-311, महादेवा है। हमारी विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कुदराहा से मुख्यालय करीब 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। मैंने पिछली बार वहाँ पर तहसील की स्थापना के लिए बोला था, मैंने कुठौरा में तहसील के लिए बोला था। हमने विधान सभा में स्टेडियम के लिए बोला था कि खेल के लिए स्टेडियम नहीं है। हमारे बस्ती जिले में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय मिल जायेगा तो उससे जो गरीब किसान के लड़के हैं, उनको पढ़ने दूर जाना पड़ता है वह अपने जिले में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वह दूसरे जिले में किराये पर रह करके पढ़ाई करते हैं तो उनको नहीं करना पड़ेगा, वह अपने जिले में शिक्षा ग्रहण कर पायेंगे। मैंने पिछली बार कई कामों के लिए बोला था अगर वह मिल जायेगा तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, पिछली बार मैंने कुदराहा से महरौनी रोड तक सड़क की माँग की थी, वह सड़क बहुत खराब हो गयी है। वह सड़क लगभग 5 किलोमीटर है। हमने बनकटी से लालगंज, पकवा बाजार तक के लिए सड़क मांगी थी, परन्तु वह नहीं हो पाया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में बहुत गरीबी है वहाँ पर चार-चार नदियाँ हैं, बाढ़ आती है तो चारो तरफ पानी ही पानी भर जाता है। हमने यह भी मांगा था कि हर ब्लाक में एक-एक फायर स्टेशन हो जाये। वहां पर जब आग लगती है तो बस्ती मुख्यालय से फायर ब्रिगेड को जाने में दो घण्टे का समय लग जाता है, तब तक पूरा गाँव, पूरा इलाका साफ हो जाता है। हमारी विधान सभा क्षेत्र से करीब 53 किलोमीटर दूर मुख्यालय है। कठौरा में नगर पंचायत की माँग करते हैं। इन समस्याओं के बारे में मैंने पहले भी अनुरोध किया था इस बार भी अनुरोध कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

डॉ0 आर0 के0 पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 22 जनवरी, 2024 को सनातन संस्कृति के प्राण, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो गये हैं, जिसका भारत के साथ-साथ पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया है। इसके लिए हम मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी और मा0 योगी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। विश्व में धार्मिक यात्रा के लिए वेटिकन सिटी और मक्का की हज यात्रा का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। यहाँ लगभग हर साल करीब 1 करोड़ लोग जाते हैं। वहाँ के आर्थिक विकास में इन दोनों यात्राओं का बहुत महत्व है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में भव्य राम मन्दिर के निर्माण के बाद अगर काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाये जिसके लिए वाराणसी से अयोध्या तक 6 लेन एक्सप्रेस-वे की और एयर कनेक्टिविटी की और एक क्रूज के संचालन की जो कि बनारस से चले, यहां टर्मिनल बन चुका है, यहां से पूर्वांचल का दर्शन कराते हुए अयोध्या तक अगर क्रूज का संचालन हो जाय तो यह धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन होगा। यहां कम से कम 75 से 80 करोड़ लोग आयेंगे जो प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पांच विश्वविद्यालयों को ए

डबल प्लस की रेटिंग मिली है और दो विश्वविद्यालयों को ए प्लस की रेटिंग मिली है और दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ए प्लस की रेटिंग मिली है इससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार शिक्षा के लिए कितना प्रयासरत् है। बाहर जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे अब देश के साथ-साथ विदेश के भी बच्चे हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आयेंगे। हमारे प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी और जल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। हमारा प्रदेश 6 एक्सप्रेस-वे, पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बनारस तथा गाजीपुर में बने हुए मल्टी परपज टर्मिनल की वजह से इन तीनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान विकास में करने जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत लम्बी छलांग लगा रहा है। वाराणसी और अयोध्या को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है, इससे वह दिन दूर नहीं जब अपना प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा और बहुत सारी विदेशी मुद्रा बचाने का काम करेगा। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसका लाभ सभी गरीबों को मिल रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक हुए हैं और जीएसटी भरने में हमारे प्रदेश का अग्रणी योगदान रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जल संरक्षण के मामले में 15 हजार अमृत सरोवर बना करके उत्तर प्रदेश का स्थान देश में नम्बर-1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में दो करोड़ से ऊपर निजी शौचालय बना करके हमारे उत्तर प्रदेश ने देश में नम्बर-1 स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में भी अपना प्रदेश नम्बर-1 है। ई-पोर्टल के माध्यम से 8 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। प्रदेश भर में माता शबरी चौक और निषाद राज चौक का निर्माण कर प्रभु श्री राम के भक्तों और मित्रों को सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार करे तो इससे प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा। कुशल और प्रभावी नीतियों की वजह से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसमें 12 चीजों को देखा जाता है, अपने प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर बहुत बड़ा काम हुआ है, इससे गरीबी के स्तर में बहुत गिरावट आयी है। अपने देश की पहली दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत अपने प्रदेश में हुई है। इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश की जो कल्याणकारी नीतियां हैं वह हमारे प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर के साथ-साथ देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण मदद करेंगी। हमारा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक नगर भदोही से सटा हुआ है और जौनपुर की सबसे पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र है, तो हमारी विधान सभा में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय और एक राजकीय महिला पॉलीटेक्निक का निर्माण अगर हो जाय तो हमारी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। हमारे विधान सभा क्षेत्र में मड़ियाहूँ रेलवे क्रासिंग के पास ढाई-तीन घण्टे का जाम लग जाता है, अगर उस पर एक आरओबी का निर्माण हो जाय तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में जाम की समस्या समाप्त हो जायेगी, जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को गहराई से पढ़ा, उसमें बहुत विस्तृत तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं आपका कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करूंगा। महोदय, यह हमारा प्रदेश है यहां बहुत से भगवान हैं, मथुरा में कृष्ण भगवान हैं, अयोध्या में राम भगवान हैं और हमारे यहां बुद्ध भगवान हैं। बुद्ध को मानने वाले दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में हैं। पूरा एशिया उनको अपना भगवान मानता है और उनके स्थानों पर आ करके यहां दर्शन करता है और एक श्रद्धालु के रूप में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उन्हें पर्यटक के रूप में देखती है, श्रद्धालु के रूप में नहीं देखती है। आपने सभी के स्थान के उन्नयन की, बात की लेकिन बुद्ध भगवान जो कपिलवस्तु में हैं उनके लिए कोई बात नहीं की, न तो उसको अच्छा बनाने की बात की और न ही वहां के श्रद्धालुओं के आने की, उनके ठहरने की, उनके रहने की कोई ऐसी योजना वित्त बजट में नहीं दी गयी है। दूसरी बात हम माँग करेंगे की कपिलवस्तु भी उसी तरह से आगे बढ़ाया जाए जिस तरह से अन्य भगवान के जन्म स्थान को बढ़ाया जाता है, उनको काफी पैसा खर्च करके प्रोन्नत किया जा रहा है। हमारे कपिलवस्तु में विदेशी श्रद्धालु थाइलैंड से, श्री लंका से, मंगोलिया से, चाईना से, तिब्बत से, उत्तर कोरिया से आते हैं, कभी-कभी हम लोग जब वहां जाते हैं तो हमारी उनसे मुलाकात भी होती है। वह चाहे सारनाथ से आएं, चाहे कुशीनगर से आएं, यह लोग लुम्बनी आते हैं और लुम्बिनी से इनका रास्ता सोनौली होकर फरेदा जाता है, फरेंदा से नौगढ़ आते हैं, यह लोग 100 कि0मी0 दूरी से घूमकर आते हैं। अगर कपिलवस्तु और लुम्बिनी का रास्ता खोल दिया जाए तो कपिलवस्तु से लुम्बिनी 13 कि0मी0 है। अभी कोरिया का दस्ता आया था तो उनसे मेरी बात हुयी थी, वह लोग चाहते थे कि हम लोग जब आएं तो यह जो 100 कि0मी0 का रास्ता है उसमें हमारा समय भी व्यय होता है, धन भी व्यय होता है, इसको प्रदेश सरकार भारत सरकार से कहकर कपिलवस्तु व नेपाल के रास्ते को खुलवा दें। क्योंकि विदेशी यात्रियों को वहां जाने में सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का अस्थिकलश जो हमारे स्तूप से कपिलवस्तु से खुदाई में निकली है, वह कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है और उसको कोलकाता के म्यूजियम में रखने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं अभी श्रीलंका गया था तो भारत सरकार की जो शैलजा जी जो संस्कृति मंत्री थीं, वह उस कलश को लेकर श्रीलंका गयी थीं और मैंने देखा कि मीलों लम्बी लाइन उस अस्थि कलश के दर्शन के लिए लगी हुई थी। अगर यह अस्थि कलश जो भगवान बुद्ध के अवशेषों के रखने के लिए भवन बना है कपिलवस्तु में, उसमें रख दिया जाए तो हमारे जिले सिद्धार्थनगर में श्रद्धालु आएंगे बड़ी संख्या में दर्शन करेंगे और जो वहां पर खर्च करेंगे, उससे हमारे जिले का उत्थान होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ और इसमें लिखा है कि हर जिले में 70 जिलों में फ्री सीटी स्कैन और डायलिसिस की व्यवस्था की गयी है, लेकिन महोदय जिन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध कर

दिया गया है, उसमें यह व्यवस्था नहीं है, वहां पैसा देना पड़ता है। अधिकांश जिलों में जब आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, अस्पताल नहीं बनाया, जिला अस्पातालों को उसी से जोड़ दिया, इसलिए उनको यह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो सरकार से माँग करता हूँ कि जहां यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में जोड़ी गयी है। इसलिए जब तक उनका जिला अस्पताल नहीं बनता है, तब तक उनको निःशुल्क में सुविधाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, हमारी राजस्व संहिता है। राजस्व संहिता में मुकदमों के निस्तारण के लिए हर तहसील मुख्यालय पर दो एस0डी0एम0 और दो तहसीलदार, एक न्यायिक और एक प्रशासनिक की व्यवस्था थी, लेकिन आज तक इसकी नियुक्ति हर तहसील में नहीं हो पायी है। जिसके कारण धारा-34, अमल दरामद, वरासत इन सबके मुकदमे बड़ी संख्या में लम्बित पड़े हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक एस0डी0एम0 हैं, उनके जिम्मे न्यायिक काम लगा देने से वह उसको नहीं देख पाते हैं। इसलिए राजस्व संहिता में जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था सरकार को वहाँ करनी चाहिए।

मान्यवर, महामहिम ने अपने अभिभाषण में एक जिला, एक उत्पाद की बात कही है। इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मेरे जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक को एक उत्पाद माना गया है। काला नमक को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया, किसानों ने पैदा भी किया, लेकिन उसकी बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग अपने घरों में चावल बनाकर बाजारों में व्यापारियों को या जो खाने वाले लोग हैं, उन्हीं को बेच देते हैं, जिसके कारण इस उत्पाद का किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। अगर व्यवस्था न बना पाएं, तो काला नमक के धान का मूल्य ही निर्धारित कर दें, जिससे खरीद केन्द्रों पर हम लोग अपना धान बेचकर अच्छी धनराशि प्राप्त कर सकें।

मान्यवर, महामहिम के भाषण में यह दर्शाया गया है कि जी0डी0पी0 में आप दूसरे स्थान पर आ गये। भारत के जी0डी0पी0 में आपका अंश महाराष्ट्र के बाद आ गया है। महाराष्ट्र का जी0डी0पी0 लगभग 19 प्रतिशत है और आपका लगभग 9 प्रतिशत हो गया है। जब आपका जी0डी0पी0 बढ़ा, तो रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़े ? बेरोजगारी का आंकड़ा अभी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कल यहाँ जब मंत्री जी बोल रहे थे, तो बता रहे थे कि उ0प्र0 में बेरोजगारी की दर लगभग 24 प्रतिशत है। जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमारी बेरोजगारी की दर कम होनी चाहिए।

मान्यवर, आप जो आवास की बात करते हैं, ओ0डी0एफ0 की बात करते हैं, उसको जरा गम्भीरता से मा0 मंत्री जी दिखवा लें। इसी सदन में एक गाँव के 111 लोगों ने एफिडेविट लगाकर दिया था कि मेरे नाम से शौचालय का पैसा निकाल लिया गया और मुझे पैसा नहीं मिला, जिसके कारण से हम शौचालय नहीं बना सके।

मैंने सदन में प्रश्न उठाया, तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जाँच करायी और जाँच कराने के बाद रिकवरी का आदेश दिया। रिकवरी तो हुई नहीं, लेकिन जो ओ0डी0एफ0 गाँव

हैं, उन गाँव वालों के लिए मैंने सीडीओ से कहा कि आप इनको अलग से 12 हजार धनराशि दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपने कैसे पूरा जिला ओ0डी0एफ0 कर दिया ? जब एक गाँव ओ0डी0एफ0 ही नहीं है, वहाँ शौचालय ही नहीं बना, तो ओ0डी0एफ0 कहां हुआ ? इन सारे तथ्यों को सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए और इसके आधार पर पूरी छान-बीन करनी चाहिए। जिले से अधिकारी जो सूचनाएं भेजते हैं, वह बहुत सही नहीं रहती हैं। मैं मा0 मंत्रीगणों से निवेदन करूँगा कि वे लोग इस पर विचार करें और स्वयं इसकी जाँच करें कि क्या यह सही है या नहीं ?

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा समय खत्म हो गया। मैं आपको छेड़ने का मौका नहीं देना चाहता। इसलिए मैं अपनी बात इस आशय से खत्म कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा जी ने अभिभाषण पर अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। महामहिम ने जो अभिभाषण पढ़ा था, वह पूरी तरह से सत्य से परे व असत्य था। आज प्रदेश में किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर, आम आदमी परेशान है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। थाने में, जेल में हत्याएं हो रही हैं। थाने में बलात्कार हो रहा है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी हमारी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार उनकी मदद करने के बजाए अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। किसानों की आमदनी दो गुना करने की बात हो रही थी। हमारे 700 किसान शहीद हो गये, आज तक किसानों की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया गया। जो आवारा पशु और गौवंश हैं, उससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। सरकार के द्वारा गौशाला के नाम पर बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। हम गौशाला के माध्यम से गौवंश की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। गौवंश से हम किसानों के नुकसान को भी रोकने का काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से बिजली की दुर्दशा किसान, गाँव का आदमी झेल रहा है। जो रोस्टर के हिसाब से गाँव में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे, जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए, वह बिजली मिलने का काम नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। न डॉक्टर हैं, न दवाई है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मुगलसराय में एक भोगवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, बड़ा अस्पताल है, उसी के बगल में एक आरती पाल नाम की महिला रहती थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी। उसका घर वहां से मात्र 01 किमी0 दूर था। 05 बजे सुबह उनके परिवार के लोग उसको ले जाकर एडमिट कराते हैं। बगैर ऑपरेशन के उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। कोई डॉक्टर नहीं था। इतना बड़ा अस्पताल मात्र 2-3 नर्सों के सहारे चल रहा था। बच्चा पैदा हुआ और वह सुरक्षित भी था। 12:42 पर बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उस महिला को इतनी

ब्लीडिंग हुई कि अन्त में उसको अस्पताल संभाल नहीं पाया तो टालने के लिए उन्होंने उसे वहां से रेफर कर दिया और जब रेफर किया तो अस्पताल के बाहर निकलते-निकलते उसने अपना दम तोड़ दिया। सरकार सामूहिक विवाह का बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। जहां यह सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीबों को लाभ देने की बात करती है। सरकार के द्वारा अब तो ऐसी-ऐसी परम्पराएं दिखायी दे रही हैं कि जब शादियां होती थीं तो वर पक्ष और वधू पक्ष होता था, लेकिन अब वर पक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है। अकेले जो महिलाएं थीं, आपने प्रेस में वीडियो में देखा होगा कि वह अपने से माला पहनने का काम कर रही थीं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसके नाम पर करने का काम किया जा रहा है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कों की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। बड़े पैमाने पर भेद-भाव हो रहा है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में काम हो रहा है, जहां विपक्ष के विधायक हैं, वहां कोई काम करने का नाम नहीं ले रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो मुगलसराय से स्टेशन को और अन्य जिलों को भी जोड़ती है। 7 साल हो गये हैं, 7 साल से प्रस्ताव जाता है, पेन्डिंग पड़ा रहता है। आज भी मुगलसराय, भरपौली, चहनिया का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पेंडिंग है, 63 करोड़ का प्रस्ताव है। पता नहीं किस दुर्भावना के नाते सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे रही है और न उसका निर्माण करने का काम कर रही है। चन्दौली जिला बने 27 साल हो गये हैं। जब वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तब वहां जिला मुख्यालय का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक वहां पर न्यायालय का निर्माण नहीं हो पाया है। स्टेडियम बनाने के लिए 2012 की सरकार ने पैसा भी दिया था, लेकिन इस सरकार को 7 साल हो गये हैं, लेकिन आज तक उस स्टेडियम को बनाने का काम नहीं किया गया। आज भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गाँव में सड़कें बनाने का काम तो कर नहीं पा रहे हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से जो भी सड़कें, गलियां बनी थीं, सारी सड़कों, गलियों को खोदकर बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आज तक गाँव में पानी देने का काम नहीं किया गया। 'हर घर नल' के माध्यम से जल देने का काम तो नहीं किया, लेकिन गाँव के जितने भी रास्ते थे, जितने भी आवागमन के साधन थे, उनको बर्बाद करने का काम किया गया। मैं आपके माध्यम से जनपद चन्दौली की अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम आपके माध्यम से सरकार से माँग करते हैं कि जिस स्टेडियम की घोषणा हुई थी, उसका निर्माण कराये जाने का काम किया जाए। गौशालाओं में जो गौवंश रखे गये हैं, उन गौवंश की हत्याएं हो रही हैं।

मान्यवर, जो गौवंश की हत्याएं हो रही हैं उनको बन्द करने का काम करें। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था अभी तक सात साल हो गया है यह बनाने का काम नहीं कर पाये, इसका निर्माण करने का काम करें। हमारे जनपद में जहां सिंचाई की समस्या है वहीं पर जल निकासी की भी बहुत समस्या है। रायलताल लहरामनीरा बाढ़ गंगा डैम खोलपुर डैम सुरतापुर चंदाताल में खुदाई की बहुत आवश्यकता है। जल निकासी की भी बहुत समस्या है। बहुत बढ़िया आवश्यकता है। पंडित कमलापति चिकित्सालय जहां है वहां की दुर्दशा

का शिकार हो चुका है। वहां पर जो मशीनें रखी गई हैं, चेकिंग की मशीनें हैं, आज कोई ऑपरेटर सही नहीं है। वहां जनता को जो लाभ देना चाहिए वह देने का काम नही कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की बात की गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मा0 लालजी वर्मा जी ने उठाया था कि मेडिकल कॉलेजों में चाहे पी0जी0आई0 हो, चाहे लोहिया हो, चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, जहां उनके भर्ती के सवाल पर आरक्षण में पूरी तरह से लूट हो रही है। पूरे प्रदेश में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था जो मा0 नेता जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी जिससे पिछड़े दलितों को आरक्षण मिलने का काम हुआ उसको पूरी तरह से यह सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। रबौली सब-स्टेशन है हम लोगों ने माँग किया था कि रबौली सब-स्टेशन को एक सौ बत्तीस धांगापुर से जोड़ दिया जाये। जिससे बिजली की कटौती बन्द हो जाने का काम होगा, लेकिन आज तक यह करने का काम नहीं किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने जनपद की तमाम समस्याओं के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि धान का कटोरा चन्दौली है। काला धान की खेती होती है। आज तक न तो काला धान खरीदने का काम हो रहा है और न तो काला धान जो किसानों के खरीदे गये पिछले साल तक के बकाया देने का काम हुआ है। इन्हीं बातों के साथ समय हो रहा है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय समाजवादी। धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा खातून-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कई भर्तियां महीनों, सालों से लम्बित है इन भर्तियों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके जो युवा हमारे पढ़ लिखकर घूम रहे हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं हैं, इतने सालों और महीनों से जो भर्ती की प्रक्रिया लम्बित है उस पर प्राथमिकता दी जाये, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मदरसे एडेड थे उसमें आधुनिक शिक्षक पढ़ाते थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे और उनका मानदेय रोक दिया गया है। मैं मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते थे हर धर्मों के लोगों को पढ़ाते थे। जिसमें बच्चें अंग्रेजी, मैथ, साइन्स पढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका मानदेय जो रोक दिया गया है उसको दिया जाये, ताकि तमाम नौजवान रोजगार से जुड़ सकें और बच्चों को शिक्षा दे सकें। जो बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं उनके लिए पढ़ाना है इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि उन लोगों का फिर से मानदेय देकर उन लोगों को पढ़ाया जाये। हमारे क्षेत्र में तमाम नहरें हैं नहरों की पटरियां तमाम जर्जर हालात में हैं कई जगह पर कच्ची नहरें हैं। मैं चाहती हूँ कि उन पटरियों को बनाया जाये और पक्का करा दिया जाये, ताकि लोगों को आने-जाने की कोई दिक्कत न हो तमाम गाँव को वह पटरियां जोड़ती हैं। तमाम लोग आते-जाते हैं। हमारे यहां दो नगर पंचायत हैं एक भारतभारी और एक

बढ़नीचाफा जिसमें सड़कों का वह हाल है कि आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और गड्ढों में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियां जा नहीं सकती हैं तमाम पैसे आज की सरकार में जा चुके हैं, लेकिन वहां पर कोई सड़कें नहीं बनी हुई हैं। हमारे यहां के ग्राम विकास मंत्री जी सिद्धार्थनगर के प्रभारी भी हैं मैं कहना चाहती हूँ कि वह अपने अधिकारियों से जांच करा लें और हमारे यहां पर भारतभारी और बढ़नीचाफा की जो स्थिति है।

अगर थोड़ी-सी बारिश हो जाये तो जो मेन रोड है उस पर भी गाड़ी नहीं जा सकती है। उसके लिये सड़कें बनवायी जायें। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ डुमरियागंज में जो सी0एच0सी0 है वहाँ पर कोई महिला डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर महिला डाक्टर की तैनाती हो और अंग्रेजों के जमाने का जो भवन बना हुआ है वह बहुत ही जर्जर हालत में है, वहाँ पर कोई बाउण्ड्रीवॉल भी नहीं है। वह भवन बनाया जाये और उसकी बाउण्ड्रीवॉल करायी जाये। वहाँ पर रोज कम से कम 2 से 4 प्रसव होते हैं। वहाँ पर ए0एन0एम0 तैनात है। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। वह भवन बहुत ही जर्जर हालत में है। इसलिये मैं सरकार से चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वह भवन बनवाया जाये और डुमरियागंज जो बहुत पुराना कस्बा है, तहसील है, उस कस्बे के लोगों को राहत मिल सके। मान्यवर, हमारे यहाँ तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी हैं। जो पी0डब्ल्यू0डी0 की रोड है उस रोड को बनवाया जाये। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसलिये मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की व्यवस्था पहले जैसी हो जाये, ताकि हमारे यहाँ जब बाढ़ आये तो कोई दिक्कत न हो। हमारे यहाँ बाढ़ आने से तमाम सड़कें जर्जर हो जाती हैं, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अभी तक बहुत सारी सड़कें नहीं बन पायी हैं। मैं चाहती हूँ कि उन सड़कों को बनवाया जाये। यह सरकार गड्ढामुक्ति की बात करती है, लेकिन अभी तक हमारा क्षेत्र गड्ढामुक्त नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिये उसकी और अधिक व्यवस्था की जाये। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे, हमारी बहनें पढ़-लिख कर घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, उनके लिये रोजी-रोजगार की कोई व्यवस्था हो, ताकि हमारे बच्चे अपने देश में रहें और अपने देश की सेवा करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इसलिये युवाओं को रोजगार दिया जाये और हमारे क्षेत्र में अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाये। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, पूरा देश इससे भिज्ञ है, सब लोगों ने इसे देखा है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, जिसमें इस देश और प्रदेश की

10 पीढ़ियाँ लम्बी प्रतीक्षा करते-करते भगवान को प्यारी हो गयीं, लेकिन यह शुभ घड़ी और शुभ अवसर 22 जनवरी, 2024 को आया जब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और सभी सन्त समाज की देख-रेख में भगवान राम अपने दिव्य, नव्य और भव्य मन्दिर में विराजमान हुये। यह देश देखता रहा कि भगवान राम अपने ही घर में, अपने ही गाँव में 500 वर्षों तक टाट की पट्टी में विराजमान रहे, लेकिन उस अवसर का इन्तजार करते-करते 10 पीढ़ियाँ भगवान को प्यारी हो गयीं। जिस समय भगवान राम विराजमान हो रहे थे, उस समय पूरा देश राममय हुआ था, यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि गाँव-गाँव में, हर गाँव के मठ-मन्दिरों में गाँव की तरफ से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया था। हर गाँव में शोभायात्रा निकाली गयी। सायंकाल सभी लोगों ने दीप जला करके दीपोत्सव मनाया। सायंकाल एवं रात्रिकाल में भण्डारे का आयोजन किया। किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि सभी लोगों ने स्वयं अपनी प्रेरणा से यह कार्य किया। चूँकि सभी लोग यह जानते हैं कि सभी सनातनधर्मियों के आराध्य देव भगवान राम उस दिन विराजमान हुये थे, इसलिये पूरा देश भावविह्वल था, राममय था। इसलिये सभी लोगों ने स्वतः प्रेरणा से इस उत्सव में भाग लिया था। मान्यवर, अयोध्याधाम जो नाम पड़ा है और अयोध्या का जो दृश्य दिखायी दे रहा है, अच्छी-अच्छी सड़कें, हँसती हुयी सड़कें, खिलती हुयी नदियाँ, यह सभी दृश्य जो दिखायी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि उस समय जब भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे होंगे। उस समय का जो दृश्य दिखाई दिया होगा, वही दृश्य 22 जनवरी, 2024 को भी अयोध्या में दिखाई दिया। 140 करोड़ लोग ही नहीं विश्व के तमाम देशों में हिन्दू सनातन धर्म के रहने वाले लोगों ने उस उत्सव में भाग लिया। सभी लोग उसके गवाह हैं। आज अयोध्या के समुचित विकास के लिए चाहे जल क्षेत्र में हों, चाहे थल क्षेत्र में हों, नभ क्षेत्र में हों। 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं संचालित हैं। तमाम योजनाएं पूरी हो गयीं हैं। कुछ चल रही हैं। कुछ प्रस्तावित हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज मेला, माघ मेला चल रहा है। वहां भी देश-विदेश से तमाम श्रद्धालु आते हैं। अगले साल 2025 में महाकुम्भ का मेला लगने वाला है। उसकी भी तैयारी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, नरेन्द्र मोदी जी ने जो नारा दिया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह नारा केवल नारा नहीं है। अभी पूरे देश ने देखा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारण्टी वाली गाड़ी प्रदेश के और पूरे देश के उन सभी गांवों में इसीलिए मोदी जी की गारण्टी वाली गाड़ी चल रही थी कि जो मोदी जी ने वायदा किया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास। उस जन-कल्याणकारी योजना से अगर कोई वंचित है, तो उस योजना का लाभ लें। ऐसी हमारी सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश के सुशासन की बात होती है। उत्तर प्रदेश के सुशासन का इससे अच्छा और क्या प्रमाण मिलेगा कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था की बात पर उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रश्न चिह्न लगाया जाता है। मान्यवर, हमने इस

प्रदेश में तमाम मुख्य मंत्रियों को देखा है। मुझे भी देखने का अवसर मिला है। 1991 में जब मैं पहली बार सदन का सदस्य हुआ था। उस समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी।

श्री अधिष्ठाता-

5 मिनट बोलने के लिए आपके मुख्य सचेतक जी ने कहा है। 05 मिनट हो गये।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

जी ठीक है, 5 मिनट हो गये, इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं राज्यपाल महोदया के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और जिस तरीके से उस दिन राज्यपाल महोदया, अपने आसन पर आकर विराजमान हुईं। उन्होंने बोलना शुरू भी नहीं किया उससे पहले सामने के सभी सदस्यगण वेल में आकर गो बैक, गो बैक के नारे लगाने लगे। यह बिल्कुल गलत है।

श्री अजय कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जरा कोरम भी देख लें। ऐसे सदन चलाने का क्या फायदा।

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

माननीय राज्यपाल महोदया का भाषण आपको सुनना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई बात बोली उसके बाद भी तो आप उत्तर दे सकते थे। मान्यवर, सपा के लोग लगातार यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बढ़िया काम कर रही है। माननीय योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उस काम में बाधा पड़े। मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र मीरगंज, बरेली से चुनकर आता हूँ। जब 2017 में मैं विधायक बना उस समय हमारी मीरगंज विधान सभा में एक भी रोड साबुत नहीं थी। मान्यवर, आज मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, आज हमारी मीरगंज विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क टूटी नहीं रह गयी है। सब की सब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनवाने का काम किया है। हमारी मीरगंज विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं था। आज सभी योजनाओं से वहां 9 राजकीय इण्टर कालेज और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मीरगंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा सहित 8 बड़ी नदियां हैं। सहायक नदियां भी हैं। उस समय तक मात्र 4 पुल हुआ करते थे। आज आपको खुशी होगी कि मीरगंज विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें 11 पुल देने का काम किया है।

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के खादर में पहले बहुत तेजी से कैन्सर फैलता था लेकिन जब मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया तो उन्होंने हमारे गाँव का सर्वे कराया, सर्वे के दौरान 24 गाँव ऑर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित पाये गये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन सभी गांवों में एस0टी0पी0 यूनिट लगाकर कैन्सर प्रभावित क्षेत्र को खत्म करने का काम किया। मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमें एक रोडवेज बस अड्डा, 3 पशु चिकित्सालय, दो पुलिस चौकी भी देने का काम किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में इतने विकास के कार्य कराये हैं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र आज आदर्श विधान सभा क्षेत्र बन गयी है। हमारी विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में एक रबर की फैक्ट्री की जमीन खाली पड़ी हुई है, जो कि लगभग 1400 एकड़ की है और वह सरकार के पक्ष में जानी है, क्योंकि 1998 में वह रबर की फैक्ट्री बन्द हो गयी थी। मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जहां पर रबर की फैक्ट्री की जमीन है वहां पर एक एम्स की स्थापना की जाए। क्योंकि रायबरेली व गोरखपुर में है। रायबरेली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी एम्स नहीं है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि बरेली में एक एम्स की स्थापना की जाए। चूँकि वह जमीन बहुत बड़ी है, इसलिए उसी जमीन पर फिशरीज विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी फिशरीज विश्वविद्यालय नहीं है। दक्षिण भारत में बहुत सारे फिशरीज विश्वविद्यालय हैं। वैसे तो मा0 मुख्य मंत्री जी मथुरा में एक फिशरीज विश्वविद्यालय पर कार्य शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें एक फिशरीज विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कुछ छोटे-छोटे पुल रह गये हैं, एक फतेहगंज से डिबना मीरगंज को जोड़ता है उसे बनवाने की कृपा करें और एक पुल नरखेड़ा मीरगंज के बीच में भाखड़ा नदी पर पुल मिल जाये तो हमारी दोनो गांवों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में एक डी0एस0एम0 चीनी मिल है और उस चीनी मिल का 15 दिन के अन्दर हमारी सरकार भुगतान कराती है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे गन्ना किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। आज आप लोग राशन की बात करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में 12 महीने मुफ्त राशन देने का काम कर रहे है। जब 2017 से पहले आपकी सरकार थी तो हमारी विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में 7-8 महीने से ज्यादा राशन नहीं मिलता था। उस समय हम लोग नारा लगाते थे कि 'बेच दिया राशन, खा गए चीनी पी गए तेल' उस, यह, यह स0पा0 सरकार का नारा था। आज हम गारण्टी के साथ 12 महीने राशन दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठिये।

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में दो-तीन जगह करहेटा सिधौली और भिटोरा पर कार्य करा दिया जाए, इसी के साथ हम धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, जिस दिन राज्यपाल महोदय यहां पर अभिभाषण के लिए आई थीं उस दिन मैं 5 मिनट लेट होने के कारण सदन में सही समय से उपस्थित नहीं हो पाया था, क्योंकि बाहर रोडों पर अत्यधिक जाम लगा हुआ था। मैं हाथरस-मथुरा से चलकर आता हूँ, यहां पर तो मैं समय से आ गया था, लेकिन एक घण्टे जाम में फसने के कारण जब सदन में घुसा तो मैंने बड़ी हॉच-पॉच की स्थिति देखी और देखा कि यहां पर एक पक्ष के लोग राज्यपाल गो-बैक, राज्यपाल गो-बैक के नारे लगा रहे थे। मैंने अपने विधान मण्डल दल के नेता की तरफ देखा तो वह बड़ी जोर से अपनी मेज को पकड़ कर बैठे थे और सोच रहे थे कि मुझे क्यों भगाना चाहते हैं। राज्यपाल गो-बैक, राज्यपाल गो-बैक, क्योंकि उनका नाम ही राजपाल बालियान है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन किताबों के माध्यम से जो अभिभाषण दिया वह मैंने किताब के माध्यम से पढ़ा। सरकार द्वारा जिस तरह से जल जीवन मिशन की योजना चलाई जा रही है हर घर जल, हर घर नल उसके तहत जो सरकार पूरे भारत में पाइप लाइन के द्वारा हर घर में जल की व्यवस्था करने जा रही है उससे जल की व्यवस्था होने से ज्यादा गाँव के सौन्दर्यीकरण का नाश हो गया है, कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें आप वाहन की तो छोड़ो पैदल निकल जाओ जहां छोटी गलिया हैं वहां तो पैदल भी निकलना दुश्वार हो गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने काफी भारी-भरकम बजट जल-जीवन मिशन को दिया है उसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि उससे दुगुना बजट अगर आप गांवों के लिए देंगे तो गांवों का पुनः सौन्दर्यीकरण हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वैसे सदन में प्रत्येक सदस्य ने अपनी यह पीड़ा उठाई है कि गावं में जो आवारा पशु हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने इसके लिए काम नहीं किया। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर व जिले स्तर पर काफी गौशालाएं खोली गयीं। लेकिन यह अलग विषय है कि उनकी दुर्दशा हो रही है कहीं पर सही भी चल रही है। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी गौशालायें खोली हैं उससे भी ज्यादा आवारा पशु अभी आवारा ही घूम रहे हैं। जिससे आयेदिन दुर्घटना होती रहती है और आम जन-मानस इन दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। हमारा जो क्षेत्र है आगरा मण्डल और अलीगढ़ मण्डल जो आलू बाहुल्य क्षेत्र है। बहुत सारी घोषणा तो की जाती है कि आगरा में हम आलू प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगायेंगे और रिसर्च प्लाण्ट लगायेंगे। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कोई भी इस तरह की योजना नहीं दी गयी है। पूरे भारत का मेरे ख्याल से 40 प्रतिशत आलू आगरा परिक्षेत्र में होता है तो इसलिए वहां पर आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगायी जाये और कोई न कोई रिसर्च यूनिट लगायी जाये। हालांकि यह बोलते बहुत हैं करते बहुत कम हैं। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में कई ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं जो

अच्छी लागत से बने हुए हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य केन्द्र मेरी विधान सभा क्षेत्र में बनाये गये है लेकिन डाक्टरों की व्यवस्था न होने के कारण हम लोकल स्तर पर वहां पर जो बैठक होती है, तो कहते हैं वहां पर तो छोटा डॉक्टर जो नर्स होती हैं वह भेज दी जाती हैं और वह चूरन, चटनी की गोली बांटकर कार्य पूर्ण कर देती हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की सुविधा प्रदान की जाये। जो पशुपालक दूध का उत्पादन करते हैं हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे आम किसान अपना जीवन यापन करता है मैं चाहता हूँ कि उनको सब्सिडी सरकार के माध्यम से जिस तरीके से राजस्थान में दी जाती है 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तो उत्तर प्रदेश में भी सभी किसान उत्पादकों को वह सब्सिडी दी जाये और अन्त में मैं कहना चाहूंगा दोनों पक्षों से क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन तो मैं कहना चाहूंगा कि 'राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट'। अन्तकाल पछताएगा, जब प्राण जायेगा छूट।

श्री संग्राम सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जनपद बलिया के माननीय प्रभारी मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। हमारे जनपद की मा0 विधायक अभी भाषण दे रही थी जिस पर विवाद हुआ, उनके विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया था। मैंने रामराज्य नहीं देखा था, लेकिन जैसा कि हमारे सत्ता पक्ष के साथी बार-बार कह रहे हैं कि अभी राम राज्य शुरू हुआ है, तो पहले तो दूल्हा और दुल्हन की शादियाँ हुआ करती थीं, लेकिन इस राम राज्य में वहां पर सामूहिक विवाह में खाली दुल्हन खड़ी हो गई और कहा गया कि अपना माला खुद पहन लो और हमारी बेटियों ने अपना माला पहन लिया और वहां शादी हो गई। यह अनूठी शादी इस राम राज्य में हो रही है। इसके पहले की सरकारों ने गरीब, पिछड़े, दलित की बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने का प्राविधान किये थे। हमारे सनातन धर्म में बेटियों को घर की इज्जत माना जाता है और अगर बेटियाँ घर से बाहर कहीं जाती हैं तो लोग चिंता करते हैं, लेकिन आज राम राज्य में उन बेटियों को खुले मैदान में बुलाया जाता है, जबकि पहले की सरकारों ने उनके परिवार की इज्जत को देखते हुए उनके खातों में पूरा पैसा भेजने के नियम बनाये थे जिसके बाद गरीब आदमी अपनी तरफ से उसमें कुछ पैसा लगाकर अपनी बेटियों की शादी करने का काम करते थे। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की धनराशि उनके खातों में भेजकर उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करिये। हमारे यहां पर जो लूट हुई है उसकी जांच कराने का काम माननीय प्रभारी मंत्री जी शायद कर रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं इस सरकार ने उनका सब काम करा दिया, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का यह काम रह गया है इसे करा दीजिये। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने बलिया में

जननायक चन्द्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, लेकिन सात सालों से उस विश्वविद्यालय में न तो पढ़ाई हो रही है और न ही उस पर कोई खर्च किया जा रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर हमारे यहां 400 करोड़ रुपये का पुल बनाया, लेकिन इस सरकार ने उस पुल की अप्रोच और सड़क नहीं बनाई जिसके कारण बक्सर और पटना से वह जुड़ नहीं सका है। इस कारण से बलिया को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माँग करता हूँ कि इस पुल का पूरा उपयोग करने के लिए इसे फोर लेन से जोड़ने का काम किया जाये। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में इन्दरपुर ग्राम सभा है वहां 10 साल से एक अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन वह किराये के मकान में आज तक चल रहा है। यह अस्पताल आज तक हैण्डओवर नहीं हो पाया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र बिहार राज्य की सीमा को छूती है। वहां पर नरही थाना है। इस राम राज्य में नरही थाने का प्रभारी स्वयं गौ-तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, बालू का अवैध खनन कराता है और जो बालू बिहार राज्य से गरीबों के मकान बनाने के लिए आती है उस पर पुलिस का टैक्स वसूलता है। वह कहता है कि मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूँ। वह थानेदार जाने और ऊपर के लोग जानें कि किसे पैसा दिया जाता है। मैं आपसे माँग करना चाहता हूँ कि इस तरह के टैक्स न लगाकर गरीबों को सहूलियत दी जाये, ताकि वह अपना मकान बना सकें। मैं आपसे माँग करना चाहता हूँ कि मेरी फेफना विधान सभा क्षेत्र अभी ग्राम सभा है कम से कम उसे विकास खण्ड बनाने का काम किया जाये। दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई थी जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। उस घटना को याद करके रोयां-रोयां कांप जाता है। हमारी बिटिया निर्भया के साथ वह घटना हुई थी वह बिटिया हमारे विधान सभा क्षेत्र के सोहांव ब्लाक के मिड़ौरा गाँव की रहने वाली थी। हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उस बिटिया के नाम पर वहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया था, लेकिन वहां चारपाई से ही मरीज जा पाता है। उस सड़क की दुर्दशा है, अस्पताल की दुर्दशा है। केवल नर्सों के भरोसे और छोटे अस्पताल के भरोसे वह अस्पताल चल रहा है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि विशेश्वरगंज से लेकर इकौनी मेडवरा और बसरिया को जोड़ने वाली सड़क को उच्चीकरण और चौड़ीकरण कराये जाने का काम करें। बलिया विधान सभा क्षेत्र फेफना के एन0एच0-31 से सोहाव रामगढ़ के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जाये। एन0एच0-31 से रामपुर चित्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकरण कराने का काम करें। फेफना विधान सभा क्षेत्र की कोरन्टा डीह से रामगढ़ तक सम्पर्क मार्ग को चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने का काम यह सरकार करे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उजियारघाट बस अड्डा बहुत पहले चला करता था जब बिहार से पुल नहीं बना होता था, तो वहाँ लोग उजियारघाट में उतरते थे। मैंने पहले भी मा0 मंत्री जी से यह माँग की थी कि उस उजियारघाट बस अड्डे को प्रारम्भ करके

उसका नवीनीकरण कराकर उसकी अच्छी बिल्डिंग बनाकर उसको सुचारु रूप से चलाने का काम किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद।

श्री राम अचल राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्राप्त संशोधन जो मा0 श्री लालजी वर्मा जी ने रखा था उस पर बल देते हुये मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैंने 40 पेज का महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा है। जिसमें तमाम लच्छेदार बातें विकास से लेकर कानून-व्यवस्था से लेकर महंगाई से लेकर तमाम बिन्दुओं पर चर्चा हुयी है, लेकिन हकीकत धरातल पर क्या है। चाहे किसानों की समस्या ले लें, स्वास्थ्य ले लें, शिक्षा ले लें, आज हमारी बहनों की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। महंगाई ले लें, भ्रष्टाचार ले लें, बेरोजगारी ले लें। मान्यवर, आज आरक्षण भी निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग से नौकरी दिया जा रहा है। हमने विधायक निधि से ट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि के लिए जो पैसा दिया था, हम लोग जब फोन करते हैं तो एक्सियन, ए0ई0, जे0ई0 कोई गम्भीरता से नहीं लेता है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि हम लोगों का पैसा वापस कर दीजिए हम उसको सड़क या अन्य मदों में खर्च कर दें। अभी मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात रखी। मान्यवर, मैं तो गाँव में रहता हूँ और जहाँ गाँव में 18.9 घण्टा रोस्टर के हिसाब से बिजली देने की बात है मान्यवर, 10-12 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की अष्टम विधान सभा की याचिका समिति ने अपनी दिनांक 03-01-1981 के प्रतिवेदन के द्वारा भर-राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लिया था, परन्तु उक्त जाति को अभी तक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि इस जाति की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सभी क्षेत्रों में स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हमारा एक भी आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 नहीं है, एक भी डी0एम0, एस0पी0, एस0एस0पी0 नहीं है। उस समय श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भी भर, राजभर जाति का शासकीय सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व नगण्य माना गया है। मान्यवर, मैंने कई बार सत्रहवीं विधान सभा में नियम-56 और नियम-51 में प्रश्न लगाया था लेकिन सरकार की तरफ से गोल-मोल जवाब आया और फिर मैंने सत्रहवीं विधान सभा में मा0 प्रधानमंत्री जी को, मा0 गृह मंत्री जी को, मा0 केन्द्रीय मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी उसका उत्तर आया। उत्तर में यह लिखा था कि भर, राजभर जाति संगठन अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए वह आवाज उठा रहे है, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं लेकिन यहाँ जो सरकार है और यू0पी0 शोध संस्थान वाले हैं वह अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट न भेजकर अनुसचित जाति की रिपोर्ट भेजते हैं, जो भारत सरकार में जाकर खारिज हो जाता है।

मान्यवर, मा0 जनजाति मंत्री का जो पत्र आया है उन्होंने उत्तर में लिखा है कि भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए शोध संस्थान वाले रिपोर्ट भारत सरकार को भेजें, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है और गोल-मोल उत्तर आता है। जनजाति कार्य मंत्री जी द्वारा जो पत्र आया था उसी पत्र के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट (सी) संख्या-2341/2000 सी0/एम0 जागो राजभर समिति व अन्य में दिनांक 11-02-2022 के निर्णय में राज्य सरकार को भर/राजभर को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लेने हेतु सरकार को निर्देशित किया है कि 90 दिन के अन्दर भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को अभी सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। बार-बार भर/राजभर जाति के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की उठती रही है, परन्तु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी और न ही प्रस्ताव भेजा गया है। अन्त में अपनी विधान सभा क्षेत्र की एक-दो बातें रखते हुए विराम दूंगा। अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुर्की बाजार में बन्द पड़े ए0एन0एम0 सेण्टर एवं पशु चिकित्सालय को पुनः चालू कराया जाये। समाजवादी पार्टी की सरकार में मा0 मंत्री श्री राममूर्ति वर्मा जी ने बेवाना में एक ब्लॉक लाने की कोशिश की थी, ब्लॉक का शिलान्यास भी हो गया था, मैंने इस प्रकरण को पिछली बार भी उठाया था, लेकिन आज तक बेवाना में विकास खण्ड बनाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। बेवाना, खनजहा एवं सस्पना में यूपीडा द्वारा काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन सर्किल रेट के अनुसार काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि मंशापुर, कुटियवा एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण करा दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी एवं आदरणीय नेता जी को नमन करता हूँ और अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे इस सदन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज-कल महापुरुषों, राष्ट्र निर्माताओं के सम्बन्ध में सुनने को मिलता है कि इनकी मूर्तियां खण्डित की जा रही हैं। इस तरह की घटनाएं सुनकर मन बहुत व्यथित होता है। आखिर वह कौन लोग हैं जो राष्ट्र निर्माताओं से इतनी नफरत करते हैं, उनको इतनी ताकत कहां से मिलती है ? मैं सरकार से माँग करता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, ऐसा कोई नियम बने, जिससे इस तरह की घटनाएं घटित करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो, जिससे दोबारा किसी की हिम्मत न हो और वह हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न कर सकें। सबका साथ, सबका विकास करने वाली यह सरकार

आज आरक्षण में छेड़-छाड़ कर रही है। पिछड़ों का हक मारने का काम कर रही है। चाहे 69000 शिक्षक भर्ती का मामला या और इस तरीके की तमाम बातें हों। ओ0बी0सी0 के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षकों का दर्जा दिया जाए। शिक्षामित्र तमाम विद्यालयों में जहां पर स्थायी शिक्षक नहीं है।

शिक्षामित्र के ही हवाले पूरी शिक्षा की व्यवस्था है। पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे भारत के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं उनके साथ भेद-भाव क्यों ? मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे बस्ती जनपद में एक वाल्टरगंज गन्ने की मिल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2018 में वह मिल बन्द कर दी गयी थी, वहां के गन्ना किसानों का आज भी लगभग 45 करोड़ गन्ना मूल्य बाकी है। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन किसानों का जिनका बरसों से गन्ना मूल्य भुगतान बाकी है, उनका भुगतान किया जाये। उस मिल के जो कर्मचारी हैं वह भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। आपके माध्यम से उन कर्मचारियों का वेतन दिलाने का काम किया जाये। मान्यवर, हमारे यहां विकास प्राधिकरण बस्ती है, जिस विकास प्राधिकरण का चयन हुआ वह गलत तरीके से हुआ है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां बरसों से मोहल्ले आबाद हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, उसको उनकी महायोजना में ग्रीन जोन एवं रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहां के गरीब-मध्यम वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बस्ती जनपद में कांदू कसौधन जाति के लोगों को ओ0बी0सी0 की श्रेणी में जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है। सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कांदू कसौधन जाति के लोगों को ओ0बी0सी0 का प्रमाण-पत्र जारी किया जाये। मान्यवर, बस्ती जनपद में मेडिकल कालेज हैं, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज में न नेत्रों के डॉक्टर हैं, न न्यूरो के डॉक्टर हैं, न कार्डियो के डाक्टर हैं, न न्यूरो के डाक्टर हैं। पिछली बार भी मैंने मांग की थी, मैं आपके माध्मय से कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्डियो के डॉक्टरों की नियुक्ति की जाये। मान्यवर, बस्ती जनपद में मेडिकल कॉलेज रामपुर से देवरिया शिव मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाये। मान्यवर, बस्ती- मुन्डेरवा मार्ग पर राजेंद्रा हॉस्पिटल कड़रखार से दसौती से परसाजाफर तक की सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाये। मान्यवर, मुन्डेरवा-बनकटी मार्ग के गूंदी बाजार से बोदवल पिच रोड तक सड़क का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, सपा सरकार में बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ था, जो अभी तक अधूरा है, उसे पूरा कराये जाए।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती नीलिमा कटियार, मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी आप बोलिए।

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं लखीमपुर जनपद के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, जो विधान सभा क्षेत्र शारदा तथा घाघरा दो विराट नदियों की गोद में बसती है। आज के 56 साल पहले जब चाइना ने युद्ध की धमकी दी थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर शारदा और घाघरा नदियों पर 1700 मीटर के पुल बनाये गये थे। 56 साल बाद जबसे मैं मात्र पहली बार विधायक हुआ हूँ, लेकिन इसी कालखण्ड मात्र 20 महीने के अन्दर मेरी इस गरीब विधान सभा क्षेत्र में 562 करोड़ का काम करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जितना विकास कार्य मेरी विधान सभा क्षेत्र में हुआ है वह सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कराये गये हैं। बहुत दिनों तक जनता को बहकाया नहीं जा सकता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अभी-अभी मैंने देखा, विधान सभा के अन्दर जब सपा के 06 सदस्य बोले और सत्तादल के केवल दो सदस्यों को अवसर मिला, मेरा मस्तक झुक जाता है और एक ओर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने विपक्षी सदस्यों को, भाजपा की सुनामी में चुनकर आये हैं, वह हिमालय के समान मजबूत हैं, उनको अपने गौरव का भी ध्यान रखना चाहिए। प्यारे भाइयों, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बहुत गरीबी है। मैं एक सेवक की भूमिका से आया हूँ और हमारे क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है। वही विधान सभा क्षेत्र जहाँ कोई रिश्ता करना पसन्द नहीं करता था, आज हमारी विधान सभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जगमगा रही है। जब देश में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में देश की जनता घुटन महसूस करती है, तो क्रान्ति होती है और वही क्रान्ति एक आमूल परिवर्तन लाती है। यह क्रान्ति ही है।

'यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।'

हमारा देश अवतारों का देश है। त्रेता में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम ने असत्य के ऊपर सत्य की विजय पताका फहरायी तो द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण और बलराम की जोड़ी ने अन्धकार को मिटा करके प्रकाश का उद्दीयमान किया। मैं नमन् करता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को जिसने मुझे विधायक बना करके इस सदन में पहुँचाने का काम किया है। मेरी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास पर विश्वास रखती है। अधिष्ठाता जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, आगे बढ़ने और सफलता की कुंजी है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि 'टूटे स्वजन मनाइये, जो टूटे सौ बार, रहिमन फिर-फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार'। मान्यवर, मेरे धौरहरा विधान सभा क्षेत्र में कोई टाउन एरिया, नगर पंचायत नहीं है,

खमरिया पंडित तथा ईसानगर को नगर पंचायत का दर्जा दिया। मेरी विधान सभा क्षेत्र में रामवती नामक एक पावन स्थान है, जहाँ पर महात्मा तुलसी दास जी ने बैठ करके बालकाण्ड की रचना की थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने विवाद डाल रखा है, मैं चाहता हूँ कि सरकार हस्तक्षेप करके उस विवाद को खत्म कराये और उस स्थान का विकास करके पर्यटन स्थल बनाया जाय तथा हमारे धौरहरा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय को तथा पूरे सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जय हिन्द, जय भारत, जय श्रीराम।

श्री कैलाश राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर डॉ0 नीरज बोरा जी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, वर्ष 1991 में माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और उनके ही कार्यकाल में 6 दिसम्बर, 1992 को कारसेवक अयोध्या गये थे और 500 साल से विवादित ढाँचे को कारसेवकों ने गिरा दिया था। जब ढाँचा गिर गया उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री जी का फोन आया तब बाबू जी ने कहा था कि 'हम गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे' और जैसे ही विवादित ढाँचा गिरा माननीय बाबू जी ने राज्यपाल महोदय को इस्तीफा देकर अपने मुख्य मंत्री पद को छोड़ दिया। मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि जब यह विवादित ढाँचा गिरा, मामला वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। पुरातत्व विभाग की जाँच होती है और नीचे खुदाई करने पर मन्दिर के अवशेष पाये जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंदिर के पक्ष में होता है और माननीय कल्याण सिंह जी के ही जीवनकाल में जिस समय बाबू जी अस्वस्थ चल रहे थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी ने बाबू जी के जीवनकाल में ही मंदिर का शिलान्यास किया था और दो महीने के बाद मा0 बाबू जी की मृत्यु हो गई और इसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि मा0 कल्याण सिंह का जन्म भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए ही हुआ था जैसे ही मा0 मोदी जी और योगी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया वैसे बाबू जी दुनिया छोड़कर चले गये। जब बाबू जी बीमार थे तब उत्तर प्रदेश के बाबू जी यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी ने बाबू जी का बेटा बनकर उनका अच्छा इलाज कराया और जब बाबू जी की रात में मृत्यु होती है तो माल एवेन्यू में उनके निवास पर उनका शव लाया जाता है। वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे0पी0 नड्डा जी 10:00 बजे आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मुख्य मंत्री जी विधान सभा के बाहर के हॉल में भी बाबू जी के शव को लाए थे और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई इसके बाद भाजपा कार्यालय में बाबू जी के शव को लेकर योगी जी अलीगढ़ गये, अलीगढ़ से अतरौली और फिर नरौरा घाट पर लाखों लोगों के बीच में उनका अन्तिम संस्कार हुआ। निश्चित तौर से हम यह

कह सकते हैं कि 500 साल के संघर्ष का अन्त मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार में हुआ और मा0 योगी जी ने बाबू जी का बेटा बनकर उनका इलाज कराया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से माँग करूँगा और मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो भगवान राम के भव्य मंदिर का 22 जनवरी, 2024 को मोदी जी की उपस्थिति में और गवर्नर साहब और मोहन भागवत जी और अन्य धर्माचार्यों के बीच में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ निश्चित तौर से उसे पूरे विश्व ने सराहा है, पूरे देश ने दीवाली मनाई है और पूरे विश्व के देशों में भगवान राम में आस्था रखने वालों ने इस दीपावली को मनाया है। निश्चित तौर से इसके बाद बुलन्दशहर में मोदी जी की सभा होती है, वहाँ पर मोदी जी ने कहा कि कल्याण सिंह जी, जहाँ भी होंगे वहाँ से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखकर खुश हो रहे होंगे। मैं निश्चित तौर से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, करोड़ों राम भक्तों को अच्छा लगेगा कि यदि माननीय मोदी जी से बात करके मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 कल्याण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से करोड़ों हिन्दुओं को, पूरे विश्व में जो भी लोग भगवान के अनुयायी हैं, उनको खुशी होगी और यदि आवश्यकता पड़े तो सदन में भी प्रस्ताव पास करके मा0 मोदी जी के पास भेजकर माननीय कल्याण सिंह को भारत रत्न दिलाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। 5 मिनट का समय हो गया है।

श्री कैलाश राजपूत-

मान्यवर, 2-3 मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश राजपूत-

मान्यवर, एक मिनट बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मा0 मोदी जी, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय भारत की दुनिया में अर्थव्यवस्था 10 नम्बर पर थी। मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 5 नम्बर पर आ गयी है। कल मोदी जी लोक सभा में बोल रहे थे, मैं अपने कमरे में टी0वी0 पर देख रहा था। मोदी जी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल भी हमारा होगा। मोदी जी ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि 'अबकी बार 400 पार'। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 370 सांसद जीतेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सभी विपक्षी दलों का सफाया हो जायेगा, 80 की 80 सीटें मोदी जी के सम्मान में, योगी जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महोदय मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री सभाकुंवर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, निश्चित रूप से विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और समावेशी आर्थिक विकास का एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रभु श्री राम की कृपा से प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, जवान, महिला आदि सभी वर्गों के विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव की यश गाथा भी प्रतिबिंबित हो रही है। महोदय, राज्यपाल महोदया का यह अभिभाषण सामाजिक सौहार्द और समरसता का भी संदेश देने वाला है। इस अभिभाषण में दिनांक 22 जनवरी, 2024 के उस ऐतिहासिक क्षण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जबकि भारतवर्ष के 500 वर्षों के संघर्ष, अदम्य, जिजीविषा, सहिष्णुता व सहनशीलता के फलस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का बाल विग्रह श्री रामलला विराजमान के स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित हुए। महोदय, प्रत्येक भारतवासी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से गौरवान्वित व रोमांचित करने वाला था, वह पाषाण हृदय ही होगा जिसका हृदय उस अपूर्व भावपूर्ण क्षण में आनंदित व द्रवित नहीं हुआ होगा। इस सम्बन्ध में मध्यकाल के महान समाज सुधारक संत कबीर दास जी की ये पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था राम भक्ति अनियाले तीर, जेही लागे सो जाने पीर, कबीर दास जी अपने एक और पद में कहते हैं कि नैना नीझर लाइयाँ, रहट बहै निस जाम, पपीहा ज्यूँ पिव पिव करै, कबहुँ मिलोगे राम। सचमुच प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर पर प्रत्येक भारतवासी सनातनियों की आंखे प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर अश्रुओं से भर गई थीं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जीवन दर्शन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सामाजिक समरसता, पारिवारिक संगठन और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रतिरूप में सबके दिलों में अनादि काल से बसे हैं। अयोध्या के राजा राम जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजसत्ता का परित्याग करके अवध राज्य की सीमा से बाहर निकलते हैं तो उनके मित्र के रूप में निषाद राज ही मिलते हैं। राजा राम द्वारा वंचित समाज के निषाद राज को अपना पहला मित्र घोषित किया जाना सामाजिक समरसता का ही संदेश देता है। इसके अतिरिक्त वन में भगवान श्री राम के जो भी सहायक बनते हैं वे प्रायः वनवासी, आदिवासी लोग ही होते हैं, जिसके साथ श्री राम की आत्मीयता देखते ही बनती है। सर्व समाज के प्रति प्रभु श्रीराम जी की यह आत्मीयता ही भारतीय सामाजिक अहिल्या के उद्धार के साथ माता शबरी के जूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को नई ऊँचाई प्रदान करते हैं। विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार पद दलित किया गया है उसे पूरी गरिमा और गौरव के साथ पुनः

स्थापित करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री व माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार द्वारा किया गया है, जिसका रेखांकन प्रमुख रूप से राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में किया गया है। मान्यवर, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य व दिव्य मंदिर का निर्माण और प्रभु श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा आध्यात्मिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गौरव व उत्थान का प्रतीक तो है ही इसके साथ-साथ अयोध्या में आर्थिक विकास का पहिया भी बहुत तेजी से घूमा है। मंदिर निर्माण के साथ-साथ अवध क्षेत्र में हमारी भाजपा सरकार द्वारा जो आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। अयोध्या धाम विश्व स्तरीय पर्यटन के रूप में विकसित होकर प्रदेश में तीव्र आर्थिक विकास में भी सहायक हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार मंदिर निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपरान्त अवध क्षेत्र में करीब तीस हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था का सृजन हो रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से अयोध्या धाम पूरे प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक हो रहा है। मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में यह स्पष्ट किया गया है कि सुशासन प्रदेश सरकार का ध्येय है तथा प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, सबको सुरक्षा की गारण्टी अपराधिक व माफिया तत्वों के विरुद्ध कड़ी व त्वरित कार्रवाई किए जाने से ही प्रदेश में अमन-चैन कायम है तथा उत्तर प्रदेश दंगामुक्त प्रदेश बन रहा है। अमन-चैन स्थापित होने से जहां एक ओर प्रदेश का सामान्य लोक जीवन सुकून का अनुभव कर रहा है। दूसरी ओर प्रदेश में निवेश के लिए भारी संख्या में उद्योगपति आगे आए हैं।

प्रदेश में भारी पूंजी निवेश हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश के अन्तिम सीमा के बिहार बॉर्डर पर स्थित है और बिहार से तीन तरफ से घिरा हुआ है, विगत 75 वर्षों से विकास से अछूता था। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा से अनेकों विकास के कार्य पिछले दो वर्षों में हुए हैं। जैसे खनुआ नदी पर नए पुल का निर्माण तथा भाटपार रानी ब्लॉक के जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नए ब्लॉक भवन के निर्माण की स्वीकृति, क्षेत्र के सभी पुराने जर्जर विद्युत तारों के स्थान पर नए तार लगाए जाने एवं आवश्यकता अनुसार ट्रांसफार्मर क्षमतावृद्धि व नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। साथ ही सड़कों के क्षेत्र में अनेकों सड़कों का निर्माण हो रहा है, जैसे भटनी से भाटपार रानी, भिंगारी से बंगरा बाजार, बखरी से नोनार कपरदार होकर अहिरौली बघेल तक, घाटी से खैराट, भाटपार रानी से टीकमपार, टीकमपार से रतसिया तक सोहनपुर से अहिरौली बघेल जैसी अनेकों नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी कुछ काम अधूरे हैं, माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसे खनुआ नदी पर चखनी घाट का पुल, सरया घाट का पुल तथा केहूनियाँ घाट पर पुल, स्याही नदी पर, ग्वाल और भठही सेवकचक के बीच पुल तथा डरैला-अकटही-टीकमपार होकर खामपार वाली 2 लेन सड़क का निर्माण एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी भागवत भगत के नाम पर बंगरा बाजार में राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण व हल्दी आधारित उद्योग स्थापित कराना, पॉलीटेक्निक विद्यालय का निर्माण एवं भाटपार रानी अस्पताल का जीर्णोद्धार करना, बेलपार में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये। बेदी जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री सभाकुंवर-

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री बेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सतत् नमन करता हूँ, क्योंकि अगर वह न होते तो मैं इस विधान सभा में कभी नहीं आ पाता। जहाँ तक कार्य का सवाल है, माननीय योगी जी की सरकार में गरीबों के मान-सम्मान, उत्थान, सर्वांगीण विकास में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सब में सर्वांगीण विकास हो रहा है और मैं इतना बता दूँ कि अपने उत्तर प्रदेश में पाँच राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश में, एशिया में पहले स्थान पर है। मैं इसी के साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर हमारा विधान सभा क्षेत्र जखनियां, जो बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ स्टेडियम नहीं है और वह वीरों की धरती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने लोग सेना और पुलिस में भर्ती होते हैं, उतने अकेले गाजीपुर से होते हैं। वीर अब्दुल हमीद, जो देश के लिए और आजादी के लिए कुर्बान हुए थे। भारत माता के बॉर्डर पर जाकर सरहद-ए-हिन्द पर झण्डा लहराया था, वह हमारे विधान सभा क्षेत्र जखनियां, गाजीपुर से आते हैं। मैं एक स्टेडियम की माँग करता हूँ और जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। लेकिन हमारी विधान सभा क्षेत्र जखनियां में मनिहारी मोड़ से जखनिया मुख्यालय तक एक मार्ग है, जो चौड़ीकरण, उच्चीकरण के लिए प्रस्तावित है, सारे कार्य उसके पूरे हो चुके हैं, केवल धन आवंटित करना है। मैंने इसके लिए कई बार आग्रह किया, लेकिन यह कहा जाता है कि इसके बाद धन आयेगा तो धन अवमुक्त कर दिया जायेगा, धन दे दिया जायेगा। मेरा आग्रह है कि वह जखनियां मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़क है और बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। उस सड़क के लिए धन आवंटित करने की मैं माँग करता हूँ। हमारे वहाँ रेलवे स्टेशन है, जखनियां के पास जो क्रासिंग है, उस क्रासिंग पर फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है।

मान्यवर, अगर कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस जाती है, तो उसको काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से दुल्लपुर रेलवे गेट है उसमें भी जाम लग जाता है। यहाँ

भी फ्लाईओवर की माँग करता हूँ। अमारी गेट पर भी फ्लाईओवर की माँग करता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र चारों तरफ नदियों से घिरी हुई है, वहाँ पर पुल की आवश्यकता है। घटारो से उचौरा के बीच दोना नदी पर पुल की माँग करता हूँ, क्योंकि लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। रायपुर चिरैयाकोट सम्पर्क मार्ग के पास माधव टाण्डा के पास बेसो नदी पर पुल की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वह बन जाता है तो जो 12 किलोमीटर का अन्तर पड़ेगा वहाँ की जनता सीधे पहुंच जायेगी। शादियाबाद, कस्बा बहरियाबाद और जखनियां को नगर पंचायत की माँग करता हूँ। जय भीम, जय भारत।

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

मान्यवर, मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर मा0 लालजी वर्मा जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देती हूँ। मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। जनपद श्रावस्ती में हमारी विधान सभा क्षेत्र भिनगा नेपाल बार्डर की सीमा से जुड़ी हुई है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भिनगा विधान सभा क्षेत्र की जनता का नमन करते हुए, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में जो समस्याएं हैं वह बताना चाहती हूँ। मेरी भिनगा विधान सभा क्षेत्र में जाम की बहुत समस्या रहती है, जब वहाँ से मरीज को अस्पताल जाना पड़ता है तो शहर में इतनी जाम रहता है कि उनको अस्पताल पहुंचना बहुत दुर्लभ हो जाता है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि वहाँ पर बाईपास या ओवरब्रिज बनाना सुनिश्चित करें जिससे भिनगा के लोगों को आवागमन की हमारी विधान सभा क्षेत्र से घिरी हुई है। भिनगा जंगल से जानवर किसान के खेतो में जाते हैं तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि उस भिनगा जंगल के आवागमन में तार लगाने की व्यवस्था करें जिससे आये दिन दुर्घटना और किसानों का बचाव हो सके। हमारा जंगल सुहैलवा और बलरामपुर से संचालित होता है उसमें तेंदुओं का बड़ा आतंक रहता है। वहाँ पर जंगल के किनारे जो गाँव हैं वहाँ पर तेंदुये ने कई बच्चियों को अपना शिकार बनाया है। वहाँ के लोग रात को जागते रहते हैं। वहाँ पर उनके बचाव के लिए तार लगवाये जायें जिससे हमारी विधान सभा क्षेत्र में जंगल के किनारे गाँव का बचाव हो सके। जब वर्ष 2014 में बाढ़ आयी थी तो हमारे भिनगा विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्मनपुर, संघरनिया से भलूहिया और लक्ष्मनपुर बैराज तक जो सड़क कट गयी है उसकी आज तक मरम्मत नहीं हुयी है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि उस सड़क की मरम्मत करा दी जाये जिससे कई गाँवों का आवागमन बाधित न हो। मेरी विधान सभा क्षेत्र में कई नालों का बहाव है, कई गाँवों में इतनी कटान हो गयी है कि रास्ते भी कट गये हैं और किसान की खेती भी कट गयी है उसके बचाव के लिए मैं सरकार से माँग करती हूँ कि सड़क की मरम्मत करायी जाये और बचाव के लिए बार्डर फेन्सिंग करायी जाये। भिनगा विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्मनपुर बैराज से लक्ष्मनपुर संघरनिया तक राप्ती नदी पर बांध के लिए, तटबंध के लिए माँग करती हूँ। जिसमें सैकड़ों गाँव आते हैं, जब बरसात होती है, तो उसके पानी से गाँव में किसानों की फसलों का नुकसान होता है, तो मैं माँग करती हूँ कि लक्ष्मनपुर

बैराज से लक्ष्मनपुर समरहनिया नासिरगंज तक तटबन्ध बनाया जाय, जिसकी लम्बाई 20 किलोमीटर है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब उत्तराखण्ड में टनल में 40 मजदूर फंसे थे उसमें मोतीपुर के 6 मजदूर अनुसूचित जनजाति के भी थे। मैं उत्तराखण्ड सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और अन्य लोगों ने विशेष प्रयास करके उन मजदूरों को बाहर निकाला। मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से माँग करती हूँ कि मोतीपुर गाँव के अनुसूचित जाति के बच्चे बाहर जाने के लिए डरे हुए हैं उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाय। मेरी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, भगवान बुद्ध की धरती और तपोस्थली श्रावस्ती को पर्यटक स्थल के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन भिनगा विधान सभा क्षेत्र में मात्र 4 या 5 घण्टे बिजली मिलती है और कभी-कभी तो दो-दो, तीन-तीन दिन बिजली नहीं आती है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि पहाड़ी, नाला और जंगल से जुड़े भिनगा विधान सभा क्षेत्र के लिए बिजली की व्यवस्था अच्छी करायी जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और शिक्षा दर बहुत कम है, इस कमी को देखते हुए मैं सरकार से माँग करती हूँ कि वहां पर एक डिग्री कॉलेज बनवाया जाय जिससे शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सके। मैं अपने भिनगा विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि यह क्षेत्र नालों-नदियों से घिरा है, कई गांवों के कटान में हमारा लक्ष्मनपुर समरहनिया, परसरा, डगमरा जो सिरसिया विकास खण्ड में आता है और लक्ष्मनपुर समरहनिया मल्हीपुर विकास खण्ड में आता है, उसके बचाव के लिए मैं सरकार से माँग करती हूँ। हमारे भिनगा विधान सभा क्षेत्र में भिनगा तहसील से लक्ष्मनपुर बैराज तक रोड बनी है उसका चौड़ीकरण करा दिया जाय और उसकी मरम्मत करा दी जाय, क्योंकि उससे पच्चीसों गांवों का आवागमन होता है। हमारे भिनगा जंगल तिराहे से राजपुर मोड़ तक 15 किलोमीटर सड़क है उसका भी चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य करा दिया जाय। मेरी विधान सभा क्षेत्र में बहुत समस्या है, सत्ता पक्ष के लोगों की बातों को मैंने सुना आपके क्षेत्र में स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बने हैं, सड़कें बनी हुई हैं, मैं सरकार से माँग करती हूँ कि सरकार विपक्ष की ओर भी ध्यान दे, हम लोग भी जनता से चुनकर आते हैं, मैं अपने क्षेत्र की समस्या कहां रखूं, इसलिए मैं अपनी समस्याओं को सरकार के.....

(इसी मध्य सायं 06 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

सामने रख रही हूँ तो विशेष कर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर कराया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

पूर्व मुख्य मंत्री पर विवादित टिप्पणी पर श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

अभी कुछ देर पहले सदन में कुछ व्यवधान हुआ था। यह सदन गरिमामयी सदन है, एक-दूसरे का सम्मान करना हमारा स्वभाव है, हम अपनी नीतियों के अनुसार, अपनी

विचारधारा के अनुसार अपनी बात कहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सबको समझना पड़ेगा कि विधान सभा के अन्दर का जो वक्तव्य है और राजनीतिक मंचों का जो वक्तव्य होता है वह अलग है, इसलिए संयम और सन्तोष के साथ हम सब लोगों को अपना वक्तव्य देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब मा0 मंजू शिवाच जी अधिष्ठाता के रूप में इस सीट पर थीं तब कुछ व्यवधान हुआ था। जब मुझे पता चला तो मैं यहां पर आया और मेरे निवेदन पर मेरे सभी माननीय विपक्ष के सदस्यगण अपनी सीट पर चले गये। इधर माननीय सदस्य केतकी जी के विषय में जो बात थी, तो उन्होंने उस समय भी इस बात को कहा कि मैं संस्कारित परिवार से हूँ।

मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी किसी भी महापुरुष के प्रति या किसी भी नेता के प्रति नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। मैंने इस बात को बोला था कि मैं कार्यवाही भी दिखवा लूंगा और मैं बात भी करूंगा, मैंने कार्यवाही दिखवायी और मैंने केतकी जी से भी बात की और मैंने माननीय प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से भी इसके ऊपर चर्चा की है। क्योंकि विधान सभा में इस प्रकार का व्यवधान होता है या इस प्रकार के अवसर आते हैं, जो आपस में कटुता फैलाते हैं, वह उचित नहीं हैं। लेकिन हम सब परस्पर एक ही उद्देश्य से यहां पर आये हैं और वह अपने क्षेत्र के, अपने शहर के अपने प्रदेश के उत्थान के लिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि विगत 2 वर्षों के अन्तर्गत जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की विधान सभा का एक मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया है, उसके लिए इस विधान सभा के सारे 403 सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। यह बिना 403 सदस्यों के सम्भव नहीं हो सकता, मेरे यहां पर बैठने से ही केवल संदेश जाएगा इसकी मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। प्रत्येक सदस्य का इसमें योगदान होता है, मैंने देखा और मैंने बात भी की, मैं केतकी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात यहां पर कहें, उसके बाद मैं इधर से रिक्वेस्ट करूंगा।

श्रीमती केतकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेता जी के प्रति हम सभी का सम्मान रहता है, एक आदर भाव रहता है और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं इस प्रकार की टिप्पणी करूं। परन्तु मुझे भी पता नहीं चला मेरे किसी भी शब्द से किसी मा0 सदस्य को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वह खेद व्यक्त कर रही हैं, इसके लिए उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि आज श्रद्धेय नेता जी के प्रति क्योंकि जिस समय वह राजनैतिक व्यक्ति होते हैं और उसके बाद एक ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाते है, जिस ऊंचाई के ऊपर पहुंचना भारत के वरिष्ठतम सम्मान से अलंकृत होते हैं, तो उस समय वह हम सबके हो जाते हैं, तो उस नाते हम सबका आदर उनके प्रति है, आपने इस बात को कहा, जो आपके द्वारा कही गयी टिप्पणी थी, आपने उस

पर खेद व्यक्त किया, मैं उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा और इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से और हमारे ऑफिस के माध्यम से प्रमुख सचिव नोट करेंगे कि सभी मीडिया में इस बात का संदेश जाएगा कि अध्यक्ष पीठ का यह निर्देश हैं, चूकि उसको कार्यवाही से निकाल दिया गया, इसलिए कोई भी अखबार उसको नहीं छापेगा, यह मेरा निर्देश है। ताकि एक अच्छा सन्देश भी जाना चाहिए, अगर हाउस के अन्दर इस प्रकार की कोई बात है, तो वह समाज के अर्न्तगत नहीं जानी चाहिए। केतकी जी कुछ कहना चाहती हैं ?

श्रीमती केतकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैंने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया, परन्तु।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए, यह बात उस समय आई थी कि जिस समय मैंने कहा था कि अगर माननीय सदस्या केतकी सिंह जी ने यह बात कही है, तो उनको खेद व्यक्त करना पड़ेगा, तो मेरे उस आशय का और मैं उस पर निर्देश नहीं दे सकता किसी भी सदस्य को कि कैसे बोलना है, मैं एक निवेदन कर सकता हूँ और एक सुझाव दे सकता हूँ और मेरे उस सुझाव को, मेरे उस निवेदन को उन्होंने माना और उन्होंने इसके ऊपर खेद व्यक्त किया, परन्तु उनके द्वारा भी यह कहा गया है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गयी, उस शब्द को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वह भी कार्यवाही का अंग बनेगा, तो वह भी उचित नहीं था। इधर मा0 सदस्य अतुल जी आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो बताइए।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी आपका जो ओहदा है, पद है, वह बहुत गरिमा का है, हम सब लोग उसका बहुत आदर करते हैं और हम लोग अपने आपको एक तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं, जब आप अलग-अलग स्टेट की विधान सभाओं में जाते हैं, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं और लगता है कि सभी जगह जाकर आप उत्तर प्रदेश की छवि और हम सभी विधायकों की छवि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो आपने अभी बातें कही है हम सब लोग उनको सहर्ष स्वीकार करते हैं। मैं जब बाहर से आया तो सिर्फ और सिर्फ बहन केतकी का भाषण जो वह बोलती हैं, वह सुनने के लिए आया और यहां पर आकर कुछ ऐसी चीजें लगीं जिससे मन में यह भाव आया कि इसमें हमारे नेता के लिए बोला गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, आपका ओहदा और पद बहुत गरिमा का है, हम सब लोग उसका बहुत आदर करते हैं। हम लोग अपने आपको एक तरीके से गौरवान्वित महसूस करते हैं, जब आप अलग-अलग राज्यों की विधान सभाओं में जाते हैं, तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, तो लगता है कि सब जगह जाकर उत्तर प्रदेश की छवि और हम सभी विधायकों की छवि को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने अभी जो बातें कही हैं, हम सब लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। मैं जब बाहर से सदन में आया, तो सिर्फ और सिर्फ बहन

केतकी का भाषण सुनने के लिए आया था और यहाँ पर आकर कुछ ऐसी चीजें सुनीं, जिससे मन में ये भाव आया कि हमारे नेता जी के लिए बोला गया है, इसलिए हमने उस पर रिएक्ट किया। मैं समझ सकता हूँ कि जो बहन का भाव है कि हमने बद्तमीज शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने पूरी वीडियो देखी है, हमारी तरफ से इस तरह की बात नहीं आयी है, लेकिन अगर कहीं कार्यवाही में इस तरह की बात हो कि किसी ने बद्तमीज शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे भी संस्कारों में नहीं है। हम लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का आचरण नहीं करेंगे। हम लोग भी काफी दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, सामाजिक जीवन में हैं। राजनीतिक व्यक्ति चाहे कितना बड़ा ओहदा या पद पा ले, अगर वह सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है, तो उसके पद और ओहदे का कोई मायने नहीं होता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग नेता जी का जिक्र करते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पूरे हिन्दुस्तान के नेताओं का हम आदर करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र हुआ। कई लोगों को नहीं पता होगा कि वह कितनी बड़ी शख्सियत थे। उनको भारत रत्न मिला, तो हम लोग उस पल को यह सोचकर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे इतने बड़े व्यक्ति थे। मान लिया कि अभी स्व0 अटल बिहारी वाजपेई जी का नाम आता है, तब हमारे मन में श्रद्धा और भाव आता है। मान लिए, हम उनके लिए अपशब्द बोल दें और अगर वह गलती से बोला गया, तो गलती लोग हमारी ही कहेंगे, लेकिन इस सारे वाकये में जो चीजें हुई हैं, हमने सामने वाले के रिएक्शन में बोली, लेकिन ऐसी कोई बद्तमीजी वाला शब्द नहीं बोला गया है, फिर भी अगर ऐसी कोई बात कार्यवाही में नजर आती है, तो हमें खेद व्यक्त करने में कोई गुरेज नहीं है। मैं आपसे यह बात फिर कहूँगा कि अगर कभी इस तरह की गलती हमसे या हमारे से होगी। पूर्व में एक बार हो गयी थी, तो मैं खुद खड़ा होकर खेद व्यक्त किया था। मान्यवर, आपको याद होगा, आपने ही क्षमा भी किया था। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि नेता जी की शख्सियत बहुत बड़ी है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। बहन जी ने सामने से जो खेद व्यक्त किया है, यह हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अतुल जी, आपने कहा है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है, अगर किसी के द्वारा कही गयी है, तो आप उस पर भी खेद व्यक्त कर दें।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बोल दिया है, लेकिन मैं पुनः बोल दे रहा हूँ कि अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात बोली गयी, जिससे आपको आघात लगा या बुरा लगा, तो हम उसके लिए भी खेद व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। यह मीडिया में नहीं जायेगा। यह अध्यक्ष पीठ का निर्देश है, इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे सदस्य आज बोलने के लिए बैठे हैं। अभी मा0 पारस जी बैठे थे, तो उनका निवेदन है कि मैं पहले याचिकाएं और नियम-51 ले लूँ, उसके बाद जो सदस्य चर्चा करना चाहेंगे, वे चर्चा करते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि सब लोग उपस्थित रहें, तो उचित रहेगा। मैं याचिकाएं और नियम-51 ले लेता हूँ, उसके बाद जब तक कोरम रहेगा, तब तक हम चर्चा को जारी रखेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

हब हम याचिकाएं लेते हैं। उपस्थित सभी मा0 सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम नगला कुण्ड में जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के सोरांव तहसील में ग्राम सकरामऊ व ग्राम अब्दालपुर खास में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में वि0ख0 मडियांहू के ग्राम अरूआवां-पहसना सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामजी यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत देवरिया-भीखमपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के

---

† छापी नहीं गयीं।

सम्बन्ध में श्री संग्राम जीत सिंह सैंथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में स्थित सिंचाई विभाग द्वारा 15 वर्ष पूर्व निर्मित चांदपुर रजवहा की पटरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के अन्तर्गत ग्राम खोजवापुर, रेजमा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पालीवॉल कालेज चौराहा से ग्राम जसलई रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनमोल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड विसो के अन्तर्गत पारा सम्पर्क मार्ग से ग्राम अरखपुर होते हुए ग्राम सभा भिखनापुर तक सी0सी0 मार्ग (2 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार विंद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जल्लापुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराए जाने के

---

† छापी नहीं गयीं।

सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका†

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड बढ़पुर के अन्तर्गत हैवतपुर गढ़िया में हौदन की पुलिया से पप्पू के खेत तक 1500 मी0 के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निरोत्तम राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी महानगर के वार्ड-13 कोछाभांवर पैरामेडिकल के पास विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सोनावर अनुसूचित बस्ती से मंझरिया होते हुए सलारपुर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूबेदार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे अजब (मजरा कोनिया) में श्रीकान्त के घर से होते हुए पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत ग्राम दान्दुपुर से बड़ा गाँव तक जर्जर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तन्को प्रधान, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के आवास विकास परिषद् की वृन्दावन योजना के अन्तर्गत वैम्बे आवास योजना के आवास संख्या-5ई-3/116 में

---

† छापी नहीं गयीं।

अवैध कब्जा कर रही श्रीमती मुन्नी देवी से आवास खाली कराने एवं श्री सुनील द्वारा दिये जा रहे अवैध संरक्षण पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गॉव शेरपुर नगला से रामनगर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में पशु चिकित्सालय को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा अनियमित तरीके से नियुक्त एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 982 की धारा-33छ की उपधारा-(8) के प्रावधानों के विपरीत विनियमित किये गये तदर्थ शिक्षकों के अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री शशिकान्त पाण्डेय, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पेलखा में प्राइमरी स्कूल से जाने वाली सड़क बाईपास तक लगभग 700 मीटर कच्चे मार्ग पर खड़न्जा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के ग्राम परैया नमकसार में रामबरन गोसाई के दरवाजे से कछवाहन से पुरवा तक के मार्ग पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगम चन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशु'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशु'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी श्रीमती श्यामा को लोकतंत्र सेनानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रकाश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर में ग्राम छज्जा, धौलरा व अन्य ग्रामों में बरसाती नदियों द्वारा कटाव को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री फारूक व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सायर से महावीर स्थान बक्सर बिहार पीपा पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के ब्लाक गौर के चेरूईया मोड़ से समय माता मन्दिर तक मार्ग (1 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई नगर के अन्तर्गत बघौरी शिव मन्दिर से लेकर गायत्री राठौर आंगनवाड़ी केन्द्र तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र 16-मीरापुर के ग्राम अहमदवाला से देवल तक मार्ग का चौड़ीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवजीत पाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम अभैंदोपुरा से ग्राम नगला यादराम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरेलाल आर्य व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के मोठ ब्लाक के लोहागढ़ से सेरसा तक जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता पंचाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर, नन्द मुख्य रोड उधरनपुर ग्राम जमिया, गौटिया मदरसा होते हुये यादव बस्ती तक 600 मी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुर्शीद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज की विधान सभा क्षेत्र पनियरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के बी0एन0एन0 के किमी0 35 से जालपुर, दहीरपुर कांशीरामपुर कोटावाली मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम माडरमऊ अलीचक में गंगा प्रसाद यादव के घर से मोहम्मद सादिक खान के खेत तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक-बलियाखेड़ी के ग्राम बेहड़ेकी में हिंडन नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के गांव लुधपुर से नगला उग्रसेन तक 1 किमी0 मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के फरह ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओल में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बस स्टैण्ड व महिला/पुरुष प्रसाधन, प्रतीक्षा कक्ष आदि का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम फतेहगढ़ी में ललित शर्मा के घर से धर्मवीर ठाकुर के घर तक लगभग 80 मी0 मार्ग कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के सादाबाद राजवाहे की पटरी पर आगरा हाई-वे शहीद स्मारक गेट से ग्राम पंचायत वेदई तक डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी में नगवां से नन्दापार छताही होते हुये खजनी तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के

---

† छापी नहीं गयीं।

सम्बन्ध में श्री धर्मराज गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड कांधला के ग्राम भनेडा सैनिक ग्रेड गेट से कस्बा एलम तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव पंवार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम औरास व अन्य ग्रामों में बने अस्पतालों का नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोबिन्दा मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्राम सरायमोहन में स्व0 बुधिराम सरोज के घर से ग्राम सभा तम्मपुर में श्री गुल्लू सरोज के घर तक कच्चे जर्जर मार्ग पर डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुल्लू सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के अन्तर्गत विधान सभा ऊंचाहार में आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर मुस्लिम इण्टर कालेज के मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 साईम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गजरौला के ग्राम कांकाठेर में रेलवे क्रासिंग से डा0 महाबीर सिंह के घर के पास तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 महाबीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के मोहल्ला पंजाबियान में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन उरई कोच नदीगांव इण्टर स्टेट मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड संख्या-105, बाबूपुरवा के अन्तर्गत भीकम सिंह पार्क में नया ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री इकराम खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के तहसील व ब्लाक बिलारी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुहम्मद इब्राहिमपुर की मतदाता सूची को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद कासिम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के बदलापुर में बाबूगंज व रामनगर में नया विद्युत सब स्टेशन का निर्माण आर0डी0एस0एस0 योजना में शामिल कर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमर वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सदर की ग्राम सभा शाहपुरा में सुरेश यादव के मकान से मरजात पासवान के मकान तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मरजात पासवान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के ग्राम नटकुर में बिजनौर रोड पर नटकुर पुलिया से ग्राम चन्द्रावल तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवेश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम गड़ीनौ आबाद में संजय पुत्र श्री शहेन्द्र के मकान से सुरेश पाल पुत्र श्री रामसिंह के चक तक शिकारपुर भौराकलां मार्ग का चौड़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में स्थित चामुण्डा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव गोयल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रूधौली के परसा पालने मार्ग से परसा लाल शाही सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द चौधरी व अन्य निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड देवमई के ग्राम छोटी छिवली से बड़ी छिवली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, नूरपुर अमरोहा मार्ग से ग्राम पीपला जागीर में आश्रम होते हुये फतिहाबाद मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर में बस स्टैण्ड से घुसयाना मोहल्ला होते हुये पिसनारी तिराहा राजघाट सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितेश संज्ञा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम नगला गोविंदपुर से नंगा बाबा के आश्रम हिरनौटी तक काली सड़क का

---

† छापी नहीं गयीं।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फरमुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवा के कस्बा जंगबहादुरगंज में 132 किलोवाट के बिजलीघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ब्लाक तेलियानी के अन्तर्गत ग्राम भरहरा स्थित श्री सीताराम मन्दिर का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के गांव घुंघराला में क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा के ग्राम बरखेड़ा चतुर्रहा से सूखानाथ मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के मस्वासी बिजली घर के सामने से खुशालपुर के मोड़ तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोयल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के तहसील महराजगंज में हैदरगढ़-महाराजगंज मार्ग कुबना पूरे लोधन नरायनपुर पक्के मार्ग तक पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नगला धर्म में मिट्ठू फौजी के मकान से ब्रहम्देव आश्रम रेलवे क्रासिंग तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजकिशोर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के शहरी रिहायशी इलाकों से गुजरती जानलेवा कच्ची नहर (सी0टी0आई0 नहर) को जनहित में पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड बाजार शुक्ल के अन्तर्गत पाली उरेरमऊ सम्पर्क मार्ग से टैक्सी सम्पर्क मार्ग तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम गदनपुरा के रोजपुर परसु को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सैदपुर से सायफन पुलिस चौकी तक लगभग 0.2 किमी0

---

† छापी नहीं गयीं।

सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरहिया के रामसमुझ पुरवा में धरसवां सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवनाथ व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के ग्राम पिपरहवा से भदरहवा ग्राम तक सड़क एवं पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम पिल्खिन मार्ग के कहली नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अल्पना देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज मास्टर प्लान से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रस्तावित सीवरेज मास्टर प्लान, 2005 कानपुर शहर के अन्तर्गत जोन-2 स्थित वार्ड कल्याणपुर (उत्तरी), कल्याणपुर (दक्षिणी), आवास विकास, विनायकपुर, नानकारी आदि वार्डों की सीवरेज समस्या के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री लव सक्सेना व अन्य की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा अहियाई में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में स्थित डा0 भीमराव जिला चिकित्सालय को सिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशरण गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम सिंधौली में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर में भड़रिया डुमरियागंज मार्ग से बिथरियां घाट को जाने वाली सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मो0 असजद व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

हम सब लोगों को चौधरी बाबूलाल जी से इस बात को सीखना चाहिए। यह कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लोक सभा के सदस्य रहे हैं और अब विधान सभा के सदस्य हैं और पूरा समय विधान सभा में बैठते हैं तो ऐसे सदस्यों से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। अच्छी बात की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने नाम में संशोधन के लिए लिखा था, वह करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव महोदय, मा0 सदस्य ने जो नाम में संशोधन के लिए लिखा है, वह कर दीजिए और आगे से संशोधन के साथ ही आयेगा। आज ही इस बात को मेरा कार्यालय सुनिश्चित कर लेगा और आगे से संशोधित होकर ही आयेगा।

मा0 सदस्य श्री राजपाल सिंह बालियान जी सुबह अनुपस्थित थे, लेकिन उनका ले लिया जाए। आपका ले लेंगे।

---

† छापी नहीं गयीं।

याचिकाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निदेश

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव जी, जो याचिकायें आती हैं वह याचिका समिति में जाती हैं और याचिका समिति में जाने के पश्चात् ही उस पर कोई कार्यवाही होती है लेकिन नियम यह है और परम्परा यह है कि छः महीनें तक जो याचिकायें आती है वह विभाग को भेजनी चाहिए और उनको पूरा कर लेना चाहिए। जो पिछले दिनों याचिकायें प्रस्तुत हुई थीं, अगले सत्र में इस बात को देख लिया जाये कि जो छः महीने पहले तक याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं जो सम्बन्धित विभाग को भेज दी गई हैं तो छः महीने में उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट विधान सभा सचिवालय मांगेगा और विधान सभा सचिवालय देखेगा कि उसमें क्या हुआ तो फिर याचिका समिति में जाएगी तब वह उसको देखेगा लेकिन छः महीने में उसकी रिपोर्ट माँग लीजिए क्योंकि जो मा0 सदस्य यहां पर किसी भी प्रकार की याचिका लगाते हैं वह पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं ग्राहयता उसको अवश्य देख लेनी चाहिए, ग्राह्यता में है तो फिर सम्बन्धित विभाग को भेज देनी चाहिए और अगला सत्र जो छह महीने में पूरा होता हो उसके पहले उसकी सारी सूचनाएं यहां पर आनी चाहिए।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

पहली सूचना श्री लालजी वर्मा की जिला अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग कटेहरी बाजार मछली मण्डी से पिलखावां मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अतुल प्रधान की विधान सभा क्षेत्र सरधना के दौराला में शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् इटावा क्षेत्र में जलभराव के निदान के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री बेचई सरोज की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा रबनियां में जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो चुकी सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान की नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग के उप निदेशक के पदों पर प्रोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट तथा बांदा के श्रम विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा सातवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की चीनी मिले गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की विधान सभा क्षेत्र कालपी जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम मगरौल, तहसील-कालपी में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, फतेहपुर में सातमील-डलमऊ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम सभा सिकरौर रोड से सहजना भटनी मार्ग का मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद-मुरादाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नफीस अहमद की वित्त वेतन आयोग के शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थों को ढोने वाले वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने बाले संस्थान द्वारा एस0ओ0पी0 में निर्धारित मानकों को पूरा किये बिना फर्जी कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अपना नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री बम्बा लाल, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री गणेश चन्द्र चौहान, श्रीमती सैय्यदा खातून, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अमरेश कुमार, श्री आशु मलिक, श्री अनिल सिंह, श्री रवि शर्मा, हाजी नासिर करैसी, श्री राजीव कुमार सिंह (बब्बू भईया), श्री अखिलेश, श्री विजय पाल (आढ़ती), श्री योगेश वर्मा, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्री जय कुमार सिंह जैकी, श्री शफीक अहमद अंसारी, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री अनिल कुमार, श्री अशरफ अली खां, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री राम अचल राजभर, श्रीमती इन्द्राणी देवी, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री राममूर्ति वर्मा, श्री रामसिंह पटेल, डॉ0 एच0एन0 सिंह पटेल, श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मो0 ताहिर खान, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री जाहिद बेग, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री श्याम सुन्दर, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, डॉ0 अमित सिंह चौहान, श्री विकास गुप्ता, श्री लक्ष्मी राज सिंह, श्री निर्मल वर्मा, श्री राम चन्द्र यादव, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री मनीष रावत, श्री पलटू राम, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री राजीव तरारा, श्री अजय सिंह, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री मनोज कुमार पारस, श्री ओउ्मवेश, श्री पंकज गुप्ता, श्री अभय सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश जायसवाल, श्री मनीष असीजा, श्री सीताराम वर्मा, चौधरी बाबू लाल, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री मुकेश चौधरी तथा श्री जय प्रकाश अंचल।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इससे ऊपर चर्चा जारी रहेगी। जब तक कोरम होगा मेरा निवेदन है कि हम लोग अपना भाषण सुना कर चले जाते हैं दूसरे का भी सुनने का जरा आदत डालेंगे तो मुझे लगता है कि वह ठीक रहेगा। अब श्रीमती गीता शास्त्री जी बोलेंगी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया और आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था दिक्कत की स्थिति में है वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट में आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में मुख्यालय पर चौबीस घण्टे तहसील मुख्यालय पर और इक्कीस घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों पर अट्ठारह घण्टें विद्युत आपूर्ति की बात कही गई है। जबकि तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर और जर्जर स्थिति में होने के कारण तथा अधिक लोड होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। किसान भाइयों को समय से सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। जाड़े के दिनों में रात में बिजली आती है जिससे किसान अपनी फसल की सिंचाई जाड़े में रात को करने को मजबूर रहते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की स्थिति बदतर रहती है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 से एक लाख तेईस हजार तीन सौ चौबीस मजरे विद्युतीकृत किये गये हैं। जबकि यह धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, उदाहरण स्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सराय टोडरमल उर्फ दांदूपुर, विकास खण्ड बहरिया, तहसील फूलपुर के दलित बस्ती में कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है फिर भी कनेक्शन धारियों को बराबर बिल भेजे जा रहे हैं, इस मामले में मेरे द्वारा विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य परिवारों को मासिक किश्तों पर बिजली कनेक्शन देने की बात कही गयी है, जबकि ऐसा नहीं है। गाँव का उपभोक्ता जब घरेलू कनेक्शन हेतु विभाग में जाता है तो विभाग द्वारा उसे लम्बा-चौड़ा इस्टीमेट पकड़ा दिया जाता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-अहिराई, विकास खण्ड-सहसों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लगभग 02 वर्ष पूर्व विद्युत पोल गाड़कर तार खींच दिये गये हैं, परन्तु आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। कनेक्शनधारियों के बिल बराबर आ रहे हैं। इस मामले में मेरे द्वारा विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जो गरीब जनता है उसके बिल को माफ किया जाये और इस दिशा में कार्यवाही की जाये। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र-255, सोरांव है, उसके अन्तर्गत एक करनपुर-लखनपुर ग्राम सभा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है, उस नाले पर पुल नहीं बना हुआ है। उक्त नाले पर पुल बनाये जाने हेतु हमने कई बार प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन बजट न होने की वजह से अधिकारी कहते हैं कि जब तक बजट नहीं आयेगा तब तक पुल नहीं बन पायेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत होती है। नाले के उस पार उनकी खेती है जिस कारण उन्हें 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में नाले में अधिक पानी भर जाने के कारण नाले को पार करते समय सदैव खतरा बना रहता है। इसलिये जनहित में उपरोक्त स्थल पर पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान

आकर्षित करते हुये प्रयागराज के सोरांव विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लखनपुर-करनपुर में स्थित नाले पर पुलिया/पुल का निर्माण कराये जाने की माँग करती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के बहरिया विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चतुरपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुये कहना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोरांव, जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत उक्त ग्राम पंचायत में तीन राजस्व ग्राम चतुरपुर, चन्दूपुर एवं खालसा हैं तथा तीनों ग्राम पंचायतों के अन्दर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय से प्राइमरी विद्यालयों की दूरी ग्राम बीबीपुर लगभग 02 किलोमीटर, पूरे दूर्बी 02 किलोमीटर एवं दमदम जनपद प्रतापगढ़ की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। सभी विद्यालय दूर होने के कारण वर्तमान में अधिकांश छोटे-छोटे बच्चे शिक्षा से.....

(इसी मध्य सायं 07 बजे अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

वंचित रह रहे हैं तथा ग्राम पंचायत में अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। उपरोक्त ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। हम आपके माध्यम से लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की सरकार से माँग करते हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, एक मसियांव तालाब है। मसियांव तालाब की सफाई का प्रस्ताव मैंने कई बार भेजा है, लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं हो पायी है जिसके कारण विकास खण्ड मऊआइमा, तहसील सोरांव के अन्तर्गत ग्राम मऊदोस्तपुर, वृसिंहपुर उर्फ अल्लीपुर, बसदेइया, सरांय अतन उर्फ नौगीरा, दुबाही, राम नगर गंसियारी, मलखानपुर, बोड़ीपुर, बरईपुर में अवस्थित मसियांव ताल से नाला, जो मनसैता में गंगा नदी में मिलता है, में निर्मित चेकडैम में पानी अवरोधित होने के कारण फसल डूबने से बचाव नहीं हो पाता है। इसकी सफाई कराया जाना बहुत जरूरी है। उक्त नाले में चेकडैम का निर्माण वर्ष 1995 में हुआ था। उसके बाद आज तक नाले की सफाई नहीं हुयी है जिसके कारण 1000 परिवारों की 5000 एकड़ फसल जलमग्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप लगभग 1000 परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास जीवकोपार्जन करने के लिए कोई अतिरिक्त साधन नहीं है। उक्त परिवार के सदस्य रोजी-रोटी के दृष्टिकोण से पलायन कर रहे हैं।

(सदस्य का माइक बन्द हो गया)

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपनी विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सदर की समस्याओं को रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप अन्त में कम समय देंगे और समस्याएं हमारी रह जायेंगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे फतेहपुर शहर में एक ओवरब्रिज बना हुआ है, जिस पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती-जाती रहती है जिसके कारण वहां पर अत्यधिक जाम लगता है। इसके अलावा शादीपुर में एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करूँगा कि हमारे शादीपुर में ओवरब्रिज की स्थापना की जाए। हमारा जनपद फतेहपुर बहुत ही पुराना शहर है और विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां एक चीनी मिल की आवश्यकता है, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारे यहां फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना की जाए। हमारे यहां बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैं आपके माध्यम से फतेहपुर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने के लिए सरकार से निवेदन करता हूँ। हमारे यहां रामपुर थरियाँव एक जगह पड़ती है, वहां से मलॉव होते हुए चकिवा रोड पर निर्माण कार्य कराया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह बहुत ही खराब रास्ता हो गया है, जिसके कारण आवागमन में बहुत ही दिक्कत होती है, कृपया उसका भी निर्माण कराया जाए, चौड़ीकरण कराया जाए। हमारे यहां नगर पालिका भी है और शहर भी पड़ता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अर्बन स्वास्थ्य केन्द्र के तहत हमारे यहां एक झाऊपुर वार्ड पड़ता है उस पर भी अर्बन स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाए। फतेहपुर में हवाई अड्डे की जगह है और हम चाहते हैं चूँकि हमारे यहां कच्चे माल का उत्पादन होता है और उसे समय के अन्दर अन्य प्रान्तों में पहुँचाना पड़ता है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वहां पर कार्गो हवाई अड्डे की स्थापना की जाए। हमारे यहां फतेहपुर जनपद में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। हमारे क्षेत्र में बिलन्दा से मकनपुर मार्ग से उमरापुर सम्पर्क मार्ग तक चौड़ीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य कराया जाए। हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं और हैं जिनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। ग्राम टेकसारी बुजुर्ग से दंगल मैदान होते हुए शिवापर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने की मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ। हमारे यहां बहरामपुर नाका से प्राथमिक विद्यालय भोजपुर मजरे टेकसारी बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है, आपके माध्यम से मैं इसके लिए भी सरकार से निवेदन करता हूँ। हमारे यहां भिटौरा से कैड़ेपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना है, इसे भी मैं आपके माध्यम से कराना

चाहता हूँ। हमारे यहां एक बहुत ही पुराना सिद्धपीठ है, राजाशेष बाबा का मन्दिर है, जो कि भलेवा में पड़ता है। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि राजाशेष बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए अलग से विशेष व्यवस्था करायी जाए।

विशेष पैकेज दिया जाये जिससे हमारे यहां सिद्धपीठ की स्थापना हो सके। उसका सुन्दरीकरण हो सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मेन हाई-वे से महिचा मन्दिर तक समस्त रोड का चौड़ीकरण कराने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से हम सरकार से यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि उसे भी पूरा कराया जाये। अन्त में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद आपका। सब लोग 5 मिनट में खत्म करेंगे। अब आप बैठें।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आज जहां देश और पूरा प्रदेश राम मय है। उस वातावरण में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल जी महिला सशक्तीकरण की मिसाल हैं। उनका अभिभाषण तथ्यों के आधार पर एक बड़ी मिसाल है। जिससे पता चलता है कि प्रदेश किस स्पीड से और किस स्केल के साथ आगे बढ़ रहा है। हम जब पिछड़ी मलिा पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से अपनी और अपनी विधान सभा की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीवन भर जिन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए देश के करोड़ों लोगों के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतो व संविधान की मर्यादाओं के बीच रहकर जिन्होंने बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न दे रहे थे। तब हम सबका सीना गौरव से चौड़ा हो रहा था और वह दृश्य देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भी गाँव में समाज के अन्तिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो मोदी जी की गारण्टी से और योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पना से क्योंकि जहां माननीय मोदी जी की गारण्टी है वहीं योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पना है। इस संकल्पना के बीच जहां मोदी जी की गारण्टी पर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मन्दिर बन रहा है वहीं गरीब को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से गरीब का इलाज हो रहा है। किसान को सम्मान निधि मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्पना से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर कोई कम्पनी

अपना उद्योग नहीं लगाना चाहती थी। असम्भव को सम्भव करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर गुण्डा राज का सफाया, जहां सुरक्षा की गारण्टी, एक्सप्रेस-वे की रफ्तार, सड़कों का व्यापक निर्माण, गरीब के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से इलाज, अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना यही उत्तर प्रदेश का राम राज्य है और यही भारत और उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर कराना चाहता हूँ। देवरिया जो बिहार से सटा हुआ जिला है। आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि गीडा की तर्ज पर देवरिया में भी नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाये। जिससे देवरिया सहित अगल-बगल के जिलों के लोगों को, उद्यमियों को वहां पर उद्योग लगाने में सहूलियत मिल सके। वहां कुछ प्रमुख सड़के हैं जैसे खुखुन्दु, नूनखर, भटनी मार्ग, भटनी नोनापार प्यासी मार्ग, प्यासी सलेमपुर, भटनी से पिपकोल मार्ग जिसका चौड़ीकरण, उच्चीकरण होना जनहित में बहुत आवश्यक है। वहीं पौहारी महाराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जहां पर उनके नाम से एक संस्कृत महाविद्यालय चलता है। जहां पर जनपद ही नहीं हमको लगता है कि दो-चार-पांच जिलों में सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक छात्रावास की बहुत आवश्यकता है। महुआ पाटन घाट पर एक नवीन दीर्घ सेतु बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। नगर पंचायत रामपुर कारखाना और भटनी के जहां विस्तार की जरूरत है। वहीं खुखुन्दु एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धशाली बाजार है। इसे नगर पंचायत बनाया जाना जनहित में आवश्यक है ! 1991 से लगातार आन्दोलन चलता आ रहा है कि खुखुन्दु को ब्लाक बनाया जाये। कई बार उसके लिए घोषणाएं हुईं। एक बार 86 दिनों तक आन्दोलन चला। उस आन्दोलन में हम लोग भी शामिल रहे और हमारे विधायक बनने के बाद मैं तीसरी बार इस बात को कह रहा हूँ कि वह ब्लाक बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

मान्यवर, हमारे यहां वह ब्लाक बनाया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। हमारे यहां सोनू घाट मवानी मार्ग है, जिसके मध्य में पडरी चौराहे पर एक रेलवे क्रासिंग बना हुआ है। जहां प्रतिदिन दर्जनों रेलवे की गाड़ियां क्रास करती हैं और वहां घंटो जाम लगा रहता है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वहां पर एक फ्लाईओवर बनाकर क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाया जाये। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति भी आज विधान सभा में पहुंचे हैं और जिन मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर लड़ते थे। जनता ने हमें विधान सभा में भेजा है अब एक-एक करके वह समस्याएं दूर हो रही हैं, तो हमें लगता है कि जो राम राज की संकल्पना थी। जिसके सोच के तहत हम लोग राजनीति में काम कर रहे थे। वह मा0 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मा0 नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक-एक करके पूरी हो पा रही है, शेष जो बची समस्याएं हैं जिसे मैं आपको अवगत करा रहा था। मैं सदन के माध्यम से चाहूंगा कि सरकार उन समस्याओं का भी निराकरण कराये। धन्यवाद।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 नीरज बोरा जी के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश में आज भयमुक्त वातावरण बना है और जिसके लिए योगी जी की सरकार द्वारा कानून प्रशासन को मजबूत कर आम जन-मानस में विश्वास हासिल किया है। पहले की सरकारों में गुण्डा, माफिया, भू-माफिया तमाम तरह के लोगों को संरक्षण मिलता था। जिसके उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाये तो पहले की सरकारों के मुखिया बोलते थे कि लड़कों को माफ कर दिया जाये। आज की योगी जी की सरकार मानती है कि ऐसे लोग जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। मैं वास्तव में योगी जी के राज को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आपने वास्तव में गुण्डा राज व अराजकता से जो धनराशि इकट्ठा की थी तो आज वह आप नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं के अन्दर वह जागृति आयी हैं कि शासन-प्रशासन हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी बात सुन सकता है वह थाने में जाती है तहसीलों में जाती हैं अधिकारियों के पास जाती हैं, तो उन्हें विश्वास जगा है। आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में 500 वर्षों से चली आ रही राम जन्मभूमि की लड़ाई का अन्त होकर योगी सरकार व मोदी सरकार ने 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न होकर भारत का हर नागिरक गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र में भक्त प्रहलाद की नगरी में जो हर साल मेला का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाता है। भक्त प्रहलाद की नगरी हजारों वर्ष पुरानी है, बल्कि यहां के लोकल कलाकारों को भी महत्व दिया जाता है। योगी सरकार द्वारा किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए तमाम ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि नहरों का पानी खेत तक पहुंचे और उन्हें कैसे बिजली लगातार मिले किसानों के लिए अलग से फीडर बना दिये गये हैं। बुन्देलखण्ड में हम कह सकते हैं कि वास्तव में निजी ट्यूबवेल के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है, किसानों के खेत में पानी पहुंच रहा है। सरकारी ट्यूबवेल के लिए भी अलग से प्रोग्राम बनाया गया है। किसानों की सिंचाई के संसाधन पर्याप्त रूप में किये जा रहे हैं। किसानों की फसल का नुकसान जो ओलावृष्टि से होता है या देवीय आपदा के कारण नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए परीक्षण कराकर तत्काल मुआवजा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्षतिपूर्ति के लिए लगातार पहले प्रीमियम कितना लिया जाता था, लेकिन आज केवल रबी फसल में 1.5 प्रतिशत और खरीफ की फसल में 2 प्रतिशत लिया जाता है। अगर किसान का नुकसान होता है, तो भरपाई के लिए भी पूरा इंतजाम है। किसानों के लिए लगातार उनकी उपज का मूल्य कैसे सही हो तो हम कह सकते है कि जबसे योगी सरकार आयी है चना, मसूर के पहले क्रय केन्द्र नहीं लगते थे, योगी सरकार पहली सरकार है चना, मसूर के क्रय केन्द्र लगाकर किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है।

चना, मसूर, राई के क्रय केन्द्र लगाकर किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है, वहीं हम कहते हैं कि आज मूंगफली और उड़द के हर जगह क्रय केन्द्र लग रहे हैं और किसानों से खरीद हो रही है, जिससे किसानों को मूंगफली का वाजिब मूल्य मिल रहा है। पहले किसानों का दूध जो दूधिया लेते थे वह 30 रुपये और 40 रुपये लेते थे, लेकिन आज बुन्देलखण्ड में जो बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी काम कर रही है, उसके द्वारा किसानों से 60 और 70 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है इसमें हमारी जो महिला समूह की महिलाएं हैं उनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। वास्तव में उपज का मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हम लोग जो कीटनाशक दवाओं और उर्वरक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं उससे जनमानस विषाक्त भोजन खा रहा है। हमारी योगी सरकार ने लगातार प्राकृतिक खेती पर बल दिया है और एक गाय से 10 एकड़ की खेती हो सकती है। हमारी योगी सरकार बुन्देलखण्ड को खेती का हब बनाना चाहती है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनकी जो लागत कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों में जा रही है उसमें भी बचत होगी। इससे किसानों की उपज भी बढ़ेगी। अभी लोग धान के मूल्य की बात करके लाभ पर सवाल उठा रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ कि मण्डी में प्रतिदिन 400-500 ट्राली धान आ रहा है और 4000 से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। एक एकड़ में 10 से 12 क्विंटल की उपज हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप बैठिये। मैं अगले मा0 सदस्य को बुला रहा हूँ।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र की थोड़ी सी बात कह लेने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने विधान सभा क्षेत्र की कहां कह रहे हैं ?

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी रुकी हुई एरच बांध परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये, बामौर ब्लाक की कड़ेनी, बामौर, गड़वई, ककरवई से गरौटा की ओर एवं देवरी से धनौरा होते हुए ककरवई तक जर्जर व खराब सड़क की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाये और गड्ढामुक्त किया जाये। बामौर ब्लाक की बेतवा नदी पर डिकौली लिफ्ट कैनाल तक का निर्माण, निया माइनर व गड़वर रजवाहा में डाला जाये। धसान नदी पर सोनकपुरा में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कर रानीपुर मुख्य नहर में पानी डाला जाये। जनपद झाँसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के कच्चे माल को बाहर न बेंचकर उत्पादों का उत्पादन

स्थानीय स्तर पर कराया जाये। जनपद झाँसी के महानगर में बिचौर आदि क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण को रोका जाये। झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 2031 के ड्राफ्ट का अनुमोदन किया जाये। मोंठ के के0सी0पी0 इण्टर कालेज की आराजी संख्या-390 ख व 418 ख मौजा बमरौली, आराजी संख्या 1040 मौजा मोंठ में लगभग 32 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिये। मा0 अनिल सिंह जी आप बोलिये।

श्री अनिल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ 'श्रीराम जानकी रहते हैं मेरे सीने में'। आज लोग राम पर सवाल उठा रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं कहना है तो मौन रहिये। वोट की राजनीति अच्छी बात है, लेकिन इनको अपने उन भाइयों से कुछ सीखना चाहिये जिनके वोटों के लिए यह परेशान हैं। मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा मैं जब उस देश में घूमने गया था तो उसके होटल में भी कुरान रखी थी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमको जिस तरीके से जातिवाद में बांट दिया गया है। मुझे लगता है कि अपने आराध्य के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो विरोध भी नहीं करना चाहिये। मैं साथियों से कहूँगा कि अगर भूल किये हैं तो ग्यारह तारीख को वह भूल खत्म करें और चौहान जी से कहिये कि रामजी के बढ़िया दर्शन कराइये। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी योजनाओं का नाम न लेकर केवल एक योजना का नाम लूंगा। वह है स्वास्थ्य कार्ड। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी जब बीमार होता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि कैसे किस तरीके से इलाज हो जाये। आज इतना बड़ा प्रदेश जिसमें इतने करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है

आप किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। हमारे वर्मा जी और रावत जी ने बताया कि वह गये तो वहाँ कुत्ता घूमते मिले। हमें लगता है कि वह सही जगह पर नहीं गये अगर वह सही जगह गये होते तो इलाज सही जगह पर चल रहा है। दूसरा, आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है। महापुरुष समाज के लिए होता है। जैसाकि मेरे सबसे प्रिय और दिल के करीब मा0 नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सम्मान दिया है, आज देखिये श्री कर्पूरी ठाकुर जी को कितने वर्ष हो गये इन लोगों की सरकारें रही हैं किसी ने सुध नहीं लिया। आज बाबा साहब का डंका देश ही नहीं विदेश में भी बजता है। भीम ऐप भी चलाया गया है। मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी महापुरुष हैं उनके सम्मान में हमारी सरकार लगातार खड़ी है। मा0 योगी जी, मा0 मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं लोग कभी-कभी कहते हैं कि राशन क्या है यह तो भीख है, अरे यही भीख वहाँ के दलाल लोग बेच लिया करते थे। राशन खा जाते थे। हमने तो अपने

यहाँ कई राशन माफियाओं को जेल भिजवाया। हमने कहा कि अब तुम जेल की चक्की पीसो। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग रोम-रोम में राम बसाकर चलें और कोई मोटर साइकिल या कार से भिड़ता है तो नाम लेता है कि प्रभु बच गये बड़ी कृपा है। यह नहीं कि अपने पिताजी का नाम लेता है कि बच गये बहुत बढ़िया है। तो प्रभु का नाम लेना और स्वीकार करना, मुझे लगता है कि इसमें लोगों को मनन और चिंतन करना चाहिए। 500 वर्षों में हमारे मन्दिरों को तोड़-तोड़कर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो भई, अब हमारा भी समय आयेगा तो हम भी अपने सब मन्दिर लेंगे और लेंगे ही लेंगे इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकर ही रहेंगे।। हमारी विधान सभा क्षेत्र में इतना आतंक था कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना चलाते थे। जितनी जमीनें खाली थीं सब कब्जा कर लिये। 45 साल से हमारे यहाँ विधायक समाजवादी पार्टी का था। अबकी हम लोगों ने कहा कि महोदय अब आप आराम करो, बूढ़े हो गये हो अब लड़कों को काम करने दो। हम सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि दो-दो एक्सप्रेस-वे, एक गंगा एक्सप्रेस वे और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे निकल रहा है। इधर डिफेंस कारिडोर भी बन रहा है तो मेरी तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृति की है तो यह जल्दी काम हो जाये। मुझे लगता है कि और कुछ डिमाण्ड नहीं है नहरों में पानी आ रहा है और जब तक आदमी रहेगा तब तक समस्या रहेगी। हम लोग विधायक बने हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिये माँग करते रहेंगे। लेकिन जो इतिहास रचा गया है। आज हम लोग जो अपने कानों से, अपनी आँखों से जिस तरह से घण्टा की ध्वनि सुने हैं, शंखनाद सुने हैं, जीवन तो धन्य हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय-जय श्री राम।

श्री भूपेश चौबे-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी, के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देते हुये अपने जीवन के साथ जुड़ी हुयी बात को जोड़ना चाहता हूँ। प्रभू श्री राम की चर्चा होना स्वाभाविक है। सदियों से चर्चा हो रही है। 1989-90 की बात है उस समय की परिस्थिति की कल्पना करें तो ध्यान आना स्वाभाविक है कि उस समय के शासक कौन थे। यदि श्री राम जी का शिलापूजन हुआ तो उनका भी स्मरण होगा उनकी भी चर्चा होगी। कोई सम्मान में रथ लेकर निकला तो उसकी भी चर्चा होगी तो जिसने गोली चलायी उसकी भी चर्चा होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। वह इतिहास के पन्नों में है। जिस प्रकार से बाबर ने मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाया, गोली चलायी उसकी भी चर्चा होगी ही होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता।

मान्यवर, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ कि 'रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय पर वचन न जाई'। इस बात को देश के मा0 प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ किया है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस बात का विश्वास दिलाया है

कि केवल राम मन्दिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से ही नहीं बल्कि गरीबों के कल्याण, सबका साथ, सबका विश्वास की अवधारणा को स्थापित किया है। आज इस सत्य से आम नागरिक जुड़ रहा है कि यह गारण्टी है, मा0 मोदी जी जो बात कहते हैं वह गारण्टी मानी जाती है और योगी जी कहते हैं तो यकीन के साथ कहा जाता है और भूपेश को जनता एवं भारतीय जनता पार्टी ने इस सदन का सदस्य होने का गौरव दिया है तो जनता का भरोसा है। इसलिए इस भरोसे को कायम रखने के लिए इस सदन के माध्यम से नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने पिछली बार सदन में राबर्ट्सगंज के ओवरब्रिज पर लाइट लगाने की माँग की थी वह माँग पूरी हो गयी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में इन्वेस्टर्स समिट के तहत एम0ओ0यू0 साइन हुए थे उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल रहा है। मैं कहूँ तो आने का आना और दाने का दाना लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूँ। जहां क्षेत्र की जनता ने भूपेश पर भरोसा जताया है उस भरोसे को कायम रखने के लिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तक क्षेत्र की जो तमाम समस्याएं पड़ी हुई थीं, उन तमाम समस्याओं का समाधान हो रहा है। हम लोग कोई नाम लेते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन कुछ नाम लेते हैं तो गर्व होता है। सोनभद्र जनपद के मुख्यालय का नाम राबर्ट्सगंज अंग्रेजों द्वारा रखा गया था।

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसका नाम बदलकर सोनभद्रनगर रखा जाए और राबर्ट्सगंज नगर के अन्दर एक रेलवे लाइन है, जो चन्दौली एवं बिहार को जोड़ती है। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक ओवरब्रिज बनाया जाए। मैं इस प्रकार की व्यवस्था चाहता हूँ कि वह निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाए। सिंचाई के क्षेत्र में नलकूप बनाये जा रहे हैं, बरसात का पानी रोका जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नागवा एवं कोन क्षेत्र में बरसात के पानी को बड़े पैमाने पर रोककर सिंचाई हेतु प्रबन्ध किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तेलगुड़वा से लेकर झारखण्ड बॉर्डर तक एवं खरौधी तक सम्पर्क मार्ग है वह काफी क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण किया जाए। कोन से लेकर बिन्डनगंज की सड़क का नवीनीकरण किया जाए। ग्राम गिधिया में अजनिया से किरवा तक रोड निर्माण कराया जाए। साथ-ही-साथ मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय पवनीकलां नगवां में पी0जी0 कॉलेज को प्रारम्भ कराया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में मुसहर एवं वनटांगिया जाति के लोगों को आवास दिया जा रहा है उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में धांगर एवं भुईयां जाति के लोग हैं जो ज्यादा गरीब हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको मुख्य मंत्री आवास के तहत आवास दिया जाए। इसी निवेदन के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने को धन्यवाद प्रस्ताव से सम्बद्ध करते हुए एक बार जय-जय श्रीराम। सियावर रामचन्द्र की जय।

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 2024-25 का जो बजट सत्र आया है वह उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान एवं बेरोजगार लोगों को खोखला दिखाई दे रहा है। इस बजट में किसानों के हित के लिए एवं नौजवानों के हित के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और महोदय, मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी। किसानों को खुश करके और तोहफा देने का काम किया गया था। उस सरकार में जो नहरों का लगान था उसे माफ करके किसानों का हौसला बुलन्द करने का काम किया गया था। मैं इस सदन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करता हूँ। छात्रों को लैपटॉप देकर, छात्राओं को 25-25 हजार रुपया देकर उनका हौसला बुलन्द करने का काम किया था। इसी कड़ी में मैं बिजली मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में पूरे उत्तर प्रदेश में 12-12, 15-15 साल पुराने ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ध्वस्त होते जा रहे हैं। उनको आप कब बदलने का काम करेंगे ? मैं लालगंज विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ से आता हूँ पुराने ट्रांसफार्मर बुरी तरह से आयेदिन जल रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी वे कल भी बोल रहे थे कि गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी लालगंज विधान सभा क्षेत्र, आजमगढ़ में जहां पर बिजली पहुंची नहीं, कनेक्शन पहुंचा नहीं वहां पर 20-20, 50-50 हजार रुपये बिजली का बिल आया है। मैं निवेदन करूंगा वहां पर दिखवाकर गरीबों का भला करने का काम करें।

मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से दो-दो तीन-तीन बार निवेदन किया था कि हमारे यहां बरदा सी0एच0सी0 केन्द्र है, ठेकमा सी0एच0सी0 केन्द्र है, लालगंज सी0एच0सी0 केंद्र है वहां पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि न डॉक्टर हैं, न दवा है और न स्ट्रेचर है, टूटी-फूटी व्यवस्थाएं हैं। वहां भी दिखवाने का काम करें। मान्यवर, क्रय केन्द्रों पर जहां गेहूं-धान देने का काम करते हैं, मेरी विधान सभा क्षेत्र लालगंज में तीन जगह ऐसे गोदाम हैं जहां किसान अगर धान-गेहूँ देता है और थोड़ी भी बूंदी पड़ जाती है तो अगर उनके ऊपर अधिकारी झिल्ली का प्रयोग न करें तो वह अनाज भीग जाता है। वह भीराबाजार और नसीरपुर गोदाम है जहां आज तक कोई देखने नहीं गया है। मान्यवर, मैंने कई बार कहा कि हमारे यहां बनारस से लेकर आजमगढ़ मार्ग है वहां पर डिग्री कॉलेज है, लालगंज विधान सभा क्षेत्र के नाम जाता है, लालगंज लोक सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लालगंज तहसील है, लालगंज टाउन एरिया है, उसके सम्बन्ध में कई बार आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को लिखकर देने का काम किया है कि वहां ओवरब्रिज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 100 बेड का अस्पताल बनाकर हमारे लालगंज की जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उसी के बगल में डिग्री कॉलेज, सी0एच0सी0, ओवरब्रिज आदि के सम्बन्ध में कई बार लिखकर माँग कर चुका हूँ। आये दिन

वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 के मंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया था कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में काफी सड़कें खराब हैं, हमारे विधान सभा में एख्तबादपुर में सुभाष यादव जी के घर से होते हुए एक पुलिया मार्ग जाता है उससे काफी गाँव जुड़ते हैं, लेकिन उसे आज तक बनाने का काम नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त कर लीजिए। आप सब लोग 05-05 मिनट बोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम अभी बैठे हैं। मा0 जियाउद्दीन जी, अब आप बोलिए।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीन दिन के लगातार प्रयास के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लालजी वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं भाषण नहीं दूँगा, सिर्फ अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में गोंड और खरवार जाति का सर्टीफिकेट नहीं बन रहा है। पूरे जनपद में गोंड और खरवार बिरादरी आन्दोलित हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में एक महीने से लगातार गोंड़ और खरवार बिरादरी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, बाँसी तहसील, बैरिया तहसील, बलिया सदर और बेल्थरा रोड तहसील, इन सभी तहसीलों में तहसीलदार के द्वारा गोंड और खरवार बिरादरी को सर्टीफिकेट नहीं दिया जा रहा है, यह कह करके कि तुम गोंड हो ही नहीं। वह लोग अपने तमाम सर्टीफिकेट दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, तब भी गोंड और खरवार बिरादरी को सर्टीफिकेट नहीं मिल रहा है। हमको याद है पिछले सदन में अनुसूचित जनजाति बिरादरी के एक राज्य मंत्री यहाँ बैठते थे और उन्होंने अपने भाषण में खुद स्वीकार किया था कि कई जिलों में गोंड और खरवार बिरादरी को सर्टीफिकेट नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं ? लेकिन मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया। इसके लिए हमारा क्षेत्र आन्दोलित है, इसमें हीरा लाल गोंड राम जनम गोंड, दिलीप गोंड, श्रीनिवास गोंड विजय गोंड़ आदि सैकड़ों कार्यकर्ता रातों-दिन तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। मान्यवर, यह सभी लोग आन्दोलित हैं। अभी पुलिस की भर्ती निकली हुई है, उनके लड़के परेशान हैं कि कैसे पुलिस का फार्म भरा जाय। वह बेचारे 25-25 हजार रुपया लेकर टहल रहे हैं, हमारे पास भी कितने लड़के आये कि हमारा किसी तरह से सर्टीफिकेट बनवा दो, जो पैसा लगेगा, लेखपाल या तहसीलदार लेगा, हम देने को तैयार हैं। उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और माँग करता हूँ कि गोंड और खरवार बिरादरी के सर्टीफिकेट को अविलम्ब बलिया जनपद में जारी कराने का काम किया जाय।

मान्यवर, हमारा दूसरा सवाल है, हमारे सिकन्दरपुर तहसील में एक सी0एच0सी0 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह बहुत बड़ा केन्द्र है, जिसमें सैकड़ों गाँवों के मरीज आते हैं। वहाँ पर डाक्टरों का अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, वह हमारे बलिया जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं, वहाँ के चार-चार डाक्टरों का स्थानान्तरण सी0एम0ओ0 ने कर दिया। जिसमें डा0 व्यास कुमार, डा0 मुख्तार यादव, डा0 नीरज पासवान, एक और डाक्टर हैं, उनके स्थानान्तरण से मेरी वह सी0एच0सी0 खाली हो गयी। मात्र दो संविदा के डाक्टरों पर इतनी बड़ी सी0एच0सी0 चल रही है। जहाँ सैकड़ों मरीज रोज आते हैं, ओ0पी0डी0 होती है, हमारे इलाके की पूरी जनता परेशान है, हमको वह घेरती है। मान्यवर, हमारा यह प्लेटफार्म है, बोलने के लिए, हम अपनी समस्या यहाँ उठाने के लिए आते हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मैं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, पार्थ सेन सारथी जी से मिला था, उन्होंने सी0एम0ओ0 को फोन किया कि तुम उनको रिलीव मत करना, प्रस्ताव भेजो, हम स्थानान्तरण रद्द कर देंगे। सी0एम0ओ0 साहब ने उस डाक्टर को बुला लिया और उस डाक्टर से इतनी बड़ी रकम माँग ली कि वह डाक्टर बेचारा चला गया। मान्यवर, हमारा वह अस्पताल सिकन्दरपुर टूटने के कगार पर है, उसको बचा लीजिए। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, वह डाक्टर जनपद में ही गए हैं, किसी बाहर के जिले में नहीं गए हैं। इसलिए डा0 व्यास कुमार, डा0 मुख्तार यादव और डा0 नीरज पासवान को फिर से वापस सिकन्दरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेज दिया जाय, ताकि हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों का उपचार हो सके।

अधिष्ठाता जी, हमारा तीसरा सवाल है, हमारे वहाँ कटान बहुत तेजी से हो रही है। घाघरा नदी के किनारे के हमारे गाँव खरी से ले करके पुरुषोत्तम पट्टी, निपनिया आदि गाँव कटान से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गयी है, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। कई बार मैंने इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, मगर उस कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया है। वहाँ पर पक्का पुल बन रहा है, हमने यहाँ तक सुझाव दिया कि पक्का पुल के बीस पिलर खड़े हैं, वहीं पर रैम्प बना दिया जाय, जब रैम्प बन जायेगा, बोल्डर लग जायेंगे, तब कटान रुक जायेगी, दरिया बिहार की तरफ चली जायेगा। लेकिन सिंचाई विभाग ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, खासतौर से पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, खरी, जिगनापुर आदि के तमाम किसान परेशान हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समस्या का हल किया जाय। हमने 100 बेड के हास्पिटल की माँग उस समय की थी वह पूरी नहीं हो पायी। मान्यवर, हमारी मण्डी और अग्निशमन केन्द्र जो अभी अधूरे हैं इनको पूरा करने का काम किया जाए एक शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे 'जिन्दगी इतनी मशरूफ बना लो

कि दूसरे को ऐब देखने का वक्त न मिले उड़ने दो परिन्दों को अभी शोख हवाओं में, फिर लौटकर भाजपा का जमाना नहीं आएगा'। धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मा0 लालजी वर्मा जी द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, राज्यपाल महोदया, का अभिभाषण उन बातों के लिए याद किया जाएगा जिनका उसमें उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह कहा कि यह सरकार अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेन्स की श्रेणी में है लेकिन अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि इसमें जो लिखा है वह बिल्कुल असत्य है। दूसरा उन्होंने बार-बार जुमलों का प्रयोग किया, बार-बार यह कहा कि यह प्रदेश बहुत ही ऊँचाइयों पर जा रहा है। हमको भी बहुत समय हो गया है राजनीति में और इस सदन में दो बार चुनकर आए हैं। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि जो हालत पहले थी आज भी वही है। आपने यह कहा कि हमने 1 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। अगर यह देखा जाए कि वर्ष 2014 में जब आप सरकार में आए तो 400 रुपये का सिलेण्डर था और आज 1150 रुपये का सिलेण्डर है। अगर आपने एक बार दे भी दिया तो उस गरीब का चूल्हा कैसे गरम होगा ? तीन गुना गैस सिलेण्डर में रेट बढ़े हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2 लाख आवासों का निर्माण किया गया। इतना बड़ा प्रदेश है मान्यवर, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उसमें दो लाख आवास होना क्या है, इसको ऊँट के मुँह में जीरे का प्रयोग मान लें। जहाँ तक स्वास्थ्य के बारे में कहा गया मित्रों, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने भी पूरी डिटेल से कहा। हम अपने मेडिकल कालेज की बात बताते हैं। आज तक किसी गम्भीर मरीज को वहाँ रोका नहीं जाता, चाहे एक्सीडेन्ट हुआ हो, चाहे दुर्घटना हुई हो, चाहे कोई गम्भीर बीमारी हुई हो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाता केवल रेफर में जितना समय लगता है, या तो मरीज को झाँसी भेजा जाता है या कानपुर भेजा जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च करके वहाँ उनको वह सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसा कि खेलो इण्डिया के सम्बन्ध में अभिभाषण में विवरण दिया है। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ दो-तीन दिन से सुन रहा हूँ मैं सोचता हूँ कि त्रेता की बात तो बहुत जोर से होती है लेकिन मैं जिस नगरी से आता हूँ।

मैं कालपी का विधायक हूँ, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी, के लिए सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि जिनके पुरखे नहीं तरेंगे वह वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत को यदि सुनेंगे तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। मैं उस नगरी से उसी क्षेत्र से चुनकर आता हूँ और हमारे यहाँ उनकी जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली के मंदिर को अगर आप देख लें वेदव्यास जी का तो वह बहुत छोटा मंदिर था। एक कलकत्ता की पार्टी आई उन्होंने जरूर अपना एक अलग से एन0जी0ओ0 के माध्यम से मंदिर बनाया है, लेकिन जो

उनका ओरिजनल मंदिर है वह आज भी जीर्ण-शीर्ण हालत में है और जहाँ वेदव्यास जी ने तपस्या की त्रिगणेश्वर मंदिर, भोले नाथ का मन्दिर है। वहां जाने का रास्ता भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूँ कि वहां यह व्यवस्था की जाये कि जहां उन्होंने तपस्या की है, उनका मार्ग प्रशस्त हो। महंगाई, बेरोजगारी जिसमें बेरोजगारी का हाल तो सभी लोग जानते ही हैं, जो रोजगार दिये जा रहे हैं, सब संविदा पर नौकरी हैं। सारी नौकरियाँ देखें चाहे स्वास्थ्य में देखें, बिजली में देखें सिर्फ पुलिस को छोड़कर क्योंकि पुलिस आप संविदा की रख नहीं सकते, नहीं तो वह भाग जाएंगे। 10 हजार में तो वह आपकी सेवा करेंगे नहीं, डंडा मारेंगे नहीं, लठ मारेंगे नहीं, गोली चलाएंगे नहीं। इसलिए सिर्फ आप नौकरी पुलिस की दे रहे हैं, बकाया संविदा की नौकरी हैं। एक-दो मेरे जो क्षेत्र के काम हैं वह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

इतनी देर से आपका क्षेत्र ही तो बुलवा रहे थे, आप बोल कहां रहे हैं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

अधिष्ठाता महोदय, बहुत समय बाद तो आपने बोलने का समय दिया है और उसके बाद आप घड़ी देखने लगते हैं। मेरे एक-दो काम आप सुन लीजिए। कुठौन में एक पी0एच0सी0 अस्पताल की बिल्डिंग बननी है। उस बिल्डिंग के लिए आपके द्वारा सरकार से कहा जाये कि उसका शीघ्र निर्माण हो। विकास खण्ड कुठौन, हदरौकूत तथा पक्की सड़क निर्माण कार्य जिसमें 25-30 गाँव लाभान्वित होंगे। विकास खण्ड कुठौन में करतलापुर से मड़ोरी तक की सड़क का निर्माण हो। जालौन विकास खण्ड कुठौन के अन्तर्गत छानी अहीर, रमेश प्रजापति के खेत से धन्ना आश्रम तक पक्का नाला का निर्माण हो।

श्री अधिष्ठाता-

भाई साहब, कुछ काम अगली बार के लिए छोड़ दीजिए।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना ही समय दे दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया, के अभिभाषण धन्यवाद पर प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, मैं मेरे सभी साथी विधायकगण, मंत्रिगण और अपने क्षेत्र की जनता का अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहां इस पवित्र मंदिर में भेजने का अवसर दिया। आज विश्व के लोकप्रिय नेता भाग्य विधाता और गरीबों के प्रति समर्पित ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी, लगातार पूरी दुनिया में आज भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भगवान राम की बात हो रही है। भगवान राम के लिए जो हमारे लोग 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, वह अवसर 22 जनवरी को आया,

मैं इसके लिए एक बार यही कहूँगा 'जय जय श्री राम'। यह कहते हुए कि आज पूरी दुनिया भारत देश की ओर देख रही है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले लोकप्रिय मुख्य मंत्री। आज कहीं की भी बात करें तो जो भय का माहौल था, वह आज खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था की बात करूँ तो किसान खेत पर जाता था तो उसकी भैंस चोरी हो जाती थी और घर रहता था तो मोटर चोरी हो जाती थी, ऐसी सरकारें थीं। आज लाइट 18 से 24 घण्टे आने का काम कर रही है। जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल जी आयीं तो ऐसा कहा जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं तो इन्होंने उस मर्यादा को भी तार-तार कर दिया और गो बैक के नारे लगाये। माननीय मोदी जी और योगी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि 'महक उठा यह आँगन, जब से मोदी-योगी आप पधारे हो, ऐसा अहसास होता है कि जन्मों से मोदी-योगी आप हमारे हो'। इसके साथ-साथ मैं आयुष्मान भारत की बात करूँ तो आज विश्व की सबसे बड़ी इस योजना के माध्यम से गरीबों का इलाज हो रहा है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी गरीबी को जिये हैं, वह जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इसीलिए आज यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कहना चाहूंगा कि आज करोड़ों गरीबों के आवास बनाने का काम किया है। शौचालय, आज कहीं ऐसी जगह नहीं है, जहां शौचालय न हो। यह शौचालय बनाने का काम किया गया है। जो महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज घरों में शौचालय बनाने का काम किया है। राशन की बात करें तो कोरोना जैसा समय भी हमने देखा है जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार ने मुफ्त राशन देने का काम किया है।

जो हमारी बहनें थीं, लगातार चूल्हों के माध्यम से उनकी आँखें खराब हो जाती थीं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया। किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मान देने का काम किया और सरकार ने वादा किया था किसानों का जो ट्यूबवेल का बिल है, उसको माफ करेंगे। सरकार ने उसको पूरा करते हुए बजट में उसका प्रावधान किया है। सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। ये लोग किसानों की बात करते हैं, लेकिन इनकी सरकार में किसान दुःखी था। चीनी मिलें इन्होंने बेंच दीं और दूसरी पार्टी ने भी वैसा ही किया। लेकिन माननीय योगी जी के द्वारा उनको चलाने का काम किया गया। बहुत सारी चीनी मिलों का विस्तार किया गया। आज किसान खुश है। सरकार लगातार किसान के लिए काम कर रही है। किसान की चिन्ता कर रही है। साथ-साथ महिलाओं की बात करूँ तो आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएँ आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ दीदिओं को लखपती बनाने का काम करेंगे। लगातार महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए यह सरकार काम कर रही है। आज चारों तरफ एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, चारों तरफ एयरपोर्ट बन रहे हैं, चारों तरफ ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जो लोग विश्व में देखा करते थे, लेकिन आज हमारे

देश में वैसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज स्कूल की बात करूँ, विद्यालय की बात करूँ, विश्वविद्यालय की बात करूँ, लगातार उत्तर प्रदेश और देश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग हमारे बीच चलने का काम कर रहे हैं। यह मान-सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वह आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने किया है। लगातार 500 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, वास्तव में यही रामराज्य है।

श्री अधिष्ठाता-

अब राजेन्द्र कुमार जी अपनी बात रखें।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, एक मिनट और दे दीजिए। त्रेता युग में हमने जन्म पाया, नहीं पाया, यह नहीं पता, किन्तु आज दोनों के कार्यकाल में हम लोग इस कलयुग में रामराज्य का अनुभव कर रहे हैं। 2014 और 2017 में जन-जन का नारा था, जन-जन की आवाज थी, 'अबकी बार भाजपा सरकार', 2019 और 2022 में जन-जन की आवाज थी, एक बार फिर भाजपा सरकार और 2024 में जन-जन की आवाज में 'हर बार भाजपा सरकार', 'हर बार भाजपा सरकार'।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अधिष्ठाता-

आपका धन्यवाद।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, साथ ही साथ मैं आपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरे यहाँ जो सड़कें खराब थीं, उन्हें लगभग साढ़े बारह करोड़ की लागत से बनाने का काम किया गया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 'अटल आवासीय विद्यालय' हैं। जिस प्रकार अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उसी प्रकार आज गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय हैं। जिसमें वहीं रहकर निःशुल्क उनके द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है। आज चारों तरफ सड़कें बन रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजेन्द्र कुमार जी आप बोलना शुरू करिये।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, थोड़ा सा और समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप जल्दी बताइये।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, बुलन्दशहर जेवर रोड को फोर लेन किया जाय। जेवर-ककोड़-सिकन्दराबाद-गुलावठी को फोर लेन किया जाए। सिकन्दराबाद आबादी क्षेत्र, पुराना जी0टी0 रोड का चौड़ीकरण किया जाय। महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाय। सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्टेडियम का निर्माण कराया जाये, ताकि नौजवानों को मौका मिले, यह प्रदेश नौजवानों का है। सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है, जनपद-बुलन्दशहर में ई0एस0आई0 अस्पताल का निर्माण कराने का कार्य किया जाये। चोला रेलवे स्टेशन शहर से 08 कि0मी0 दूर है, उस चोला रेलवे स्टेशन को बुलन्दशहर रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाये और अयोध्या एवं लखनऊ स्टापेज दिया जाए। आयुष्मान योजना का लाभ प्रारम्भिक चरण में 60 वर्ष से ऊपर की आयु सीमा वाले लोगों को, उसके तत्पश्चात् असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, तत्पश्चात् समस्त भारतीयों को दिलाया जाए। मेट्रो का विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद से 08 कि0मी0 दूर तक विस्तार हो रहा है। मेट्रो का विस्तार विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद तक किया जाए। चचूरा नहर से कुटवाया, इनायतपुर, कपना तक नहर के रास्ते का चौड़ीकरण किया जाय। चोला औद्योगिक क्षेत्र में किसानों के मुआवजे से सम्बन्धित विवादों का शीघ्र निपटारा कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका धन्यवाद। राजेन्द्र कुमार जी, अब आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अधिष्ठता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आदरणीय डॉ0 नीरज बोरा जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर दिया है। मैं सदन के दोनों पक्षों को सुन रहा था। हमारे सदन के साथियों ने परमात्मा प्रभु श्रीराम के अपने-अपने ज्ञान के अनुसार गुणानुवाद किया। मैं भी उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। पूज्य सद्गुरू देव को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस पूरे जहाँ को बनाया है और सबको सद्ज्ञान दिया है, इस पूरी सृष्टि को देखने के लिए।

मान्यवर, जो जिस भाव से प्रभु को देखता है, भजता है परमात्मा उसको उसी रूप में दिखता है। हमारे विपक्ष के साथियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, जो उनके गुरू, उनके माता-पिता, उनके बाबा, पुरखे उनको संस्कार और ज्ञान दिये, उस सृष्टि को देखें और अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सदबुद्धी दे। संविधान की पीठ के पीछे बैठे हुये उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वह पंक्ति दोहराई थी 'रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्ला तेरो नाम,

सबको सन्मति दे भगवान'। वह परमात्मा की कल्पना जिन्होंने मुझे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, उनकी शासन व्यवस्था से मुक्ति दिलाई थी। आज उनका स्वरूप देखने को, हमको ज्ञान होगा। मैं नया सदस्य हूँ, लेकिन जब मैं उस स्वरूप को देखता हूँ, अपना तिरंगा देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि त्याग और बलिदान यदि किसी दो महापुरुषों को परिलक्षित है, हमारे साधु सन्त महात्माओं ने युगों-युगों तक तपस्या करने के बाद, आज प्रभु राम दिव्य और भव्य स्वरूप में विराजमान हैं। मैं दो शब्द यही कहूंगा, तुझे देखने की नजर चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का नाम रहेगा। हमारे प्रदेश के मुखिया मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह शुभ दिन आया है, आज सबको गर्व और अनुभूति हो रही है। प्रयागराज की पावन धरती से प्रवेश द्वार पर स्वागत करने के लिए, उस समय कार्य सेवा में भी एक कार्यकर्ता के रूप में वार्ड के अध्यक्ष और बजरंगी के रूप में सेवा करने का शुभ अवसर मिला था। आज भी मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मैं सभी बन्धुओं का धन्यवाद देता हूँ। अपने समय में मैं विपक्ष को भी बोलूंगा। विपक्ष को सुचिता का ज्ञान दूंगा, वह पाँच इन्द्रियाँ हमारे अन्दर है, स्वच्छता अपने मन से शुरू करते हैं, सुबह अपनी पाँचों इन्द्रियों को स्वच्छ करते है, उसी प्रकार यदि मैं देश को स्वच्छ करना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना चाहता हूँ तो हमें अपने आपसे सुधरना होगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, डिजिटल इण्डिया के माध्यम से राम राज्य की जो कल्पना है उसमें हमको गिलहरी की भूमिका निभाना होगा। गिलहरी का वह प्रयास सबको विदित है। उनको नहीं विदित है, जिन्होंने उसको पढ़ा नहीं है। डिजिटल माध्यम से यदि हमारी लाइब्रेरियाँ हमको सुसजित की गयी हैं तो मैं सुझाव देना चाहूंगा, स्पीड के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा, हमारे सदन के साथियों को भी, हमारे जिले में जो मूर्धन्य अधिकारी बैठते हैं, आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 के माध्यम से उनके बीच में जब भी संवाद किया जाये, हम सबको भी सुनने का अवसर मिले। हमारे मुख्य मंत्री जी कैसे उनको मार्गदर्शित करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, बस एक मिनट का समय और लूंगा। यदि हमें अपने विचारों के साथ स्वाच्छता लाना है तो हमारे विचारों के साथ तो जो डिजिटल एप हमारे हाथ जो मोबाइल दिया गया है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छता में हमने सुझाव विभागों में दिया है, उन सुझावों को, हम सब मा0 सदस्यों को, चाहे वह विपक्ष के साथी हों, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के साथी हों, उन सबको संज्ञान लेते हुये कड़ी कार्रवाई की जाये। उसका संज्ञान लेते हुये हमारे

सम्मानित मंत्रीगण, हमारे नेतागण अधिकारीगण उस पर काम करें यह हमारा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवीण पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, आज सारे सत्तापक्ष के सदस्यों ने बड़े विस्तार से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसके बारे में चर्चा की है। मैं अपने मा0 सदस्यों द्वारा कही गई बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, उन्होंने इस बात को कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश की सरकार मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर आर्थिक रूप से भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारा उत्तर प्रदेश लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा पिछली सरकारों में हम देखा करते थे कि कभी एक हफ्ते रात में बिजली आती थी और एक हफ्ते दिन में बिजली आती थी लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से लगातार बिजली के क्षेत्र बहुत बड़ा परिवर्तन देखने का मिल रहा है। आज इस बात को हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि जहां पहले हम लोग गाँव में जाते थे तो लोग एक-एक हैण्डपम्प के लिए लगातार हम लोगों से प्रयास करते रहते थे कि हमारे मोहल्ले में हैण्डपम्प लग जाय लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की व्यवस्था की वह सराहनीय है। आज हम जब कहीं जाते हैं, जिस गाँव में जाते हैं तो हर गाँव में देखने को मिलता है कि हर घर में नल से जल की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है।

आज विकास की बहुत सारी बातें करेंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा इसलिए मैं अपने मा0 सदस्यों द्वारा कही गई बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरी प्रयागराज की फूलपुर विधान सभा क्षेत्र है और जिस तरीके से पिछले वर्षों में खासकर 2017 के बाद प्रयागराज का विकास हुआ है वह सराहनीय है। जो अब प्रयागराज जाता है उसको देख करके लगता है कि यह वही प्रयागराज है या नया प्रयागराज है। भाई हमारे गुरु प्रसाद मौर्य जी बैठे हुए हैं आज जहां उनकी विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे आ रहा है वहीं पर देश का सबसे आधुनिक पुल भी गंगा नदी पर बनने का काम हो रहा है। आज हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जहां हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि प्रयागराज में रिंग रोड बननी चाहिए और फर्स्ट फेज का काम हमारी विधान सभा में लगभग 4 हजार करोड़ रुपए से शुरू हो गया है और जल्दी से जल्दी कुम्भ तक वह पूरा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि शास्त्री पुल से लेकर हंडिया हाई-वे तक चार लेन सड़क का निर्माण चल रहा है, फाफामऊ से फूलपुर तक

चार लेन की सड़क का निर्माण चल रहा है। इसके साथ-साथ हमारे यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी स्थापित हो गया है जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार बहुत सारी सड़कों को चौड़ीकरण के दायरे में लेने का काम कर रही है। आज विकास हमारी विधान सभा क्षेत्र में हो रहा है इसके साथ ही हम और भी विकास की माँग करते हैं क्योंकि आने वाला कुम्भ भी नजदीक है तो हमारी विधान सभा क्षेत्र में कुछ और भी बड़े काम हो जाएं तो निश्चित रूप से प्रयागराज का विकास और भी आगे बढ़ जायेगा। हमारे यहां गंगा नदी के किनारे खासकर गारापुर और झूसी मुंशी का पुरवा के पास बाढ़ आ जाती है तो वहां समस्या उत्पन्न होती है, यदि वहां पर बांध बन जाय तो उसका फायदा पूरे प्रयागराजवासियों को भी मिलेगा और हमारे विधान सभा क्षेत्र वासियों को भी मिलेगा।

आज जरूर हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमारे फूलपुर में चूंकि जो जौनपुर, गोरखपुर और प्रयागराज का हाई-वे है वहां से फूलपुर में ब्रिज तो बनगया है लेकिन अगर बाईपास बन जाये तो निश्चित रूप से काफी बड़ा काम हमारे लिये हो जायेगा। आज हम इस बात को भी आपसे कहना चाहते हैं कि फ्लाईओवर तो हमारे यहां पर बन रहे हैं, इसके साथ-साथ हमारे यहां एक-दो और फ्लाईओवर हैं जिसका प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, वह भी बन जाये, यह भी हम आपसे मांग करना चाहते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार फायर स्टेशन की स्वीकृति भी दी थी, जिसका डी0पी0आर0 भी बन गया है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि वह भी जल्दी से जल्दी बन जाये, इसके साथ ही हमारा पठारी इलाका है वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और सरकार ने इस पर ठोस फैसला लेने का काम भी किया है, अगर वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से हमारे विधान सभा वासियों के लिये बहुत ही अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री कविन्द्र चौधरी-

बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरू करने कसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं तथा कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र की सम्मानजनक देव तुल्य जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बस्ती जनपद की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज से चुनकर आया हूं। मेरे जनपद में गन्ना कैश क्रप की तरह है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 5 साल की सरकार से लगातार अखिलेश यादव जी ने 100 रुपये बढाने का काम किया था मगर इस वर्तमान की सरकार ने गन्ने का दाम महज 20 रुपये बढ़ाया है, महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल नहीं हो जायेगा, तब तक गन्ना किसानों का काम चलने वाला नहीं है। महोदय, हमारे बस्ती जनपद में एक हरैय्या तहसील है, जिसमें 1535 राजस्व गांव हैं, प्रदेश में यह सबसे बड़ी तहसील होगी, बड़ी

तहसील होने के साथ यहां पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गौर को नई तहसील बनाया जाए। महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं, ट्रांसफार्मर अक्सर खराब होने की वजह के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार सर्वे करा ले और जो ट्रांसफार्मर हैं, उसकी क्षमता बढ़ाने का काम करें। मेरे द्वारा लगातार सरकार को पत्र भी लिखे गये, मगर उस पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये आपसे निवेदन है कि क्योंकि तमाम जगह ऐसी समस्यायें आ रही हैं क्षमता कम होने की वजह से, ट्रांसफार्मर लगने के 2-3 दिन के अन्दर वह खराब हो जा रहे हैं। इसलिये महोदय, वहां पर सर्वे करा करके उनकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और महोदय अभी जो पैरा मेडिकल की भर्तियां आयीं थीं 1002 पदों पर, एक तरफ तो सरकार पिछड़ों की बात करती है, मगर जब इस भर्ती में आरक्षित पदों की बात हुई तो इन्होंने केवल 126 पद ही पिछड़े समाज को दिये, जबकि अगर 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से भी देखें तो इन पद की संख्या 270 होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस भर्ती को तत्काल आरक्षण के नियमों के अनुसार ओ0बी0सी0 कोटे को पूरी तरीके से लागू किया जाए। महोदय, अभी पिछले दिनों हमने देखा एक तरफ तो यह सरकार बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगाती है, हमारे जो महापुरुष हैं उनको सम्मानित करने की बात करती है, मगर हमने देखा पिछले महीने की 25 जनवरी को कि किस तरीके से उज्जैन में सरदार पटेल जी की प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी मूर्ति को ट्रैक्टर तथा पत्थरों से तोड़ने का प्रयास किया गया।

मान्यवर, ऐसी खबरें सुनकर मन बहुत दुःखी होता है। कभी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जाती है, तो कभी किसी महापुरुष की। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वे कौन लोग हैं, जिन्हें राष्ट्र निर्माताओं से इतनी ईर्ष्या है, जो न कानून को मानते हैं न किसी सरकार को मानते हैं। क्या देश इसी तरीके से अपने महापुरुषों का अपमान होते देखता रहेगा ? ऐसे उपद्रवियों के लिये कोई कठोर सजा का प्राविधान करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

आपके पास एक मिनट बचा है। आप अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कह लीजिये।

श्री कविन्द्र चौधरी-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें बहुत ही खराब हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो दुबौला पचपेड़वा मार्ग है, तेनुई चेत सिंह कुर्दा होते हुए गोभिया, सुजिया मार्ग है, बेलवरिया जंगल से होते हुए मांझा मानपुर मार्ग है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उस सड़क का उच्चीकरण और चौड़ीकरण करने का सरकार काम करे, जिससे वहां के लोगों के आवागमन सुगम हो सके। मान्यवर, इसी के साथ आपने पूरी अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

डॉ0 अजय कुमार जी। आपको 5 मिनट के अन्दर अपनी बात रखनी है।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सी चीजें कही गई है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई है। मैं नहीं समझता कि जान-बूझकर छोड़ी गई है या छूट गई है। जैसे आज किसान, युवा, अल्पसंख्यक और वंचित समाज परेशान है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा भ्रमित है। वह नशें की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्थाई रोजगार देने की कोई समुचित व्यवस्था का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों में सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक लम्बे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। 01 अप्रैल, 2005 के बार से नियुक्त कर्मचारियों को एन0पी0एस0 दिया जा रहा है। एन0पी0एस0 बाजार आधारित स्कीम है या यूं करें कि इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये पेंशन नहीं है।

मान्यवर, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवाओं को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। असमानता मिटाने का कोई ठोस आश्वासन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं दिया गया है। गरीब, गरीब होता जा रहा है और अमीर, अमीर होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में न पर्याप्त डाक्टर्स हैं न दवाई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाँव टीकरी में डाक्टरों के कई पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी दावों के बावजूद आवारों पशुओं की समस्या आज भी मुंह बाए खड़ी है। आवारा पशु सैकड़ों की संख्या में किसानों के खेतों में नुकसान पहुँचा रहे हैं।

मान्यवर, गन्ना किसानों को उनके फसल का उचित दाम नहीं दिया गया। पिछले माह जो गन्ने के दाम रु0 20/- बढ़ाये गये, वह नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूँगा कि कम से कम रु0 30/-बोनस गन्ना किसानों को अवश्य ही दिया जाए, क्योंकि एक क्विंटल गन्ना पैदा करने में रु0 311/-लागत आती है, तो रु0 360/-गन्ने का दाम वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में गन्ने का मूल्य रु0 450/-प्रति क्विंटल होना चाहिए। मान्यवर, गन्ना किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे जनपद के मलकपुर चीनी मिल का पिछले वर्ष का अभी रु0 150/-करोड़ बकाया है। मेरे साथी शामली के विधायक बैठे हैं, उनके शामली मिल का पिछले वर्ष का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इस वर्ष की बात तो बहुत दूर है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ाने का महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। महँगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से उनकी परेशानियाँ हैं, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाये जाने की सख्त आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के कुछ काम की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र छपरौली में तीन ब्लाक पड़ते हैं, छपरौली, बड़ौत और दिनौली। उन तीनों

ब्लाकों में एक-एक खेल स्टेडियम का निर्माण हो। बागपत जनपद में मेडिकल कॉलेज की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बागपत में मेडिकल कॉलेज की सुविधा तुरन्त बहाल कराने के लिए समुचित कार्यवाही हो।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के गाँव बिजवाड़ा, रमाला और टांडा में नए बिजली घरों का निर्माण हो। कुर्डी एवं असारा बिजली घरों की क्षमतावृद्धि की जाए। छपरौली से किशनपुर मार्ग के चौड़ीकरण की सख्त आवश्यकता है, उसके चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृष्णा नदी की असारा टीकरी रोड पर एक पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के गाँव असारा में जो अब मेरी विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है, मैं तो चाहूंगा कि उस गाँव को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और असारा से एलम का जो सम्पर्क मार्ग है, जो दूसरे जिले को जोड़ता है, उस पर नव निर्माण कराया जाए और असारा गाँव में एक बैंक की स्थापना भी की जाए। 30,000 की आबादी में कोई बैंक नहीं है। इसी तरीके से चौगामा नहर में समुचित पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस परियोजना को चौगामा नहर परियोजना जो 1978 में शुरू हुई थी, जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी इधर यह पूर्ण नहीं है। इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाए और इसमें समुचित जल की व्यवस्था की जाए। इन सारी बातों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 संग्राम यादव द्वारा विधान सभा के कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम आपके धैर्य के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। अब तो लग रहा है कि पूरा का पूरा कोरम का अभाव है।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 06 फरवरी, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-30-33 पर)

अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हिन्दी माध्यम के विद्यालयों का जनपदवार विवरण

क्र0-सं0	जनपद का नाम	विद्यालयों का संख्या	प्रधानाध्यापकों की संख्या	सहायक अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	मेरठ	133	58	543
2	बुलन्दशहर	195	72	1057
3	गाजियाबाद	49	25	262
4	हापुड़	46	26	205
5	गौतमबुद्धनगर	55	41	326
6	बागपत	109	38	601
7	सहारनपुर	227	160	1243
8	मुजफ्फरनगर	178	104	467
9	शामली	112	68	392
10	आगरा	82	43	312
11	मैनपुरी	162	118	490
12	मथुरा	114	67	475
13	फिरोजाबाद	127	26	135
14	अलीगढ़	253	146	793
15	हाथरस	106	106	663
16	कासगंज	95	66	271
17	एटा	96	62	285
18	बरेली	377	216	1053
19	बदायूं	269	108	500
20	पीलीभीत	140	66	401
21	शाहजहांपुर	275	112	631
22	प्रयागराज	115	67	299
23	प्रतापगढ़	348	271	1115
24	फतेहपुर	66	55	222

अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हिन्दी माध्यम के विद्यालयों का जनपदवार विवरण

1	2	3	4	5
25	कौशाम्बी	107	42	366
26	वाराणसी	138	67	528
27	गाजीपुर	269	183	1078
28	जौनपुर	369	85	388
29	चन्दौली	106	55	427
30	मिर्जापुर	108	87	755
31	भदोही	108	65	479
32	सोनभद्र	139	55	471
33	लखनऊ	146	93	651
34	सीतापुर	228	72	238
35	लखीमपुर खीरी	235	72	634
36	हरदोई	311	169	1144
37	उन्नाव	188	23	161
38	रायबरेली	283	165	880
39	गोरखपुर	319	160	1389
40	देवरिया	191	147	645
41	कुशीनगर	239	239	551
42	महाराजगंज	310	141	812
43	बस्ती	164	94	466
44	सन्तकबीरनगर	140	83	257
45	सिद्धार्थनगर	171	48	708
46	मुरादाबाद	112	109	409
47	सम्भल	125	61	351
48	रामपुर	118	51	472
49	बिजनौर	122	106	415
50	अमरोहा	129	101	542
51	कानपुर नगर	222	164	687
52	कानपुर देहात	102	43	245

अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हिन्दी माध्यम के विद्यालयों का जनपदवार विवरण

1	2	3	4	5
53	फर्रुखाबाद	94	54	306
54	इटावा	141	101	449
55	औरैया	97	72	373
56	कन्नौज	142	90	585
57	अयोध्या	194	88	760
58	सुल्तानपुर	163	111	580
59	अमेठी	226	139	404
60	बाराबंकी	172	86	573
61	अम्बेडकरनगर	119	89	443
62	गोण्डा	224	132	389
63	बलरामपुर	99	41	355
64	बहराइच	215	122	703
65	श्रावस्ती	94	60	295
66	आजमगढ़	377	185	1860
67	बलिया	182	128	781
68	मऊ	168	57	398
69	झांसी	103	51	504
70	जालौन	105	56	364
71	ललितपुर	86	64	290
72	चित्रकूट	114	82	425
73	हमीरपुर	75	54	122
74	बांदा	100	74	231
75	महोबा	61	33	191
	योग :	**12279**	**6870**	**40271**

नत्थी (ख)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-60-61 पर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में नियुक्त आरक्षियों द्वारा उच्च शिक्षा/ बैचलर ऑफ एजुकेशन/उ0प्र0 टेट में सम्मिलित होने हेतु अनुमति से सम्बन्धित सूची

क्र0-सं0	पदनाम	पीएनओ नं0	नाम	परीक्षा का नाम
1	आरक्षी	162322213	कुसुम	यूपीटेट
2	आरक्षी	162351170	अतुल कुमार	यूपीटेट
3	आरक्षी	162432451	विपिन कुमार	यूपीटेट
4	आरक्षी	162622502	संगम गौड़	यूपीटेट
5	आरक्षी	162661255	गीता यादव	यूपीटेट
6	आरक्षी	182312625	गौरव कुमार अग्निहोत्री	यूपीटेट
7	आरक्षी	152680352	नरेन्द्र मौर्या	परास्नातक
8	आरक्षी	162431618	अनुज कुमार	परास्नातक
9	आरक्षी	162350760	समर सिंह	स्नातक
10	आरक्षी	162431054	सीमा मौर्या	परास्नातक
11	आरक्षी	162462715	गीता यादव	स्नातक
12	आरक्षी	182312159	दुर्गेश नन्दनी वर्मा	स्नातक
13	आरक्षी	162622544	मनोज कन्नौजिया	स्नातक
14	आरक्षी	18311866	विवेक सिंह	स्नातक
15	आरक्षी	192310475	आलोक कुमार	परास्नातक
16	आरक्षी	192310101	प्रतिमा कुमारी	परास्नातक
17	आरक्षी	182310427	सत्यकला	परास्नातक
18	आरक्षी	162430729	अनीता सिंह	स्नातक तृतीय वर्ष
19	आरक्षी	191215337	सलीम शहजादा	स्नातक प्रथम वर्ष
20	आरक्षी	182312090	आयुषी यादव	परास्नातक

पुलिस अधीक्षक
गोण्डा।

नत्थी (ग)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-74-75 पर)

नलकूप मण्डल, आजमगढ़

जनपद बलिया में दिनांक 18.01.2024 को यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द नलकूपों का विवरण।

क्र. सं.	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या व समूह	बन्दी का कारण	
					यांत्रिक दोष	विद्युत दोष
1	2	3	4	5	6	7
1	बलिया	दुबहड़	चन्द्रपुरा	300 BG	याँत्रिक दोष	–
2	बलिया	हनुमानगंज	शंकरपुर	55 BG	याँत्रिक दोष	–
3	बलिया	हनुमानगंज	करनई	325 BG	याँत्रिक दोष	–
4	बलिया	सोहांव	महरेई	86 BG	याँत्रिक दोष	–
5	बलिया	गड़वार	कुर्थिया	103 BG	याँत्रिक दोष	–
6	बलिया	मुरलीछपरा	कर्णछपरा	307 BG	याँत्रिक दोष	–
7	बलिया	बेलहरी	तुलापुर	237 BG	याँत्रिक दोष	–
8	बलिया	पन्दह	कड़सर	76 BDG	याँत्रिक दोष	–
9	बलिया	सीयर	कुशहारसीदपुर	240 RG	याँत्रिक दोष	–
10	बलिया	रसड़ा	बस्ती	144 RG	याँत्रिक दोष	–
11	बलिया	चिलकहर	गौराई	174 RG	याँत्रिक दोष	–
12	बलिया	गड़वार	वसुदेवा	109 BG	–	विद्युत दोष
13	बलिया	गड़वार	हकारपुर	06 BG	–	विद्युत दोष
14	बलिया	गड़वार	रामपुरभोज	79 BG	–	विद्युत दोष
15	बलिया	सीयर	चरौवा	217 RG	–	विद्युत दोष
16	बलिया	बेलहरी	सोनवानी	215 BG	–	विद्युत दोष
17	बलिया	चिलकहर	फत्तेपुर	340 RG	–	विद्युत दोष
18	बलिया	चिलकहर	सिकरिया	250 RG	–	विद्युत दोष
19	बलिया	चिलकहर	बहोरापुर	270 RG	–	विद्युत दोष

अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, आजमगढ़

नत्थी (घ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-82 पर)

वित्तीय वर्ष–2021–22 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में नियुक्त 08 आरक्षियो का टेट एवं 179 आरक्षियों द्वारा में उच्च शिक्षा सम्मिलित होने हेतु अनुमति से सम्बन्धित सूची

क्र0सं0	पदनाम	पीएनओ नं	नाम	परीक्षा का नाम
1	आरक्षी	162630552	अजितेश कुमार सिंह	टेट परीक्षा
2	आरक्षी	162662522	दयाशंकर	टेट परीक्षा
3	आरक्षी	162662838	शैलेन्द्र कुमार	टेट परीक्षा
4	आरक्षी	192310589	अनिल कुमार पाल	टेट परीक्षा
5	आरक्षी	192310433	जितेन्द्र कुमार	टेट परीक्षा
6	आरक्षी	192314318	दुर्गेश यादव	टेट परीक्षा
7	आरक्षी	200950743	विकास वर्मा	टेट परीक्षा
8	आरक्षी	162661776	रागिनी मिश्रा	टेट परीक्षा
9	आरक्षी	182310948	दीपक यादव	बी0ए0–द्वितीय
10	आरक्षी	182314256	सत्यजीत	बी0ए0–द्वितीय
11	आरक्षी	212311254	रवि प्रकाश कन्नौजिया	बी0ए0–तृतीय
12	आरक्षी	162432477	धर्मेन्द कुमार	एम0ए0–प्रथम
13	आरक्षी	182312087	लक्ष्मी यादव	एम0ए0–प्रथम
14	आरक्षी	182310238	अर्चना	एम0ए0–प्रथम
15	आरक्षी	182314197	शेखर	बी0ए0–द्वितीय
16	आरक्षी	192315324	नागेन्द्र गौड	बी0ए0–तृतीय
17	आरक्षी	192311465	दिनेश कुमार गंगवार	बी0ए0–द्वितीय
18	आरक्षी	202310701	विश्वजीत	परास्नातक
19	आरक्षी	192310097	शशिकान्त	बी0ए0–द्वितीय
20	आरक्षी	192312758	शिल्पा यादव	बी0ए0–तृतीय
21	आरक्षी	192310983	चन्द्रलोक	एम0ए0–प्रथम
22	आरक्षी	192313777	कंचन देवी	बी0ए0–द्वितीय
23	आरक्षी	192312501	अरविन्द कुमार	एम0ए0–प्रथम
24	आरक्षी	182311286	शिवंगी वर्मा	बी0ए0–तृतीय
25	आरक्षी	192313302	अमित कुमार	एम0ए0–प्रथम
26	आरक्षी	202311179	नितेश कुमार यादव	बी0ए0–तृतीय
27	आरक्षी	152310705	कुलदीप सिंह	बी0ए0–तृतीय
28	आरक्षी	212313165	विवेक कुमार शर्मा	बी0ए0–तृतीय
29	आरक्षी	192311221	उपासना देवी	बी0ए0–तृतीय
30	आरक्षी	192311494	रामनरेश	एम0ए0–प्रथम
31	आरक्षी	192310488	रामेन्द्र कुमार	एम0ए–द्वितीय
32	आरक्षी	192311898	राघवेन्द्र सिंह	एम0ए–द्वितीय
33	आरक्षी	192312774	अपूर्वा पटेल	एम0ए–द्वितीय
34	आरक्षी	152310795	सलीम शहजादा	बी0ए0–द्वितीय
35	आरक्षी	192312790	मनीषा रावत	बी0ए0–द्वितीय
36	आरक्षी	192310937	अखिलेश यादव	बी0ए0–तृतीय
37	आरक्षी	19231224	मनीष कुमार	बी0ए0–तृतीय
38	आरक्षी	202310404	अरुण कुमार वर्मा	बी0ए0–प्रथम

39	आरक्षी	202310408	अनिल कुमार सिंह	बी0ए0–तृतीय
40	आरक्षी	202310570	हिमांशु मिश्र	बी0ए0–द्वितीय
41	आरक्षी	212311723	विकास कुमार	बी0ए0–द्वितीय
42	आरक्षी	212311677	प्रभात कुमार	बी0ए0–द्वितीय
43	आरक्षी	192312152	कुलदीप सिंह	बी0ए0–तृतीय
44	आरक्षी	152310079	अरविन्द कुमार यादव	एम0ए0–प्रथम
45	आरक्षी	182314227	अंशुमान पाण्डेय	एम0ए0–प्रथम
46	आरक्षी	162462454	शि देवी	सीटेट
47	आरक्षी	182314487	योगेन्द्र भारद्वाज	बी0ए0–तृतीय
48	आरक्षी	182314101	सखी चन्द्र	एम0ए0–प्रथम
49	आरक्षी	162661255	गीता	सीटेट
50	आरक्षी	182312700	सुनील कुमार	सीटेट
51	आरक्षी	182312205	अंतिमा	सीटेट
52	आरक्षी	192315337	सलीम शहजादा	बी0ए0–द्वितीय
53	आरक्षी	192310589	अनिल कुमार पाल	सीटेट
54	आरक्षी	192313995	सूर्यबहादुर यादव	बी0एड0– प्रथम
55	आरक्षी	192314477	लल्लन यादव	बी0एड0– प्रथम
56	आरक्षी	192312598	संदीप कुमार	बी0ए0–तृतीय
57	आरक्षी	192311700	शान मोहम्मद	एम0ए0–द्वितीय
58	आरक्षी	182312159	दुर्गेश नन्दनी वर्मा	एम0ए0–प्रथम
59	आरक्षी	19231448	अर्क प्रजापति	बी0ए0–तृतीय
60	आरक्षी	182314415	अनिल यादव	बी0ए0–तृतीय
61	आरक्षी	162352782	वंदना दिनकर	बी0ए0–तृतीय
62	आरक्षी	182313019	उपेन्द्र सिंह	बी0ए0–तृतीय
63	आरक्षी	192313357	तुफैल सलमानी	बी0ए–प्रथम
64	आरक्षी	192311348	हवलदार	बी0ए–क्तिीय
65	आरक्षी	192313621	आलोक कुमार यादव	एम0ए0–द्वितीय
66	आरक्षी	192310433	जितेन्द्र कुमार	एम0ए0–प्रथम
67	आरक्षी	192314318	दुर्गेश यादव	बी0ए0–तृतीय
68	आरक्षी	192314002	प्रियंका यादव	बी0ए–तृतीय
69	आरक्षी	192311885	दुर्गेश यादव	एम0ए0–द्वितीय
70	आरक्षी	162430820	संध्या मौर्य	एम0ए0–द्वितीय
71	आरक्षी	182312090	आयुषी यादव	एम0ए0–द्वितीय
72	आरक्षी	182310124	सुभावती पटेल	बी0ए0–तृतीय
73	आरक्षी	192311061	विष्णु तिवारी	बी0ए0–तृतीय
74	आरक्षी	202312055	दिपांशी पटेल	बी0ए0–द्वितीय
75	आरक्षी	162633098	रामनाथ प्रजापति	बी0ए0–तृतीय
76	आरक्षी	182313572	नागेन्द्र कुमार	बी0ए0–प्रथम
77	आरक्षी	162310506	राहुल शुक्ल	बी0ए0–तृतीय
78	आरक्षी	112767381	भवनेशरी	बी0ए0–तृतीय
79	आरक्षी	112311139	अभिमन्यु	बी0ए0–तृतीय
80	आरक्षी	152310646	नवल किशोर पाल	बी0ए0–द्वितीय

81	आरक्षी	170958680	पंकज कन्नौजिय	एम0ए0–प्रथम
82	आरक्षी	192312716	कंचन देवी	बी0ए0–प्रथम
83	आरक्षी	192314099	हिमाशु कुमार	बी0ए0–तृतीय
84	आरक्षी	19231302	रजविन्द	बी0ए0–द्वितीय
85	आरक्षी	192310228	नितांशी शुक्ला	बी0ए0 प्रथम
86	आरक्षी	1923112152	कुलदीप सिंह	बी0ए0–द्वितीय
87	आरक्षी	192312618	शिल्पा यादव	बी0ए0–प्रथम
88	आरक्षी	192313937	शशिकान्त	बी0ए0–प्रथम
89	आरक्षी	192313230	प्रमोद यादव	बी0ए–द्वितीय
90	आरक्षी	16246475	अचला	बी0ए0–द्वितीय
91	आरक्षी	192313504	आनन्द कुमार	बी0ए–द्वितीय
92	आरक्षी	112144018	संजीव कुमार	बी0ए0–प्रथम
93	आरक्षी	192310563	रामानन्द कुमार	बी0ए0–द्वितीय
94	आरक्षी	192310475	आलोक कुमार गुप्ता	एम0ए0
95	आरक्षी	162332233	धमेन्द्र कुमार	बी0ए0–तृतीय
96	आरक्षी	162431256	साचित्री देवी	बी0ए0–प्रथम
97	आरक्षी	182311474	बृजेश	बी0ए0–प्रथम
98	आरक्षी	182310108	सध्या मौर्या	बी0ए–तृतीय
99	आरक्षी	192313588	कुलदीप सिंह	परास्नातक
100	आरक्षी	202311254	वितल वर्मा	परास्नातक
101	आरक्षी	192310749	नित्य कुमार	बी0ए0–द्वितीय
102	आरक्षी	192313562	ओम सिंह यादव	बी0ए–तृतीय
103	आरक्षी	182314474	आयुष यादव	स्नातक
104	आरक्षी	192314161	राहुल कुमार	स्नातक
105	आरक्षी	182313181	शास्त्री सिंह	बी0ए0–द्वितीय
106	आरक्षी	182313514	रामकिशुन	बी0ए–तृतीय
107	आरक्षी	182310023	प्रियका भारती	बी0ए0–द्वितीय
108	आरक्षी	182313312	राहुल शुक्ल	बी0ए0–द्वितीय
109	आरक्षी	182312045	शशिकला	परास्नातक
110	आरक्षी	162661426	सुष्टि	परास्नातक
111	आरक्षी	192310161	विष्णु तिवारी	बी0ए–द्वितीय
112	आरक्षी	192313689	धनुषधारी	बी0ए–द्वितीय
113	आरक्षी	182313846	आशीष	बी0ए–द्वितीय
114	आरक्षी	182312407	देवानन्द	बी0ए–द्वितीय
115	आरक्षी	182312449	संजीत कुमार	बी0ए–द्वितीय
116	आरक्षी	182311866	विवेक कुमार	बी0ए–तृतीय
117	आरक्षी	182313790	नागेश मणि	परास्नातक
118	आरक्षी	192311263	मो0 जफर	परास्नातक
119	आरक्षी	182314490	अजीत कुमार राय	बी0ए–द्वितीय
120	आरक्षी	152680352	नरेन्द्र कुमार	परास्नातक
121	आरक्षी	182310081	अंजली	बी0ए–तृतीय
122	आरक्षी	162431618	अनुज	परास्नातक

123	आरक्षी	192312732	शिवंगी वर्मा	बी0ए–द्वितीय
124	आरक्षी	192312514	विकास प्रजापति	बी0ए–द्वितीय
125	आरक्षी	192311768	उपासना देवी	बी0ए–द्वितीय
126	आरक्षी	192310124	सुभावती पटेल	बी0ए0– द्वितीय
127	आरक्षी	192313807	नितेश कुमार यादव	बी0ए–द्वितीय
128	आरक्षी	182312169	दुर्गेश नन्दनी वर्मा	बी0ए–तृतीय
129	आरक्षी	192310238	अर्चना	एम0ए0–प्रथम
130	आरक्षी	192310273	धीरेन्द्र	परास्नातक
131	आरक्षी	192313982	महेन्द्र पाल	बी0ए–द्वितीय
132	आरक्षी	192313487	अमित कुमार	परास्नातक
133	आरक्षी	112440927	अग्निवेश	डा0 आफ फिलासपी
134	आरक्षी	162310476	विजय कुमार शर्मा	परास्नातक
135	आरक्षी	182311316	सूर्य भान	बी0ए–द्वितीय
136	आरक्षी	202310815	कमाल अख्तर	परास्नातक
137	आरक्षी	192311582	कुन्ज धन	परास्नातक
138	आरक्षी	162323740	शकुन्तला चौधरी	परास्नातक
139	आरक्षी	192312875	आनन्द	परास्नातक
140	आरक्षी	182313891	विपिन यादव	बी0ए
141	आरक्षी	182310225	गुड्डी	बी0ए0– द्वितीय
142	आरक्षी	182313950	दीपक यादव	बी0ए–द्वितीय
143	आरक्षी	182313910	दीपक यादव	बी0ए–द्वितीय
144	आरक्षी	182310256	सत्यजीत	बी0ए–तृतीय
145	आरक्षी	162324583	मनीष कुमार	बी0ए–तृतीय
146	आरक्षी	192311423	दिलीप	परास्नातक
147	आरक्षी	162661499	प्रिया गौड	परास्नातक
148	आरक्षी	162661385	सृष्टि	परास्नातक
149	आरक्षी	192311319	विजय कुमार	बी0ए–तृतीय
150	आरक्षी	192313445	शिवम सिंह	परास्नातक
151	आरक्षी	182312609	आदित्य	परास्नातक
152	आरक्षी	192312325	बालिका यादव	बी0ए–तृतीय
153	आरक्षी	182314338	दीपक कुमार	बी0ए–तृतीय
154	आरक्षी	192315249	सोमा देवी	बी0ए–द्वितीय
155	आरक्षी	182312699	साकिर अली	परास्नातक
156	आरक्षी	182312217	सिम्पल मौर्य	परास्नातक
157	आरक्षी	192323987	आलोक सविता	परास्नातक
158	आरक्षी	192313793	दीपक कुमार	बी0एड0– प्रथम
159	आरक्षी	192311306	गिरिराज सिंह	बी0ए–तृतीय
160	आरक्षी	192313780	वेत यादव	बी0ए–तृतीय
161	आरक्षी	192314132	शशिकान्त	बी0ए–तृतीय
162	आरक्षी	202310668	अरूण कुमार	बी0ए–तृतीय
163	आरक्षी	192315315	नागेन्द्र	बी0ए–तृतीय
164	आरक्षी	192311234	अभय प्रताप	परास्नातक

165	आरक्षी	182313774	विवेक कुमार	परास्नातक
166	आरक्षी	212310195	गोल्डी	परास्नातक
167	आरक्षी	192311120	मनोज कुमार	परास्नातक
168	आरक्षी	212311635	रवि प्रकाश कन्नौजिया	बी0ए–तृतीय
169	आरक्षी	16261499	प्रिया गौड	बी0ए–द्वितीय
170	आरक्षी	182310573	अंशिका	परास्नातक
171	आरक्षी	192314187	संदीप कुमार	परास्नातक
172	आरक्षी	192312395	सोनम	परास्नातक
173	आरक्षी	182313556	रजनीश यादव	स्नातक संस्कृत
174	आरक्षी	212310922	नीतू	स्नातक
175	आरक्षी	212311329	आरती	परास्नातक
176	आरक्षी	192311074	सर्वेश कुमार मद्वेशिया	परास्नातक
177	आरक्षी	202311195	रामनाथ प्रजापति	स्नातक–3
178	आरक्षी	202311326	अजीत कुमार यादव	परास्नातक
179	आरक्षी	182313787	नागेन्द्र	परास्नातक
180	आरक्षी	212311563	प्रशान्त	स्नातक
181	आरक्षी	212313295	रणविजय	बी0ए0
182	आरक्षी	192312295	सोनम	परास्नातक
183	आरक्षी	212311361	सारिका	परास्नातक
184	आरक्षी	192312543	निलेश	बी0ए–तृतीय
185	आरक्षी	192312165	संजेश सिंह	बी0ए–तृतीय
186	आरक्षी	212312726	दीपक प्रसाद	बी0ए–तृतीय
187	आरक्षी	202330449	गौरव	परास्नातक

1-2-24

पुलिस अधीक्षक
गोण्डा

नत्थी (ङ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-78 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-88-89 पर)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (यमुना)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ओखला नई दिल्ली

विधानसभा 2024 के प्रथम सत्र 2024 के 1–मंगलवार के लिए श्री नाहिद हसन मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–78 का उत्तरांश।

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	बेहट–01	रा0 आलमपुर	7.090	2.73	0.200
2	बेहट–01	रा0 गन्देवड़	3.899	1.75	0.000
3	बेहट–01	रा0 नगला	6.850	3.79	0.000
4	बेहट–01	रा0 रण्डौल	6.542	3.55	0.000
5	बेहट–01	रा0 बाबैल	1.862	1.76	0.000
6	बेहट–01	रा0 पिलखनी	4.208	2.00	0.000
7	बेहट–01	गूल रायपुर	2.260	0.57	0.000
8	बेहट–01	मा0 सुल्तानपुर	1.940	0.68	0.000
9	बेहट–01	गूल बेहट	0.250	0.09	0.000
10	बेहट–01	मा0 अलीपुर	1.911	0.48	0.000
11	बेहट–01	मा0 लखनौती	9.654	3.36	0.000
	विधानसभा बेहट का योग		**46.465**	**20.750**	**0.201**
1	सहारनपुर देहात–04	रा0 पिलखनी	11.309	8.93	0.000
2	सहारनपुर देहात–04	रा0 नगला	19.174	7.58	9.485
3	सहारनपुर देहात–04	रा0 बाबैल	4.138	3.52	5.920
4	सहारनपुर देहात–04	रा0 सरकडी	7.500	3.45	0.000
5	सहारनपुर देहात–04	मा0 चन्द्रौली	4.626	1.62	0.000
6	सहारनपुर देहात–04	मा0 मिर्जापुर	2.011	0.50	0.000
7	सहारनपुर देहात–04	गूल स्टड	2.907	0.74	0.000
8	सहारनपुर देहात–04	मा0 शंकलापुरी	2.212	0.55	0.000
9	सहारनपुर देहात–04	मा0 खेडी	2.011	0.50	0.000
10	सहारनपुर देहात–04	गूल कोलकी	1.200	0.30	0.000
	विधानसभा सहारनपुर देहात का योग		**57.088**	**27.699**	**15.405**
1	सहारनपुर नगर–03	मा0 ढमौला	6.840	2.39	0.000
2	सहारनपुर नगर–03	मा0 पिकी	5.632	1.95	0.000
3	सहारनपुर नगर–03	मा0 मलकपुर	3.107	0.78	0.000
4	सहारनपुर नगर–03	मा0 टोपरा	2.412	0.84	0.000
5	सहारनपुर नगर–03	मा0 आजमपुरा	1.236	0.31	0.000
6	सहारनपुर नगर–03	गूल शाहपुर	3.420	1.20	0.000
7	सहारनपुर नगर–03	मा0 चन्द्रपुरा	1.556	0.39	0.000
8	सहारनपुर नगर–03	मा0 हौजखेडी	5.607	2.50	0.000
9	सहारनपुर नगर–03	मा0 उनाली	5.028	2.20	0.000
10	सहारनपुर नगर–03	मा0 धीतिया	6.503	3.73	0.000
11	सहारनपुर नगर–03	मा0 मवी	2.581	1.29	0.000
12	सहारनपुर नगर–03	मा0 नुसरतपुर	7.156	3.18	0.000
13	सहारनपुर नगर–03	गूल रूपडी	0.201	0.10	0.000
14	सहारनपुर नगर–03	गूल कृष्णी	0.201	0.11	0.000
15	सहारनपुर नगर–03	ठस्का	5.430	3.29	0.000
16	सहारनपुर नगर–03	सीपेज ड्रेन	3.678	7.40	0.000
	विधानसभा सहारनपुर का योग :–		**70.588**	**31.657**	**0.000**

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर मनिहारान	रा0 थरौली	25.840	12.42	0.000
2	रामपुर मनिहारान	रा0 रामपुरी	19.509	10.06	0.000
3	रामपुर मनिहारान	रा0 पापडी	7.849	2.20	0.000
4	रामपुर मनिहारान	रा0 टिकरोल	6.000	4.12	0.000
5	रामपुर मनिहारान	रा0 हंगावली	22.426	11.40	0.000
6	रामपुर मनिहारान	रा0 सिजुड	8.283	2.98	0.000
7	रामपुर मनिहारान	मा0 नंदपुर	5.314	1.86	0.000
8	रामपुर मनिहारान	मा0 जगरौली	6.053	2.12	0.000
9	रामपुर मनिहारान	मा0 दल्हेडी	3.691	1.29	0.000
10	रामपुर मनिहारान	मा0 उमरी	3.620	2.17	0.000
11	रामपुर मनिहारान	मा0 जडौदा	6.207	2.15	0.000
12	रामपुर मनिहारान	मा0 भांकला	3.315	1.22	0.000
13	रामपुर मनिहारान	मा0 घसौती	3.305	1.21	0.000
14	रामपुर मनिहारान	मा0 किशनखेडी	3.519	1.29	0.000
15	रामपुर मनिहारान	कटबालपुर	0.401	0.15	0.000
16	रामपुर मनिहारान	मा0 दरियापुर	6.357	2.20	0.000
17	रामपुर मनिहारान	मा0 कुराली	1.609	0.60	0.000
18	रामपुर मनिहारान	मा0 नानौता	5.677	1.99	0.000
19	रामपुर मनिहारान	मा0 पाण्डुखेडी	6.200	2.17	0.000
20	रामपुर मनिहारान	मा0 भारी	6.200	2.17	0.000
21	रामपुर मनिहारान	मा0 सोहजनी	1.200	0.30	0.000
22	रामपुर मनिहारान	मा0 कुआंखेडा	2.661	0.66	0.000
23	रामपुर मनिहारान	मा0 सलेमपुर	5.317	1.80	0.000
24	रामपुर मनिहारान	मा0 औलरा	2.816	0.70	0.000
25	रामपुर मनिहारान	बालपुर ड्रेन	1.960	2.25	2.600
26	रामपुर मनिहारान	कबीरपुर ड्रेन	2.300	3.55	0.000
27	रामपुर मनिहारान	सांचलू ड्रेन	1.609	1.42	0.061
28	रामपुर मनिहारान	सलेमपुर ड्रेन	6.050	4.60	0.000
29	रामपुर मनिहारान	जटियाखेडी ड्रेन	10.000	4.50	10.614
30	रामपुर मनिहारान	चकवाली ड्रेन	20.000	19.25	15.398
31	रामपुर मनिहारान	जंघेडी ड्रेन	3.037	2.30	3.500
31	रामपुर मनिहारान	रा० कल्लरपुर	0.000	0.00	6.000
विधानसभा रामपुर मनिहारान का योग :-			**208.325**	**107.101**	**38.173**
1	नकुड–02	रा0 रण्डौल	15.787	7.10	0.000
2	नकुड–02	रा0 पिलखनी	16.581	10.94	15.517
3	नकुड–02	मा0 माटकी	8.650	3.02	0.000
4	नकुड–02	मा0 दासामाजरा	1.006	0.25	0.000
5	नकुड–02	मा0 नौरंगपुर	4.165	1.45	0.000
6	नकुड–02	नयाबांस ड्रेन	2.000	1.45	0.000
7	नकुड–02	नयाबांस ड्रेन	1.118	1.42	0.000
8	नकुड–02	तीतरो ड्रेन	2.413	3.63	0.000
विधानसभा नकुड का योग :-			**51.720**	**29.262**	**15.517**
1	गंगोह–07	रा0 सिजुड	10.209	6.98	8.283
2	गंगोह–07	रा0 टिकरोल	5.665	2.00	0.000
3	गंगोह–07	रा0 बुन्टा	6.675	3.74	0.000
4	गंगोह–07	रा0 पापडी	8.782	4.00	0.000
5	गंगोह–07	मा0 राजपुर	2.010	0.75	0.000
6	गंगोह–07	मा0 तबर्रकपुर	3.218	0.81	0.000
7	गंगोह–07	मा0 तीतरो	3.741	1.31	0.000
8	गंगोह–07	रा० कल्लरपुर	4.600	6.80	6.600
9	गंगोह–07	रा० जलालाबाद	1.609	0.56	0.000
विधानसभा गंगोह का योग :-			**46.509**	**26.950**	**14.883**

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	
1	2	3	4	5	6	
1	देवबन्द–05	रा0 सिढौली	16.895	6.55	0.000	
2	देवबन्द–05	रा0 राईट मेन	5.632	2.35	0.000	
3	देवबन्द–05	रा0 भैंसानी	2.413	0.97	0.000	
4	देवबन्द–05	रा0 वास्ताम	16.090	7.44	0.000	
5	देवबन्द–05	मा0 साखन	6.436	1.61	0.000	
6	देवबन्द–05	मा0 मथुरा	1.609	0.50	0.000	
7	देवबन्द–05	मा0 भायला	5.028	1.27	0.000	
8	देवबन्द–05	मा0 रणखण्डी	7.039	1.76	0.000	
9	देवबन्द–05	मा0 देवबन्द	6.436	1.61	0.000	
10	देवबन्द–05	मा0 घलौली	7.443	1.86	0.000	
11	देवबन्द–05	मा0 मझौल	8.045	2.01	0.000	
12	देवबन्द–05	मा0 सलौनी	4.425	1.11	0.000	
13	देवबन्द–05	मा0 दुगचोडी	2.615	0.75	0.000	
14	देवबन्द–05	मा0 दुघली	2.816	0.70	0.000	
15	देवबन्द–05	मा0 फलास	1.609	0.50	0.000	
16	देवबन्द–05	मा0 सांपला	2.011	0.50	0.000	
17	देवबन्द–05	मा0 अम्बेहटा	3.821	0.96	0.000	
18	देवबन्द–05	मा0 कुलसठ	2.615	0.65	0.000	
19	देवबन्द–05	मा0 उल्हेडा	2.056	0.51	0.000	
20	देवबन्द–05	रा0 कल्लरपुर	0.000	0.000	5.391	
विधानसभा देवबन्द का योग :–			**105.034**	**33.610**	**5.391**	
1	मु०नगर सदर–14	रा0 लुहारी	9.654	3.550	—	
2	मु०नगर सदर–14	रा0 मेन बसेडा	3.771	1.480	—	
3	मु०नगर सदर–14	रा0 राईट बसेडा	5.631	1.970	—	
4	मु०नगर सदर–14	रा0 राईट मौ0पुर	12.320	4.310	—	
5	मु०नगर सदर–14	रा0 मेन सरवट	7.240	2.530	—	
6	मु०नगर सदर–14	मा0 सिसौना	1.207	0.240	—	
7	मु०नगर सदर–14	मा0 बागोवाली	3.218	0.640	—	
8	मु०नगर सदर–14	रा0 राईट सरवट	3.419	1.200	—	
9	मु०नगर सदर–14	रा0 लैफ्ट सरवट	2.436	0.850	—	
10	मु०नगर सदर–14	रा0 मखियाली	10.000	3.500	—	
11	मु०नगर सदर–14	मा0 मुस्तफाबाद	3.620	0.720	—	
12	मु०नगर सदर–14	रा0 जडौदा	1.006	0.350	—	
13	मु०नगर सदर–14	रा0 मन्सूरपुर	2.150	0.750	—	
14	मु०नगर सदर–14	रा0 पचैण्डा	6.838	2.390	—	
15	मु०नगर सदर–14	रा0 भैसानी	2.413	0.840	—	
16	मु०नगर सदर–14	मा0 थिजोपुरा	2.011	0.400	—	
17	मु०नगर सदर–14	मा0 खामपुर	0.604	0.120	—	
18	मु०नगर सदर–14	नरा, धन्धेडा, दतियाना ड्रेन	19.600	19.190	0.108	
19	मु०नगर सदर–14	जट मुझेडा ड्रेन	20.000	19.560	5.100	
20	मु०नगर सदर–14	यसेडा ड्रेन	3.000	2.930	10.800	
21	मु०नगर सदर–14	लैफ्ट मु0नगर नाला	2.000	1.960	5.642	
22	मु०नगर सदर–14	मेन मु0नगर नाला	9.000	8.800	0.050	
23	मु०नगर सदर–14	रहकडा नाला	2.000	1.960	1.800	
24	मु०नगर सदर–14	फहीमपुर नाला	3.200	3.130	—	
विधान सभा मु०नगर सदर योग			**136.338**	**83.370**	**23.500**	

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	चरथावल–12	रा0 लुहारी	13.275	4.820	—
2	चरथावल–12	रा0 चरथावल	22.546	8.230	—
3	चरथावल–12	रा0 यास्तम	12.269	4.290	—
4	चरथावल–12	मा0. रोहाना	4.828	0.970	—
5	चरथावल–12	मा0 मधुरा	6.235	1.250	—
6	चरथावल–12	मा0 पावटी	6.436	1.290	—
7	चरथावल–12	मा0 सैदपुर	3.216	0.640	—
8	चरथावल–12	मा0 खुसरोपुर	6.235	1.250	—
9	चरथावल–12	मा0 बघरा	8.045	1.610	—
10	चरथावल–12	देवबन्द शाखा	17.281	6.040	—
11	चरथावल–12	रा0 कल्लरपुर	6.200	5.820	—
12	चरथावल–12	रा0 मसायी	1.609	0.640	—
13	चरथावल–12	रा0 भौरा	8.849	3.250	—
14	चरथावल–12	रा0 लोई	1.200	3.600	—
15	चरथावल–12	मा0 सौंटा	0.606	0.070	—
16	चरथावल–12	मा0 न्यामू	5.515	1.300	—
17	चरथावल–12	मा0 बावरी	2.200	0.740	—
18	चरथावल–12	मा0 बुड़ीना	12.479	3.880	—
19	चरथावल–12	दहचन्द घिस्सूखेडा ड्रेन	5.200	5.090	2.400
20	चरथावल–12	हरसौली नाला	13.980	13.720	21.420
21	चरथावल–12	रा0 कल्लरपुर	6.200	8.97	11.439
22	चरथावल–12	रा0 मसायी	1.609	0.64	0.000
23	चरथावल–12	रा0 भौरा	2.011	0.80	0.000
24	चरथावल–12	राजवाहा लोई	0.000	0.000	1.100
25	चरथावल–12	मा0 न्यामू	5.515	1.380	0.000
26	चरथावल–12	मा0 बावरी	2.200	0.77	0.000
27	चरथावल–12	मा0 बुड़ीना	12.479	4.37	0.000
28	चरथावल–12	मा0 सौन्टा	0.606	0.07	0.000
29	चरथावल–12	गुनिया जुडडी ड्रेन	2.040	2.00	0.000
30	चरथावल–12	मारूखेडी ड्रेन	0.000	0.00	0.402
31	चरथावल–12	ग्याना माजरा ड्रेन	0.000	0.00	2.313
32	चरथावल–12	रौनी नार्थ ड्रेन	5.600	5.00	0.000
33	चरथावल–12	कमरूद्दीन नगर ड्रेन	0.000	0.00	3.077
34	चरथावल–12	फुगाना ड्रेन	0.000	0.00	3.419
35	चरथावल–12	अलावलपुर ड्रेन	0.000	0.00	0.905
36	चरथावल–12	मनेडा जट ड्रेन	0.000	0.00	1.307
37	चरथावल–12	कान्हाहेडी ड्रेन	4.700	6.00	0.000
विधानसभा चरथावल का योग			**201.164**	**98.500**	**47.782**
1	बुढाना–11	रा0 लुंहारी	7.240	2.690	—
2	बुढाना–11	रा0 चरथावल	5.413	2.050	—
3	बुढाना–11	मा0 मुवारिकपुर	2.615	0.520	—
4	बुढाना–11	मा0 पलडा	4.425	0.890	—
5	बुढाना–11	मा0 शाहपुर	6.838	1.370	—
6	बुढाना–11	मा0 दभेडी	3.218	0.640	—
7	बुढाना–11	देवबन्द शाखा	13.273	4.640	—
8	बुढाना–11	रा0 भौरा	6.838	2.74	0.000
9	बुढाना–11	राजवाहा लोई	0.000	0.000	2.101
10	बुढाना–11	अलीपुर ड्रेन	0.000	0.00	0.905
11	बुढाना–11	मुन्डभर ड्रेन	3.218	9.50	3.218
12	बुढाना–11	मौहम्मदपुर ड्रेन	6.858	12.00	0.000
विधानसभा बुढाना का योग			**59.936**	**37.040**	**6.224**

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	पुरकाजी–13	रा0 मेन बसेडा	16.895	6.080	—
2	पुरकाजी–13	रा0 राईट बसेडा	8.850	3.110	—
3	पुरकाजी–13	रा0 राईट मौ0पुर	14.832	5.190	—
4	पुरकाजी–13	रा0 राईट मेन	1.609	0.560	—
5	पुरकाजी–13	रा0 भैसानी	8.850	3.100	—
6	पुरकाजी–13	मा0 खोंजा नंगला	4.022	0.800	—
7	पुरकाजी–13	मा0 थिजोपुरा	0.604	0.120	—
8	पुरकाजी–13	मा0 खामपुर	2.011	0.400	—
9	पुरकाजी–13	रा0 बरला	7.240	2.530	—
10	पुरकाजी–13	रा0 पुरकलॉ	7.643	2.680	—
11	पुरकाजी–13	रा0 लैपट बसेडा	8.850	3.100	—
12	पुरकाजी–13	मा0 भैसरहैडी	1.000	0.200	—
13	पुरकाजी–13	रा0 लैपट मेन	14.882	5.210	—
14	पुरकाजी–13	मा0 तुगलकपुर	3.114	0.620	—
15	पुरकाजी–13	मा0 भूराहेडी	0.800	0.160	—
16	पुरकाजी–13	मा0 खुर्दपुर	3.821	0.760	—
17	पुरकाजी–13	रा0 फलौदा	7.240	2.530	—
18	पुरकाजी–13	मा0 पुरकाजी	1.400	0.490	—
19	पुरकाजी–13	रा0 लैपट मौ0पुर	1.609	0.560	—
20	पुरकाजी–13	खिन्दडिया नाला	1.300	1.270	—
21	पुरकाजी–13	मेघाखेडी नाला	4.600	4.500	4.334
22	पुरकाजी–13	रई नाला	2.800	2.740	—
23	पुरकाजी–13	बरला छपार नाला	2.000	1.960	5.600
	विधानसभा पुरकाजी का योग		125.972	48.670	9.934
1	मीरापुर–16	रा0 राईट बसेडा	5.831	2.040	—
2	मीरापुर–16	रा0 राईट बसेडा	5.230	1.830	—
3	मीरापुर–16	रा0 मन्सूरपुर	7.850	2.750	—
4	मीरापुर–16	रा0 मन्सूरपुर	4.800	1.680	—
5	मीरापुर–16	रा0 लैपट बसेडा	8.648	3.030	—
6	मीरापुर–16	रा0 लैपट मेन	8.650	3.030	—
7	मीरापुर–16	मा0 फिरोजपुर	2.011	0.400	—
8	मीरापुर–16	रा0 मीरापुर	28.667	10.080	—
9	मीरापुर–16	मा0 कम्हेडा	3.356	0.670	—
10	मीरापुर–16	मा0 तेवडा	3.838	0.770	—
11	मीरापुर–16	मा0 ढोसरी	6.436	1.280	—
12	मीरापुर–16	मा0 सम्भलहेडा	8.052	1.610	—
13	मीरापुर–16	मा0 जडवड	2.011	0.400	—
14	मीरापुर–16	मा0 भाजरा	2.011	0.400	—
15	मीरापुर–16	मा0 कादीपुर	2.615	0.520	—
16	मीरापुर–16	मा0 गादला	2.011	0.400	—
17	मीरापुर–16	रा0 भोकरहेडी	15.687	5.490	—
18	मीरापुर–16	रा0 लैपटे मौ0पुर	19.308	6.760	—
19	मीरापुर–16	मा0 सिकन्दरपुर	4.827	0.970	—
20	मीरापुर–16	मा0 यजीराबाद	1.609	0.320	—
21	मीरापुर–16	मा0 गडयाडा	1.730	0.350	—
22	मीरापुर–16	रा0 भोपा	5.632	1.970	—
23	मीरापुर–16	मा0 बीरवाला	1.609	0.320	—
24	मीरापुर–16	रा0 अथाई	6.436	2.250	—
25	मीरापुर–16	रा0 मोरना	16.090	5.630	—
26	मीरापुर–16	मा0 वेहडा सादात	1.810	0.360	—
27	मीरापुर–16	रा0 तिस्सा	5.028	1.760	—
28	मीरापुर–16	रा0 पिमौडा	19.470	6.810	—

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
29	मीरापुर–16	रा0 काटका	8.600	3.020	—
30	मीरापुर–16	मा0 चित्तौडा	4.062	0.810	—
31	मीरापुर–16	मा0 जन्धेडी	1.100	0.220	—
32	मीरापुर–16	मा0 तालडा	11.665	2.330	—
33	मीरापुर–16	मा0 सिखेडा	3.200	0.640	—
34	मीरापुर–16	मा0 नंगला कबीर	4.205	0.840	—
35	मीरापुर–16	रा0 राईट जौली	22.247	11.700	—
36	मीरापुर–16	मा0 बुपाडा	5.230	1.310	—
37	मीरापुर–16	मा0 भैंसी	3.248	0.810	—
38	मीरापुर–16	मा0 फुलत	6.105	1.530	—
39	मीरापुर–16	मा0 चन्दशीना	6.436	1.610	—
40	मीरापुर–16	मा0 जलालपुर	2.011	0.500	—
41	मीरापुर–16	रा0 खतौली	18.100	8.240	—
42	मीरापुर–16	मा0 अन्तवाडा	3.369	0.840	—
43	मीरापुर–16	मा0 लिसौडा	3.279	0.820	—
44	मीरापुर–16	रा0 अपर दौराला	6.829	2.730	—
45	मीरापुर–16	मा0 मोहिउद्दीनपुर	1.408	0.350	—
46	मीरापुर–16	मा0 कढली	7.737	1.930	—
47	मीरापुर–16	मा0 टिटौरा	3.710	0.930	—
48	मीरापुर–16	रा0 मेन बसेडा	6.034	2.270	—
49	मीरापुर–16	चितौडा नाला	4.400	4.300	1.800
	विधानसभा मीरापुर का योग		334.228	111.610	1.800
1	खतौली–15	रा0 मन्सूरपुर	5.091	1.780	—
2	खतौली–15	रा0 काटका	0.785	0.270	—
3	खतौली–15	मा0 जन्धेडी	0.475	0.100	—
4	खतौली–15	मा0 भलवा	5.430	1.090	—
5	खतौली–15	मा0 नंगला चढाव	1.332	0.270	—
6	खतौली–15	मा0 सिखेडा	8.407	1.680	—
7	खतौली–15	मा0 नंगला कबीर	0.200	0.040	—
8	खतौली–15	मा0 नावला	5.433	1.090	—
9	खतौली–15	रा0 सलारपुर	14.080	7.570	—
10	खतौली–15	रा0 अन्ती	16.490	8.100	—
11	खतौली–15	रा0 अपर चूडियाला	9.250	5.160	—
12	खतौली–15	मा0 नंगली	5.090	1.780	—
13	खतौली–15	मा0 भूम्मा	4.420	1.550	—
14	खतौली–15	मा0 घटावली	2.410	0.840	—
	विधानसभा खतौली का योग		78.893	31.320	0.000
1	कैराना–08	रा0 कैराना	19.990	8.990	0.000
2	कैराना–08	रा0 खन्द्रावली	21.118	12.670	0.000
3	कैराना–08	मा0 मार्लेण्डी	9.251	2.350	0.000
4	कैराना–08	मा0 कसेरवा	7.441	1.700	0.000
5	कैराना–08	मा0 भन्ना माजरा	8.656	2.000	0.000
6	कैराना–08	मा0 जुसाना	4.224	1.000	0.000
7	कैराना–08	मा0 फतेहपुर	5.430	1.350	0.000
8	कैराना–08	मा0 तितरवाडा	4.820	1.250	0.000
9	कैराना–08	मा0 टाण्डा	4.368	0.750	0.000
10	कैराना–08	मा0 लुम्ब	3.639	0.950	0.000
11	कैराना–08	मा0 घसौली	2.706	0.680	0.000
12	कैराना–08	साल्लाखेडी ड्रेन	0.000	0.000	1.810
13	कैराना–08	मल्लामाजरा ड्रेन	0.000	0.000	0.202
	विधान सभा कैराना का योग		91.643	33.690	2.012

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	शामली–10	रा0 मौरा	1.810	0.720	0.000
2	शामली–10	रा0धर्धेव	17.302	6.920	0.000
3	शामली–10	रा0गोहरनी	12.268	4.910	0.000
4	शामली–10	रा0 मालीपुर	13.073	5.230	0.000
5	शामली–10	रा0 कांधला	9.452	3.840	0.000
6	शामली–10	रा0 फजलपुर	11.263	4.500	0.000
7	शामली–10	राजवाहा लोई	0.000	0.000	20.500
8	शामली–10	मा0 सौन्टा	0.600	0.07	0.000
9	शामली–10	मा0 झाल	4.424	1.00	0.000
10	शामली–10	मा0 डांगरोल	6.235	1.55	0.000
11	शामली–10	मा0 रामपुर खेड़ी	2.418	0.56	0.000
12	शामली–10	मा0 भनेड़ा	2.030	0.51	0.000
13	शामली–10	मा0 भारसी	1.400	0.20	0.000
14	शामली–10	भैंसवाल ड्रेन	5.000	10.00	5.660
15	शामली–10	आल्दी फतेहपुर ड्रेन	0.000	0.00	15.889
16	शामली–10	भैंसवाल न्यूफट ड्रेन	3.420	3.50	0.000
17	शामली–10	बुटराडा ड्रेन	0.000	0.000	8.045
18	शामली–10	शामली ड्रेन	0.000	0.000	13.878
19	शामली–10	गोहरनी ड्रेन	0.000	0.000	3.420
20	शामली–10	महरामपुर ड्रेन	0.000	0.000	1.106
21	शामली–10	मुन्डेट ड्रेन	0.000	0.000	0.603
22	शामली–10	खेडी करमू कट ड्रेन	0.000	0.000	1.005
23	शामली–10	धर्धेव ड्रेन	0.000	0.000	3.922
24	शामली–10	गुज्जरपुर ड्रेन	0.000	0.000	1.710
25	शामली–10	मलकपुर ड्रेन	0.000	0.000	1.810
26	शामली–10	खन्द्रावली ड्रेन	0.000	0.000	5.008
27	शामली–10	पंजोखरा ड्रेन	0.000	0.000	3.420
28	शामली–10	हरमजपुर ड्रेन	0.000	0.000	0.603
29	शामली–10	साईड ड्रेन (पूर्वी यमुना नहर के मील 65.00 से 68.30 तक)	0.000	0.000	5.309
30	शामली–10	साईड ड्रेन (पूर्वी यमुना नहर के मील 74.00 से 77.00 तक)	0.000	0.000	4.827
31	शामली–10	पंजोखरा कट	0.000	0.000	1.710
32	शामली–10	एलम ड्रेन	0.000	0.000	1.609
33	शामली–10	करौदा ड्रेन	0.000	0.000	3.057
34	शामली–10	लॉक ड्रेन	0.000	0.000	8.045
35	शामली–10	गढी श्याम ड्रेन	0.000	0.000	1.810
36	शामली–10	ऊँचा गॉव ड्रेन	0.000	0.000	1.710
37	शामली–10	सलायर ड्रेन	8.689	20.00	13.033
38	शामली–10	टिटौली ड्रेन	0.000	0.000	22.727
39	शामली–10	सिकन्दरपुर ड्रेन	0.000	0.000	7.625
40	शामली–10	लूम्ब ड्रेन	0.000	0.000	9.515
41	शामली–10	भैंसवाल कट ड्रेन	0.000	0.000	0.805
विधानसभा शामली योग			**99.384**	**63.510**	**168.361**
1	थानाभवन–09	रा0 जलालाबाद	7.039	2.44	0.000
2	थानाभवन–09	रा0 मसावी	11.467	4.59	0.000
3	थानाभवन–09	रा0कैराना	16.000	7.20	0.000
4	थानाभवन–09	रा0भैंसवाल	14.769	4.40	0.000
5	थानाभवन–09	रा0यारपुर	18.287	8.22	0.000
6	थानाभवन–09	मा0 यावरी	10.458	3.66	0.000
7	थानाभवन–09	मा0 कादरगढ़	2.414	0.60	0.000

क्र० सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	माइनर/राजवाहा/ड्रेन का नाम	सिल्ट सफाई/खुदाई (कि०मी० में)	व्यय की गयी धनराशि (रु० लाख में)	शेष सफाई/खुदाई (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
8	थानाभवन–09	मा0 उमरपुर	2.616	0.52	0.000
9	थानाभवन–09	मा0 ताना	3.016	0.50	0.000
10	थानाभवन–09	मा0 भैंसयाल	2.614	0.50	0.000
11	थानाभवन–09	मा0 गुलमानकपुर	0.201	0.05	0.000
12	थानाभवन–09	मा0 मस्तगढ़	5.631	1.69	0.000
13	थानाभवन–09	मा0 कैंडी	3.620	0.72	0.000
14	थानाभवन–09	मा0 बनत	5.229	1.35	0.000
15	थानाभवन–09	हरड ड्रेन	9.172	10.00	6.114
16	थानाभवन–09	राझड कट ड्रेन	0.000	0.00	0.402
17	थानाभवन–09	महावतपुर ड्रेन	0.000	0.000	2.615
18	थानाभवन–09	धनेना ड्रेन	3.822	4.00	0.000
19	थानाभवन–09	नौजल ड्रेन	5.431	5.00	0.000
20	थानाभवन–09	उस्मानपुर ड्रेन	0.000	0.000	1.810
21	थानाभवन–09	मानकपुर ड्रेन	0.000	0.000	0.805
22	थानाभवन–09	मस्तगढ ड्रेन	0.000	0.000	1.308
23	थानाभवन–09	राझड ड्रेन	0.000	0.000	4.827
24	थानाभवन–09	गढी ड्रेन	0.000	0.000	2.414
25	थानाभवन–09	जन्धेडी ड्रेन	0.000	0.000	0.805
26	थानाभवन–09	नौजल कट ड्रेन	0.000	0.000	0.805
27	थानाभवन–09	हीन्ड ड्रेन	0.000	0.000	1.710
28	थानाभवन–09	यारपुर ड्रेन	0.000	0.000	1.270
29	थानाभवन–09	पेलखा ड्रेन	0.000	0.000	4.827
30	थानाभवन–09	भनेडा उददा ड्रेन	0.000	0.000	3.218
31	थानाभवन–09	घाघरी ड्रेन	0.000	0.000	3.620
32	थानाभवन–09	रज्जाक नगर ड्रेन	0.000	0.000	3.620
33	थानाभवन–09	साईड ड्रेन पूर्वी यमुना नहर के मील 58.0 से 61.50	0.000	0.000	5.833
34	थानाभवन–09	बून्टा ड्रेन	0.000	0.000	1.609
35	थानाभवन–09	पलटेडी ड्रेन	0.000	0.000	1.207
36	थानाभवन–09	दूल्लाखेडी ड्रेन	0.000	0.000	4.023
37	थानाभवन–09	रा0 जलालाबाद	1.609	0.560	0.000
38	थानाभवन–09	रा० फल्लरपुर	4.600	6.800	0.000
39	थानाभवन–09	रा० गदेवड	8.500	7.040	14.026
विधानसभा थानाभवन का योग			136.495	69.847	66.868
राजस्व मंडल सहारनपुर का योग			1849.782	854.585	416.051

(दिनेश कुमार पाण्डुवीते)
मुख्य अभियन्ता (यमुना)

नत्थी (च)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-95 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-97-98 पर)

दिनांक 01.01.2023 से 20.12.2023 तक हत्या के पंजीकृत अभियोगों का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	कुल अभियोगों की संख्या	क्र0सं0	जनपद	कुल अभियोगों की संख्या
1	मेरठ	88	39	बाराबंकी	26
2	बुलन्दशहर	49	40	अमबेडकर नगर	22
3	बागपत	42	41	अमेठी	26
4	हापुड़	32	42	प्रतापगढ़	52
5	सहारनपुर	34	43	फतेहपुर	25
6	मुजफ्फरनगर	30	44	कौशाम्बी	33
7	शामली	19	45	बांदा	36
8	बरेली	80	46	हमीरपुर	26
9	बदायूं	41	47	महोबा	17
10	पीलीभीत	32	48	चित्रकूट	24
11	शाहजहांपुर	23	49	गोरखपुर	54
12	मुरादाबाद	45	50	देवरिया	28
13	बिजनौर	51	51	कुशीनगर	40
14	रामपुर	28	52	महराजगंज	27
15	अमरोहा	21	53	बस्ती	37
16	सम्भल	32	54	संतकबीरनगर	13
17	मथुरा	77	55	सिद्धार्थनगर	12
18	फिरोजाबाद	59	56	गोण्डा	27
19	मैनपुरी	27	57	बहराईच	30
20	अलीगढ़	70	58	बलरामपुर	12
21	एटा	27	59	श्रावस्ती	11
22	हाथरस	36	60	आजमगढ़	36
23	कासगंज	26	61	मऊ	15
24	कानपुर देहात	29	62	बलिया	19
25	इटावा	15	63	मीरजापुर	20
26	औरैया	23	64	सोनभद्र	22
27	फतेहगढ़	30	65	भदोही	9
28	कन्नौज	27	66	जौनपुर	50
29	झांसी	31	67	गाजीपुर	24
30	जालौन	22	68	चन्दौली	6
31	ललितपुर	11	69	कमिश्नरेट लखनऊ	103
32	सीतापुर	48	70	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	51
33	उन्नाव	48	71	कमिश्नरेट कानपुर नगर	93
34	हरदोई	32	72	कमिश्नरेट वाराणसी	42
35	खीरी	25	73	कमिश्नरेट आगरा	86
36	रायबरेली	28	74	कमिश्नरेट प्रयागराज	90
37	अयोध्या	23	75	कमिश्नरेट गाजियाबाद	104
38	सुल्तानपुर	31	76	जीआरपी	6
योग–		1392	योग–		1354
कुल योग– 1392 + 1354 = 2746					

03.02.2024

03.2.24

344

नत्थी (छ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-109 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-104 पर)

सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर

विधान सभा क्षेत्र पड़रौना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के कराये गये सिल्ट सफाई कार्य की सूची:–

क्र0 सं0	संगठन का नाम	मण्डल का नाम	खण्ड का नाम	जनपद का नाम	नहर का विवरण				लागत साख रू0
					नहर का नाम	सिल्ट सफाई हेतु		लम्बाई (किमी0)	
						कहां से	कहां तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	हरपुर राजवाहा	14.500	15.500	1.000	0.60
2	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	बिताहा राजवाहा	4.500	8.771	4.271	2.10
3	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	कुर्दोना राजवाहा	0.000	5.000	5.000	2.70
4	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	गायघाट राजवाहा	0.000	9.500	9.500	5.70
5	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	बैती राजवाहा	0.000	1.200	1.200	0.60
6	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	इरवा राजवाहा	0.000	7.000	7.000	4.20
7	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	जगुनिया राजवाहा	0.000	9.541	9.541	5.38
8	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	दुमरी राजवाहा	0.000	6.050	6.050	2.50
9	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	कल्याण राजवाहा	0.000	9.600	9.600	2.60
10	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	बडहरा राजवाहा	4.000	6.000	2.000	4.06
						10.500	17.000	6.500	
					राजवाहा की कुल लम्बाई किमी0–			61.662	
1	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	रसूलपुर माइनर	0.000	5.800	5.800	1.91
2	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	बदरौना मा0	0.000	3.420	3.420	1.08
3	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	पगरा मा0	0.000	3.200	3.200	0.86
4	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड, कुशीनगर	कुशीनगर	संखवनिया मा0	0.000	2.011	2.011	0.71
5	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	चौरिया माइनर	0.000	7.400	7.400	1.85
6	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	नाहरपरा मा0–2	0.000	4.600	4.600	0.50
7	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	किन्नरपट्टी मा0	0.000	3.300	3.300	0.83
8	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	जोगिया मा0	0.000	4.000	4.000	1.00
9	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	अहिरौली माइनर	0.000	2.600	2.600	0.65
10	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	मुजाहिदा माइनर	0.000	4.600	4.600	1.10
11	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	कुरमौल माइनर	0.000	2.400	2.400	0.60
12	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	नाहरपरा मा0–2	0.000	2.000	2.000	0.50
13	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	बकुलहा माइनर	0.000	2.200	2.200	0.55
14	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	डुमरा माइनर	0.000	2.600	2.600	0.65
15	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	सोनवल माइनर	0.000	4.300	4.300	1.05
16	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	सिधुवा माइनर	0.000	3.800	3.800	0.94
17	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	मटेहिनिया माइनर	0.000	1.900	1.900	0.55
18	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	सरया माइनर	0.000	1.609	1.609	0.32
19	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	बनवीरपुर माइनर	0.000	2.182	2.182	0.55
20	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	कटकुइया माइनर	0.000	5.690	5.690	1.37
21	गण्डक	सिंचाई कार्य मण्डल–प्रथम,गोरखपुर	सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर	कुशीनगर	सिकटा माइनर	0.000	5.914	5.914	1.50
					माइनर की कुल लम्बाई किमी0–			75.526	49.51

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड–द्वितीय, कुशीनगर

नत्थी (ज)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-117 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-110 पर)

न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) कैराना
धारा 34 उ0प्र0रा0संहिता के लम्बित वादों का विवरण
दिनांक 25.03.2023 से पूर्व लम्बित वादों की स्थिति

वादी बनाम प्रतिवादी	दायरा तिथि	नियत तिथि	अन्य विवरण
श्रीमती नीलम बना रामफल	28.04.2022	01.02.2024	साक्ष्यवादी
शमशाद बनाम राजकुमार	24.03.2023	01.02.2024	सुनवाई

तहसीलदार कैराना
जिला शामली

न्यायालय नायब तहसीलदार कैराना
धारा–34 उ0प्र0रा0संहिता के लम्बित वादों का विवरण
दिनांक 25.03.2023 से पूर्व लम्बित वादों की स्थिति

क0	वादी बनाम प्रतिवादी	दायरा तिथि	नियत तिथि	अन्य विवरण
1	हमदान बनाम रिजवान	16.12.2022	05.02.2024	जिरह वादी
2	हमदान बनाम रिजवान	16.12.2022	05.02.2024	जिरह वादी
3	मवासी बनाम ज्योतिप्रसाद	30.12.2022	05.02.2024	साक्ष्यवादी
4	जूही मित्तल बनाम सागर	03.01.2023	01.02.2024	आपत्ति
5	विमला देवी बनाम अरविन्द	13.02.2023	05.02.2024	सुनवाई

तहसीलदार कैराना
जिला शामली

न्यायालय तहसीलदार कैराना
धारा 34 उ0प्र0रा0संहिता के लम्बित वादों का विवरण
दिनांक 25.03.2023 से पूर्व लम्बित वादों की स्थिति

क0	वादी बनाम प्रतिवादी	दायरा तिथि	नियत तिथि	अन्य विवरण
3	कार्तिक मित्तल बनाम मनोज कुमार	25.05.2022	01.02.2024	जिरह वादी
4	श्रीमती मामो बना जैदेई	04.07.2022	01.02.2024	वास्ते सुनवाई

तहसीलदार कैराना
जिला शामली

न्यायालय तहसीलदार ऊन
धारा 34 यू0पी0आर0सी0–2006 के दिनांक 25.03.2023 को लम्बित वादो की सूची

क्र0स0	कंप्यूटरीकृत वाद संख्या	योजित तिथि	नाम पक्षकार	ग्राम का नाम	स्थिति	निस्तारण दिनाक
1	टी202209720702479	02.11.2022	गुरीन्द्र कौर बनाम कश्मीर सिंह	सकौती	निस्तारित	06.04.2023
2	टी201909720701186	23.11.2019	श्रीमती हसीना बनाम ऋषिपाल	कमालपुर	निस्तारित	05.04.2023
3	टी202209720700049	05.01.2022	रविन्द्र कुमार बनाम देवेन्द्र सिंह	बझेडी	निस्तारित	25.04.2023
4	टी202309720700195	01.02.2023	जगतसिंह बनाम मदन कुमार	कमालपुर	निस्तारित	25.04.2023
5	टी202209720700661	07.04.2022	आसमौहम्मद बनाम गावसभा	जिजौला	निस्तारित	17.05.2023
6	टी202109720700403	12.02.2021	स्वामी ऋषिदास बनाम गावसभा	ऊन	निस्तारित	17.05.2023
7	टी202109720701809	29.09.2021	देवेन्द्र बनाम गावसभा	शामली शामला	निस्तारित	17.05.2023
8	टी202109720700365	09.02.2021	अयाज बनाम गावसभा	चुन्धयारी	निस्तारित	17.05.2023
9	टी202209720700833	06.05.2022	अमित कुमार बनाम गावसभा	शामली शामला	निस्तारित	17.05.2023
10	टी202109720700357	09.02.2021	प्रमोद कुमार बनाम गावसभा	मानकपुर	निस्तारित	17.05.2023
11	टी202209720700707	18.04.2022	संजय कुमार बनाम गावसभा	गंगारामपुर	निस्तारित	17.05.2023
12	टी202109720700479	28.02.2021	राकेश कुमार बनाम गावसभा	गढी अब्दुल्ला खा	निस्तारित	17.05.2023
13	टी202109720700402	12.02.2021	तेजपाल सिंह बनाम गावसभा	ऊन	निस्तारित	17.05.2023
14	टी202109720700358	09.02.2021	विक्रमसिंह बनाम गावसभा	मानकपुर	निस्तारित	17.05.2023
15	टी202109720700364	09.02.2021	भाले सिंह बनाम गावसभा	बझेडी	निस्तारित	17.05.2023
16	टी202209720702479	28.02.2023	कौशल बनाम गावसभा	याहियापुर	निस्तारित	17.05.2023
17	टी202209720701715	17.09.2021	इकबाल बनाम गावसभा	अलीपुरा	निस्तारित	17 05 2023
18	टी202209720701716	09.02.2021	नसैर सिंह बनाम गावसभा	याहियापुर	निस्तारित	17 05 2023
19	टी202109720700361	09.02.2021	मफ्फार बनाम गावसभा	बझेडी	निस्तारित	17 05 2023
20	टी202209720701284	14.06.2022	वसीम बनाम गावसभा	मानकपुर	निस्तारित	17 05 2023
21	टी202209720702391	19.10.2022	राहुल कुमार बनाम गावसभा	सिंघाना	निस्तारित	17 05 2023
22	टी202209720702661	27.10.2022	शाहबसिंह बनाम गावसभा	बोलसभा	निस्तारित	17 05 2023
23	टी202209720702604	04.11.2022	राकेश कुमार बनाम पप्पू	सिंघाली	निस्तारित	06 06 2023

24	CH02109720702388	17.12.2021	प्रतिभा बनाम राजेश	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	06.06.2023
25	CH02209720702907	20.12.2022	हरेन्द्र शिक्षा बनाम राजेश	शिक्षा केन्द्र	Executed	06.06.2023
26	CH02209720702779	05.12.2022	आशिया देवी बनाम गीता	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	07.06.2023
27	CH02209720702002	08.09.2022	अनिता बनाम गीता	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	07.06.2023
28	CH02209720702001	08.09.2022	अनिता बनाम अंजना	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	07.06.2023
29	CH02209720702842	14.12.2022			Executed	07.06.2023
30	CH02209720702841	14.12.2022	श्रीमती गीता बनाम		Executed	20.06.2023
31	CH02209720700043	05.01.2022	श्रीमती गीता देवी बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	20.06.2023
32	CH02209720700046	05.01.2022	श्रीमती गीता देवी बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	20.06.2023
33	CH02209720700044	05.01.2022	श्रीमती गीता देवी बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	20.06.2023
34	CH02209720700046	05.01.2022	श्रीमती गीता देवी बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	20.06.2023
35	CH02209720702408	20.10.2022	सोहराब पुत्रान बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	10.07.2023
36	CH02209720700052	11.02.2022	श्रीमति पुष्पा पुत्रान	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	10.07.2023
37	CH02209720702479	04.02.2023	[illegible] बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	20.07.2023
38	CH02209720702661	23.11.2022	पवन सिंह बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	21.07.2023
39	CH02109720702078	29.01.2021	संजय कुमार बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	22.07.2023
40	CH02109720700897	17.06.2021	जी.पब्लिक कुमार	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	23.07.2023
41	CH02209720702810	08.12.2022	पब्लिक बनाम सीमा	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	31.07.2023
42	CH02209720702985	17.12.2022	मुकुन्दिल बनाम विनोद	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	31.07.2023
43	CH02209720702963	24.12.2022	मुनीर कुमार बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	14.08.2023
44	CH02209720701461	01.07.2022	श्रीमती अंजली बनाम	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	14.08.2023
45	CH02209720701579	14.07.2023	अंजलि बनाम राजेन्द्र	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	18.08.2023
46	CH02209720700356	14.02.2022	शाहिदा बनाम [illegible]	महिला शिक्षा केन्द्र	Executed	14.12.2023

47	टी20220972070624	28.03.2022	सिहाना बनाम वकील	गुराना	निरस्तशुदा	22 12 2023
48	टी20220972070204	08.09.2022	विक्रमसिंह बनाम दर्शनलाल	सकोती	निरस्तशुदा	23 12 2023
49	टी20220972070190	27.08.2022	गुलिस्ता बनाम इरशादी	बुरधयारी	निरस्तशुदा	23 12 2023
50	टी20220972070240	20.10.2022	सुल्ताना बनाम युसुफ	जिजौला	निरस्तशुदा	12.01.2024
51	टी20220972070122	08.06.2022	पिरथी बनाम दर्शन	टपराना	निरस्तशुदा	20.01.2024
52	टी20220972070165	19.07.2022	हनीफ बनाम रिजवाना	चौसाना जदीद	निरस्तशुदा	20.01.2024
53	टी20220972070293	21.12.2022	विनित कुमार राणा बनाम अजेब सिंह	याहियापुर	निरस्तशुदा	29.01.2024

तहसीलदार कन
जनपद शामली

नत्थी (झ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-128 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-116-117 पर)

नलकूप मण्डल, आजमगढ़

जनपद बलिया में दिनांक 18.01.2024 को यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द नलकूपों का विवरण।

क्र. सं.	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	नलकूप संख्या व समूह	बन्दी का कारण	
					यांत्रिक दोष	विद्युत दोष
1	2	3	4	5	6	7
1	बलिया	दुबहड़	चन्द्रपुरा	300 BG	याँत्रिक दोष	–
2	बलिया	हनुमानगंज	शंकरपुर	55 BG	याँत्रिक दोष	–
3	बलिया	हनुमानगंज	करनई	325 BG	याँत्रिक दोष	–
4	बलिया	सोहाव	महरेई	86 BG	याँत्रिक दोष	–
5	बलिया	गड़वार	कुर्थिया	103 BG	याँत्रिक दोष	–
6	बलिया	मुरलीछपरा	कर्णछपरा	307 BG	याँत्रिक दोष	–
7	बलिया	बेलहरी	तुलापुर	237 BG	याँत्रिक दोष	–
8	बलिया	पन्दह	कड़सर	76 BDG	याँत्रिक दोष	–
9	बलिया	सीयर	कुशहारसीदपुर	240 RG	याँत्रिक दोष	–
10	बलिया	रसड़ा	बस्ती	144 RG	याँत्रिक दोष	–
11	बलिया	चिलकहर	गौराई	174 RG	याँत्रिक दोष	–
12	बलिया	गड़वार	वसुदेवा	109 BG	–	विद्युत दोष
13	बलिया	गड़वार	हँकारपुर	06 BG	–	विद्युत दोष
14	बलिया	गड़वार	रामपुरभोज	79 BG	–	विद्युत दोष
15	बलिया	सीयर	चरौवा	217 RG	–	विद्युत दोष
16	बलिया	बेलहरी	सोनवानी	215 BG	–	विद्युत दोष
17	बलिया	चिलकहर	फत्तेपुर	340 RG	–	विद्युत दोष
18	बलिया	चिलकहर	सिकरिया	250 RG	–	विद्युत दोष
19	बलिया	चिलकहर	बहोरापुर	270 RG	–	विद्युत दोष

अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप मण्डल, आजमगढ़

नत्थी (अ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-136 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-121 पर)

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 में विभागवार पदोन्नति की सूची –

क्रम सं0	विभाग का नाम	पद का नाम
1.	गृह विभाग	1.सहायक रेडियो अधिकारी पद–05 2.वैज्ञानिक अधिकारी पद–01 3.पुलिस उपाधीक्षक पद–00
2.	कारागार विभाग	1.उप कारापाल पद–90 2. जेल अधीक्षक पद–10
3.	मत्स्य विभाग	1.मत्स्य निरीक्षक पद–20
4.	सचिवालय	1.सहायक समीक्षा अधिकारी पद–83 2.समीक्षा अधिकारी पद–165
5.	पशुधन एवं दुग्ध विभाग	1.फार्म प्रबंधक/सहायक निदेशक फार्म/चारा विकास अधिकारी और कृषि अधिकारी पद–05
6.	खेलकूद विभाग	1.क्रीडाधिकारी पद–04
7.	उच्च शिक्षा विभाग/राजकीय डिग्री कालेज	1.उप कुलसचिव पद–17
8.	समाज कल्याण विभाग/महिला कल्याण विभाग	1.शोध अधिकारी पद–02 2.जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पद–20 3.प्रोबेशन अधिकारी/केस वर्कर/अधीक्षक पद–39
9.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1.सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी पद–06
10.	राजस्व विभाग	1.डिप्टी कलेक्टर पद–82 2.समीक्षा अधिकारी पद–10 3.नायब तहसीलदार पद–607
11.	आबकारी विभाग	1.आबकारी निरीक्षक पद–17
12.	वित्त विभाग(संस्थागत वित्त सहित)	1.वाणिज्य कर अधिकारी पद–123 2.सहायक आयुक्त राज्य कर पद–100 3.जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक निदेशक पद–45 4.लेखाधिकारी/कोषाधिकारी पद–58
13.	भूगर्भ एवं खनिकर्म	1.सहायक भू–भौतिकविद् पद–01 2.सहायक रसायनज्ञ पद–02 3.सहायक भू वैज्ञानिक पद–12
14.	भूमिगत जल सर्वेक्षण/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	1.हाइड्रोलॉजिस्ट पद–03
15.	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल	1.युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद–34
16.	लोक निर्माण विभाग	1.सहायक अभियन्ता सिविल पद–189 2.सहायक अभियन्ता विद्युत/यांत्रिकी पद–21
17.	सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग	सहायक अभियंता पद–41
18.	श्रम विभाग	सहायक श्रमायुक्त पद–04
19.	उद्योग विभाग	शोध अधिकारी पद–01
20.	परिवहन एवं पर्यटन विभाग	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी पद–02
21.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग	राज्य प्रशिक्षण श्रेणी–2(प्रधानाचार्य श्रेणी–2) पद–50
22.	आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग	01.रीडर कौमारभृत्य पद–04 02.रीडर अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद पद–01 03.रीडर काय चिकित्सा पद–05 04.रीडर द्रव्य गुण पद–05 05.रीडर रचना शारीर पद–01
23.	पंचायत राज/जिला परिषद्	1.जिला पंचायत अधिकारी पद–02

24.	आवास विकास	1.सहायक अभियन्ता कुल पद–03 2. सहायक नगर नियोजक पद–01 3. सहायक अभियन्ता सिविल पद–31 4.सहायक लेखाधिकारी पद–01
25.	होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाए (चिकित्साधिकारी के पद)	1.प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी पद–02 2. प्रोफेसर कम्यूनिटी मेडिसिन पद–01 3. रीडर तशरीहुल बदन पद–01 4. रीडर इल्मुल अदबिया पद–01 5. रीडर मोआलेजात पद–01
26.	ग्रामीण अभियंत्रण	1.सहायक अभियंता सिविल पद–71 2.सहायक अभियंता सिविल पद–242
27.	कृषि विभाग	1.कृषि सेवा समूह–ख, श्रेणी–2(अभियंत्रण शाखा) पद–46
28.	फलोपयोग एवं औद्यानिक विभाग	1.खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी–2(विकास शाखा) पद–02 2.कीट विज्ञान श्रेणी–2 पद–01
29.	औद्योगिक विकास विभाग	1.प्रबन्धक सिविल पद–31
30.	मद्य निषेध विभाग	1.राज्य मद्य निषेध अधिकारी पद–01
31.	विधि एवं माप विज्ञान विभाग	1.सहायक नियंत्रक वर्ग–1 पद–03 2. सहायक नियंत्रक वर्ग–2 पद–01
32.	वन विभाग	1.अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी(सांख्यिकीय) से सांख्यिकीय अधिकारी पद–05 2.क्षेत्रीय वनाधिकारी पद–51 3.सहायक वन संरक्षक पद–65
33.	ऊर्जा विभाग	1.सहायक निदेशक पद–01

नत्थी (ट)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-204 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-159-160 पर)

List of Startups that received Sustenance Allowance funds from "Startup Policy 2020" - January 2022 - December 2023

S.NO	Name of the Startup	Amount of Sustenance Allowance disbursed	स्टार्टअप पॉलिसी 2020* - जनवरी 2022 - दिसंबर 2023 में वित्तीय भत्ता लिये प्राप्त करने वाले स्टार्टअप की सूची		
			लाभार्थी और स्टार्टअप का नाम और पता	प्रदान की गई सहायता का विवरण (ए प्रकार की फ्रेट आदि में)	
1	Siberian Crane Tech Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt - 180000, 1st Tranche - 45000	साइबीरियन क्रेन टेक प्राइवेट लिमिटेड	अस्तित्व भत्ता, अनुमोदित एमटी - 180000, 1 पहली किस्त-45000	
2	ANSRCOACH EDUVENTURES PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amount - 270000, 1st and 2nd Tranche - 202500	एनसरोच एडुवेन्चरस प्राइवेट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित राशि - 270000, 1 और द्वितीय किस्त - 202500	
3	NEWGETHER INDIA PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amount - 180000, 1st and 2nd Tranche - 135000	न्यू गेदर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	भरण भत्ता, अनुमोदित राशि - 180000, 1 और 2 किस्त - 135000	
4	Dream Provider Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt - 180000, 1st Tranche - 45000	ड्रीम प्रदाता प्राइवेट लिमिटेड	अस्तित्व भत्ता, अनुमोदित एमटी - 180000, 1 पहली किस्त - 45000	
5	Croblaze Agritech Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt - 180000, 1st Tranche - 45000	क्रलब्लेज़ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	अस्तित्व भत्ता, अनुमोदित एमटी - 180000, 1 पहली किस्त - 45000	
6	Vajraled Solutions Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt - 270000, 1st Tranche - 67500	वाज्रलेड सोल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	भरण भत्ता, अनुमोदित एमटी - 270000, 1 पहली किस्त - 67500	
7	MYCOERA PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	माइकोरा प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
8	SKV POWER AND ENERGY PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	एसकेवी पावर एंड एनर्जी प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
9	Phytecora Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	पाइथकोरा प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
10	SHOPTRIANGLE PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	शॉप ट्राइएंगल प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
11	EENT PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	ईंट प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
12	Bijendra Gaushala Pvt Ltd	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	बीजेंद्र गौशाला प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
13	J Travel Transport India Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	जे ट्रैवल ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
14	ADZIP TECHNOLOGIES PVT LTD	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	एडजिप टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
15	Pacing Grass Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	पेसिंग ग्रास प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
16	PERANUM FUTURE'S PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	पेरानम फ्यूचर प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
17	Mallyari Technology Private Limited	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 315000, 1st Tranche - 78750	मालियारी टेक्नोलोजी प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 315000, पहली किस्त - 78750	
18	DOWNPOUR CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	Sustenance Allowance, Approved Amt. - 210000, 1st Tranche - 52500	डाउनपोर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवट लिमिटेड	जीविका भत्ता, अनुमोदित एमटी। - 210000, पहली किस्त - 52500	

List of Startups that received Seed Capital funds from "Startup Policy 2020" - January 2022 - December 2023

"स्टार्टअप पॉलिसी 2020" - जनवरी 2022 - दिसंबर 2023 से सीड कैपिटल फंड प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स की सूची

S.No	Name and Address of beneficiary and startup	Details of Assistance Provided (in ₹ /Kind Exemptions etc.)	लाभार्थी और स्टार्टअप का नाम और पता	प्रदान की गई सहायता का विवरण (₹ प्रकार की छूट आदि में)
1	PETUK JI PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	पेटुक जी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त - 300000
2	ENSARV TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	इनसर्व टेक सोल्यूशनस प्रा0 लि0	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त - 300000
3	R Cube Green Technology LLP	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	आर क्यूब ग्रीन टेक्नोलॉजी एलएलपी	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
4	Quest educational technologies LLP	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	क्वेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज एलएलपी	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
5	Freshily19 agri-tech private limited	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	नए सिरे से 2019 एग्री-टेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
6	Feeding Trends Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	फीडिंग ट्रैंड्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 500000, 1 पहली किश्त - 200000
7	Auspice Social	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	समाजशास्त्री	सीड कैपिटल, एएमटी - 500000, 1 पहली किश्त - 200000
8	BINARYDOTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED/ FretBox	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	बाइनरीडॉट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड/ फ्रेटबॉक्स	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त- 300000
9	BAE INTERNET PRIVATE LIMITED/ Qaiser/ Go online	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	बीएई इन्टरनैट प्रा0 लि0/ कैसर/ गो लाइन	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
10	Empyrean Robotic Technologies LLP	Seed Capital, Approved Amount - 750000, 1st Tranche and 2nd Tranche 525000	एम्पायर रोबोटिक टेक्नोलॉजीज एलएलपी	सीड कैपिटल, स्वीकृत राशि - 750000, 1 पहली किश्त और द्वितीय किश्त 525000
11	IDR Research and Development Pvt. Ltd.	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	आईडीआर अनुसंधान और विकास प्रा। लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
12	ANEK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एनक सोल्यूशनस प्रा0 लि0	सीड कैपिटल, एएमटी - 500000, 1 पहली किश्त - 200000
13	LCB Fertilizers Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	एलसीबी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त- 300000
14	Uneako Innovations Pvt. Ltd.	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	यूनिएको इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
15	Spoxtale Digitech Pvt. Ltd.	Seed Capital, Approved Amount - 750000, 1st Tranche and 2nd Tranche 525000	स्पोक्स्टेल डिजिटेक प्रा। लिमिटेड	सीड कैपिटल, स्वीकृत राशि - 750000, 1 पहली किश्त और द्वितीय किश्त 525000
16	BIOCRUST PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	बायोक्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 500000, 1 पहली किश्त - 200000
17	earth n pots planting solutions llp	Seed Capital, Approved Amount - 750000, 1st Tranche and 2nd Tranche 525000	पृथ्वी एन पॉट्स रोपण समाधान एलएलपी	सीड कैपिटल, स्वीकृत राशि - 750000, 1 पहली किश्त और द्वितीय किश्त 525000
18	Dentist On Wheels	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	पहियों पर दंत चिकित्सक	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किश्त 350000
19	Innogical Innovation Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	मासूम नवाचार प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त - 300000
20	Rajbala Prakratik Products Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	राजबाला प्रोक्रतिक उत्पाद निजी लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त - 300000
21	Nazmehayat Enterprises Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	नाज़मायत एंटरप्राइज़ेज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 पहली किश्त - 300000
22	Workezy Private Limited	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	वर्केजी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एएमटी - 750000, 1 ट्रैंच - 300000

23	Pinancle Farms OPC Pvt. Ltd.	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	पिनकले फार्मस ओपीसी प्रा लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
24	EXCITE VISIONS AND RETAIL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED/CASHYEAR	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	उत्साह और खुदरा प्रौद्योगिकी निजी लिमिटेड/कैशियर को	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
25	KIRA PIONEERS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amount - 750000, 1st Tranche and 2nd Tranche 525000	किरा पायनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
26	MERI BAII HOME SERVE PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	मेरी बाई होम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
27	VALVEHOLIC SATYAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	वाल्वियोलिक सत्यम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, स्वीकृत राशि - 750000, पहली किस्त और द्वितीय किस्त 525000
28	NOGOZO PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	नोगोज़ो प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
29	Invariance Automation Private Limited	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	इनवेरियन्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
30	Naivo3D Solutions P. Ltd.	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	नएवो 3डी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
31	Glexpace Nebula Robotics LLP	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	ग्लेक्सस्पेस नेबुला रोबोटिक्स एलएलपी	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
32	ALPHASINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amount - 750000, 1st Tranche and 2nd Tranche 525000	अल्फासिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
33	Corporate Raasta Consulting LLP	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	कॉरपोरेट रास्ता कंसल्टिंग एलएलपी	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
34	ARTHAVEDIKA TECH PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	अर्थवेदिका टेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, स्वीकृत राशि - 750000, पहली किस्त और 2 ईच 525000
35	MEDANTRIK MEDTECH PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	मेडांट्रिक मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
36	Mali Kaka India Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	माली काका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
37	Greenverse Pvt Ltd (Air -Buddy)	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	ग्रीनवर्स प्राइवेट लिमिटेड (एयर-बडी)	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
38	Intellicon Technologies Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	इन्टेलीकॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
39	Yolo E- Commerce Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	योलो ई- कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
40	Arkision AI Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	एर्कीसन एआई प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
41	Mercurytise Hospitality Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	मरक्युरियस हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
42	ABMEC Industry Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	अबमेक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
43	Dolt Yourlself Schools Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	अपने आप को स्कूल निजी लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
44	Akshiva Innovations Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	अक्षिवा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
45	Campus Haat Solutions Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	कैम्पस हाट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
46	Opinediaries Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	Opinediaries Private Limited	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
47	Pyaretal Green Energy Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	प्यारेलाल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रूव्ड - 750000, पहली किस्त - 300000

48	MLworkx Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एमएल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
49	RF Nanocomposites Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	आरएफ नैनोकम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
50	Hacklab Solutions Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	हैकलैब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
51	Wayo Robotics Private Limited	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	वेओ रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
52	Perfetta Foods & Beverages Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	परफेटा फूड्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
53	Adamya Herbal Care Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एडम्या हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
54	Fin Lit Project Services Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	फिन लिट प्रोजेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
55	Abonics India Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	एबोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
56	AgroMediz Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एग्रोमेडिज़ प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
57	LJ Clouds Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एलजे क्लाउड्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
58	Life and Limb Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	लाइफ एंड लिम्ब प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
59	Vendorboat Private Limited	Seed Capital, Approved Amount - 500000, 1st and 2nd Tranche 350000	वेन्डरबोट प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
60	Auton Systems Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	ऑटोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
61	Skillarthi Ventures Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	इस्किलरथी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित राशि - 500000, 1 और द्वितीय किस्त 350000
62	0522 Axiotech Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	0522 एक्सीओटेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
63	Sangrah Innovations Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	संग्रह नवाचार प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
64	Delta 4 Digital Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	डेल्टा 4 डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
65	Aspricus Technologies Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एसप्रिकस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
66	Menghis Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	मेंघिस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
67	Studiuz Education Connect Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	स्टूडियूज शिक्षा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
68	E-Pilars Technologies Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	ई-पिलर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
69	AKP Technovision Innovation Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 500000, 1st Tranche - 200000	एकेपी टेक्नोविजन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
70	Future Tech Embedded Solutions (OPC) Private Limited (OPC)	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	फ्यूचर टेक एम्बेडेड सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
71	Meraviglia EQ Academy Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	मेरावीग्लिया ईक्यू एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 500000, पहली किस्त - 200000
72	SAHAYAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	सहायक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000
73	FUTUREGURUKULS EDUTECH PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	फ्यूचर गुरुकुलस एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवर्ड - 750000, पहली किस्त - 300000

74	EKARIGARI SYSTEMS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	Ekarigari Systes Private Limited	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
75	AI NXT TECHNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	एआई नेक्सट टेक्नोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
76	Greenhale Wellness Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	ग्रीनहेल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
77	SAMOCHA VENTURES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	समोचा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
78	CyberSRC Labs Pvt Ltd	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	साइबर एसआइएसी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
79	FINOVAC FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	फिनोवैक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
80	CRESTKITING RETAILS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	CRESTKITING RELITERS PRIVATE LIMITEN	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
81	MODERNYYAPAARI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	MODITYPAIPAIRI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
82	SibRooms Private Limited	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	सिबरूमस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
83	ROAD PILOT TECHNOLOGIES PVT LTD	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	रोड पायलट टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000,पहली किस्त - 300000
84	COBRA ONLINE SERVICES PVT LTD	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	कोबरा ऑनलाइन सेवा प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
85	EKALSUTRA EDTECH PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	एकलसूत्र इडटेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
86	BUNDELKHAND AGRO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	बुंदेलखंड एग्रो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
87	PATS Literary Solutions (P) Ltd	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	पैट्स लिटरेरी सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
88	KAYASHITYA DIGITAL TECHNICAL INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	कायथ्य डिजिटल तकनीकी नवाचार निजी लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
89	PARALLEL PLATFORM PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	समानांतर प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
90	EduGorilla Community Private Limited	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	एडुगोरिला कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
91	RAVIR PRODUCTS LLP	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	रवीर प्रोडक्ट्स एलएलपी	सीड कैपिटल, एप्रमटी - 750000, पहली किस्त - 300000
92	Euphelity Private Limited	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	यूफिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
93	Midhas Wonderhood private limited	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	मिडहस वंडरहुड प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
94	PREDULIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	प्राइलेटिव इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000,पहली किस्त - 450000
95	INOGUS TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	इनोगस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
96	DATUM ADVANCED COMPOSITES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	डेटम एडवांस्ड कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त- 450000
97	PW Lifestyle Pvt Ltd	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	पीडब्ल् लाइफस्टाइल पीवीटी लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
98	CRESTE DIY PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	क्रेस्ट डीआईवाई प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000
99	RECLAIMED WOOD FURNISHINGS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	पुनः प्राप्त लकड़ी के सामान निजी लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMTI - 1125000, पहली किस्त - 450000

100	Be Cre8v	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	बी क्रेयर एटवी	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
101	LEICHT LED PVT LTD	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	लीच्ट एलईडी प्राइवट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
102	QUALITY DECOR DZINES PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	गुणवत्ता सजावट Dzines निजी लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
103	KAVIZ CREATIONS PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	कविज़ क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
104	AMRITATTAVA NUTRITION PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	अमृततत्व न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
105	STUFIT APPROACH PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	स्टूफिट एप्रोच प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
106	RENAISSANCE GLOBAL MARKETING AND CONSULTING PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt - 750000, 1st Tranche - 300000	पुनर्जागरण वैश्विक विपणन और परामर्श प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
107	Printsec Private Limited	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	प्रिन्टसेक प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवटी - 750000, पहली किस्त- 300000
108	FGEV MOBILITY PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	एफजीईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, एप्रवटी - 750000, पहली किस्त - 300000
109	CARBON LIGHT PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	कार्बन लाइट प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
110	GAYEWALA AYURVEDA PRIVATE LIMITED	Seed Capital, Approved Amt. - 1125000, 1st Tranche - 450000	गयेवाला आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड	सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000
				सीड कैपिटल, अनुमोदित AMT। - 1125000, पहली किस्त - 450000

List of Startups that received Prototype funds from "Startup Policy 2020" - January 2022 - December 2023

"स्टार्टअप पॉलिसी 2020" से प्रोटोटाइप फंड प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स की सूची - जनवरी 2022 - दिसंबर 2023

S.No	Name and Address of beneficiary and startup	Details of Assistance Provided (In ₹ Kind Exemptions etc.)	लाभार्थी और स्टार्टअप का नाम और पता	प्रदान की गई सहायता का विवरण (₹ प्रकार की छूट आदि में)
1	JAACKLE INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	जाकाले इन्फोटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
2	FOUNDER CODE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	फाउन्डर कोड प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
3	WANING TECHNOLOGIES LLP	Prototype, Approved Amt. - 500000	वोनिंग टेक्नोलॉजीज एलएलपी	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
4	VAIRAGYA MOTORS PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	वैराग्या मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
5	AMIACH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	अमियाच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
6	Demmu Sports private limited	Prototype, Approved Amt. - 500000	डेममू स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
7	Alternate Dynamics Llp	Prototype, Approved Amt. - 500000	वैकल्पिक गतिशीलता एलएलपी	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
8	EASY MIND SPACE PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	ईज़ी माइंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
9	VARDHANAM COOPETITION PVT. LTD.	Prototype, Approved Amt. - 300000	वर्धम कॉपिटिशन प्रा। लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 300000
10	PULMOCARE MEDICAL SYSTEM PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	पुलमोकेरे मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
11	FURNSTELLA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	फर्स्टेला इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
12	NBYTECH IMMERSIVE PVT. LTD.	Prototype, Approved Amt. - 500000	एनबीवाईटेक इमरसिव प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
13	Winy Mind Private Limited	Prototype, Approved Amt. - 500000	विनी माइंड प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
14	Medjivan Healthcare (OPC) Private Limited	Prototype, Approved Amt. - 500000	मेडजिवन हेल्थकेयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
15	CYCLE SPIRIT PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	साइकिल स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
16	GREEN ALLOY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	ग्रीन अलॉय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
17	SVRC TECHNO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	एसीआरसी टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
18	SPACE PHILIC PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	स्पेस फिलिक प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 500000
19	WHILE NETWORK PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 250000	जबकि नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 250000
20	Duotet Private Limited	Prototype, Approved Amt. - 300000	डुओटेट प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एएमटी। - 300000

21	BLENDMEST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 500000	ब्लेंडमस्ट टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एमटी। - 500000
22	Right Path Predictor Private Limited	Prototype, Approved Amt. - 350000	राइट पाथ प्रेडिक्टर प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एमटी। - 350000
23	Kursaha Technologies Private Limited	Prototype, Approved Amt. - 490000	कुरसाहा टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एमटी। - 490000
24	AP MOBILITY INDIA PRIVATE LIMITED	Prototype, Approved Amt. - 250000	एपी मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्रोटोटाइप, स्वीकृत एमटी। - 250000